राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] दसवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का नवां दिवस [संख्या : 7

शुक्रवार,

3 नवम्बर, 1995

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

सड़क दुर्घटना में मृत व घायल व्यक्तियों की देखभाल

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम लीकली के दस व्यक्ति कल रात्रि को एक मिनी बस और ट्रक के एक्सीडेंट में मर गये हैं। सात लाशें बस्सी थाने में पड़ी हैं और तीन लाशें एस.एम.एस. अस्पताल में पड़ी हैं। वहां मैं अभी देख कर आया हूं कि न तो कोई मेडिकल जूरिस्ट पहुंचा है, न किसी डाक्टर ने अभी तक उनको सम्भाला है। घायलों को दवा-दारू भी नहीं मिली है और वे लावारिस की तरह भगवान भरोसे पड़े हैं। रात्रि से उनके परिवार के 300–400 आदमी अभी भी एस. एम. एस. अस्पताल के सामने बैठे हैं। मरे हुए व्यक्तियों का पंचनामा हो चुका है लेकिन पोस्टमार्टम के लिये कोई मेडिकल जूरिस्ट अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। माननीय भाभड़ा साहब विराजमान थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने फोन करके टीम बुलायी है लेकिन वह टीम अभी तक, मान्यवर, नहीं पहुंची है। सभी दस व्यक्ति गुर्जर समुदाय के हैं. आन दी स्पाट मर चुके हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनके परिवार को एक-एक लाख रुपये दिये जाएं और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपये तत्काल दिये जाएं। मान्यवर मन्त्री महोदय, मैं जस्ट वहीं से आ रहा हूं, एक भी मेडिकल जूरिस्ट वहां नहीं पहुंचा है और न कोई सम्भाल हो रही है। तीन डैड बॉडी पड़ी हैं। एक बच्ची दस साल की जिसका तो नाम पता ही नहीं है कि वह कहां से आयी, वह मेरे क्षेत्र की है। मैंने पहचान की कि यह मेरे क्षेत्र की है, इसका नाम-पता तो लिखो। इस तरह से प्रशासन आपका शून्य हो रहा है। मान्यवर गृह मन्त्रीजी, आप विराजमान हैं, पुलिस में एक नूर मोहम्मद ए. एस. आई. है, वह यह कह रहा है कि लाशें रोजाना आती हैं हमारा तो काम यही है। उनको डन्डों से ठोसे मार रहा है। लिखा-पढ़ी हो रही है और कोई पैसे मांग रहा है, गद्दे मंगवा रहा है, पाटिये लाओ, पैन लाओ और पैसे दो। ...

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। अब यह हो गया।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मान्यवर, दस आदमी मर चुके हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। नूर मोहम्मद जो ए. एस. आई. पुलिस में है उसको तत्काल सस्पैंड किया जाए और उनको राहत पहुंचायी जाए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी बोल रहे हैं, बैठें आप।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को त्वरित गति से कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये है और जो माननीय विधायक ने नूर मोहम्मद के बारे में बताया है उसकी जांच करवा कर उसके खिलाफ यथोचित कार्यवाही की जाएगी। मुझे यह भी सूचना मिली है कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने भी सभी डाक्टरों को तुरन्त पोस्टमार्टम करके जल्दी से जल्दी नियमित कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये हैं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मान्यवर चिकित्सा मन्त्रीजी, 11 बजे तक कोई डाक्टर नहीं पहुंचा है, मैं जस्ट वहीं से ही आ रहा हूं। जो तीन मेडिकल जूरिस्ट हैं उनके नाम भी मैं नोट करके लाया हूं मिस्टर चन्दाणी, पी. के. माथुर और एस. एल. बैरवा ये तीन मेडिकल जूरिस्ट हैं, उनमें से एक भी वहां पर नहीं पहुंचा है.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आये दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज असैम्बली है तो निर्देश दे दिये गये हैं लेकिन कल असैम्बली नहीं होगी तो हम कहां कहां ढूंढने जाएंगे मन्त्रियों को, कहां असैम्बली में + + + आएंगे। यह स्थायी रूप से प्रबन्ध किया जाए कि जब एक्सीडेंट हो तो उसी वक्त वहां पर पहुंच जाएं... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : डाक्टर टाइम पर नहीं पहुंचते हैं उनको सस्पैंड करिये। अभी 11 बजे तक नहीं पहुंचे हैं।........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप एक एक करके बोलेंगे तो अंकित तो हो। आप कुछ बोलें अंकित हो इसलिये आप एक एक करके बोलें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कम से कम जूरिस्ट महोदय को जाना चाहिये था। इनको यहां पर सिफारिश करने की क्या जरूरत है ?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, इतने आदमी मर गये, कम से कम उनके परिवार को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : उनकी बात तो सुनें आप।

श्री रामस्वरूप : स्वास्थ्य मन्त्रीजी इस बारे में घोषणा करें।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक मिनट, मेरा निवेदन है कि गृह मन्त्रीजी........ (व्यवधान) एक मिनट, मेरी बात तो पूरी होने दो । गृह मन्त्रीजी और स्वास्थ्य मन्त्रीजी के असेम्बली में आने के बाद अभी तो हो जाएगा लेकिन इनके स्थायी आदेश क्यों नहीं हैं ? कभी भी इस प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो तुरन्त उन लोगों के साथ में सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है ? आज सिफारिश करने की जरूरत क्यों पड़ी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सारी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है और इसमें पहले पंचनामा बनता है । कुछ डैड बॉडी ऐसी भी थीं जो अनआइडेंटीफाइड थीं । पंचनामा पुलिस ने बना दिया है और पोस्टमार्टम का काम चालू हो गया है ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, मैं जस्ट वहीं से ही आ रहा हूं । कोई डाक्टर नहीं है । तीन जो जूरिस्ट होते हैं, एस. एल. बैरवा, चन्दानी, कोई भी नहीं है । आप असत्य बोल रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप : कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, सदन को + + + किया जा रहा है ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : माननीय सदस्य हंस रहे हैं, यह कोई हंसने की बात है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : स्वास्थ्य मन्त्रीजी, यहां पर मैं एक बात बता दूं कि यह आप जो कह रहे हो वह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । मैं लगातार घन्टी बजा रहा हूं । पहले आप बात उठा लेते हो और फिर सुनना भी नहीं चाहते । उनकी पूरी बात तो सुनो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के पंचनामे के पश्चात पुलिस की रिपोर्ट जाती है उसके बाद पोस्टमार्टम प्रारम्भ होता है । यह कहना कतई गलत है कि उनकी किसी तरह से सार-सम्भाल नहीं हुई । आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो मैं वह सारी सूचना कि कौन-कौन सी मेडिसिस किस-किस को दी गयीं, कौन-कौन व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर कब-कब आये, किस-किस चिकित्सक ने उनका इलाज किया, आपको दे सकता हूं । उसके पश्चात अगर किसी चिकित्सक के बारे में आपको शिकायत है तो आप मुझे लिख कर दे दें, निश्चित तौर पर जांच करवाऊंगा । मैं प्रयास करूंगा....

श्री अध्यक्ष : इनको चिकित्सकों से शिकायत नहीं है, पोस्टमार्टम जल्दी हो यह कह रहे हैं । विराजें आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पोस्टमार्टम में किसी तरह का विलम्ब नहीं हुआ । इसके

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे माकूल प्रबन्ध किये जाएंगे।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, जो मर गये हैं उनके परिवार वालों को सहायता तो दिलवाओ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मान्यवर, डैड बॉडी का पंचनामा 9 बजे हो चुका है। पौने ग्यारह बजे माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी से मिला, मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब कोई भी डाक्टर नहीं आया है, तीन मेडिकल जूरिस्ट हैं वे भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो इन्होंने कहा कि मैं फोन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेडिकल जूरिस्ट तो पोस्टमार्टम के हिसाब मे ही पहुंचते हैं। इन्होंने दवाइयों का इन्तजाम तो करवा दिया था।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जूरिस्ट टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : उनका पता ही नहीं कि वे कहां गये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अस्पताल वाले गुमराह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं जांच करवा लूंगा, जिस किसी चिकित्सक ने लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं माननीय सदस्य को सन्तुष्ट कर दूंगा और अगर किसी चिकित्सक ने ... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मुझे यह बता दें कि जूरिस्ट टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : बात उठाना चाहते हैं पर उसको समेटना भी नहीं चाहते। मन्त्रीजी बात कह रहे हैं और आप सुनें भी नहीं।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी के आदेशों की पालना हो नहीं रही है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जूरिस्ट की ड्यूटी होती है कि साढ़े आठ बजे समय पर पहुंचे।

एक माननीय सदस्या : सरकार के चाहने पर तुरन्त कार्यवाही होती है लेकिन आम जनता के साथ क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री दीपेन्द्रसिंहजी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

चीनी के ट्रक की चोरी का प्रकरण

168. **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूरत (गुजरात) से श्रीमाधोपुर (सीकर) के लिये चीनी का भरा ट्रक रवाना होकर श्रीमाधोपुर पहुंचने के बजाय चोरी होकर

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

लोसल (जिला–सीकर) में बिक गया ? यदि हां, तो उसमें कितनी चीनी थी एवं उसकी बिक्री कब हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की पुलिस थाना लोसल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो कब एवं उस पर क्या कार्यवाही हुई ? उसमें से कितनी चीनी कब बरामद की गयी ?

(3) उक्त प्रकरण में किस–किस जांच अधिकारी द्वारा क्या–क्या जांच की गयी ? क्या जांच कार्य संतोषजनक रहा ?

(4) क्या उक्त प्रकरण में बरामदगी नहीं करने तथा जांच सही नहीं करने के लिये किसी को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो किसे और नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और अब क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

(6) उक्त प्रकरण में थानाधिकारी, लोसल तथा वृत्ताधिकारी कौन-कौन हैं ? क्या उनकी जांच कार्यवाही सन्तोषजनक रही ? यदि नहीं, तो उन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

(7) क्या उपरोक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध पूर्व में भी जांच होकर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

(8) उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही कितनी अवधि में होनी शेष है ?

(9) उक्त चीनी किन-किन घटिया फर्म द्वारा खरीदी गयी ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां । ट्रक मालिक श्री शहाबुद्दीन निवासी सिगरावट ने सिगरावट में चीनी बेच दी । ट्रक में 124 बोरी चीनी थी । उक्त चीनी दिनांक 15-6-95 व 16-6-95 को सिगरावट में बेची गयी ।

(2) उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 70/95 धारा 407, 411 ताजीराते हिन्द दिनांक 7-7-95 को थाना लोसल पर दर्ज हुआ । थानाधिकारी लोसल द्वारा अनुसन्धान किया गया । दिनांक 12-7-95 को चीनी के खरीददार श्री सुभाष चन्द अग्रवाल निवासी सिगरावट को गिरफ्तार किया गया । दौराने अनुसंधान श्री सुभाष चन्द अग्रवाल की निशानदेही से 5 बोरी भरी हुई चीनी दिनांक 13-7-95 को बरामद की गयी । श्री दुली चन्द जांगिड़ से एक बोरी जिसमें 57 किलोग्राम चीनी बटारिया मार्का दिनांक 15-7-95 को बरामद की गयी । इस प्रकार 6 बोरियों में 5 क्विण्टल 57 किलोग्राम चीनी बरामद की गयी ।

(3) उक्त प्रकरण में थानाधिकारी लोसल श्री शौकत अली उप निरीक्षक द्वारा अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया । उन्होंने सुभाष चन्द अग्रवाल को गिरफ्तार किया । 5 क्विण्टल 57 किलोग्राम चीनी बरामद की गयी एवं 83 बोरी खाली बरामद की

(6)

(गृह मंत्री)

गयीं। मुलजिम श्री रामावतार चीनी खरीददार की सैशन कोर्ट, सीकर से अग्रिम जमानत हुई। मुख्य आरोपी श्री शहाबुद्दीन की अग्रिम जमानत सैशन न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से खारिज हुई। उक्त प्रकरण की अभियोग पत्रावली 30-7-95 से 29-8-95 तक उच्च न्यायालय में रही। अभियोग का अनुसन्धान थानाधिकारी लोसल से वृत्ताधिकारी सीकर को स्थानान्तरण करने पर दिनांक 29-7-95 को अनुसन्धान वृत्ताधिकारी सीकर द्वारा प्रारम्भ किया गया तथा फरार मुल्जिमान व ट्रक की तलाश की गयी। नहीं मिलने पर न्यायालय से उक्त मुल्जिमानों श्री शहाबुद्दीन, मूलाराम खलासी और ओम प्रकाश ट्रक ड्राइवर का गिरफ्तारी वारन्ट प्राप्त किया गया। अनुसन्धान जारी है। एस. एच. ओ. लोसल द्वारा जांच कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाया गया है।

(4) जी हां। उक्त प्रकरण में थानाधिकारी लोसल श्री शौकत अली दिनांक 30 6-95 को श्री विनोद कुमार के परिवाद पर तुरन्त अभियोग पंजीबद्ध नहीं करने तथा अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया गया है।

(5) उक्त प्रकरण में किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। थानाधिकारी लोसल के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की जांच जारी है। जांच से यदि कोई अन्य पुलिस कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(6) घटना के समय थानाधिकारी लोसल के पद पर श्री शौकत अली तथा वृत्ताधिकारी सीकर के पद पर श्री चुन्नीलाल थे। उक्त प्रकरण में तत्कालीन थानाधिकारी श्री शौकत अली उप निरीक्षक द्वारा तुरन्त कार्यवाही न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर अन्य व्यक्ति अथवा त्रुटि पायी जाने पर तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(7) इस प्रकरण में श्री शौकत अली थानाधिकारी द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की शिकायत वृत्ताधिकारी द्वारा करने पर अपर पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा जांच की जा रही है।

(8) उक्त प्रकरण में अनुसंधान जारी है। अनुसंधान अतिशीघ्र पूर्ण किया जाकर मुल्जिमान के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक, सीकर को भी शीघ्र प्राथमिक जांच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

(9) उक्त चीनी श्री सुभाषचन्द अग्रवाल एवं रामावतार की फर्म द्वारा खरीदी गयी जिसमें से सुभाषचन्द अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। रामावतार की अग्रिम जमानत सैशन कोर्ट, सीकर से होने पर अनुसंधान किया जाकर जमानत ली गयी। बोरियों बाबत श्री प्रभूदयाल मूंदड़ा निवासी सीकर से अनुसंधान किया जाना शेष है जो अभियोग दर्ज होने के बाद से फरार है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बड़ा विस्तृत जवाब दिया है उसके लिये

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

धन्यवाद। एक–दो चीजें जवाब में और आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जवाब में आपने स्वीकार किया है कि 15–6–95 को 184 बोरी सूरत से चलकर आयीं, जहां जानी थीं वहां नहीं पहुंचीं, रास्ते में बिक गयीं तो 184 बोरी....

श्री अध्यक्ष : 124 लिखी है इसमें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपके प्रशासन ने बड़ी त्वरित गति से कार्यवाही करके 124 बोरी में से 5 बोरी भरी हुई बरामद कीं ...

श्री कैलाश मेघवाल : त्वरित गति से नहीं की, यह तो मैंने जवाब में ही कहा है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपको एक जानकारी और दे दूं कि इसमें एस. एच. ओ. ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की तो मैं एस. पी. से स्वयं मिला था। एस. पी. ने मेरे सामने एस. एच. ओ. को बुलाकर यह बात स्वीकार करायी है कि मेरे पास शिकायत आयी थी, मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, अभी बरामद करके आज ही मुलजिमान को पेश करूंगा। उसके बाद में आज तक बरामद की नहीं। जो चीनी बरामद नहीं हुई है वह आप कब तक बरामद कर लेंगे, बची हुई बोरियों में से ? दूसरा, आपने स्वीकार कर लिया है कि इसमें एस.एच.ओ. को दोषी पाया गया है लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। आपने केवल एस. एच. ओ. को दोषी माना है जबकि इस मामले में लीपापोती करने में, मुझे अधिकृत रूप से जानकारी है, डीवाई. एस. पी. भी 65 हजार रुपये खा गया है। उसके बावजूद भी आपने उसके खिलाफ कार्यवाही की कोई बात नहीं की है, केवल एस. एच. ओ. पर डाल दिया है।

दूसरा, मेरी जानकारी में, जब से विधान सभा प्रश्न गया है, एस. एच. ओ. लोसल पुलिस थाने से बिना एस. पी. को सूचना दिये फरार है, गायब है। इस सम्बन्ध में क्या एस. पी. ने भी उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया है कि एस. एच. ओ. फरार है ? उसके खिलाफ अब तक कार्यवाही नहीं की। आप डीवाई. एस. पी. और एस.एच. ओ. के खिलाफ क्या कार्यवाही कितने दिन में कर देंगे ? दूसरा, इसमें जांच विचाराधीन है, इसका कोई समय नहीं दिया गया है इसलिये स्पेसिफिक बता दें।

आपने इस मामले में क्या उच्चाधिकारियों को, एस. पी. को निर्देश दिये हैं कि एस. एच. ओ के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करायी जाए ? अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गयी है। यह चीनी आप कब तक बरामद कर लेंगे ? (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : पारीक जी बोलेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजें, जवाब आने दें।

श्री अमराराम : जहां तक चीनी बरामद करने में वृत्ताधिकारी की जांच का सवाल है, ट्रक पिछले 2 महीने से सांवली में पैट्रोल पम्प पर खड़ा है। वह वृत्ताधिकारी तीन दफा उस ट्रक के पास जाकर उन पैट्रोल पम्प पर रहने वालों को तंग कर आया है

(श्री ग्रमराराम)

केवल रिश्वत खाने के लिये। पैट्रोल पम्प मेरे गांव जाने वाली सांवली रोड पर है, 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि वह वृत्ताधिकारी केवल इस बात के लिये 65 हजार खा गया ग्रौर ट्रक को बरामद नहीं करके केवल लापरवाही बरत रहा है। वह ट्रक वहां दो महीने से खड़ा है, बरामद नहीं हुआ।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजिये। पारीक जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में मुलजिमान द्वारा काम में लिया गया ट्रक सांवली स्टेशन पर खड़ा हुग्रा है? माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सांवली स्टेशन पर जो ट्रक खड़ा है, मैंने व्यक्तिश: उपस्थित होकर माननीय वृत्ताधिकारी महोदय को एक बार नहीं 10 बार इस बात की सूचना दी कि दीपावली पर पैट्रोल पम्प पर ट्रकों की भारी लाइन लगती है, आप कृपया इस ट्रक को हटवाइये। बार-बार निवेदन करने पर भी आज तक उस ट्रक को हटवाया नहीं गया, उसमें साजपूर्ण कार्यवाही स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह भी कहना चाहूंगा–जैसा ग्रापने रिप्लाई दिया है कि ट्रक ग्रौर मुलजिमान फरार हैं, उक्त प्रकरण में काम लिया गया ट्रक क्या ग्राज भी सांवली स्टेशन पर खड़ा है?

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजें ग्राप। माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रकरण सवाल का जवाब देने के वक्त मेरे सामने आया ग्रौर जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो प्रश्न का उत्तर अनुमोदित कर दिया, जैसे तथ्य थे उनके ग्राधार पर। लेकिन मैं कल ही जब इस प्रश्न की पूरक सूचना तैयार कर रहा था तो मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि एस. एच. ओ. लोसल के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 217, 218, 414, 201 के अन्तर्गत सीकर में लोसल थाने में एफ. आई. ग्रार. दर्ज करायी गयी है और उसके खिलाफ कार्यवाही....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : कब करायी?

श्री कैलाश मेघवाल : कल करायी। + + + ग्रांसर तो ग्रभी 3-4 दिन पहले ही अप्रूव किया है। आप तो स्वयं जानते हैं, ग्राप भी गृह मंत्री रहे हुए हैं। मेरे ध्यान में ग्राने के बाद....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमारे जमाने में व्यवस्था ग्रच्छी चलती थी, ऐसी नहीं चलती थी।

श्री कैलाश मेघवाल : ग्रच्छी नहीं चलती थी तभी तो आप उधर बैठते हैं। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था कि एस.एच.ग्रो. के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है ग्रौर यह बात भी सही है कि एस. एच. ओ. का स्थानान्तरण सी. आई. डी. (सी. बी.) में करवा दिया गया है पर उसने ग्रभी तक

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

ड्यूटी जाइन नहीं की है । मैं आज ही इस बात के निर्देश दे रहा हूं कि एस. एच. ओ. को तुरन्त निलम्बित कर दिया जाए, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अमरारामजी और राजेन्द्रजी पारीक जो तथ्य मेरे ध्यान में लाये हैं और सी. ओ. की भूमिका भी इसमें संदेहास्पद बतायी है तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं डी. आई. जी. स्तर के व्यक्ति से सी. ओ. की भूमिका जो रही है उसकी जांच करवा लूंगा । और उसमें यदि कोताही बरती गयी है या पक्ष पोषण की बात सामने आयी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि चीनी कब तक बरामद करवा देंगे । 30 तारीख को यदि एफ. आई. आर. दर्ज होकर के त्वरित गति से कार्यवाही होती तो शायद भरी बोरियां मिल जातीं, 7 दिन तक पड़ी रहीं, उसमें खुर्द-बुर्द हो गयी हैं । अब वे कहां गयीं कहां नहीं गयीं, इसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दी गयी है । ट्रक के बारे में भी जांच करवा लेंगे कि यह ट्रक वहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उसने गलत तथ्य बयान किये हैं ...(व्यवधान) ... यह बात पुलिस की जानकारी में है कि ट्रक सांवली स्टेशन पर खड़ा हुआ है । मैंने व्यक्तिशः उपस्थित होकर इसकी जानकारी की है, इसके बावजूद आपकी रिप्लाई आयी है कि ट्रक और मुल्जिमान फरार हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्रीजी की बात सुन लें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसी तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन को गुमराह करने वाली है । ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध कारित करने के लिये जो ट्रक काम में लिया गया है उस ट्रक के बारे में मुझे अभी जिस तरह की जानकारी दी गयी है, इस बिन्दु पर अन्वेषण किया जाएगा और दोनों विधायक जो बात कह रहे हैं उस बिन्दु पर जांच करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उन्होंने जो रिपोर्ट दी है कि ट्रक फरार है, मैं व्यक्तिशः उपस्थित होकर उनकी जानकारी में यह बात लाया हूं । ऐसी गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : अब जांच करा लेंगे । अगर यह सही है तो नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिये, हो जाएगी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक छोटा-सा और पूछ लूं ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्रीजी से मैं दो बात और कहना चाहता हूं, क्या यह सही है कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहती हूं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि जांच के दौरान सी. ओ. और इन्चार्ज को यदि वहीं रखा गया तो जांच प्रभावित होगी। आप आश्वस्त करें कि जांच के दौरान उनको हटा दिया जाएगा वहां से। तब तो जांच ठीक ढंग से हो पाएगी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, लोसल थाने में आपने एफ. आई. आर. तो दर्ज करा दी और एस एच ओ. को आज ही सस्पैण्ड कर देंगे, यह तो आपने घोषणा कर दी लेकिन जिस डी एस पी के सर्किल में ये सब कारनामे हुए हैं और एस. एच. ओ. और डी. एस. पी. दोनों ने मिलकर मामले को रफा-दफा किया है क्या उस एस. एच. ओ. के खिलाफ वह डी. एस. पी. जांच करने देगा और क्या उस डी. एस. पी. के खिलाफ भी जांच को आप इनवाल्व करेंगे ? पहली बात।

दूसरी चीज, क्या यह सही है कि ये एस. एच. ओ. जो इस केस में इनवाल्व हैं क्या पहले भी भयंकर अनियमितताओं में पकड़े गये थे कई बार और कांग्रेस राज्य में राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त भी कर दिये गये थे और उसके बाद वापस भी आ गये थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : किस राज्य में ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : किसी भी राज्य में हो लेकिन बार-बार कारनामे करने से बर्खास्त हुए हैं। वापस सरकार ने उनको ले लिया। उसके बाद बार-बार उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं। एस पी. ने बार-बार शिकायत की है उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस दिन से इन्होंने सर्विस जाइन की है, आज इनके साथ के लोग एडीशनल एस पी. हो गये लेकिन इनके इन्क्रीमेंट नहीं लगा है इनके कारनामों से, न प्रमोशन एक भी मिला। इन सारे तथ्यों को देखते हुए क्या आप विस्तृत जांच करवाएंगे ? और क्योंकि डी. एस. पी. भी इसमें इनवाल्व है इसलिये उस जिले के बाहर का एस. पी. स्तर का अधिकारी क्या इसकी जांच करेगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया ...

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एस. पी. से जांच के लिये आपने कहा है डी. एस. पी. के लिये लेकिन जो पुलिस केस रजिस्टर किया गया है उसको भी डी. एस. पी. रफा-दफा करेगा, उसी जिले का लगाया गया तो जांच नहीं हो पाएगी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि एस. एच. ओ. के बारे में उसके, सर्किल के जितने भी प्रकरण हैं, वह तो मुकदमा चलेगा ही लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही में सारे प्रकरणों को मगवाकर उनमें यथोचित कार्यवाही की जाएगी। इस केस में 7 तारीख को भी रिपोर्ट डी. एस. पी. ने की है और ये जो गलतियां रही हैं इसकी भी रिपोर्ट एस. पी. को डी एस. पी ने की है। लेकिन उसके बाद भी तथ्य आपने बताये। एस. पी. के लिये मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं, अब डी. आई जी. के स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करवाएंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : जो केस रजिस्टर किया है, जो एफ. आई. आर. है

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

उस डी. एस. पी. के अण्डर में वह थाना है। वहां जांच जिले में नहीं हो पाएगी प्रापर, क्योंकि वह उसको बचाएगा इसलिये उस डी. एस. पी. के इनवाल्व होने के कारण से जांच नहीं हो पाएगी।

श्री कैलाश मेघवाल : आपका पाइण्ट समझ गया। एस. एच. ओ. के खिलाफ जो एफ. आई. आर. दर्ज की गयी है इसकी जांच भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी से करवा दी जाएगी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सीकर का नहीं हो, जिले के बाहर का हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसे सी. ओ. जहां कहीं भी हों। जहां स्पेसिफिक चार्ज है 65 हजार का तो सी. ओ. को वहां सर्किल में क्यों रखा जाए? उसको तुरन्त हटाने का क्यों नहीं आदेश करें? माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक पाइन्ट उठाया है तो ऐसे सी. ओ. जहां कहीं भी हों, जहां स्पेसिफिक चार्ज है 65 हजार का तो उसको वहां से तुरन्त हटाया जाए, मेरा यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रतनलाल ताम्बी।

तहसील जहाजपुर की राजस्व भूमि पर अतिक्रमण

169. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अतिक्रमण बढ़ने के कारण कानून में संशोधन कर जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर राजस्व भूमि पर अतिक्रमण रोकने की कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जहाजपुर तहसील में उक्त दिशा निर्देशों के बाद जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उन पर विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1995–96 में बड़ी तादाद में सड़कों के किनारे तथा चरागाहों की बिना नाम की जमीनों पर अतिक्रमण तथा निर्माण किये गये हैं? यदि हां, तो पटवार सर्कलवार अतिक्रमणों की संख्या तथा तहसील जहाजपुर के कितना रकबा पर अतिक्रमण हुआ, विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, राजस्व भूमि पर अतिक्रमण को रोकने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा धारा 91 में नयी उप धारा (6) जोड़ी गयी है जिसमें तीन साल का कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इस हेतु जारी परिपत्र क्रमांक प 6 (18) राज (ग्रुप–6) 91/13 दिनांक 20–7–94 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1995–96 में जहाजपुर तहसील में कुल 1896 अतिक्रमियों द्वारा 3062 बीघा 8 बिस्वा भूमि बिला नाम एवं 1003 बीघा 18 बिस्वा चरागाह भूमि

(राजस्व मन्त्री)

पर अतिक्रमण पाया गया है जिसके विरुद्ध नियमानुसार तहसीलदार जहाजपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। पटवार मण्डलवार अतिक्रमण सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट (क) पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व संशोधन अधिनियम, 1992 की धारा 91 में उप-धारा (6) जोड़ी गयी है क्या उसके पीछे यह मंशा थी कि राजस्थान में वर्तमान कानून अतिक्रमण को नहीं रोक पा रहा है ? और क्या 6(ख) में सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया है ? यह सब होने के बाद भी अतिक्रमण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया और न किसी अधिकारी/कर्मचारी जो इसमें जिम्मेदार होते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है, इसका क्या कारण है ? क्यों प्रस्तावित नहीं की गयी ? मेरा यह आरोप है कि जो आंकड़े आपने दिये हैं इससे कई गुना अधिक अतिक्रमियों की संख्या है और रकबा भी ज्यादा है। रिकार्ड वह होते नहीं हैं और ऊपर का ऊपर ही इस मामले में काफी गड़बड़-घोटाला निरन्तर हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उदाहरण तो दो।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं उदाहरण दे रहा हूं।

मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इसके लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को पूरे जहाजपुर तहसील में जहां अतिक्रमण अधिक हैं, रकबा ज्यादा है और अतिक्रमी भी ज्यादा हैं उसकी जांच करने का आदेश प्रदान करेंगे ?

तीसरा मेरा सवाल यह है कि धारा 6 (ख) की जो कार्यवाही है उसको पूरे तहसील में आपके इतने स्पष्ट आदेश 20–7–94 के संचालित होने के बावजूद एक भी जगह नहीं किया गया है। चरागाह, आम रास्ते और श्मशान, इनके लिये आपने महत्वपूर्ण आदेश निर्देशित किये हैं लेकिन उसके बावजूद चरागाहों, आम रास्तों और सड़क के किनारों की भूमि पर अतिक्रमण होते हैं। इसके बाद भी आपने यह अनुभव किया होगा कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे इतने कम होते हुए भी अतिक्रमण इतनी बड़ी तादाद में हुए हैं। सक्षम कार्यवाही जिला स्तर पर जो कलेक्टर को भेजनी चाहिये और सम्बन्धित कर्मचारी को दण्डित करने का जो प्रावधान है-एक हजार रुपया तक जुर्माना और एक माह कारावास का का-सारे मामलों में पूरी तहसील में कहीं भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में आप विस्तृत जांच और कार्यवाही करने को आश्वस्त करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि धारा 6 इसलिए जोड़ी गयी थी कि पहले के जो प्रावधान हैं वे सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण के लिये काफी नहीं थे। इसलिये 3 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। जहाजपुर तहसील में इस बार धारा 6 के अन्तर्गत चालान के

(श्री गंगाराम चौधरी)

लिये 53 मामले भेजे गये थे और उन 53 मामलों में चालान की कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त 1896 जो प्रकरण दर्ज किये गये हैं उनमें 667 का तो निस्तारण हो गया है और 123 प्रकरणों में 3 माह की सजा भी सुनायी गयी है। बाकी प्रकरण अभी विचाराधीन हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इससे भी अधिक अतिक्रमण हैं, इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। जहां तक हमारी रिपोर्ट है जितने भी अतिक्रमण इस साल हुए हैं उन सभी का मामला दर्ज कर दिया गया है और यदि कोई बाकी रहे हैं वह माननीय सदस्य बताएंगे तो उस बारे में जांच कर ली जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ और चीजों पर भी ध्यान दिलाया है। चरागाह और श्मशान आदि के ऊपर जो भी कार्यवाही की गयी है मैंने निवेदन कर दिया है। राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई मामला दर्ज नहीं है, न किसी ने इस बारे में शिकायत की है। राजकीय कर्मचारी अपनी तरफ से रिपोर्ट जब कर देते हैं तहसीलदार को और तहसीलदार उस पर कार्यवाही आरम्भ कर देते हैं तो फिर वे दोषी नहीं पाये जाते हैं। इसलिये जहां तक राज्य सरकार को जानकारी है और जिला कार्यालय को जानकारी है किसी राजकीय कर्मचारी के विरुद्ध लापरवाही बरतने की कोई शिकायत हमारे सामने नहीं है। सड़कों के किनारे के अतिक्रमण के बारे में पी. डब्ल्यू. डी. से जानकारी की गयी है। राजस्व विभाग ने और पी. डब्ल्यू. डी. ने यह रिपोर्ट दी है कि सड़कों के किनारे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। जो भी माननीय सदस्य ने कहा उस सम्बन्ध में मैंने सदन को जानकारी दी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने यह फरमाया कि पी डब्ल्यू. डी. से हमने जानकारी प्राप्त की कि कोई सड़कों के किनारे पर अतिक्रमण नहीं हैं – मैं इसको चैलेन्ज देना चाहता हूं। सड़क के दोनों किनारे बड़ी तादाद में अवैध कब्जे और निर्माण हुए हैं। मन्त्री महोदय, आप सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिलकर चैक कर लें, राजस्व भूमि पर सड़कों के दोनों किनारे बिलकुल अतिक्रमण और निर्माण के काम हुए हैं। क्या इसकी विस्तृत जांच कर मुझे आश्वस्त करेंगे ? इसकी रिपोर्ट आप रेवेन्यू विभाग से लीजिये कि सड़क के किनारे कब्जे हैं कि नहीं हैं। पी. डब्ल्यू डी. वाले गलत रिपोर्ट दे रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : वैसे तो पी. डब्ल्यू डी. अधिकारियों को भी धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के लिये सक्षम किया हुआ है, अधिकार दिया जा चुका है। पी. डब्ल्यू. डी अधिकारी स्वयं ही अगर नाजायज कब्जा उनकी सड़क पर होता है वे कार्यवाही करते हैं। फिर भी राजस्व विभाग ने इस बारे में पी. डब्ल्यू. डी. से पूछा था और माननीय सदस्य कह रहे हैं तो राजस्व विभाग और इस बारे में जानकारी कर लेगा और पी. डब्ल्यू डी. को कहेगा कि वह कार्यवाही करे।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। तीन सप्लीमेंटरीज पहले पूछी हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह जवाब से बना है, इसलिए कह रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का यह कहना है कि वह जमीन जो बिलानाम सरकार दर्ज हैं, जब तक हमारे रिकार्ड में दर्ज नहीं हो तब तक हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, न कर सकेंगे। जिसका मुग्रावजा दे दिया गया, ग्रध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक विभाग द्वारा मुग्रावजा देने के बावजूद वे सड़कें ग्राज भी काश्तकारों के खाते में ग्रथवा बिलानाम दर्ज हैं और पी. डब्ल्यू. डी. में निहित नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है व अतिक्रमण ग्रौर निर्माण बड़ी तादाद में हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, कभी आप निकले होंगे ...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब हो गयी आपकी बात। श्री किशनाराम।

श्री रतनलाल ताम्बी : देवली रोड पर दोनों ग्रोर 15–15 फीट पर मकान बने हुए हैं सड़क की बाउंड्री में।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू की जमीन पर जो कब्जे होते हैं वे रेवेन्यू के ग्रधिकारी, पटवारी, गिरदावर ग्रौर तहसीलदार से मिल कर होते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में मैंने बार-बार जिलाधीश को लिखा है, तहसीलदार को लिखा है, मंत्रीजी को भी लिखा है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान की लाखों बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। तीन साल पहले सरकार ने इस ग्रधिनियम में संशोधन किया उसके पश्चात् भी इन कब्जों में कमी नहीं ग्रायी है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, तीन साल में एक तहसील के अन्दर 4 हजार बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। इस ग्रधिनियम की धारा 6 खण्ड ख के ग्रनुसार इस प्रकार के ग्रनधिकृत कब्जे को रोक पाने ग्रौर हटाने में लापरवाही बरतने पर या जानबूझकर जानकारी में होते हुए भी कब्जे को नहीं हटवाता है इस प्रकार किसी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ में तीन वर्षों के ग्रन्दर पूरे राजस्थान का नहीं बता सकते हैं तो बता दीजिये कि जहाजपुर या भीलवाड़ा के ग्रन्दर कितनी-कितनी कार्यवाही की है ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हरजीराम जी।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को घुमा दिया। वास्तविकता यह है कि इस एक्ट में संशोधन करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि राजस्व के स्थानीय अधिकारी मिलकर ग्रतिक्रमण करवाते थे ग्रौर इसमें यह व्यवस्था थी कि उन कर्मचारियों के खिलाफ भी वैसी ही कार्यवाही की जाएगी जैसी ग्रतिक्रमी के विरुद्ध। लेकिन मौजूदा व्यवस्था वो की वो है। कोई भी शिकायत होती है राजस्व विभाग के अधिकारी उसे पटवारी के पास भेज देते हैं। जिन लोगों से मिलकर वह 91 की कार्यवाही नहीं करता है तो वह ग्राखिर में भी नहीं करता। इसलिए इसकी कोई सैपरेट जांच एजेन्सी अगर माननीय मंत्रीजी घोषित करें। जो पटवारी या रेवेन्यू इन्सपैक्टर कब्जा दर्ज नहीं करेंगे उनके लिए कोई ग्रलग से जांच एजेन्सी होगी तब उसका कोई मतलब

(श्री हरजीराम बुरडक)

निकलेगा । कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक सारे के सारे कागज उसी पटवारी के पास भेज देते हैं और वह रिपोर्ट कर देता है और आप कह देते हैं कि सरकार को कोई जानकारी नहीं है । सरकार जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । माननीय मंत्री जी ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया...

श्री अध्यक्ष : आपका भी है थानागाजी का ?

श्री रमाकान्त शर्मा : थानागाजी के मैं कई सवाल पूछ चुका हूं चरागाहों के अतिक्रमण के बारे में । आपने इजाजत नहीं दी, अब की बार भी मेरा सवाल था ।

श्री अध्यक्ष : अभी आ जाएगा ।

श्री रमाकान्त शर्मा : मंत्री महोदय ने यह बताया कि राज्य कर्मचारियों के खिलाफ इसलिये कार्यवाही नहीं हुई कि शिकायत नहीं की जाती है, यह निहायत असत्य है । मैंने शिकायत की है बहुत बार और मैंने स्पेसिफिक शिकायत की है । तहसीलदार की शिकायत की है, जो पटवारी हैं मैंने उनके खिलाफ शिकायत की है । चरागाह की स्पेसिफिक व्यक्तिगत शिकायत की है । कई शिकायतें मैंने कलेक्टर साहब को भिजवायी हैं और माननीय मंत्री महोदय को भिजवायी हैं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । पिछली बार यहीं विधान सभा में उत्तर आया था कि 91 चरागाहों पर कब्जे हैं ,अब वे और बढ़कर 125 हो गये हैं । स्थिति यह है, यह कह दिया गया कि कार्यवाही हो जाती है तो फिर कर्मचारी पर कार्यवाही क्यों की जाए । कार्यवाही यह होती है कि तहसीलदार साहब एक नोटिस दे देते हैं कि अतिक्रमण कर रखा है और फिर नोटिस के बाद तीन वर्ष तक तारीख लगाते रहते हैं क्योंकि उनका उसके अन्दर एक प्रकार से कनाईवेन्स होता है, वे जानते हैं । उनकी आंखों के सामने 20–20 बीघा पर चरागाह पर कब्जा हो रहा है और उसमें तीन वर्ष तक कार्यवाही नहीं हो ! ऐसे अनेक मामले हैं जो मैं रिपोर्ट कर चुका हूं ।

तीसरी बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सड़क के किनारे अतिक्रमण के बारे में 91 की कार्यवाही के लिये पी. डब्ल्यू. डी. ए. ईएन. को अधिकृत कर रखा है । परन्तु ए. ईएन. को कान्करेन्ट पावर्स हैं, यह नहीं कि राजस्व विभाग की पावर्स को छीन कर उनको पावर्स दी गयी हैं । तहसीलदार साहब तो यह कहते हैं कि पी. डब्ल्यू डी. के ए. ईएन. को भेजो और पी. डब्ल्यू. डी. का ए. ईएन. यह कहता है कि मेरे पास हटाने का कोई तरीका नहीं है । सड़कों के किनारे जितने भी अतिक्रमण हुए हैं वे इस कानून का मिसयूज होने के कारण से हुए हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दें कि कान्करेन्ट पावर्स हैं, साथ-साथ वे भी कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंह जी ।

श्री किशनाराम : समय-समय पर पूरे राजस्थान की यही शिकायत है ।

(16)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि दोहरी व्यवस्था आपके कर्मचारियों के द्वारा बरती जा रही है। आपके पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार से जाकर कोई काश्तकार मिल लेता है उसके साथ में कोई कार्यवाही नहीं होती है या जिसके यहां से पैसे पहुच जाते हैं उसके साथ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बाकी जिनका कब्जा कई वर्षों से चलता आ रहा है और वे अपने आप में सही हैं उनके साथ में दुराचार किया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों के लिए मैंने आपसे भी लिखकर दिया है और जिलाधीश महोदय को भी लिख-लिख कर दिया है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का आपका विचार है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी सड़क की जमीन का इन्द्राज अब तक पी. डब्ल्यू. डी. के नाम नहीं है तो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य अगर बताएंगे कि किसी जमीन के बारे में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है तो मैं एक्शन लूंगा।

दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर माननीय सदस्यों की चिन्ता है कि चरागाह और इस पर माकूल कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस बार हमने निर्देश दिये थे और उसकी पालना में कई कलेक्टरों ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की है।

श्री रमाकान्त शर्मा : कौन से कलेक्टर ने इस प्रकार का अभियान चलाया है, नाम तो बताएं।

श्री गंगाराम चौधरी : नागौर।

श्री रतनलाल ताम्बी : उन लोगों के खिलाफ चला है जिन लोगों ने पटवारियों को पैसे नहीं दिये हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : फर्जी आंकड़े तैयार किये हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, कौन–कौन से कलेक्टर ने किस-किस तहसील में अभियान चलाया है, यह रिकार्ड बताएं।

श्री गंगाराम चौधरी : नागौर कलेक्टर ने अभियान चलाया है। नागौर के माननीय सदस्य यहां बिराजे हैं, नागौर कलेक्टर ने अभियान चलाया है।

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्री महोदय, एक मिनट सुनिये, जिन लोगों ने पटवारियों को पैसे नहीं दिये उनके हटा दिये और जिन्होंने पैसे दिये उनका दर्ज ही नहीं किया। आप कह रहे हो हमारे पास सूचना नहीं है, सूचना तो आप मंगवा ही नहीं रहे हो।.... (व्यवधान) जिन्होंने 70–70 बीघा पर कब्जा किया है उनका दर्ज ही नहीं है और जिसने झोंपड़ी बनायी है उसको हटा दिया।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में कई वरिष्ठ सदस्य विराजमान हैं, अतिक्रमण के बारे में

(श्री नरपतसिंह राजवी)

बहुत बार चर्चा हुई है। कोई भी सरकार किसी भी दल की हो, अटैम्प्ट सरकार का डेफिनिटली रहता है कि अतिक्रमण नहीं हो, अतिक्रमण हटना चाहिये। लेकिन यह भी सही है कि अतिक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले सिस्टम यह था कि गिरदावरी होने के बाद में उसमें घोसवारा बनता था। बीकानेर टिनेन्सी एक्ट का, बीकानेर लैण्ड रेवेन्यू सिस्टम का तो मुझे ध्यान है, उस घोसवारे में गैर-मुमकिन आबादी कितनी है, गैर-मुमकिन रास्ता कितना है, किधर से, कौन-कौन खसरे से निकलता है वह सारी डिटेल दी जाती थी। अगर कहीं भी कुछ चेंज होना है तो रेवेन्यू आथैरिटी, कम्पीटेंट आथोरिटी का जो सब-डिवीजनल आफिसर से नीचा न हो, आदेश होता था। आम रास्ता कोई रोकेगा तो गांवों में परेशानी होगी चाहे कोई भी हो। एक अभियान के रूप में नहीं तो कम से कम एक डिटेल बन जाए आज भी। यह जो सैटलमेंट हुआ है उसको बाइफरकेट करके और उसके बाद में पुराना रिकार्ड एग्जामिन करके अगर इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्ज दे दें, सरपंच लिखकर दे दें उसमें तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये, ऐसी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। दीपेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान).... दीपेन्द्र सिंह जी को कहा है। रामनारायण जी, मैं दीपेन्द्र सिंह जी को कह रहा हूं।

श्री महादेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण हटाने के नाम पर काश्तकारों को लूटा जा रहा है... (व्यवधान). आये दिन आपका पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार (व्यवधान) .. आये दिन पैसा लेते हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि यह इम्पार्टेंट इश्यू है और कई माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। (व्यवधान) आप विराजिये... (व्यवधान) आप विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पटवारी और ग्राम सेवक के सहयोग से सरकारी जमीन पर, सिवाय चक पर, रास्ते पर कब्जे करवाये गये ... (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : अतिक्रमण हटाये जाएं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई अंकित मत करें।.... (व्यवधान) ऐसे आपकी आवाज आएगी नहीं, फिर कहेंगे हमने क्या कहा पता ही नहीं लगा। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय महादेव सिंह जी, आप विराजें।

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री दीपेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने दीपेन्द्र सिंह जी का नाम लिया है। आपका नाम दीपेन्द्र सिंह जी है क्या ? दीपेन्द्रसिंह जी को कहा है। वे 10 मिनट से हाथ खड़ा करके खड़े हैं और खड़े रहेंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपका आदेश होगा तो खड़ा रहूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आप भी और पूरा सदन भी, राजस्थान की सरकार और प्रशासन भी चिन्तित है अतिक्रमण से। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अतिक्रमण कैसे होता है क्या होता है। मंत्रीजी जवाब दे दें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर, नदी पेटा जमीन पर एक व्यक्ति ने कब्जा किया। प्रशासन हटाने की बात करने लगा, प्रशासन मिल गया। पंचायत ने प्रस्ताव करके उस जमीन को फोरेस्ट को दे दिया। फोरेस्ट जब कब्जा करने गया तो ए.सी.एम. ने स्टे दिया लेकिन स्टे वैकेट हो गया। रेवेन्यू अपीलांट अथोरिटी ने स्टे दिया वह भी वैकेट हो गया, कलेक्टर ने वैकेट कर दिया। कहीं उसके पास एक कागज नहीं है। घीसाराम नाम है, नाथूसर पंचायत है, श्रीमाधोपुर तहसील है। अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगाता हूं, राजस्थान के राजस्व मंत्री ने बिना कागजों को देखे, प्रशासन की अनदेखी करके, + + + यहां से स्टे कर दिया। साल से ऊपर हो गया, वह कब्जा किये बैठा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका राजस्व सचिव कहता है, 6 बार टेलीफोन किया है कलेक्टर को....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : फैक्स भेजा है, सारी जानकारी के लिये कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : लेकिन राजस्व मंत्री के दबाव से लाखों रुपये की जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा किया है। उसके खिलाफ लोगों को मजबूर होकर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : जहां सरकार चाहती है, जहां मंत्री चाहता हो + + + तो किस प्रकार से फिर अतिक्रमण हटेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, ये बिना सूचना के आरोप लगा रहे हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, ये बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, अंकित नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी। अब बहुत देर हो गयी, पौन घंटा हो रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछूंगा, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। आपकी इजाजत से एक सवाल पूछूंगा। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । परसादी लाल जी, विराजें । (व्यवधान) महादेव सिंह जी, विराजें । बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, आप कह चुके हैं । (व्यवधान) तीन बार खड़े होकर कह चुके हैं आप, महादेव सिंह जी । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में बिना किसी कारण के बिना किसी सूचना के राजस्व मन्त्री पर जो चार्ज लगाये हैं उनको एक्सपंज किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करें ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोगटा जी ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : किस आधार पर स्टे लगाया ? राजस्व मन्त्री जी ने किस आधार पर स्टे कर दिया, इस बात का जवाब दीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें (व्यवधान) महत्वपूर्ण मामला है तो दूसरों की बात भी तो सुनें । बैठिये आप । (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : यह बिलकुल निराधार है, गलत है । मैं इस मामले में दो शब्द कहना चाहता हूं । (व्यवधान) घीसा राम, श्रीमाधोपुर तहसील मेरी और दीपेन्द्र सिंह जी दोनों की तहसील है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक्सपंज हुआ या नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, यह बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : हो गया ।

श्री महादेव सिंह : घीसाराम एक काश्तकार है, उसका 50 वर्ष से इस नदी के पेटे पर कब्जा है । घीसाराम हमेशा काश्त करता आया है । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : और जब अतिक्रमण हटाने की आप बात करते हैं, इस प्रकार के कब्जे को प्रोटेक्शन दिया जाता है । (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : घीसाराम का उस जमीन के अन्दर कुआं बना है और वन विभाग ने जबरदस्ती उस जमीन को छीनना चाहा है । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : पंचायत ने प्रस्ताव लाकर वन विभाग को दी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या आरोप-प्रत्यारोप लगाने लग गये । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की.. (व्यवधान) जब तक राजस्व मंत्री हैं (व्यवधान).... इस प्रकार के अतिक्रमणों पर कब्जा.... (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : ....मेरी जमीन जो खाते की है वह वन विभाग को दे दी जाए । (व्यवधान)

20

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसा लग रहा है कि यह प्रश्न .. (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : चिन्ता करते हैं ... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, एक महिला को तो बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक घण्टा हो रहा है, पूरा हाउस आर्डर में नहीं चलता है । सब सदस्य खड़े होकर बोलने लग जाते हैं । मैं एक-एक को मौका दे रहा हूं और आप सब + + + कर रहे हैं । (व्यवधान) विराजिये । यह इस तरीके से नहीं होगा । (व्यवधान) ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप अगला ले लीजिये । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वह अंश कार्यवाही से हटाया गया या नहीं हटाया गया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आप एक-एक सवाल पर इतने डिस्कशन करा लेते हैं, बाकी सवाल कम रह जाते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बताएं मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : स्थगित कर दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बार-बार घण्टी बजा रहा हूं । आप विराजें । सब माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कह रहे हैं । आप विराजें । (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : हरेक को पीड़ा है इस मामले में । हमारे यहां एक व्यक्ति की जमीन खा गये लेकिन.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम बनाया गया है और अध्यक्ष महोदय को बहुत अधिकार प्राप्त हैं । मेरा निवेदन यह है कि किसी भी माननीय सदस्य पर या मन्त्री पर कोई भी आरोप लगाते हैं उसकी पहले सूचना देना आवश्यक है । उसके बावजूद उनकी पहले लिखित में सूचना देनी चाहिये । इस प्रकार से कोई भी इस सदन का सदस्य अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करे इस बात की छूट नहीं दी जानी चाहिये और बोलने नहीं दिया जाए । निश्चित सवाल यहां पर आने चाहिये । सभी माननीय सदस्य अपना अमूल्य समय देकर और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर लेकर आते हैं । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : कल हमारे पर आरोप लगाया था उस समय तो आप नहीं बोले थे । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो तीन सवालों से ज्यादा आते नहीं हैं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है.... (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल सिर्फ एक घण्टे का होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह इस तरीके से तो कोई बात समझ में नहीं आयी। आप विश्नोई साहब की बात सुनें। (व्यवधान) मुझे आपका नाम लेकर कहना पड़ेगा। (व्यवधान) मर्यादा भंग करते हैं आप। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल में कृषि भूमि की कीमतें अत्यधिक बढ़ गयी हैं। यह कैम्पेन वगैरह की बात करते हैं, राजस्व मन्त्रीजी ने कहा कि अधिकारियों को सूचना दें तब अधिकारी कार्य करें। बात यह है कि अधिकारियों को, जैसे कलेक्टर तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का किंगपिन है और उसके पास सब सुविधाएं हैं। एस. डी. ओ. के नीचे इतने सारे अधिकारी हैं। यह जो आप कैम्पेन वगैरह चलाएंगे, सभी बुरे नहीं, सभी अच्छे नहीं लेकिन कैम्पेन का होना यह है प्रैक्टिकल में कि जो छोटे-छोटे लोग हैं उनके वर्षों से कब्जे हैं, उनको तो जल्दी से हटा देते हैं लेकिन जो लैण्ड ग्रैबर्स हैं बड़े-बड़े उनके मामले में 91 का भी, मन्त्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं, दुरुपयोग होता है। 91 का नोटिस दे दिया और उसके बाद चलाते रहें, चलाते रहें, 4–5 साल पुराना कब्जा 91 से उसका साबित हो जाता है। जितने में कोई चुनाव आ जाते हैं, कह देते हैं कि इतने इस कैटेगरी के लोगों के सब रैगुलराइज करा दिये जाएंगे। तो पैसे के बल पर गरीबों को हटाने की यह जो बड़ी साजिश चल रही है, कृपया इसके ऊपर पूरा ध्यान दें। पैसे वालों का ध्यान अब जमीनों के ऊपर है, पैसे के बलबूते पर वे जमीनें हड़पना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पहले उनको आप हटाएं। गरीबों की झोंपड़ियां तो आप फेंक देंगे और वह असहाय कुछ कर भी नहीं सकेगा। इस पर मेरा आपसे निवेदन है....

श्री नरपतसिंह राजवी : इसका मतलब यह तो नहीं है कि अतिक्रमण होने दिये जाएं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं यहां कहां कह रहा हूं अतिक्रमण होने देने का ? लेकिन गरीब जिसका 30 साल से कब्जा है, दो बीघा जमीन है उसको तो आप हटा दो और जिनके पास पचासों बीघा जमीन है यों का यों कायम रह जाए, यह है मेरा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। दूसरा प्रश्न आने दें। माननीय मन्त्रीजी को जवाब देने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो अतिक्रमण के मामले हैं, तहसीलदार, एस. डी. ओ., पटवारी, इनसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। सम्बन्धित तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर, इनकी लाइबिलिटी फिक्स की जाए कि जिस किसी के हल्के में अवैध कब्जे होंगे और इस तरह की सूचना कलेक्टर या सरकार के पास आएगी तो सम्बन्धित तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर के खिलाफ कार्यवाही होगी। इस तरह की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक अवैध कब्जे नहीं रुकेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आप विराजिये ।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मेरा इसमें निवेदन इतना ही है कि अतिक्रमण के मामलों में हमें भी चिन्ता है और जो अतिक्रमण हो रहे हैं ...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने दिया जाए ।

श्री शिवनाथ सिंह : इनको रोकने के लिये एक ही उपाय है। आपने सब डिवीजन स्तर पर कमेटियां बना रखी हैं, वे रैगुलराइज भी कर सकती है और अतिक्रमण हटा भी सकती हैं। उन कमेटियों की मीटिंग समय-समय पर नहीं होती है । जो माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई साहब ने कहा, जो कब्जे रैगुलराइज करने लायक हैं वे इन कमेटियों में आएं, रैगुलराइज हो जाएं, बाकी को वहां से हटा दिया जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया जो चालू थी, उस प्रक्रिया में ढिलाई आने के कारण से ऐसा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे भी बोलना है ।

श्री अध्यक्ष : आपका भी आ जाएगा, दूसरे को बोलने दें । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : दूसरी बात यह है कि अभी एक माननीय सदस्य ने राजस्व मन्त्री के + + + बात कही । मेरे ख्याल से इस प्रकार की बात इस सदन में पहले नहीं आयी है और यह प्रश्न आज अचानक नहीं पूछा गया है । प्रश्न का पता पहले था, माननीय सदस्य को जानकारी पहले थी । और अभी माननीय सदस्य महादेव सिंह जी ने कहा, इस मामले को लेकर वे माननीय राजस्व मन्त्रीजी के पास गये हैं इसलिये इस प्रकार का आरोप सदन में अचानक, मंत्री हों या दूसरे सदस्य हों, उनके खिलाफ नोटिस बिना लगाया जाना मेरे ख्याल से शोभनीय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने एक सर्कुलर निकाला है दिनांक 20-7-94 को और इस सर्कुलर के अन्दर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है । इन्होंने कहा कि चरागाह के अन्दर जिनके कब्जे हैं मकान बन गया है, ऐसी बस्तियों को नहीं हटाया जाए इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । लेकिन आपके सर्कुलर के बावजूद भी तहसील के अन्दर सैंकड़ों लोग हैं जो चक्कर काट रहे हैं । वे सिर्फ खेती नहीं करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपना मकान बनाया हुआ है, जहां आबादी की जमीन नहीं है । जैसे मेरे यहां एक गांव था खेड़, वह बिलकुल गैर-आबाद था । वहां बिजली हो गयी, पानी हो गया, रोड हो गयी, वहां लोग बस गये पर आज उनको पेशी पर 91 में जाना पड़ता है ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : तो वह जो मंशा आपके सर्कुलर की है, वह उचित नहीं है ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : हमने व्यक्तिगत इनसे बात की जब इन्होंने यह निकाला । इसके लिये तो धन्यवाद है लेकिन भविष्य में ऐसी बस्तियों को रेगुलर करें....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, आप विराजिये । (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नहीं करें । उस चरागाह की जमीन को आबादी में कन्वर्ट करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब भी नहीं सुनना चाहेंगे क्या ? अमराराम जी, विराजिये आप ।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महीडेम बांध बांधा, उस बांध में 112 गांव प्रभावित हुए । 112 गांवों में 2500 काश्तकार प्रभावित हुए । उनके नाम से गवर्नमेंट ने जमीन अलाट की, उस जमीन पर बहुत सारे लोग पहले से कब्जा जमाये हुए हैं । कलेक्टर से निवेदन किया, उन्होंने कम्प्यूटर से निकाला कि इसमें 500 गांव....

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्रीमती इन्दिरा मायाराम, आपको कुछ कहना है ? (व्यवधान)

श्री दलीचन्द : बातचीत हुई, 2,000 काश्तकार प्रभावित हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । हो गया ।

श्री दलीचन्द : बहुत सारी जमीन.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई डिबेट थोड़े ही हो रही है, प्रश्न की बात हो रही है । विराजिये आप ।

श्री दलीचन्द : पहले से जमीन पर कब्जा कर रखा है । उनके साथ जबरदस्ती कर उनके कब्जे हटाये जा रहे हैं, आज वे बेघर हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह रेवेन्यू विभाग की डिबेट नहीं है, विराजिये आप ।

श्री दलीचन्द : सरकार इस मामले में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ।

श्री दलीचन्द : क्या करोगे, यह मैं मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन आवर है और मन्त्रीजी का जवाब नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि यह हो गया ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप बोले जा रहे हैं, मैं क्या करूं । मैं + + + तो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मन्त्रीजी पर आरोप लगाया है, वे जवाब तो देंगे ।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : कितने माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ? 30 सदस्य तो बोल चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सांगानेर पंचायत समिति की दलनीखुर्द के बारे में बता रही हूं ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आप विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : प्लीज एक मिनट। आपने मुझे कहा, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ना फिर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं कैसे बोलूं, जब वे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे तो बोलेंगे ऐसे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब मैं बोल रही हूं। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह हाउस आर्डर में ही नहीं रहना चाहता।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे बोलने दिया जाए, मैं खड़ी हूं ना बोलने के लिये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलो ना तो फिर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : जबरदस्ती भाषणबाजी किये जाते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सांगानेर तहसील में दलनीखुर्द में, मेहरबानी करके.... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, और सवाल तो (व्यवधान) अब हमारा नम्बर आ जाए। केवल दो सवाल नहीं चल सकते। आज हमारे सवाल का जवाब दिलवाइये। यह स्थगित प्रश्न है, फिर आप आज भी इसको टाल दोगे (व्यवधान) और हमारा सवाल नहीं लग रहा है, + + +

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक बीघा तीन बिस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया। पंचायत में जब वह कब्जा हटाने का प्रस्ताव पास किया तो उन्होंने वहां पर पुलिस में जाकर कहा कि वह कब्जा हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ....जो पैसे का आरोप लगाया गया है, जहां तक हमें नॉलेज है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, मन्त्रीजी पर आरोप लगाया है इसका जवाब दिलवाइये। अब समय बहुत कम रह गया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : वह आरोप सही नहीं है (व्यवधान) वे ईमानदार आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमराराम जी, विराज जाइये। (व्यवधान) अमराराम जी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

बालोतरा, विराज जाइये। बार-बार खड़े मत होइये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पंचायत ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस को इसकी शिकायत हमने की, तहसील तक इसकी हमने शिकायत की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। यह इन्डिवीजुअल मैटर है, आपको जनरल बात कहनी चाहिये। विराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह इन्डि-वीजुअल नहीं है। कब्जा हटाने का मामला बता रही हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह एक-एक बताने के लिये नहीं है, जनरल बात कहिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप जो कह रहे हैं कि सरकार....

श्री अध्यक्ष : डी. जे. ने यूं कर लिया, उसमें यूं हो गया ऐसा तो... विराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सरकारी कर्मचारियों को खबर दी गयी ...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बिलकुल नहीं बैठूंगी। सरकारी कर्मचारियों को खबर की गयी, तहसीलदार को खबर की गयी, कलेक्टर साहब को खबर की गयी, उसके बावजूद उनका आज तक कब्जा नहीं हटाया गया है जबकि पंचायत समिति के अन्दर प्रस्ताव पास किया। उसके बावजूद भी, सारे सरकारी कर्मचारियों को खबर करने के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया जा रहा है और आप कह रहे हैं, बैठ जाइये, बोलिये मत। कौन हटाएगा, कौन बोलेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब विराजिये ना आप। मन्त्रीजी का जवाब चाहते हैं कि नहीं ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : प्रश्न संख्या 29. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय मन्त्रीजी। (व्यवधान) जवाब सुनना ही नहीं चाहते आप। (व्यवधान) फिर जवाब नहीं आएगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जवाब नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अपनी बात तो बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : पाइन्टेड प्रश्न पूछने की बात हो रही है। आप विराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप सबको बोलने दे रहे हैं, हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। बहुत ज्यादा कह रही हैं आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुनें आप, नहीं तो (व्यवधान) बाद में बोल लेना, बाद में बात कर लेना। जवाब तो आने दें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरे 29 नम्बर के प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

(26)

श्री अध्यक्ष : मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के हमारे अधिकांश विधायक बार--बार खड़े हो जाते हैं हर बात पर।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आगे भी चलने दें कार्यवाही को। मेरे 29 नम्बर के प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुनें आप। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान) जवाब सुनें आप।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस कानून के बनने के बाद में 2-7-94 को एक सर्कुलर राज्य सरकार ने जारी किया था और कठोरता से कानून के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास भी था लेकिन सदन के माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि अतिक्रमण को हटाने और नहीं हटाने के बारे में जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाएगा। कलेक्टर्स को यह हिदायत दूंगा कि समय--समय पर वे विधान सभा सदस्यों, प्रधानों, प्रमुखों, सब को जानकारी करें। कहीं पर अतिक्रमण कराने में अगर किसी कर्मचारी का कोई सहयोग है या हाथ है या मिलीभगत है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, इतना और आदेश जारी कर दूंगा।

श्री बनवारीलाल बैरवा : प्रश्न संख्या 29. (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने कार्यवाही से हटा दिया उस इल्जाम को लेकिन वह बिलकुल गलत और असत्य इल्जाम है। माननीय सदस्य लिखकर दें तो मैं जानकारी करवा लूंगा इसके बारे में पर इस प्रकार का इल्जाम मेरे खिलाफ गलत और बिलकुल असत्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्री बनवारीलाल बैरवा।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार; 27 अक्टूबर, 1995)

जिला टोंक के न्यायालय

29. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में सिविल, फौजदारी एवं राजस्व की कितनी अदालतें किस-किस स्थान पर किस-किस नाम से कार्यरत हैं ?

(2) क्या उन अदालतों हेतु अदालत भवन पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) प्रत्येक अदालत में कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(4) राजस्व अदालतों में गत दो वर्ष में कितने मामलों का निपटारा किया गया ?

(5) क्या यह निर्धारित मानदण्डों के अनुकूल व उचित है ?

राज्य मन्त्री, विधि (श्रीमती शशी दत्ता) : (1) सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(राज्य मंत्री, विधि)

(2) जी हां। केवल तीन अदालतें ही किराये के भवनों में कार्यरत हैं। जिला टोंक में अभी कोई न्यायालय भवन बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) सूचना परिशिष्ट "क" में ही सम्मिलित है।

(4) राजस्व अदालतों में गत दो वर्षों में 7,965 प्रकरणों का निपटारा हुआ है।

(5) जी हां।

(सूचना के लिये परिशिष्ट—2 देखें)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, जो उत्तर दिया गया है, बहुत भ्रामक और तथ्यों से बिलकुल परे है। एक तो यह देखिएगा कि तीन अदालतों के इन्होंने वह नहीं बताये कि कौन–सी अदालतों के भवन नहीं हैं।

श्रीमती शशी दत्ता : वह बता रही हूं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कि अल्प बचत की बिल्डिंग के अन्दर दो अदालतें चल रही हैं आपकी। अदालत नम्बर दो जो आपने परिशिष्ट में कहीं है और नम्बर तीन, दोनों छोटे–छोटे कमरों में चल रही हैं। एक एस. सी./एस. टी. की अदालत है और दूसरी दंगा–फसाद और साम्प्रदायिक प्रकरण सुलझाने वाली अदालत है। मैंने जो जानकारी चाही है, एक तो यह बताएं इसके अन्दर कि बहुत छोटे-छोटे कमरों में पचास–पचास, साठ–साठ मुलजिमान आकर खड़े हों तो वे खड़े ही नहीं रह सकते, एक बात। दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि विशेष न्यायालय एस. सी./एस. टी. ने गत वर्ष के अन्दर किसी केस का फैसला किया है क्या, नम्बर दो। साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण की जो विशेष अदालत है इसने किसी केस का फैसला किया क्या? माननीय मंत्रीजी बताएंगे कि कितने अरसे से ये केस पैण्डिंग हैं। उसमें खास तौर से माइनोरिटीज के लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हैं वे इतने लम्बे कर दिये, पुलिस ने इतने लोगों के खिलाफ मुकदमे बना दिये हैं कि उन लोगों को बहुत भारी परेशानी हो रही है, वे पूरे नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं आप। फिर जवाब सुनना है तो विराजें आप। मंत्रीजी।

श्रीमती शशी दत्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि मैंने सूचना गलत दी है। मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न ही गलत पूछा है। यह प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : यह रेवेन्यू प्रश्न भी बीच में आ गया है।

श्रीमती शशी दत्ता : नहीं, मैं कह रही हूं। I will reply. यह प्रश्न मेरे से....

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप तो पहले का उत्तर दे दीजिये न।

श्रीमती शशी दत्ता : मैं दे रही हूं आपको पूरा....

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप तो जो पहला भाग है उसका उत्तर दे दीजिये। दूसरे का नहीं देंगे आप....

श्रीमती शशी दत्ता : आप बैठिये, माननीय सदस्य। I will satisfy you.

श्री बनवारीलाल बैरवा : पहले का तो उत्तर दें आप। गलत कैसे कह रहे हैं उसको ?

श्रीमती शशी दत्ता : आप बैठिये, माननीय सदस्य, सुनिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : क्या गलत बोला है ?

श्रीमती शशी दत्ता : आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे से सम्बन्धित नहीं था। पूर्व में भी महज इसीलिये स्थगित किया गया था कि यह राजस्व मंत्रीजी से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य भी शायद वकील रहे हैं लेकिन उसके बावजूद इस सदन में बैठने के बाद शायद इनके दिमाग से यह बात स्लिप हो गयी कि राजस्व मामले मैं नहीं देखती हूं, न मेरा विभाग देखता है। फिर भी मैंने राजस्व सम्बन्धी मामले आपको बता दिये। नम्बर दो, आपने पूछा कि कितने न्यायालय प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं, मैंने वह जवाब आपको पूर्णतया दे दिया कि तीन कोर्ट चल रही हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : कौन कौन-सी हैं, साहब ?

श्रीमती शशी दत्ता : मैं वह भी बता रही हूं, आप शांति रखिये माननीय सदस्य, आप सुनिये जरा। मात्र तीन अदालतें प्राइवेट भवनों में चल रही हैं। नम्बर एक–सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई 1980 ...

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह राजस्व अदालत है क्या ? राजस्व अदालत तो नहीं है, आपकी अदालत है।

श्रीमती शशी दत्ता : 1980 से चल रही है।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। विराजें आप।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान में हजारों शादियां हैं सभी विधायकों के क्षेत्र में, उनको जाना अनिवार्य है इसलिये तीन बजे तक सदन चलाया जाए तो हम शादियों में जा सकें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट — 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 279

(स्थगित)

राज्य आयोजना मद, केन्द्र परिवर्तित योजना मद एवं बाहरी सहायता मदों में राशि

280. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जुबेर खान)

(1) राज्य के बजट अनुमान वर्ष 1995–96 में राज्य आयोजना मद, केन्द्र परिवर्तित योजना मद एवं बाहरी सहायता मद में कितनी–कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था ? विवरण मदवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त तीनों मदों में से एक अप्रेल, 1995 से 30 सितम्बर, 1995 तक कितनी–कितनी प्रतिशत राशि का व्यय किया जा चुका है ? विवरण मदवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपरोक्त तीनों मदों पर वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 में एक अप्रेल, से 30 सितम्बर, 1995 (प्रथम छह माहों में) कितना–कितना प्रतिशत व्यय किया जा चुका था ? विवरण मदवार एवं वर्षवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य के बजट अनुमान 1995-96 में आयोजना मद एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद में क्रमशः रुपये 2701.58 करोड़ एवं 868.45 करोड़ का प्रावधान है । बाहरी सहायता मद का प्रावधान आयोजना मद के प्रावधान में ही शामिल है । यह राशि रुपये 393.66 करोड़ है ।

(2) उपरोक्त तीनों मदों में एक अप्रेल, 1995 से 30 सितम्बर, 1995 तक कुल प्रावधान का क्रमशः 28.83, 32.77 एवं 25.16 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

(3) उपरोक्त तीनों मदों के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 एवं 94–95 में एक अप्रेल से 30 सितम्बर (प्रथम छह माहों में) व्यय का प्रतिशत निम्न अनुसार है :—

मद	वर्ष 93–94	वर्ष 94–95
1. राज्य योजना	40.54	31.36
2. केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	34.81	27.60
3. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	32.31	19.42

पेंशनर चिकित्सा कोष से अन्तरंग रोगियों को प्राप्त सुविधाएं

281. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज-मण्डी) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चिकित्सालय में भर्ती होने पर पेन्शनर को राजस्थान पेन्शनर चिकित्सा कोष से क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ? क्या पेन्शनर को औषधियां भी इस कोष से उपलब्ध करवाई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई सूची निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

चिकित्सालय में भर्ती होने पर पेन्शनर को "राजस्थान पेन्शनर चिकित्सा कोष"

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

से निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं :—

1. उन बीमारियों के इलाज जिसकी सुविधा राज्य के चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है, राज्य के बाहर स्वीकृत किसी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर चिकित्सालय व्यय का 80 प्रतिशत अथवा रु. 50,000/– जो भी कम हो वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाते हैं। राज्य के सवाई मानसिंह अस्पताल में "ओपन हार्ट सर्जरी", "बाईपास सर्जरी" इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होने के कारण जो राशि उपरोक्तानुसार राज्य के बाहर स्वीकृत अस्पताल में उपचार कराने पर दी जाती है वही राशि सवाई मानसिंह अस्पताल में उपरोक्त रोगों के आपरेशन/ईलाज कराने पर उपलब्ध कराई जाती है।

2. पेन्शनर द्वारा यदि राजकीय चिकित्सालय में उसके हृदय में "पेसमेकर" लगवाया जाता है तो पेसमेकर मय अन्य सामान की कीमत का 80 प्रतिशत या रुपये 20,000/– जो भी कम हो की वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. पेन्शनर के राज्य में राजकीय चिकित्सालय में "एन्ज्योग्राफी" कराने पर पेन्शनर से चिकित्सालय द्वारा कोई राशि वसूल नहीं की जाती तथा "एन्ज्योग्राफी" के खर्च की राशि संबंधित चिकित्सालय को उपरोक्त कोष से दी जाती है। यदि किसी कारणवश कोई दवा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसी दवाईयां पेन्शनर की मेडिकल डायरी में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा लिखे जाने पर उसे बहिरंग रोगी की भांति इस कोष से प्राधिकृत दवा की दुकान से उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार समस्त एलोपैथिक दवाईयां जो राज्य के सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाती हैं राज्य के पेन्शनर्स को भी वही दवाईयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। उपलब्ध करवाई जाने वाली दवाईयों की सूची में दवाईयों की संख्या बहुत अधिक होने से इस प्रकार की कोई सूची सेवारत कर्मचारियों एवं पेन्शनर्स के लिए नहीं बनाई गई है। उन दवाइयों की सूची जो अप्रतिपूर्ति योग्य (Inadmissible) है की सूची संलग्न की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निम्बाहेड़ा तहसीलदार द्वारा की गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री

282. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निम्बाहेड़ा तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–7–95 से 1–9–95 तक की अवधि में वजिर बक्ष पिता अमीर बक्ष की कृषि भूमि की रजिस्ट्री की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि वजिर बक्ष पागल है और इसके पागल होने का साया समाचार पत्रों में हुआ है और रजिस्ट्री सम्पादित करने के पूर्व इसकी जानकारी

(श्री उदयलाल आंजना)

तहसीलदार को थी ? यदि हां, तो रजिस्ट्री क्यों की गई ?

(3) क्या इस पागल व्यक्ति का मुख्त्यारनामा भी इसी तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है ?

(4) क्या इस व्यक्ति और इसकी कृषि भूमि को लेकर कोई प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-9-1995 को नायब तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा श्री वजिर बक्ष पिता अमीर बक्ष मुसलमान के मुख्तार आम श्री मोहनलाल पिता छोटूलाल मिस्त्री के जरिये कृषि भूमि अ नं. 14 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा में से 4 बीघा मय हिस्सा चाह आधा का पंजीयन किया गया है ।

(2) श्री वजिर बक्ष के पागल होने संबंधी कोई जानकारी नहीं होना तहसीलदार ने बताया और समाचार पत्रों में भी इस प्रकार कोई साया नहीं होना बताया तथा रजिस्ट्री सम्पादित होने से पूर्व कोई जानकारी भी तहसीलदार को नहीं थी ।

(3) मुख्तारनामा आम दिनांक 13-3-1995 को वजीर बक्ष द्वारा तहसील निम्बाहेड़ा में उसके भानजे मोहनलाल पिता छोटूलाल मिस्त्री के पक्ष में तहसीलदार द्वारा पंजीयन किया गया है, जिसमें जसराज पिता मेघराज जाट नि. इशाकपुरा और अमृतराम पिता कालू जाट नि. इशाकपुरा की पहचान के आधार पर पंजीयन हुआ है ।

(4) इस व्यक्ति की कृषि भूमि के संबंध में क्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है जो थाना निम्बाहेड़ा पर तफ्तीश में जेरकार है।

राज्य में प्रोटोकाल का निर्धारण

283. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने केन्द्र व राज्यों के विभिन्न पदों (राजनैतिक अर्द्ध सरकारी, सरकारी) की प्रोटोकाल लिस्ट बना रखी है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त प्रोटोकाल लिस्ट में समय-समय पर परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो पूर्व की सभी प्रोटोकाल सूचियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजकीय समारोह हेतु वारन्ट ऑफ प्रेसीडेन्स भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हैं । इनकी प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) जी हां । केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

परिवर्तनों का उल्लेख संलग्न प्रतियों में अंकित कर दिया गया है ।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

गंगानगर शुगर मिल्स लि., उदयपुर

284. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर शुगर मिल्स लि. के उदयपुर संभाग में कुल कितने शील्ड व फील्ड गोदाम एवं दुकानें स्थापित हैं ? विवरण जिलेवार स्थानों सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन गोदामों एवं दुकानों पर कुल कितने एवं किस-किस श्रेणी के कर्मचारी सेवारत हैं ? क्या ये कर्मचारी स्थाई हैं ?

(3) कार्यरत कर्मचारियों के स्थाईकरण की क्या नीति है ? क्या नीति अनुसार सभी को स्थाई कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक स्थाई कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. के उदयपुर सम्भाग में दो रिडेक्शन (शील्ड), चार फील्ड गोदाम एवं 30 देशी मदिरा की दुकानें कार्यरत हैं जिसका विवरण संलग्न तालिका "अ" में दर्शाया गया है ।

(2) उपरोक्त रिडेक्शन सेन्टर्स, गोदामों एवं दूकानों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण उनके श्रेणी के वर्गीकरण सहित संलग्न तालिका "ब" में दर्शाया गया है ।

(3) उक्त कार्यरत कर्मचारियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में नीति के अनुरूप नियमित वेतन श्रृंखला दी जाती है जो कि निम्नानुसार हैं :—

दुकानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति सर्वप्रथम इकजाई वेतन पर रुपये 800/– प्रतिमाह की जाती है तथा 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर कर्मचारी को रुपये 1000/– प्रतिमाह इकजाई वेतन देय होता है । 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर इन्हें नियमित वेतन श्रंखला देय है । गोदामों पर कार्यरत कर्मचारी नियमित वेतन श्रंखला में कार्यरत हैं ।

श्रमिकों की नियुक्ति सर्वप्रथम राज्य सरकार में प्रचलित देय दैनिक वेतन पर की जाती है 18 माह की अवधि पूर्ण करने के उपरान्त इन दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियमित वेतन श्रंखला 800-1050 शुगरवेज बोर्ड के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं ।

मदिरा दूकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर नियमित वेतन श्रंखला 950-1680 देय होती है, वर्तमान में 5 कर्मचारियों ने 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, जिन्हें

(मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री)

सन्तोषजनक सेवा पर नियमित वेतन शृंखला दिया जाना विचाराधीन है।

(तालिका के लिये परिशिष्ट 4 देखें)

सोमलपुर (अजमेर) में देशी मदिरा के अवैध ठेके

285. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मुख्य (आबकारी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोमलपुर (अजमेर) में अवैध देशी शराब के ठेके को हटाये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की लम्बी समय से मांग चली आ रही है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सोमलपुर में अवैध देशी शराब का ठेका पाठशाला के समीप ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध शराब के ठेके को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का विचार रखती है ? यदि, हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम सोमलपुर में विभाग द्वारा स्वीकृत देशी शराब की दुकान संचालित है। इस दुकान को आबादी क्षेत्र से हटाये जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-6-95 को आयोजित राजस्व शिविर में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन पर आधारित उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का पत्र दिनांक 4-7-95 आबकारी विभाग को प्राप्त हुआ है।

(2) जी नहीं। ग्राम सोमलपुर में अवैध देशी शराब का ठेका न होकर विभागीय स्वीकृति से स्थापित दुकान है। यह दुकान पाठशाला से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। देशी मदिरा लाइसेंस की शर्त सं. 11 (ख) के अनुसार शैक्षणिक संस्थान बन्द होने से एक घन्टे पश्चात् दुकान खोलने की शर्त पर इस स्थल की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त यह दुकान आबादी क्षेत्र के मध्य अवस्थित नहीं है। गांव में अन्यत्र दुकान उपलब्ध भी नहीं है। अतः ग्राम सोमलपुर स्थित देशी मदिरा की इस दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

बस्सी (जयपुर) में संचालित शराब की दुकानें

286. श्री दली चन्द (दानपुर) : क्या मुख्य (आबकारी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बस्सी (जयपुर) में शराब की वैध एवं अवैध दुकानें कहां-कहां एवं कितनी–कितनी संख्या में कब से चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र के शराब के ठेकेदार कौन–कौन हैं तथा ठेके की मियाद कब तक है ?

(3) स्कूल, पार्क, बस स्टैण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हरिजन बस्ती के पास इस

(श्री दलीचन्द)

क्षेत्र में कहां-कहां पर एवं कब से उक्त दुकानें चल रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त अवैध दुकानें कब तक बन्द कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) बस्सी तहसील में नियमानुसार स्वीकृत देशी मदिरा की 5 व विदेशी मदिरा की 2 दुकानें निम्नांकित स्थानों पर संचालित हैं :—

1. देशी मदिरा-बस्सी, बांसखो, तुंगा, कानोता एवं सागरिया।
2. विदेशी मदिरा-बस्सी एवं कानोता। उपरोक्त सभी दुकानें 1-4-95 से चल रही हैं। बस्सी तहसील में अवैध रूप से संचालित दुकानों की कोई सूचना नहीं है।

(2) इस क्षेत्र के शराब के ठेकेदार मैसर्स मांगीलाल एण्ड पार्टी व एन. एम. एण्ड पार्टी हैं। ठेके की मियाद दिनांक 1-4-95 से प्रारम्भ होकर 31-3-96 तक है।

(3) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में मदिरा की दुकानों के स्थान स्वीकृत करने एवं इस सम्बन्ध में प्रतिबन्धों के प्रावधान हैं। पार्क एवं बस स्टेण्ड के सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस क्षेत्र में हरिजन बस्ती से प्रतिबन्धित दूरी में शराब की दुकान संचालित नहीं हो रही है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शैक्षणिक संस्थानों से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध है। साथ ही नियम 75 (4) के अधीन आबकारी आयुक्त को विशेष परिस्थितियों में छूट देने हेतु अधिकृत किया हुआ है। इसी प्रावधान के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कानोता दुकान के लिये नियमों के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान की गई है। इसी प्रकार एक दुकान बस्सी में स्कूल के पास स्थित है जो विद्यालय बन्द होने के बाद संचालित करने की शर्त पर छूट के अधीन स्वीकृत है। ये दोनों दुकानें काफी समय से चल रही हैं।

नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धों में दी गई छूट के अधीन संचालित दुकानें अवैध नहीं हैं, अतः इन्हें बन्द किये जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

बीकानेर की बीस सूत्री कार्यक्रम समिति

287. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य (आयोजना) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर की बीस सूत्री कार्यक्रम समिति में कौन-कौन सदस्य नामजद किये गये हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति एवं उसकी मॉनीटरिंग में क्षेत्रीय विधायक का सहयोग क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर की बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रथम स्तर समिति के गठन के आदेश दिनांक 4-10-95 द्वारा जारी किये

(मुख्य (आयोजना) मंत्री)

गये हैं जिसमें निम्न सदस्यों को नामजद किया गया है :—

1. श्री देवीसिंह भाटी अध्यक्ष एवं प्रभारी मन्त्री
2. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ उपप्रभारी मन्त्री
3. श्री रामकिशन आचार्य उपाध्यक्ष
4. श्री मनफूल सिंह भादू सदस्य
5. श्री नन्दलाल व्यास ,,
6. श्री रेवतराम पंवार ,,
7. श्री पूर्णाराम चौहान ,,
8. श्री हनुमानसिंह भाटी ,,
9. श्री सन्तदास प्रधान ,,
10. श्री रामेश्वर लाल डूडी ,,
11. पुष्पा गहलोत ,,
12. श्री दुर्गाराम गहलोत ,,
13. श्री फतेहमोहम्मद नायच ,,
14. श्रीमती दुर्गा पाण्डे ,,
15. श्री सत्यनारायण बजाज ,,
16. श्री भवानीसिंह रावलोत ,,
17. श्री निवास भंवर ,,
18. श्री दिग्विजय सिंह सैनाली ,,
19. श्री धन्नाराम चौधरी ,,
20. श्री उम्मेद सिंह शेखावत ,,
21. श्री भागीरथ मून्दड़ा ,,
22. श्री उम्मेद सिंह भाटी ,,
23. श्री जेठमल पचारिया उर्फ मल्लू महाजन ,,
24. श्री चान्दरतन दरगड़ ,,
25. श्री जवाहर सेठिया ,,
26. सम्बन्धित विभागों के प्रभारी अधिकारी ,,
27. अध्यक्ष, नगर निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद् एवं प्रशासक ,, ,,
28. अति. जिलाधीश (वि.) एवं परियोजना निदेशक सदस्य
29 मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद् ,,
30. जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी सदस्य सचिव
31. मुख्य आयोजना अधिकारी संयोजक

(2) जिले की प्रथम स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम समिति के सदस्यों का मनोनयन सम्बन्धित प्रभारी मन्त्री द्वारा किया जाता है तदुपरान्त मुख्यमन्त्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् समिति के गठन के आदेश जारी किये जाते हैं। निर्धारित प्रक्रिया दिनांक 2-3-94 के अनुसार जिले के मात्र एक तिहाई विधायकों का ही इस समिति में मनोनयन किया जाता है। इस समिति में जिले के सभी विधायकों को सदस्य बनाया जाना सम्भव नहीं है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है।

आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को खनन पट्टों का आवंटन

288. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आदिवासी क्षेत्रों में किस-किस जिले में कितने आदिवासियों ने खनिज पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं ? उनमें से किन-किन को पट्टे दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पिछले 5 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में खनन पट्टे चाहने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों,

(36)

(खनिज मंत्री)

स्वीकृत/अस्वीकृत एवं लम्बित आवेदन-पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल आवेदन-पत्र	कुल स्वीकृत	कुल अस्वीकृत	लम्बित
1.	डूंगरपुर	87	9	65	13
2.	बांसवाड़ा	88	5	83	—
3.	उदयपुर	5	—	4	1
4.	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	4	—	4	—
5.	खैरवाड़ा (उदयपुर)	72	31	41	—
6.	सलूम्बर (उदयपुर)	29	5	24	—
7.	सिरोही	—	—	—	—
	कुल	285	50	221	14

पिछले 5 वर्षों में आदिवासी क्षेत्र में पट्टाधारियों की सूची जिनको खनन पट्टे स्वीकृत हुए

क्र.सं.	पट्टेधारी का नाम	क्षेत्र
1.	श्री सूरजमल कोटेड	डूंगरपुर
2.	दौलतराम/फूला	,,
3.	श्रीमती बसन्ती देवी	,,
4.	छगनलाल	,,
5.	दौलतराम	,,
6.	श्रीमती लीलादेवी	,,
7.	सुश्री रमीला	,,
8.	हरीशचन्द्र	डूंगरपुर
9.	सुश्री दुर्गा	,,
10.	गोपाललाल मीणा	बांसवाड़ा
11.	रामकरण मीणा	,,
12.	श्रीमती दीतीबाई	,,
13.	मानसिंह आदिवासी	,,
14.	श्रीमती मगनदेवी मीणा	,,
15.	शंकरलाल मीणा	सलूम्बर (उदयपुर)
16.	नानूराम मीणा	,,
17.	श्रीमती कमला डूंगरजी	,,
18.	सर्वश्री राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर	,,
19.	,,	,,
20.	कालू पुत्र हीरा	खैरवाड़ा (उदयपुर)
21.	फूलचन्द मीणा	,,
22.	बालुराम पुत्र मामजी	,,
23.	जालमचन्द मीणा	,,
24.	लक्ष्मणलाल मीणा	,,
25.	मोहनलाल मीणा	,,
26.	मानालाल मीणा	,,
27.	भगवानलाल मीणा	,,
28.	रामजी पुत्र अलका	,,
29.	नाथूलाल मीणा	,,
30.	श्रीमती सुनीता देवी	,,
31.	रामलाल मीणा	,,
32.	नवीनचन्द मीणा	,,
33.	नेमीचन्द मीणा	,,
34.	बालूलाल मीणा	,,
35.	,,	,,

(खनिज मंत्री)

क्र. सं.	पट्टेधारी का नाम	क्षेत्र
36.	लक्ष्मीराम मीणा	खैरवाड़ा (उदयपुर)
37.	बेलासिंह मीणा	,,
38.	अशोक कुमार मीणा	,,
39.	बदाराम मीणा	,,
40.	श्रीमती चम्पादेवी	,,
41.	दलपतराम मीणा	,,
42.	मोहनलाल मीणा	,,
43.	श्रीमती मीरादेवी	,,
44.	चेतनलाल मीणा	,,
45.	शिवराम मीणा	,,
46.	देवराम मीणा	,,
47.	कोदरलाल मीणा	,,
48.	उदयलाल मीणा	,,
49.	जीवतराम मीणा	,,
50.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी	,,

बांसवाड़ा जिले में अनधिकृत खनन कार्य

289. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में विभाग द्वारा खेमा तलाई व त्रिपुरा सुन्दरी क्षेत्र में चल रही मार्बल खानों पर अनधिकृत खनन के चालान बनाये गये थे ? यदि हां, तो कितनी-कितनी खानों पर ?

(2) क्या उक्त खननकर्ताओं से रायल्टी वसूल की गई ? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नई खनिज नीति के आने के बाद एक भी खनन पट्टा बांसवाड़ा क्षेत्र में नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि विठ्ठल देव (बांसवाड़ा) क्षेत्र में डोलामाइट के नाम से खानों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। खेमा–तलाई क्षेत्र में 4 खानों एवं त्रिपुरा सुन्दरी में 2 खानों के पट्टाधारियों के विरुद्ध बाउण्ड्री पिलर्स से बाहर खनन कार्य किये जाने पर अनधिकृत खनन के चालान बनाये गये थे।

(2) रवन्नाओं से निर्गमित खनिज पर रायल्टी प्राप्त हुई है। अनधिकृत खनन से खनिज की कीमत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। नई नीति के अनुसार विभाग द्वारा मार्बल के लिए राजकीय भूमि में प्लाट्स डेलिनियेट कर पट्टे स्वीकार किये जाते हैं। खातेदारी भूमि के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर भी कार्यवाही की जा सकती है। बांसवाड़ा जिले में काफी बड़ा रकबा राक्षत वन के अधीन है इसके बावजूद इस जिले में मार्बल के कुछ नये क्षेत्र ढूंढे गये हैं जिनमें पट्टे स्वीकृत करने के लिए राजस्व व वन विभाग से निरापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तत्पश्चात खनन पट्टे दिये जाने पर विचार किया जाएगा।

(4) जी हां। विट्ठल देव (बांसवाड़ा) क्षेत्र में खनिज डोलोमाइट का एक खननपट्टा

(खनिज मंत्री)

प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत प्रभावशील है। यह खनन पट्टा वर्ष 1980 में नियमानुसार स्वीकृत किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में खनन कार्य

290. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में किस-किस चीज का खनन किया जा रहा है ? क्या खनन कार्य के लिए भू-धारियों को पट्टे आबंटित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में खनिज सिलिकासैण्ड, क्वाट्र्ज, सोपस्टोन, डोलोमाइट, मारबल, मैसेनरी स्टोन तथा बजरी का खनन किया जा रहा है। खनन कार्य के लिये भू-धारियों ने पट्टा आबंटन हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आबंटन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुलिस थाना अजीतगढ़ (सीकर) द्वारा बरामद वाहन

291. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना अजीतगढ़ (जिला–सीकर) द्वारा चोरी का स्कूटर बरामद किया गया था ? यदि हां, तो कहां से व कब ?

(2) उक्त स्कूटर चोरी के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति के यहां से यह स्कूटर बरामद किया गया उसे पुलिस द्वारा अब तक नहीं पकड़ा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जिस स्थान से स्कूटर बरामद हुआ उस स्थान के मालिक को थाने में लाकर छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) उक्त प्रकरण में अब तक इतनी अवधि में भी कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में क्या किसी कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 29-7-94 को श्री देबूराम उर्फ देवी सहाय पुत्र बीरमाराम जाति जाट निवासी हाथीदेह की ग्राम हाथीदेहकी तन में स्थित ढाणी की छान के पीछे से स्कूटर नं. जी. बी. वी. 4029 को बरामद किया।

(2) उक्त स्कूटर चोरी का है या किसी व्यक्ति का है, इस तथ्य पर मुस्तहरी कराई गई तथा पंजीकृत नम्बर पर गुजरात राज्य के बडौदा जिले के अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया गया। यह पाया गया कि उक्त स्कूटर के पंजीकृत मालिक श्री पवन कुमार पुत्र श्री अनूप चन्द जैन निवासी बडौदा अपने पंजीकृत पते पर 4 वर्ष से नहीं रहते हैं। उक्त व्यक्ति की मौजूदगी का पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है।

(3) जी हां। उक्त स्कूटर श्री देबुराम उर्फ देवी सहाय की ढाणी की छान के

(गृह मंत्री)

पिछवाड़े लावारिस बरामद हुआ था एवं धारा–102 दण्ड प्रक्रिया संहिता में जब्त किया गया था। उक्त स्कूटर चोरी का है या नहीं इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

(4) जिस स्थान से स्कूटर बरामद हुआ उस स्थान के मालिक श्री देवूराम उर्फ देवी सहाय जाट को धारा 102 दण्ड प्रक्रिया संहिता की जांच के क्रम में थाना अजीतगढ पर पूछताछ हेतु बुलवाया गया था। स्कूटर चोरी का है या नहीं, इस तथ्य पर जांच जारी है। अत: श्री देवूराम को पूछताछ कर जाने की अनुमति दी गई थी।

(5) जी नहीं। उक्त प्रकरण में जांच जारी है। उक्त स्कूटर मालिक बडौदा शहर, गुजरात राज्य का निवासी होना पंजीकृत रेकार्ड से पाया गया है जो आज तक बावजूद प्रयास के जांच हेतु उपलब्ध नहीं हुए हैं।

पुलिस थाना डूंगला (चित्तौड़गढ़) में दर्ज मुकदमा संख्या 127/95

292. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ में मुकदमा नं. 127/95 दिनांक 12–7–95 को दर्ज हुआ ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, मौका मुआयना रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण के मौका मुआयना के समय स्थान रावतपुरा में कोई (राजस्व अधिकारी), (पटवारी या अन्य) उपस्थित थे ? यदि हां, तो कौन-कौन ? यदि नहीं, तो क्यों ? राजस्व अधिकारी एवं मुल्जिमान की उपस्थिति के बिना मौका मुआयना किस नियम एवं आधार पर किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी थाना डूंगला ने फरियादी से मिलकर महिला मुल्जिमान को फंसाने का सुनियोजित षड्यन्त्र रचा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को निलम्बित कर इसकी निष्पक्ष जांच करवा कर दोषियों को दण्डित करने एवं महिलाओं को न्याय दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भ्रष्ट कर्मचारियों के आचरण एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें इस प्रकरण में पीड़ित पक्षकार द्वारा विभाग को की गईं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? पीड़ित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट मौका मुआयना रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। मौका मुआयना के समय मुलजिमान की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। राजस्व अधिकारी (पटवारी) (या अन्य) की उपस्थिति में मौका मुआयना करना सामान्यतया आवश्यक नहीं है।

(3) जी हां। अनुसंधानकर्ता को निलम्बित कर दिया गया है एवं उसके

(40)

(गृह मंत्री)

विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां। महिला द्वारा प्रस्तुत परिवाद की जांच से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दोषी कर्मचारी को निलम्बित कर उसके विरुद्ध प्राथमिक जांच की गई। परिवाद पत्र की प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शहरों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

293. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर शहरों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग स्थायी रूप से विकलांग हुए तथा कितने लोगों के आंशिक रूप से चोटें आईं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कोई कारगर कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राज्य सरकार ने समस्या की उच्च स्तर पर समीक्षा कर निम्न कदम उठाये हैं :—

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर में ट्रान्सपोर्ट गाड़ी चलाने के लिए वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए जो वर्तमान में निगम के वाहन चालकों के लिए स्कूल खोला हुआ है, उसका सुदृढ़ीकरण कर निजी ट्रान्सपोर्ट वाहन चालकों को भी उसमें अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2. विभिन्न वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूलों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जयपुर में एक ड्राईवर्स ट्रेनिंग ट्रेक की योजना तैयार की जा रही है।

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समस्त वाहनों की फिटनेस की जांच कर ली गई है। इसी प्रकार निगम के समस्त वाहन चालकों के चालक अनुज्ञप्ति का अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण करा लिया गया है।

4. यातायात विभाग, पुलिस विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जिलाधीश जयपुर के प्रतिनिधियों की एक समिति उप महानिरीक्षक पुलिस (11), जयपुर के संयोजन में गठित की गई। इस समिति ने मोटर यान अधिनियम एवं मोटर यान नियमों का परीक्षण कर इन अधिनियमों/नियमों में संशोधन के कुछ प्रस्ताव दिये हैं जो सड़कों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहायक हों। समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है।

5. राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली ऊंट गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर अथवा लालटेन लगवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(गृह मंत्री)

6. मुख्य मार्गों पर चैकिंग अभियान आयोजित किये जा रहे हैं। रोड़ साइड पर पिलर लगाने, सड़क की मरम्मत करवाने, सड़क सीमा में अनाधिकृत कब्जे हटाने आदि कार्यवाही भी की जा रही है।

7. सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर राज्य सरकार के स्तर पर एक समिति गठित की गई है, जो की गई कार्यवाही की समय-समय पर समीक्षा करती है।

8. जिला स्तर पर भी एक टास्क फोर्स गठित की गई है जो विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक की चैकिंग करती है। समीक्षात्मक बैठकें जिला कलेक्टर एवं सम्भागीय आयुक्त स्तर पर भी आयोजित की जाती हैं।

9. परिवहन विभाग एवं जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वाहन चालक अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र अभियान आयोजित कर जारी नहीं किये जाकर प्रत्येक प्रकरण में ध्यानपूर्वक जारी किये जायें।

10. जीपों, बसों एवं अन्य वाहनों की छतों पर सवारियों को बिठा कर खतरनाक ढंग से वाहक संचालन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किये जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये हैं तथा इस क्रम में निरन्तर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट–5 देखें)

पुलिस थाना कोतवाली दौसा में दर्ज मुकदमा संख्या 1601/95

294. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दौसा जिला दौसा के अलवर रोड पर ग्राम मालगवास के आस–पास दिनांक 24 सितम्बर, 1995 को किसान बग्गा (जुगाड़) से जो ग्राम जसोता से दौसा के मध्य सवारियों के आवागमन के लिए चलता है से श्री रामस्वरूप शर्मा का एक्सीडेन्ट हुआ था? जिसकी थाना कोतवाली दौसा में दिनांक 24 सितम्बर, 1995 को रोजनामचा रपट संख्या 1601 धारा 279– 37 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी? जिसको बिना एफ. आई. आर. नम्बर के ही सम्बन्धित थाना सैंथल को प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो उसके एफ. आई. आर. नम्बर क्या थे?

(2) क्या यह भी सही है कि दुर्घटना घटित होने के पश्चात् बिना छानबीन के सम्बन्धित वाहन एवं चालक को गिरफ्तार करने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस केस की छानबीन होने के उपरांत भी किसान बग्गा (जुगाड़) एवं ड्राईवर को अब तक गिरफ्तार न करने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार किसान बगा, एवं ड्राईवर को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि किसान बग्गा जो एक अवैध वाहन है को सरकार

(42)

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

शीघ्र बन्द करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। चूंकि घटना स्थल पुलिस थाना सैंथल के क्षेत्राधिकार का था अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सैंथल पर सं. 93/95 दिनांक 24–9–95 को धारा 279, 337 ता. हि. के तहत दर्ज की गई।

(2) जी नहीं। सूचना मिलने पर जब पुलिस घटना स्थल पर गई तो जुगाड़ वहां नहीं था जिस कारण जप्त नहीं किया गया। आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित होने के उपरान्त ही कानूनी कार्यवाही सम्भव है। इस प्रकरण में दोनों पक्षों से परिवाद प्राप्त होने के कारण गहनता से अनुसंधान करवाया जा रहा है।

(3) अभियोग अनुसंधानाधीन है।

(4) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसान बग्गा (जुगाड़) को मोटर वाहन के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः यदि यह सड़क पर चलता हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार जप्ती की कार्यवाही की जाती है।

जिला बाड़मेर के थानों में दर्ज हत्या के प्रकरण

295. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में वर्ष 1994–95 में कुल कितने हत्या के मुकदमे दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन हत्या के मुकदमों में कितने चालान अदालत में पेश किये गये तथा कितनों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में वर्ष 1994 में 22 व वर्ष 1995 में 26 कुल 48 अभियोग हत्या के दर्ज हुए। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) इन हत्या के मुकदमों में वर्ष 1994–95 बाद अनुसंधान 37 अभियोगों में चालान पेश अदालत किये गये। 7 अभियोगों में एफ. आर. दी गई। 4 अभियोग अभी अनुसंधानाधीन हैं। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–6 देखें)

जयपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन

296. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के लिए "अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक" का एक पद सृजित किया गया है जो उप जिला मुख्यालय पर पद स्थापित करना है ? यदि हां, तो उक्त पद अभी तक सृजित नहीं किए जाने का विवरण सदन की मेज पर रखें। अब उक्त पद कब तक सृजित कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली उप जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं पद स्थापन का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर जिले के जयपुर (शहर) में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम तथा जयपुर (ग्रामीण) हेतु 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद क्रमशः कोटपूतली एवं दूदू में सृजित किये गये हैं।

(2) जी हां, पद सृजित कर दिया गया है। अधिकारी का पद स्थापन एवं कार्यालय शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है।

थाना झोटवाड़ा (जयपुर) में दर्ज मुकदमे का निस्तारण

297. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना झोटवाड़ा, जयपुर में मुकदमा नम्बर 306/95 दर्ज हुआ ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक उस पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमे में अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त मुकदमे में चालान पेश कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक चालान पेश नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक चालान पेश कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमे में उल्लिखित एवं इनके साथ के अन्य व्यक्ति आदतन अपराधी एवं भू-माफिया गिरोह के सरगना हैं ? यदि हां, तो इन व्यक्तियों ने अब तक किस-किस स्थान की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बेचान किया है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर इनके खिलाफ भू-माफिया का मुकदमा चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवं चार्ज शीट की प्रति परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, उक्त मुकदमे में दिनांक 30-10-95 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। कोर्ट केस नं.— 713/95 है।

(4) जी नहीं। इस अभियोग के अभियुक्तों एवं इनके साथ के अन्य व्यक्तियों का आदतन अपराधी होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। इन व्यक्तियों द्वारा कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बेचान करने का कोई मामला भी सामने नहीं आया है। केवल आरोपी अटल के विरुद्ध प्र. सं. 160/83 अन्तर्गत धारा–323, 341 ता. हि. एवं प्र. सं. 90/95 अन्तर्गत धारा–332, 353 ता. हि. पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

डीग (भरतपुर) में अवैध रूप से संचालित डामर फर्निशिंग आयल कारखाना

298. श्री गोपी चन्द (नगर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीग (भरतपुर) के औद्योगिक क्षेत्र में बन्द पड़ी मिल में अवैध रूप से डामर फर्निश आयल बनाने का कारखाना पकड़ा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डामर फर्निश आयल निर्माण में अवैध रूप से लाया गया डामर एवं केरोसीन का इस्तेमाल होता था ?

(3) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या जांच की गई ? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 443/95 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना डीग (भरतपुर) पर दिनांक 15-10-95 को पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण जारी है । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) अभियोग अन्वेषणाधीन है । जब्तशुदा पदार्थों के बारे में रासायनिक परीक्षण एफ. एस. एल. जयपुर से कराया जाने पर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही सही निष्कर्ष निकल पायेगा।

(3) अभियोग में अन्वेषण जारी है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट–7 देखें)

ए. डी. एम. न्यायालय, नागौर में दर्ज सीलिंग प्रकरण

299. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ए. डी. एम. न्यायालय, नागौर में सीलिंग प्रकरण संख्या 65/81 दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में दिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इसी प्रकरण के वादी स्वर्गीय धन्ना जाट की मृत्यु जुलाई, 1975 में हो जाने पर भी दिनांक 11 अगस्त, 1981 को उसे नोटिस जारी करने का क्या कारण था ?

(3) क्या सरकार मिथ्या नोटिस जारी करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण में गांव इण्डाली तहसील नावां जिला नागौर में जो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ उसको भी वादी के परिवार का सदस्य मान लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(5) क्या यह भी सही है कि वादी स्वर्गीय धन्ना जाट के चार वारिस थे ? यदि

(श्री हीरालाल विश्नोई)

हां, तो उनमें इस प्रकरण के ए. डी. एम. न्यायालय द्वारा नोटिस कितने व्यक्तियों को दिये गये ?

(6) क्या सरकार इस प्रकरण को पुनः खोलना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि प्रति. जिला कलेक्टर, नागौर की अदालत में सीलिंग प्रकरण सं. 65/81 दर्ज किया गया था । निर्णय दि. 18-2-83 की प्रति संलग्न है । परिशिष्ट–"क"

(2) जी नहीं । यह सही नहीं है कि स्व. घन्ना जाट की मृत्यु जुलाई, 1975 में हो जाने पर भी 11 अगस्त, 1981 को उसे नोटिस जारी किया गया था, बल्कि वस्तु स्थिति यह है कि घन्ना जाट के कायम मुकामान मुस्मात बरजी पत्नी घन्ना जाट एवं बाला दुल्तर घन्ना जाट के नाम दि. 11-8-1981 को नोटिस जारी किये गये थे ।

(3) जी नहीं । जब मृतक व्यक्ति को नोटिस जारी ही नहीं हुआ है, तो कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(4) जी नहीं । अप्रार्थी घन्ना एवं उसके भाई बन्ना द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र की जांच के पश्चात् ही कार्यवाही की गई थी ।

(5) जी नहीं । यह सही नहीं है कि स्व. घन्ना जाट के चार वारिश हैं । उपखण्ड अधिकारी, परबतसर को प्रस्तुत घोषणा पत्र की जांच तहसीलदार, नावां से करवाई गई थी, जिसमें स्व. घन्ना जाट का वारिश बैवा बरजी एवं दुल्तर बाला को माना है, जिन्हें प्रति. जिला कलेक्टर नागौर द्वारा नोटिस दिया गया था ।

(6) जी नहीं । यह प्रकरण एक बार पुनः खोला गया था । अब दुबारा रिओपन किये जाने का कानून में प्रावधान नहीं है ।

(प्रति के लिये परिशिष्ट–8 देखें)

तहसील गंगापुर (सवाई माधोपुर) में कृषकों की खातेदारी जमीन में बने निजी तालाब

300. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में कितने निजी तालाब व तलैया हैं, जो कि कृषकों की खातेदारी जमीन पर बने हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) गंगापुर तहसील में गैर मुमकिन तालाब व गऊ कुण्ड कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि आर्थिक अभाव के कारण अधिकतर तालाबों व गऊ कुण्डों की मरम्मत नहीं हो पा रही है ? क्या उनमें बरसात का पानी रुकता नहीं, इससे कुओं का जलस्तर भी नीचे जा रहा है ? क्या सरकार ऐसी स्थिति में उनकी मरम्मत हेतु धन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तहसील गंगापुर जिला सवाई-माधोपुर में कुल 69 तालाब व तलैया कृषकों की खातेदारी जमीन पर बने हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गंगापुर तहसील में गैर मुमकिन तालाब 157 व गऊ कुण्ड 49 हैं। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। अधिकतर तालाबों एवं गऊ कुण्डों की मरम्मत विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। लेकिन अधिकांश तालाबों व गऊ कुण्डों में पानी रुकता है, जिससे कुओं का जलस्तर नीचे नहीं जा रहा है। सार्वजनिक तालाबों, नाडियों आदि जो वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत के लिये जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा)/ सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पुनः निर्माण कराने के निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जारी किये हुए हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम आडीट (नागौर) में इमारती पत्थर की खानें

301. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आडीट, तहसील लाडनूं, जिला-नागौर में जो इमारती पत्थर की खानें खनिज विभाग द्वारा जारी पट्टों के आधार पर खोदी जा रही थीं उनको स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने कुर्क की हैं? यदि हां, तो कब और किन नियमों के अधीन तथा कुर्क के आदेश व कुर्क की गई फर्द की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुर्क फर्द जो मौके पर बनाई उसमें सारी खानों में बराबर मात्रा में पट्टी और कातले पाये गये? यदि हां, तो कैसे?

(3) कुर्क किये गये पत्थर किसके कब्जे में थे और अब किसके कब्जे में हैं तथा क्या कुर्क कर बन्द की गई खानें चालू हैं? यदि हां, तो किस आदेश से?

उत्तर

(1) भू-अभिलेख निरीक्षक, लाडनूं की रिपोर्ट के आधार पर खनन कर्ताओं के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89(7) के तहत कार्यवाही कर तहसीलदार द्वारा 12-7-95 को वक्त भ्रमण खानों को कुर्क किया गया था। कुर्की फर्द की प्रति संलग्न है। ये खनन कर्ता खनन हेतु अधिकृत क्षेत्र के अलावा खनन कार्य कर रहे थे।

(2) मौके पर खनन कर निकाला गया माल अस्त व्यस्त एवं छोटे टुकड़ों के रूप में छितराया हुआ था। जिसमें 20-20 पट्टियां, 8-8 आसलेट तथा 25-25 फर्सियां पाई गई।

(राजस्व मन्त्री)

(3) कुर्क किये गये पत्थर इमारती किस्म के थे। कुर्क की गई खानें वर्तमान में बन्द हैं।

(प्रति के लिये परिशिष्ट-9 देखें)

बांसवाड़ा जिले की काबिल काश्त भूमि

302. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्व विभाग की काश्त योग्य भूमि कितनी है ? तहसील, पटवार हल्का तथा ग्रामवार बीघों में सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काश्त योग्य भूमि पर भूमिहीनों ने कई वर्षों से कब्जा कर मकान, कुएं, व मेड़बन्दी बना रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कब्जा काश्त जमीन को नियमित करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्व विभाग की काश्त योग्य भूमि राजस्व अभिलेख के आधार पर तहसीलवार निम्नानुसार है :—

1. बांसवाडा	3573 हैक्टेयर
2. गढी	7370 हैक्टेयर
3. घाटोल	2833 हैक्टेयर
4. बागीदौरा	2461 हैक्टेयर
5. कुशलगढ	775 हैक्टेयर

तहसील बांसवाडा, गढी, घाटोल व बागीदौरा की पटवार मण्डल ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तहसील कुशलगढ की पटवार मण्डलवार सूची संलग्न है।

(2) इस विस्तृत सूचना को एकत्र करने में अधिक समय लगेगा। सूची प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(3) जी हां। दिनांक 15-7-84 तक के कब्जे नियमित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हुए हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम जाहोता (जयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

303. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जाहोता तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1091 और 1216 गैर मुमकिन रास्ता था ? यदि हां, तो उसकी जमाबन्दी की नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस रास्ते पर अतिक्रमण के बारे में वर्ष 1994 में जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(48)

(श्री गोपीराम जाट)

(3) क्या यह भी सही है कि खसरा नम्बर 1091 और 1216 पर अतिक्रमण करके भवन बना लिये हैं ? यदि हां, तो इसमें सरकार ने क्या किया ?

(4) क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि खसरा नम्बर 1091 और 1216 के रास्ते की किस्म बदल दी गई है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) नियमों के विपरीत किस्म परिवर्तन करने के लिए कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। जमाबन्दी की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। यह सही है।

(4) विषयान्तर्गत ख. नं. में अतिक्रमण वर्ष 1960 से लेकर वर्तमान तक हुए। इन अतिक्रमणों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई थी। 6 अतिक्रमियों को छोड़कर शेष के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। वर्तमान में मौके पर रास्ते पर कोई रुकावट नहीं है। रास्ता बदस्तूर चालू है। ख. नं. 1091 व 1216 को वर्ष 1992 से जयपुर विकास प्राधिकरण को सम्भलवाये जा चुके हैं। अतः जे. डी. ए. क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने हेतु उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार स्तर से ज. वि. प्रा. को लिखा गया है।

(5) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अनन्तपुरा (अणतपुरा) [जयपुर] में अवाप्त भूमि

304. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंजमंडी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो सूची निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें :—

(i) खातेदार का नाम
(ii) भूमि का रकबा
(iii) खसरा नम्बर

(2) क्या यह सही है कि जिन खातेदारों की भूमि इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई है, खुद को काश्त

(श्री रामकिशन वर्मा)

के लिये भूमि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो सूची निम्न प्रकार से सदन की मेज पर रखें :—

(i) खातेदार का नाम, (ii) आबंटित भूमि, (iii) स्थान का नाम।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं जिला जयपुर के कुछ खातेदार ऐसे भी हैं, जिनकी भूमि इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई है और उनको खुद काश्त के लिये भूमि आबंटित नहीं की गई ? ऐसे खातेदारों की सूची सदन की मेज पर रखें। इन्हें अब कब तक खुदकाश्त के लिये भूमि आबंटित कर दी जायेगी ?

(4) क्या उक्त ग्राम के कुछ खातेदार ऐसे भी हैं जिनकी भूमि इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई है किन्तु इनके द्वारा खुद काश्त के लिये आवेदन नहीं किया है ? यदि हां, तो ऐसे खातेदारों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इनके द्वारा अब आवेदन करने पर सरकार इनके प्रकरणों पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं जिला जयपुर के कुल 26 जागीरदारों को जागीर भूमि अधिगृहित की गई है। सूची (परिशिष्ट "क") संलग्न है।

(2) ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं के किसी भी जागीरदार को जागीर एक्ट के तहत कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(3) ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं के संलग्न सूची (परिशिष्ट 'क') में वर्णित जागीरदारों को जागीर भूमि अधिग्रहित की गई है और उनको खुद काश्त हेतु भूमि आबंटित नहीं की गई है क्योंकि इस ग्राम के किसी भी जागीरदार ने खुद काश्त हेतु भूमि आबंटन करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में खुद काश्त हेतु अब भूमि आबंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) के संलग्न सूची में वर्णित जागीरदारों की भूमि अधिग्रहित की गई है किन्तु इनके द्वारा खुद काश्त के लिए आवेदन नहीं किया गया है। भूतपूर्व जागीरदारान जिनकी जागीर भूमि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई है उनको इस अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत उनका आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में निर्धारित अवधि 31-8-58 के बाद कोई प्रार्थना-पत्र लेने व उस पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

305. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

50

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) क्या सरकार चरागाह भूमि को खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कहां–कहां चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है ? ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) टोडाभीम तहसील के ग्राम सोकरवाड़ा में क्या कोई चरागाह भूमि है ? यदि हां, तो कौन–कौन सी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि सोकरवाड़ा में चरागाह भूमि एवं ग्राम रास्तों पर अतिक्रमण हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) सोकरवाड़ा में चरागाह एवं रास्तों पर होने वाले अतिक्रमणों को नपवाकर कब तक अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । चरागाह भूमि पशुओं की चराई के लिये सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, और इस भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये नियमों में प्रावधान है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में चरागाह भूमि पर ग्रामवाइज हो रहे अतिक्रमणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । ग्राम सोकरवाड़ा में ख. नं. 641 के अन्तर्गत 12.84 हैक्टेयर चरागाह भूमि है ।

(4) ग्राम सोकरवाड़ा में 10 व्यक्तियों द्वारा 2.05 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । अतिक्रमियों को बेदखल कर फसल को जब्त सरकार किया जाकर नीलाम किया जा चुका है । ग्राम रास्तों पर ग्राम सोकरवाड़ा में कोई अतिक्रमण नहीं है ।

(5) ग्राम सोकरवाड़ा में इस वर्ष चरागाह भूमि पर जिन 10 लोगों ने 2.05 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया था उन्हें बेदखल कर फसल को नीलाम किया जा चुका है । ग्राम रास्तों पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

(सूची के लिये परिशिष्ट–10 देखें)

प्रश्न संख्या 306

(स्थगित)

ग्राम दौलतपुरा–बैनाड़ (जयपुर) में भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जे

307. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम दौलतपुरा मय बैनाड़ तहसील आमेर (जयपुर) जिसकी सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर, 461 पर भू–माफिया गिरोह

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

के व्यक्तियों ने अवैध-कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी भूमि पर और कब से ?

(2) क्या सरकार उक्त कब्जों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? सरकार ने अब तक उक्त कब्जों को हटाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये और अब तक अवैध कब्जे नहीं हटाने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम दौलतपुरा मय बैनाड़ तहसील आमेर के ख. नं. 461 रकबा 6.12 बिस्वा गै. मु. खड्डे पर निम्न व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे कर रखे हैं।

1. श्री छीतरमल पुत्र केसरमल जैन, महाजन ने 0.02 बिस्वा भूमि पर
2. श्री कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र राम सहाय जाति खाती 0.01 बिस्वा पर

दोनों ने ही इसी वर्ष अतिक्रमण किया है।

(2) ग्राम दौलतपुरा मय बैनाड़ तहसील आमेर की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निहित है जिसका कब्जा 1992 में जयपुर विकास प्राधिकरण को संभलवाया जा चुका है। फिर भी दोनों अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसील कार्यालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही जैरकार है। आगामी तिथि 9-11-95 है।

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय, बांदीकुई में लम्बित प्रकरण

308. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील बसवा (बांदीकुई) में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुल कितने मुकदमें पेश हुए हैं तथा इनमें से कितने मुकदमें विचाराधीन हैं एवं उनमें से कितने मुकदमों का निपटारा वर्षवार किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील बसवा (बांदीकुई) में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाम से कोई न्यायालय नहीं है। तहसील बसवा (बांदीकुई) में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। इस न्यायालय में वर्ष 1991 के पूर्व के 432 राजस्व एवं 114 फौजदारी कुल 546 मुकदमें विचाराधीन थे। वर्ष 1991 से 1995 तक राजस्व के 1260 एवं फौजदारी के 1318 कुल 2578 मुकदमें दायर हुए। वर्ष 1991 से 1995 तक राजस्व के 495 एवं फौजदारी के 1195 कुल 1690 मुकदमों का निस्तारण किया गया। दिनांक 31-10-95 को राजस्व के 1197 एवं फौजदारी के 237 कुल 1434 मुकदमें विचाराधीन थे। सूची परिशिष्ट "एक" संलग्न है।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बसवा के न्यायालय में वर्ष 1991 के पूर्व के शेष 2 एवं वर्ष 1991 से 1995 तक

(राजस्व मंत्री)

दायर 18 कुल 20 प्रकरण (31–10–95 तक) थे। जनवरी, 1991 से 31–10–95 तक 18 प्रकरण निर्णित किये गये तथा 2 प्रकरण अवशेष हैं। सूची परिशिष्ट–2 संलग्न है।

(सूची के लिये परिशिष्ट–11 देखें)

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई

309. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर के केन्द्रीय औषधि भण्डार का चार्ज वर्ष 1985 से 1992 तक किन–किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास रहा तथा इनके विरुद्ध कितनी–कितनी धनराशि वसूली योग्य है व यह राशि कितने समय से बकाया चल रही है ?

(2) सरकार द्वारा वसूलनीय बकाया राशि को वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 से 1992 के मध्य अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रेषित अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध हेरा–फेरी करने का आक्षेप लगाया गया है ? यदि हां, तो विगतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1982 से 1992 तक की अवधि में प्रेषित अंकेक्षण प्रतिवेदनों में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विपरीत, वित्तीय टिप्पणी की गई है उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राजस्थान, जयपुर के केन्द्रीय औषधि भण्डार का चार्ज वर्ष 1985 से 1992 तक निम्न अधिकारियों के पास रहा :—

1.	1/85 से 11/85	डा. एस. बी. जैन
2.	12/85 से 5/86	डा. दिनेश भारद्वाज
3.	6/86 से 6/88	डा. आर.के. खट्टर
4.	7/88 से 9 88	डा. एस. बी. जैन
5.	10/88 से 11/88	डा. जे. के. पटेल
6.	12/88 से 7/89	डा. जलसिंह
7.	9/89 से 7/90	डा. एल.एम.त्रिपाठी
8.	8/90 से 92 अब तक	डा. (श्रीमती) कान्ता छाजेड़

उपरोक्त अधिकारियों के अधीन निम्न कर्मचारी कार्यरत रहे हैं :—

1.	श्री के. एन. मोबार	वरिष्ठ लिपिक वर्तमान में कार्या. सहायक	1985 से 20-1-88 तक
2.	श्री सूरजप्रसाद लखेरा	मेल नर्स-I	दि. 21-1-88 से 30-9-91 तक
3.	श्री दिनेचन्द जैन	फार्मासिस्ट	दि. 21-9-91 से 1992 अब तक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

निम्न कर्मचारियों के विरुद्ध प्रत्येक के आगे अंकित धनराशि वसूली योग्य है :—

1. श्री के. एन. मोबार के विरुद्ध 50562.75 रु.
2. श्री सूरजप्रसाद लखेरा के विरुद्ध 10484.65 रु.

(2) उपरोक्त दोनों कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) वर्ष 1985 से 1992 के मध्य निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर के अंकेक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 132/89–90 के अनुच्छेद संख्या 7 के अन्तर्गत भण्डार पंजिकाओं में दर्ज सामान की प्रविष्टियों में काटा छांटी कर रिकार्ड में हेरा-फेरी कर सरकारी सामान का दुरुपयोग करने बाबत आरोप अंकित हैं। उक्त आरोप श्री के. एन. मोबार, कार्यालय–सहायक के विरुद्ध आरोपित किया गया है। अनुच्छेद सात की फोटो प्रति संलग्न है।

(4) वर्ष 1982 से 1992 तक की अवधि में श्री के. एन. मोबार, वरिष्ठ-लिपिक, वर्तमान में, कार्यालय–सहायक के विरुद्ध विपरीत वित्तीय टिप्पणियां अंकित की हैं, जिसका विवरण प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में अंकित है।

(फोटो प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा भवन

310. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु इस वित्तीय वर्ष में कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है ?

(2) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से भवनों की मरम्मत प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य के ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं की मरम्मत के कार्यों हेतु आयोजना भिन्न मद में रु. 40 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(2) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हेर के भवन की मरम्मत एवं चारदीवारी के निर्माण हेतु रु. 1.17 लाख स्वीकृत किये गये।

विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों के आधार पर लैब तकनीशियनों का प्रशिक्षण

311. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ओजंता शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी व सहारा शिक्षण संस्थान डीडवाना तथा राजपूताना शिक्षण संस्थान भीलवाड़ा द्वारा जारी

(54)

(श्री हरजीराम बुरडक)

प्रमाण-पत्रों के आधार पर लैब तकनीशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है या दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक किस–किस छात्र को उक्त प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त छात्रों द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र फर्जी होने की शिकायत विभाग व मुख्यमत्री को मिली थी ? यदि हां, तो किस–किसके द्वारा उक्त शिकायतें की गईं उनकी जांच किस–किस द्वारा की गईं ? जांच रिपोर्ट व की गई कार्यवाही की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस मामले में कई छात्र हाई कोर्ट में भी गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन ? सूची सदन की मेज पर रखें। हाई कोर्ट ने क्या-क्या निर्देश दिये ?

उत्तर

(1) जी, हां। ओजंता एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, कुचामन सिटी व सहारा एजूकेशनल ट्रस्ट, डीडवाना के क्रमश: 172 एवं 112 मेडिकल लेब टैक्नीशियन व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को विभागीय लेब टैक्नीशियन प्रशिक्षण में प्रवेश दिया गया है। प्रशिक्षण केन्द्र वाईज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राजपूताना एजूकेशनल ट्रस्ट भीलवाड़ा के 82 छात्रों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा प्रमाणित होकर प्राप्त हुई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में श्री विजयकुमार पुरोहित की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है, इस प्रकरण में निदेशक (आई. ई. सी.) को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाओं की जांच कराई जावे। फर्जी पाए जाने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी जावे। निर्देश दिनांक 29-6-95 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी हां। इस मामले में एस. बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 5135/1993 के जरिये न्यायालय में जाने वाले छात्र निम्नलिखित थे :—

1. प्रेम अधर गौड़ पुत्र श्री विद्याधर गौड़
2. राजकुमार पुत्र श्री केशव प्रसाद
3. कैलाशचन्द गांधी पुत्र श्री कालूराम जी
4. विनोद बोहरा पुत्र श्री यज्ञराज बोहरा
5. विजयकुमार बोहरा पुत्र श्री यज्ञराज बोहरा

इस प्रकरण में पांच प्रार्थियों द्वारा संयुक्त एस. बी. सिविल रिट पीटीशन सं. 5135/1993 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की थी जिसका निर्णय दिनांक 4–8–94 को माननीय न्यायाधिपति श्री पी. के. पिल्लई के द्वारा दिया गया एवं निर्देश दिये कि जिस प्रकार पूर्व में राजकीय चौपड़ा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बीकानेर के 65 एवं 16 विद्यार्थियों के साथ जो ट्रीटमेन्ट किया वह इनके साथ लागू किया जाय।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की खराब मशीनें

312. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कई मशीनें चालू हालत में नहीं हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी, कब-कब से और वह कब-कब खरीदी गई ? उक्त मशीन कितने समय कार्यरत रहीं तथा उन पर कितनी-कितनी लागत आई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत वित्तीय वर्ष से अब तक उपरोक्त अस्पताल के लिये कौन-कौन सी मशीनें कब-कब खरीदीं तथा उन्हें कब-कब चालू किया तथा उनकी लागत कितनी-कितनी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) गत वित्तीय वर्ष में खरीदी गई मशीनों की सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालय, ब्यावर में दंत चिकित्सक का रिक्त पद

313. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि "अ" श्रेणी के ब्यावर चिकित्सालय में दन्त चिकित्सक का पद पिछले काफी समय से रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो यह पद कब-कब रिक्त रहा ? इसके रिक्त रहने का क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर चिकित्सालय के दन्त चिकित्सक डा. वर्मा को अजमेर (रामगंज) में पदस्थापित किया गया है जहां दन्त चिकित्सा करने के लिये नाममात्र को भी उपकरण नहीं हैं ?

(3) सरकार ब्यावर में दन्त चिकित्सक कब तक पदस्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) "अ" श्रेणी के ब्यावर चिकित्सालय में दन्त चिकित्सक का पद दिनांक 8/94 से 14-3-95 तक रिक्त रहा । ब्यावर चिकित्सालय में पदस्थापित चिकित्सक को दिनांक 8-8-94 को विशेष निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में लगाये जाने तथा रिक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति देने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण पद रिक्त रहा ।

(2) ब्यावर चिकित्सालय में पूर्व में कार्यरत दन्त चिकित्सक डा. जे. सी. वर्मा का स्थानान्तरण (रामगंज) अजमेर में कार्यरत दन्त चिकित्सक डॉ. जय प्रकाश सिमलोत के स्थान पर दन्त चिकित्सक के स्वीकृत पद पर किया गया था ।

(3) ब्यावर चिकित्सालय में डा. रूचि अरोड़ा तदर्थ दन्त चिकित्सक दिनांक 15-3-95 से पदस्थापित है ।

(56)

कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग चिकित्सकों के पद

314. डा. रामराय शर्मा (जमवा-रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग के कितने पद वर्ष 1984–85 में रिक्त हुये ?

(2) इन रिक्त पदों में से कितने पद नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित किये जाकर और कितने पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये जाकर भरे जाने थे ?

(3) डी. पी. सी. और आर. पी. एस.सी. द्वारा इन पदों के लिये किस तिथि को पृथक्–पृथक् चयन किया गया ? चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) डी. पी. सी. द्वारा चयमित व्यक्तियों ने किस तिथि को कार्यभार सम्भाला और आर. पी. एस. सी. से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम किस तिथि को निकाला ?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1984-85 के लिये कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) की स्थाई वरिष्ठता सूची आदेश सं. प. 1 (34) चि. स्वा./88/ग्रुप-2, दिनांक 28-6-1989 को निकाली गई आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थाई वरिष्ठता सूची को रद्दोबदल करके नई वरिष्ठता सूची पं. 1 (66) चि. स्वा./2/91, दिनांक 30–10–1994 को जारी की गई ? यदि हां, तो क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि इस रद्दोबदल से वर्ष 1985–86 की डी.पी.सी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को वर्ष 1984-85 के आर.पी.एस.सी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से वरिष्ठता में ऊपर कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) क्या सरकार 30–10–1994 के आदेश द्वारा वरिष्ठता में रद्दोबदल करके जो अनियमित कार्यवाही की गई है उसे दुरूस्त करके 1989 के आदेशानुसार वरिष्ठता क्रम पुनः निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) वरिष्ठता में रद्दोबदल कर जो अनियमित कार्यवाही की गई है, उसे कब तक दुरूस्त कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 84–85 में कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के 38 पद रिक्त थे।

(2) इन रिक्त पदों में से 19 पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तथा 19 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों से भरे जाने थे।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14–1–85 में 19 अभ्यार्थियों का चयन किया गया था, सूची संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक 2–3–85 को चयनित 19 अभ्यार्थियों की मूल सूची प्रेषित की, सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त आयोग से आरक्षित सूची प्राप्त कर 8 अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। सूची संलग्न है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित कनिष्ठ विशेषज्ञ पूर्व से ही कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत थे अतः इनका पुनः कार्यग्रहण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों का परिणाम दिनांक 2–3–85 को घोषित हुआ था।

(5) जी नहीं। वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक 1 (34) चि./स्वा./ग्रुप–2/88 दिनांक 23–3–89 के द्वारा जारी की गई थी। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। रिक्ति चाहे किसी भी वर्ष की हो सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति वर्ष के सन्दर्भ में ही किया जाता है। जबकि पदोन्नति से नियुक्ति में वरिष्ठता का निर्धारण रिक्ति के वर्ष के आधार पर किया जाता है। नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) जी हां। इसका कारण प्रश्न के भाग 6 में अंकित कर दिया गया है।

(8) जी नहीं। नियमानुसार कार्यवाही की गई है इसका कारण प्रश्न के भाग 6 में अंकित कर दिया गया है।

(9) वरिष्ठता में रद्दोबदल नियमानुसार किया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कार्यरत एडपोस्ट व उप स्वास्थ्य केन्द्र

315. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कितने एड पोस्ट व स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत हैं व कितने कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें ए. एन. एम. के कितने पद कहां–कहां रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में 49 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 3 उच्चीकृत उपकेन्द्र (एडपोस्ट) है इनमें से 41 पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 49 स्वीकृत उपकेन्द्रों में से 8 उपकेन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त है। प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा रिक्त पदों की सूची प्रश्न के भाग 1 की सूची में दर्शायी गयी है।

(सूची के लिये परिशिष्ट-12 देखें)

ग्राम कोनी (केसरीसिंहपुर) के स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक का रिक्त पद

316. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के ग्राम कोनी में सीमावर्ती क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बने स्वास्थ्य केन्द्र में क्या सरकार चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के किन गांवों में इस वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और भवन की क्या व्यवस्था है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डाक्टर के पदस्थापन की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में इस वर्ष एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम कोनी में स्वीकृत किया गया है, जिसके लिये भवन सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम में निर्मित है।

बसवा (दौसा) में संचालित ए. एन. एम. सेन्टर्स

317. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बसवा जिला दौसा में कुल कितने ए. एन. एम. सेन्टर्स हैं तथा वर्तमान में किस–किस सेन्टर पर किस-किस नाम के कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) कितने ए. एन. एम. सेन्टर बिना कर्मचारियों के कब से खाली पड़े हैं ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महुखेड़ा में गत 14 वर्षों से किसी भी ए. एन. एम. द्वारा सेन्टर पर काम नहीं किया है ? क्या वर्तमान में नियमित तौर पर कोई कर्मचारी यहां पर कार्य कर रहा है ?

(4) सरकार रिक्त स्थानों पर कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बसवा तहसील में कुल 34 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं। उपकेन्द्रों पर पदस्थापित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपकेन्द्र कोलवा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का पद दिनांक 30–9–95 से रिक्त है तथा उपकेन्द्र अरणिया में दोहरी संस्था (उपकेन्द्र व पी. एच. सी.) के कारण अन्य उपकेन्द्र जहां पद रिक्त था, ए.एन.एम. को स्थानान्तरित कर दिया गया।

(3) उपकेन्द्र महुखेड़ा में 1982 से 1988 तक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का पदस्थापन नहीं हुआ। अक्टूबर, 89 से फरवरी, 90 तक पदस्थापित महिला

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को प्रतिनियुक्ति पर जिला मुख्यालय पर कार्य हेतु रखा गया। अप्रेल, 90 से नवम्बर, 91 तक अन्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को पदस्थापित कर प्रति नियुक्ति पर जिला मुख्यालय पर रखा गया। वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 में पद रिक्त रहा। जुलाई, 1994 से मार्च, 1995 तक पद स्थापित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर प्रतिनियुक्ति पर रही तथा अप्रेल, 95 में त्यागपत्र दे दिया। वर्तमान में श्रीमति रामप्यारी कनौजिया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता कार्यरत है।

(4) प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होंने पर रिक्त पद को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिये परिशिष्ट-13 देखें)

तहसील आमेर का कार्यालय भवन

318. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) (सम्पदा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार तहसील आमेर कार्यालय के पुराने भवन के कुछ भाग को श्रीमती विमला श्रीवास्तव द्वारा लीज नियमों की अवहेलना करने पर खाली कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि लीज नियमों की अवहेलना की गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक भवन खाली नहीं करवाये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) लीज के अतिक्रमण से पूर्व व बाद में सालाना लीज का विवरण वर्ष 1982-83 से 1994–95 तक का सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती विमला श्रीवास्तव ने लीज डीड नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उनको दिया गया स्थान को रिक्त कराने की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में दिनांक 21–4–95 को वाद दायर किया गया है। जो अभी न्यायालय में लम्बित है।

(2) लीज डीड के नियमों के उल्लंघन करने के कारण आवंटित स्थान को खाली कराने बावत सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया गया है जो लम्बित चल रहा है।

(3) श्रीमती विमला श्रीवास्तव से दिनांक 1–4–81 से किराया जमा नहीं हो रहा है। लीज डीड की शर्तों के अनुसार किराया जमा नहीं कराने के कारण वाद सक्षम न्यायालय में सा. नि. वि. जिला खण्ड उत्तर, जयपुर द्वारा दिनांक 21-4-95 को दायर किया गया है। न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला गंगानगर की ग्राम पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

319. श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(60)

(श्री राधेश्याम)

(1) श्रीगंगानगर जिले के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा कितने अभी शेष हैं ? इनके शेष रहने का क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त जिले के शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील सादुलशहर की ग्राम पंचायत नुखुरा ढाणी के सड़क निर्माण का कार्य बीच में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इसे अब कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में कुल 314 पंचायत मुख्यालयों में से 254 पंचायत मुख्यालयों को किसी न किसी प्रकार की सड़क से जोड़ा जा चुका है । अब केवल 60 पंचायत मुख्यालय शेष हैं जिनको संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में जोड़ा नहीं जा सका है ।

(2) शेष 60 पंचायत मुख्यालयों में से 52 पंचायत मुख्यालयों को किसी न किसी प्रकार की सड़क से जोड़े जाने की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है । बाकी बचे 8 पंचायत मुख्यालयों के लिए स्वीकृति विचाराधीन है । राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुरूप सभी पंचायत मुख्यालयों को 31 मार्च, 1997 तक कम से कम ग्रेवल सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।

(3) जी नहीं । सड़क निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया था, परन्तु इस मार्ग पर नहर के समान्तर सिंचाई विभाग के पेड़ आ जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ । सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर सिंचाई विभाग ने सड़क निर्माण के रास्ते में आने वाले पेड़ अब काट दिये हैं तथा निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है । इस सड़क का 4 कि. मी. बी. टी. कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 2½ कि.मी. का कार्य प्रगति पर है ।

इस वित्तीय वर्ष हेतु 12.50 लाख रु. की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण की सम्भावना है ।

तहसील गोगुन्दा की नदियों/नालों पर पुलिया निर्माण

320. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की गोगुन्दा तहसील मुख्यालय से भाडोल (फ) उप खण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क मभावत से आगे कच्ची है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर मभावत से आगे 4-5 छोटी-छोटी नदियों व नालों पर पुलियाओं का अभाव होने से वर्षा ऋतु में यह मार्ग बन्द हो

(श्री महावीर भगोरा)

जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग पर पुलियाओं का निर्माण व कच्ची सड़कों को पक्का करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। गांव मजावड़ी से झाडोल उपखण्ड मुख्यालय तक पांच पुलिया तथा 8 कि.मी. ग्रेवल से डामर सड़क बनाना तथा 6 कि.मी. कच्ची सड़क से डामर सड़क बनाना शेष है। जो कि वर्तमान में राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुसार प्राथमिकताओं में नहीं आती है। इन कार्यों के लिये अनुमानित लागत 131 लाख की आवश्यकता होगी जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगी।

सवाई माधोपुर में ठेके पर करवाये गये निर्माण कार्य

321. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में सवाई माधोपुर जिले में किन-किन कार्यों के ठेके सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिये, उन ठेकों की रेट क्या थीं ?

(2) क्या यह सही है कि वी. एस. आर. से नीची रेट पर लिये गये कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा योजना एवं विशेष मरम्मत मद में वर्ष 94-95 एवं 95-96 में क्रमशः 127 एवं 78 निर्माण कार्य ठेके पर दिये गये जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में दर्शाया गया है। इन कार्यों में से वर्ष 94-95 एवं 95-96 में क्रमशः 103 एवं 29 कार्य वी. एस. आर. से कम दर पर आवंटित किये गये तथा क्रमशः 24 व 49 कार्य वी. एस आर. से अधिक दर पर आवंटित किये गये। दरों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में अंकित कार्यों के सामने दर्शित है।

(2) जी नहीं। जिला सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 94-95 एवं 95-96 में वी. एस. आर. से कम दर पर कुल 132 कार्य आवंटित किये गये जिनमें से 50 कार्य पूर्ण हैं तथा 63 कार्य प्रगति पर हैं एवं 19 कार्य ऐसे हैं जो कि फिलहाल बन्द पड़े हैं और जिसमें से 14 कार्यों में संवेदक द्वारा देरी किए जाने पर नियमानुसार पेनेल्टी की कार्यवाही की गई है तथा 5 कार्यों में डामर की कमी तथा अन्य देरी की वजह से पूर्ण नहीं किए गए हैं। विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

"ऐतिहासिक सागर" अलवर का मालिकाना हक

322. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जुबेर खान)

(1) क्या यह सही है कि कलेक्ट्रेट परिसर अलवर के पास स्थित ऐतिहासिक सागर सरकार की सम्पत्ति है ? यदि नहीं, तो सम्पत्ति का मालिक कौन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार/जिला प्रशासन उक्त ऐतिहासिक सागर को बेचने या लीज पर देने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । कलेक्ट्रेट अलवर के पास स्थित ऐतिहासिक सागर राज्य सरकार की सम्पत्ति है ।

(2) जी नहीं । इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार अथवा जिला प्रशासन के पास उक्त सम्पत्ति को बेचने अथवा लीज पर देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति अथवा संस्था के प्राप्त नहीं हुए हैं ना ही जिला प्रशासन इस सम्पत्ति को बेचने अथवा लीज पर देने का विचार है ।

बांसवाड़ा राजमार्ग की मरम्मत पर व्यय

323. श्री वलीचन्द (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले से गुजरने वाले "स्टेट हाइवे" के रख–रखाव व मरम्मत पर वर्ष 1994–95 में कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त में से कितनी राशि इन सड़कों के बांसवाड़ा जिले में पड़ने वाले भाग पर व्यय की गई ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले से गुजरने वाले स्टेट हाइवे नं. 4, 10 तथा 32 पर रख–रखाव एवं विशेष मरम्मत पर कुल 323.91 लाख रुपये वर्ष 94–95 में व्यय किये गये ।

(2) बांसवाड़ा जिले में पड़ने वाले भाग के लिए रख–रखाव एवं विशेष मरम्मत पर 165.25 लाख रुपये वर्ष 1994–95 में व्यय किया गया ।

जोधपुर के सार्वजनिक उद्यानों की देखभाल

324. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में स्थित प्रमुख उद्यानों में पूर्व में सेवारत कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? जिनके स्थान पर कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कर्मचारियों के अभाव में मण्डोर पब्लिक पार्क एवं नेहरू उद्यान में अव्यवस्था के कारण सभी पेड़–पौधे इत्यादि नष्ट हो रहे हैं साथ ही

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

नये पेड़–पौधे लगाने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कब तक इन उद्यानों की देखभाल हेतु उचित व्यवस्था कर इन महत्वपूर्ण उद्यानों के बचाव का विचार रखती हैं ?

(3) ऐतिहासिक मण्डोर व पब्लिक पार्क एवं नेहरू पार्क के सौन्दर्यकरण एवं हरियाली के समुचित विकास हेतु इस वर्ष कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि जोधपुर शहर में स्थित प्रमुख उद्यानों में कार्यरत कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनके रिक्त स्थानों पर कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं किया गया है । चूंकि राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक प. 9 (1) प्रा. व्य./95 दिनांक 4-7-95 द्वारा वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पद समाप्त करने एवं आदेश संख्या प. 1 (3) वित्त/व्यय–3/93 दिनांक 20-9-95 द्वारा कार्य प्रभारी संवर्ग के रिक्त पदों को नहीं भरने के आदेश प्रसारित किये हैं ।

(2) जी नहीं । मण्डोर उद्यान, पब्लिक पार्क एवं नेहरू पार्क में स्थित पेड़-पौधों का संधारण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है तथा इस वर्ष वर्षा ऋतु में जोधपुर के प्रमुख उद्यानों में करीबन 975 नये पेड़-पौधे लगाये गये हैं जिनकी स्टाफ द्वारा देखभाल की जा रही है । इन उद्यानों की देखभाल विभाग द्वारा निरन्तर की जा रही है, जिससे उद्यानों का रख रखाव व संधारण कार्य भली प्रकार हो रहा है ।

(3) विभाग द्वारा इन उद्यानों के सौन्दर्यकरण एवं समुचित विकास हेतु इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि रुपये 4.00 लाख व्यय करने का प्रावधान हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्लान मद 4059 सिविल वर्क्स के तहत वर्ष 1995–96 में जोधपुर के उद्यानों में नई पाइप लाइन डलवाने, नई जी. आई. पाइप लाइन डलवाने, नये ट्यूबवैल का निर्माण करने तथा फाउण्टेन व विद्युत कार्य करवाने हेतु राशि रु. 5.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है जो कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जायेंगे ।

जिला जालोर की सड़कों की मरम्मत

325. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालोर में वर्ष 1994-95 में सड़कों की मरम्मत के कितने काम कितनी-कितनी राशि के कराये गये ? कार्य अनुसार राशि व विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1995-96 में बारिश के बाद किन-किन सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति कितनी-कितनी राशि की दी गई ? उक्त मरम्मत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कौन-कौन से कार्य कितनी नाप व राशि के अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जालौर जिले में वर्ष 1994-95 में सड़कों के नवीनीकरण के 34 कार्य रुपये 68.66 लाख एवं विशेष मरम्मत के 19 सड़कों के कार्य रुपये 145.79 लाख के, इस प्रकार कुल 214.45 लाख रुपये के कार्य कराये गये। इनका विवरण परिशिष्ट-1 व 2 में दिया गया है।

(2) वर्ष 1995-96 में जालौर जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए जालौर खण्ड में 0.20 लाख रुपये एवं भीनमाल में 0.40 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई जो कि पूरी खर्च हो चुकी है। यह राशि जालौर-भीनमाल, सांचौर सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च की गई है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट-14 देखें)

जोधपुर सम्भाग के वृत्त तृतीय में सड़क निर्माण

326. **श्री महेन्द्र मीणा** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर सम्भाग के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत्त तृतीय में वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में प्लान वर्ष की सड़क निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई ? इनमें जालौर खण्ड के कितने कार्य अपूर्ण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वृत्त तृतीय में वर्ष 1993-94 में प्लान वर्ष की डामर सड़कें मय मेटल सड़कों की स्वीकृत दरें बी. एस. आर. से बिलों के परसन्टेज पर कार्य सम्पादन हुये ? यदि हां, तो एवरेज दरें उक्त वृत्त तृतीय के जिलोंवाईज क्या रही ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में वृत्त तृतीय में जालौर जिले के प्लान वर्क की डामर सड़कें मय मेटल सड़कें निर्माण की स्वीकृत दरें, वर्ष 1993-94 की दरों से एवं वृत्त द्वितीय की दरों से अधिक प्रतिशत रही एवं कार्य सम्पादन हुये ? उक्त दरों में एवरेज कितने प्रतिशत का अन्तर रहा ? इस प्रतिशत अन्तर से कितनी राशि अधिक व्यय हुई या होगी ? उक्त अधिक हुए व्यय के क्या कारण हैं और इन अधिक व्ययों के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उक्त दरों के इतने अधिक व्ययों से सम्पादित कार्य कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1995-96 में वृत्त तृतीय में जालौर जिले के भीनमाल व जालौर खण्ड में प्लान वर्क की डामर सड़कें मय मेटल सड़कें निर्माण की स्वीकृत दरें एवरेज कितने प्रतिशत रही ? उक्त दरें पिछले वर्ष की दरों एवं वर्ष 1995-96 की वृत्त द्वितीय की दरों से कितनी-कितनी अधिक रही (एवरेज) इस प्रतिशत अन्तर से पिछले वर्ष की दरों एवं वृत्त द्वितीय की एवरेज दरों से कार्य सम्पादन में कितनी राशि अधिक व्यय होगी ? उक्त होने वाले अधिक व्यय के क्या कारण हैं और इन अधिक होने वाले व्ययों के लिये

(श्री महेन्द्र मीणा)

कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो क्या और कब तक ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त वर्षों में जालोर जिले में सम्पादित कार्यों का जोधपुर सम्भाग के वृत्त द्वितीय एवं वृत्त तृतीय के शेष जिलों से अप्रत्याशित अधिक व्ययों की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से या जांच एजेन्सी से कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक और किस एजेन्सी से ? क्या उक्त कार्यों के सम्पादन में घटिया सामग्री एवं कम सामग्री उपयोग कर अधिक हुए भुगतान की भी साथ ही जांच कराई जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर सम्भाग के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत्त तृतीय में वर्ष 1993–94, 1994–95 एवं 95–96 में प्लान वर्क्स में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	बजट मद	वर्ष (स्वीकृत राशि) (लाखों में) 1993-94	94-95	95-96
	प्लान की सड़कें			
	(1) राजकीय उच्च मार्ग			
1.	पाली	—	19.50	85.00
2.	सिरोही	40.26	1.50	22.00
3.	जालोर	—	25.00	2.00
4.	भीनमाल	—	—	53.30
		40.26	46.00	162.30

(2) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

क्र. सं.	बजट मद	वर्ष (स्वीकृत राशि) (लाखों में) 1993-94	94-95	95-96
1.	पाली	52.00	63.00	115.29
2.	सोजत	37.00	53.50	170.43
3.	सिरोही	10.00	28.50	(–) 0.90
4.	जालोर	99.00	330.00	89.74
5.	भीनमाल	—	—	250.30
		198.00	475.00	624.00

(3) ग्रामीण सड़कें

1.	पाली	3.00	3.00	—
2.	सोजत	—	6.59	6.50
3.	सिरोही	6.00	16.50	40 00
4.	जालोर	12.00	50.00	1.00
5.	भीनमाल	—	—	26.11
		21.00	76.18	73.61

(4) शहरी सड़कें

1.	पाली	—	—	2.50
2.	सोजत	—	—	1.59
3.	सिरोही	—	—	—
4.	जालोर	—	—	0.50
5.	भीनमाल	—	—	2.50
		—	—	7.09
		259.26	616.23	867.86

इसमें से जालोर खण्ड में 34 कार्य अपूर्ण हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। 8 कार्य बी. एस. आर. से बिलो प्रतिशत पर स्वीकृत किये गये। जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

पाली 10 प्रतिशत बिलो से 10 प्रतिशत अबोव

सिरोही 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत अबोव

जालौर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत अबोव

(3) जी हां। उक्त दरों में लगभग 5% का अन्तर रहा। जालौर जिले में करीब 405.00 लाख रुपये के सम्पूर्ण हुए कार्यों में 1993–94 की प्रतिशत दरों से कुल बीस लाख रुपये अधिक खर्च हुए। अधिक व्यय का कारण 1993–94 के मुकाबले 94–95 में बढ़ी हुई महंगाई है। कोई भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि एक वर्ष से अगले वर्ष में मूल्यवृद्धि के कारण प्रतिशत दरों में वृद्धि स्वाभाविक है।

जी नहीं। कार्य नियमानुसार कराने के कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही बनती ही नहीं है।

(4) वर्ष 1995–96 में जालौर जिले के भीनमाल एवं जालौर खण्ड में मेटल सड़कों का निर्माण कार्य की दरें 20 से 25 प्रतिशत अधिक रहीं। यह दरें इन्हीं खण्डों से पिछले वर्ष की दरों से वृत्त–2 की 1995–96 की दरों से लगभग 3 से 4 प्रतिशत अधिक रहीं। इन कार्यों में भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 340.04 लाख रुपये के कार्य सम्पादित होने हैं। इसमें मेटल कार्यों पर दूसरे वृत्त–2 के मुकाबले रुपये 8.00 लाख अधिक व्यय होंगे। जालौर जिले में खनिज (ग्रेनाइट) के उत्पादन की अधिक खानें होने के कारण एवं जीरा व राईडा की फसल होने के कारण मजदूरी महंगी है एवं मजदूर जिले में बाहर से लाने पड़ते हैं। इसलिए यह महंगाई है। उक्त अधिक खर्चा होना स्वाभाविक है और इसके लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अतः इस विषय में कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(5) अधिक व्यय होना मजदूरी एवं मेटल के महंगे होने से स्वाभाविक है तथा कार्यों की खुली निविदाएं पूर्ण रूप से प्रचार के बाद आमंत्रित की गईं अतः किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। कार्यों का सम्पादन गुणवत्ता के आधार पर ही हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की अपूर्ण सड़कें

327. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की अधूरी सड़कें जो पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती हैं को सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सड़क कोटपूतली से चिमनपुरा II नारेहड़ा से हरियाणा बॉर्डर सड़क वाया चिमनपुरा व बनेठी से

(67)

(श्री रामचन्द्र रावत)

चिमनपुरा सड़क अधूरी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की अधूरी सड़कें जो पंचायत मुख्यालय को जोड़ती हैं वर्तमान स्थिति के अनुसार 12 (बारह) हैं, इनमें से 7 अधूरी सड़कें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुकी हैं जिनकी 31 मार्च 1996 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । शेष 5 (पांच) अधूरी सड़कों का राज्य सरकार की सड़क विकास नीति के अनुसार 31 मार्च 1997 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है विवरण सूची "अ" में संलग्न है ।

(2) हां, यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सड़क कोटपूतली से चिमनपुरा, नारहेड़ा से हरियाणा बॉर्डर सड़क वाया चिमनपुरा व बनेठी से चिमनपुरा सड़क अधूरा है । इन सड़कों के मिसिंग लेन्थ को पूर्ण करवाये जाने का सरकार विचार रखती है । अगले वर्ष 1996–97 की योजना में इन कार्यों को सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(सूची के लिये परिशिष्ट-15 देखें)

उदयपुर जिले के न्यायालयों में रिक्त पद

328. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित न्यायालयों में से किन–किन न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं ? उक्त पद कब से रिक्त हैं ? विवरण न्यायालयवार सदन की मेज पर रखें । उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

उत्तर

उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित निम्नलिखित न्यायालयों में न्यायाधीशों (पीठासीन अधिकारियों) के पद उनके सामने अंकित दिनांक से रिक्त हैं :—

1.	अति. सिविल न्यायाधीश (व. ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाड़ोल	3-6-95
2.	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोगुन्दा	19-6-94
3.	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ा	22-2-95
4.	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद	7-6-95
5.	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा	8-6-95
6.	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं ए. सी. जे. एम. मजिस्ट्रेट, सलूम्बर	27-10-94
7.	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं ए. सी. जे.एम. कानोड़	29-2-95

(68)

(विधि राज्य मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग से राज्य न्यायिक सेवा के चयनित व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो गई है। नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण होते ही इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करना सम्भव हो सकेगा।

अतिरिक्त सिविल एवं मुख्य दण्डनायक न्यायालय, बांदीकुई में लंबित मुकदमे

329. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बसवा तहसील के बांदीकुई में अतिरिक्त सिविल एवं मुख्य दण्डनायक न्यायालय में कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ? सिविल व फौजदारी मुकदमों की सूची अलग-अलग सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बसवा तहसील के बांदीकुई में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ-खण्ड) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन सिविल व फौजदारी मुकदमों की सूची निम्न प्रकार है :—

सिविल मुकदमों	की संख्या	फौजदारी मुकदमों	की संख्या
दावे	229	फौजदारी नम्बरी	740
टी. आई.	83	फौजदारी विविध	27
सी. एम. ए.	8	एफ. आर.	224
सी. आर. ए.	7		
चु. याचिका	5		
डी. आर. ए.	70		
इजराय	79		
कुल :	481	कुल :	991

पंचायत समिति खाजूवाला (बीकानेर) में छात्रावास

330. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाजूवाला पंचायत समिति बीकानेर में अनुसूचित जाति के बच्चों के छात्रावास खोलने की मांग लम्बे समय से चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि खाजूवाला क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जिले में सर्वाधिक है ?

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत दस लाख रुपये अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु आरक्षित हैं तथा इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा डी. आर. डी. ए. की गत बैठक में उक्त राशि को आबंटित करके

(श्री भीमसेन चौधरी)

खाजूवाला में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास शीघ्र प्रारम्भ करने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) खाजूवाला में छात्रावास खोलने की मांग वर्ष 1994 में प्राप्त हुई थी।

(2) पंचायत समिति बीकानेर जिले का अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है।

(3) यह सही है कि दिनांक 3-6-95 की डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में क्षेत्रीय विधायक द्वारा खाजूवाला में छात्रावास भवन बनाने हेतु 10 लाख रुपये आरक्षित रखने का सुझाव दिया था, परन्तु डी. आर. डी. ए. के संशोधित प्रस्तावों के द्वारा खाजूवाला में छात्रावास स्वीकृत नहीं होने के कारण उक्त राशि देशनोक में छात्रावास भवन निर्माण के प्रस्ताव विशेष योजना संगठन ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गये।

नीमकाथाना क्षेत्र की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

331. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए विभाग द्वारा सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो किस प्रकार से कितनी सहायता ? इस संबंध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994-95 में विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कौन-कौन सी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई ?

(3) वर्ष 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कौन-कौन सी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव कहां-कहां के विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये सीधे कोई सहायता नहीं दी जाती है। यह कार्य विद्युत विभाग द्वारा उनके विशिष्ट संघटक योजना में दर्शाये गये वित्तीय प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(2) विद्युत विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में नीमकाथाना पंचायत समिति में गणेश्वर एवं चूड़ला की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्युत विभाग को बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है परन्तु विशिष्ट संघटक योजना के तहत यह कार्य किया जाता है।

(3) नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के वर्ष 1995-96 हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पशु चिकित्सालय

332. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1995-96 में सीकर जिले में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था हेतु प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर सप्ताह में 2 दिन चिकित्सकों को ड्यूटी देने के सम्बन्ध में विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पांच पशु चिकित्सालय, एक उप खण्डीय भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाई, एक चल पशु चिकित्सा इकाई एवं पांच पशु औषधालय कार्यरत हैं, जिनके स्थानों की सूची (क) संलग्न है ।

(2) वर्तमान में वर्ष 1995-96 में सीकर जिले में नई पशु चिकित्सा संस्था खोला जाना प्रस्तावित नहीं है ।

(3) राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा हेतु प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन चिकित्सकों की ड्यूटी लगाने का विचार नहीं रखती है क्योंकि राज्य में कुल 9173 पंचायत मुख्यालय हैं। वर्तमान में 1053 पशु चिकित्सालय व 285 पशु औषधालय कार्यरत हैं जो कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सकों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन पशु चिकित्सक का लगाया जाना सम्भव भी नहीं है ।

(सूची के लिये परिशिष्ट—16 देखें)

कोटपूतली क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय

333. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जयपुर जिले के कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सक हैं एवं पशु औषधालय कहां-कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कोटपूतली तहसील के ग्राम चिमनपुरा, राय कर्णपुरा, मलपुरा, मंगल पंडित पुरा, कोल्डा (गूजरान) पूर्ण नगर, पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय एवं सब सेंटर खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में एक सब डिविजनल मोबाइल यूनिट, 4 पशु चिकित्सालय, एवं 2 पशु औषधालय

(पशुपालन राज्य मंत्री)

कार्यरत हैं। स्थानों की सूची "क" संलग्न है। इस क्षेत्र में पशु चिकित्सकों की संख्या 5 है।

(2) राज्य सरकार का वर्तमान में ग्राम चिमनपुरा, राय कर्णपुरा, मलपुरा, मंगल पंडितपुरा, टोल्डा (गूजरान) पूर्ण नगर पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय या उपकेन्द्र खोलने का विचार नहीं है, क्योंकि इनकी क्रमशः पशु चिकित्सालय कोटपूतली, उपकेन्द्र नारेड़ा, पशु औषधालय दांतिल, पशु चिकित्सालय गोनेड़ा एवं पशु चिकित्सालय पावटा से दूरी 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर एवं 10 किलोमीटर की परिधि में है जो राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(सूची के लिये परिशिष्ट—17 देखें)

गोधन का राज्य के बाहर निष्क्रमण

334. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1 जनवरी, 1995 से अब तक के पशु मेलों में कितना गोधन राज्य के बाहर भेजे जाने हेतु विक्रय किया गया? प्रत्येक मेले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टरों को गोवंश की प्रदेश के बाहर निकासी हेतु स्वीकृति दिये जाने का अधिकार है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) 1 जनवरी, 1995 से अब तक जिला कलेक्टरों की स्वीकृति से कितना गोवंश प्रदेश से बाहर भेजा गया? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के राज्य स्तरीय पशु मेलों में 1 जनवरी, 95 से अब तक 41845 गोधन राज्य के बाहर जाने हेतु विक्रय किया गया। मेलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। मानदण्ड व नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) 1 जनवरी, 1995 से अब तक जिला कलेक्टरों की स्वीकृति से प्रदेश से बाहर भेजे गये गोवंश की सूची जिलेवार संलग्न है।

(प्रति व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या 335

(स्थगित)

अलसीसर पंचायत समिति (झुन्झुनूं) के विकास कार्य

336. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामनारायण चौधरी)

(1) झुन्झुनूं जिले की अलसीसर पंचायत समिति में किन–किन पंचायतों के विकास कार्यों को बन्द करने के लिए स्थगन आदेश जारी किए तथा किन–किन आधार पर यह स्थगन आदेश किस अधिकार के तहत जारी किए गए ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों के तहत सरपंच ग्राम पंचायत बडित कोलिण्डा, ढलिसर तथा रामपुरा के समस्त विकास कार्य रुक गये तथा बेरोजगार लोगों को काम मिलना बन्द हो गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी विकास कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी. आर. डी. ए.) ने स्वीकार कर पंचायतों को आदेश दिये थे कि इन कार्यों को अविलम्ब चालू कर समय पर पूरा करावें ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की अलसीसर पंचायत समिति में कुल तीन ग्राम पंचायतों यथा–बाडेट, कोलिण्डा एवं ढीलसर में एक–एक विकास कार्य बन्द करवाये गये थे। तीनों ही विकास कार्यों के स्थगन आदेश अलसीसर पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे। निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कार्य न करवाये जाने के कारण इन कार्यों के स्थगन आदेश जारी किये गये थे। पंचायत समिति विकास कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी है अतः उसे निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य न होने पर स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

(2) रामपुरा ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य बन्द नहीं किया गया था और शेष तीन ग्राम पंचायतों यथा–बाडेट, कोलिण्डा एवं ढीलसर में समस्त विकास कार्य बन्द न करवा कर मात्र एक–एक विकास कार्य निर्धारित मानदण्डानुसार न होने के कारण बन्द करवाया गया था और रोके गये 3 कार्यों में से दो कार्य आवश्यक सुधार करवा कर पुनः प्रारम्भ करवा दिये गये थे। अतः बेरोजगार लोगों के रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोलिण्डा का कार्य खातेदारी भूमि पर करवाये जाने के कारण स्थगित किया गया।

(3) अभिकरण द्वारा कार्यों की स्वीकृति के समय पंचायत समिति को यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि सभी कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार समय पर पूर्ण करवाये जावें लेकिन उपरोक्त तीनों कार्य मानदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाने पर ग्राम पंचायतों की कार्यकारी एजेन्सी अर्थात् पंचायत समिति द्वारा उक्त कार्यों पर स्थगन आदेश दिये गये। तथा बाद में इन कार्यों में मानदण्डों के अनुसार तुरन्त सुधार कर कार्य प्रारम्भ करवाये गये ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो सकें।

ग्राम रोजवाड़ी (बस्सी) की पानी की टंकी

337. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम रोजवाड़ी तहसील बस्सी (जयपुर) में निर्मित पानी की टंकी कब एवं किस योजनान्तर्गत, कितनी राशि व्यय कर निर्मित की गई ?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(2) क्या इस पानी की टंकी का उपयोग निर्माण से अब तक किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस पेयजल टंकी को कब तक चालू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम रोजवाड़ी तहसील बस्सी जिला जयपुर में वर्ष 1985–86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल टंकी का निर्माण किया गया था, जिस पर 15,000/– रु. राशि व्यय की गई थी।

(2) इस टंकी का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा गलती से उस समय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सहमति से नहीं करवाया गया था, जिसके कारण जल स्रोत से नहीं जुड़ने से इसका उपयोग नहीं हो सका है। अब जो भी पानी की टंकी निर्मित की जा रही है, वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सहमति/माध्यम से ही निर्मित की जा रही है, जिससे उनका उपयोग हो सके।

(3) अब टंकी की पाइप लाइन की कार्य योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बना ली गयी है। तकनीकी स्वीकृति विभाग से अपेक्षित है। प्राप्त होते ही टंकी को पाइप लाइन से जोड़ने का कार्य पूर्ण करवाते हुए शीघ्रातिशीघ्र चालू करवा दिया जायेगा।

जालोर जिले के लिए विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि

338. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालोर जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना, निर्बन्ध राशि योजना एवम् तीस जिले तीस काम योजना के तहत वर्ष 1993–94, 1994–95 व 1995-96 में कितनी–कितनी राशि के निर्माण कार्य (भवन व रोड) किन–किन मदों में कितनी–कितनी राशियों के स्वीकृत हुए ?

(2) क्या उक्त कार्यों के निष्पादन करने हेतु स्वीकृत राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भीनमाल व जालोर में जमा करा दी गई या जमा कराई जानी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो खण्डवार कितनी–कितनी राशि ?

उत्तर

(1) जालोर जिले में 1993–94 से 1995–96 (अब तक) की अवधि में सुनिश्चित रोजगार योजना, निर्बन्ध राशि एवं तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	सु. रो. योजना	निर्बन्ध	ती.जि. ती.काम	योग
93-94	170.00	12.78	8.00	190.78
94-95	563.19	43.80	64.63	691.62
95-96	—	13.37	—	13.37
योग :-	753.19	69.95	72.63	895.77

(74)

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भीनमाल एवं जालौर में स्वीकृत कार्यों हेतु जमा कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	खण्ड का नाम जमा करवाई गई राशि (लाखों में)		खण्ड का नाम शेष जमा करवाई जाने वाली प्रस्तावित राशि	
	जालौर	भीनमाल	जालौर	भीनमाल
सु. रो. योजना	458.84	97.65	68.61	128.09
निर्बन्ध राशि	50.24	2.15	11.34	6.22
ती. जि. ती. काम	67.15	—	5.48	—
योग :—	576.23	99.80	85.43	134.31

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

339. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में तीस जिले तीस काम योजना, अपना गांव अपना काम योजना, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गत वर्ष और इस वर्ष कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने कार्य किस-किस ग्राम में प्रारम्भ किए गए ?

(2) उपरोक्त में से कितने कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई और कितने कार्य पूर्ण कर दिए गए तथा कितने कार्य अधूरे हैं ? अधूरे कार्यों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के पंचायत समिति सादुलशहर एवं श्रीगंगानगर में 30 जिले 30 काम, अपना गांव अपना काम योजना तथा जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत 94–95 एवं 95–96 में विभिन्न गांवों में क्रियान्वित किये गये कार्य, उन पर व्यय की गई राशि तथा उनकी भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) तीस जिले तीस काम योजनान्तर्गत जन स्वास्थ्य अभि. विभाग द्वारा क्रियान्वित किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

विभिन्न कार्यों की भौतिक स्थिति, उन पर किया गया व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) अधूरे कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नियुक्ति/पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी

340. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राचार्य/उपाचार्य के पदों की नियुक्ति व पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कुल कितने पदों पर पदोन्नति की गई एवं इनमें कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्राध्यापकों को आरक्षण का लाभ देकर अप्रेल, 1986 में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नत किया गया था ? यदि हां, तो इन्हें एक बार पदोन्नति देकर इनसे कनिष्ठ प्राध्यापकों को प्राचार्य के पदों पर कैसे नियुक्त किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्राचार्य/उपाचार्य के पदों पर नियुक्ति व पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ नियमानुसार दिया जा रहा है। इन पदों पर पिछले दो वर्षों में जिन पदों पर पदोन्नति की गई है उसका विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	प्राचार्य (पी. जी.) कालेज			प्राचार्य (डिग्री) कालेज			उपाचार्य		
	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
93–94 (नियमित)	3	—	—	5	—	—	55	11	4
द्वितीय सूची	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94–95 (नियमित)	33	8	3	23	3	—	73	7	2
द्वितीय सूची	9	3	—	29	—	—	36	—	—
95–96 (नियमित)	26	1	2	24	4	—	60	3	—
द्वितीय सूची	5	1	—	28	1	—	40	—	—

(उच्च शिक्षा मंत्री)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी पात्रता जोन में उपलब्ध नहीं होने के कारण आरक्षित पद भरना सम्भव नहीं था।

(2) जी हां। यह सही है, किन्तु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1 (20) शिक्षा–3/87 दिनांक 3-6-88 के द्वारा विभागाध्यक्ष का पद व्याख्याता चयनित वेतनमान में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार विभागाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिये जाने के कारण सभी विभागाध्यक्ष व्याख्याता चयनित वेतन श्रृंखला में परिवर्तित होकर अपनी व्याख्याता पद की मूल वरिष्ठता की स्थिति में आ गये थे। इस कारण उनसे किसी कनिष्ठ व्याख्याता को उनसे पूर्व पदोन्नति नहीं दी गई है।

पुष्टवाटिका महाविद्यालय छात्रावास का अधीक्षक आवास

341. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एम.जे.एस. कालेज, भरतपुर के पुष्टवाटिका होस्टल के अधीक्षक आवासगृह में भरतपुर के शहर दण्डनायक ने अपना आवास बना रखा है? यदि हां, तो किस आदेश से एवं किन नियमों के अन्तर्गत? आदेश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अधीक्षक आवास खाली करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पुष्टवाटिका होस्टल के अधीक्षक आवास पर शहर दण्डनायक द्वारा अवैधानिक कब्जा किये जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा खुला विश्वविद्यालय का अंकतालिका प्रकरण

342. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा पर्यटन एवं होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा का परीक्षा परिणाम कब घोषित किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से भेजे गए एसाइनमेंट के अंक अंकतालिकाओं में सही दर्ज नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं?

(3) अंकतालिकाओं में एसाइनमेंट के अंकों को दुरुस्त करने के लिए छात्रों के अब तक कितने पत्र प्राप्त हुए हैं?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(4) क्या विश्वविद्यालय ने छात्रों के पत्रों के जवाब छात्रों को दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अंकतालिकाओं में अंकों को दुरस्त करा नई अंकतालिकाएं जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(6). क्या सरकार अंकतालिकाओं में गलत अंक दर्शाने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा पर्यटन एवं होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा का परीक्षा परिणाम 19-5-95 को घोषित कर दिया गया है।

(2) एक को छोड़कर शेष क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे गये एसाइनमेन्ट के अंक सही थे, तदनुसार ही अंकतालिकाओं में चढ़ाये गये। केवल एक केन्द्र से अंक पूर्ण प्रोफार्मा में सही गणना कर नहीं भेजे गये, जिससे क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। सही अंक प्राप्त होने पर तदनुसार अंकतालिका संशोधित कर दी गई है तथा उत्तरदायित्व निश्चित करने की कार्यवाही चल रही है।

(3) अंकतालिकाओं में एसाइनमेन्ट के अंकों को दुरुस्त करने के लिए केवल एक ही पत्र प्राप्त हुआ, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत करा दिया गया है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में छात्र से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही कर दी गई है तथा छात्र को भी सूचित कर दिया गया है।

(5) सही गणना वाली अंक सूची प्राप्ति के बाद अंकतालिकाओं को दुरूस्त कर सम्बन्धित परीक्षार्थियों को संशोधित अंकतालिकाएं भिजवा दी गई हैं।

(6) जी हां, सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही चल रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 अक्टूबर, 1995)

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

45. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में लेने के लिये नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 31 मार्च, 1994 तक सभी मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दी जाने बाबत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा राज्य सेवा में लेने हेतु प्रेषित प्रार्थना–पत्र विचाराधीन चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने तथा किस–किस के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विचाराधीन आवेदन–पत्रों का निपटारा कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने बाबत राजस्थान सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी हैं। (परिशिष्ट "क")

(2) कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. प. 12 (83) कार्मिक/क-2/93 दिनांक 13-1-94 द्वारा समस्त शासन सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के विचाराधीन आवेदन पत्र दिनांक 31-1-94 तक प्राप्त समस्त आवेदनों पर एक अभियान चलाकर उनका निपटारा दिनांक 31-3-94 तक कर दिया जाये। जारी किये गये परिपत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परि. "ख")

(3) 115 विभागों से सूचना प्राप्त हुई है। उनके अनुसार विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परि. "ग") 15 विभागों की सूचना प्राप्त होना शेष है। सूचना प्राप्त होना शेष है। सूचना प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(4) विचाराधीन आवेदन पत्रों के निपटारे के सम्बन्ध में संलग्न विवरण पत्र के कालम सं. 4 में अंकित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या 63

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27 अक्टूबर, 1995)

राज्य के मतदाता पहचान-पत्रों का वितरण

65. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने मतदाता हैं एवं इन्हें फोटो पहचान पत्र देने का कार्य कब शुरू किया गया? इनमें से अब तक कितने मतदाताओं को पहचान पत्र दे दिये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस कार्य में कुल कितना व्यय हुआ एवं इसमें से भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई?

(3) जिन मतदाताओं के परिचय पत्र नहीं बने हैं, उनके लिए अब परिचय पत्र बनवाने हेतु उनके लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 2,95,69,002 मतदाता हैं। विधान सभा क्षेत्रवार मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र वितरण का कार्य शुरू किया है उसकी तिथि एवं अब तक कितने मतदाताओं को पहचान पत्र दिये हैं, की सूचना परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) इस कार्य में अब तक रुपये 6,27,06,861 का खर्चा हुआ एवं इसमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के खर्चे के आकलन के अनुसार रुपये 11,36,00,000/– की राशि उपलब्ध कराई है।

(3) बचे हुए मतदाताओं के परिचय पत्र बनाये जाने का कार्य जारी है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, 27 अक्टूबर, 1995)

दौसा जिले में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

78. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में वर्ष 1994-95 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं कितने आवास बनाने की स्वीकृति जारी की गई? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले में वर्ष 1995-96 में इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत कितने आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं अब तक उक्त योजना में कितने आवेदन विचाराधीन हैं? अब तक कितने आवास बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है? स्वीकृत किए गये आवासों की सूची एवं विचाराधीन आवेदन-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्षवार लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शीघ्र विचाराधीन आवेदनों को स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) दौसा जिले में वर्ष 1994-95 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 841 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्यों के विपरीत 1568 आवास बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :—

पंचायत समिति	स्वीकृति जारी की गई
दौसा	385
लालसोट	274
सिकराय	327
बांदीकुई	255
महुआ	327
	1568

उपरोक्त स्वीकृत इन्दिरा आवासों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री)

(2) दौसा जिले में वर्ष 1995–96 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 1607 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक इस योजना में 120 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। अब तक कुल 1197 इन्दिरा आवासों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृत किये गये इन्दिरा आवासों की सूची परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1995-96 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विचाराधीन आवेदन पत्रों की जांच कर शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति निकालने हेतु अभिकरण स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, 27 अक्टूबर, 1995)

पंचायत समिति नैनवां के गांवों में अपूर्ण मकान

73. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नैनवां के गांवों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित कितने मकान एवं कालोनियां कब से अपूर्ण हैं तथा उनको पूर्ण करवाये जाने के लिए क्या–क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से स्वीकृत इकाई लागत की पूर्ण राशि व्यय होने के पश्चात् अधूरे रहे आवासों की संख्या कितनी है तथा उनको पूर्ण करवाकर वांछित व्यक्ति को वास्तविक रूप में कब तक लाभान्वित कर दिया जावेगा ? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मकानों के निर्माण में भारत सरकार से प्राप्त राशि भी व्यय की गई है तथा राशि का हिसाब केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की व्यय की गई राशि के विवरण सहित भारत सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन्दिरा आवास की स्वीकृति तथा स्वीकृति के पश्चात् किश्त भुगतान आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नैनवां के गांवों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित 329 अपूर्ण कालोनी एवं मकान का विवरण संलग्न परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है। इन आवासों को पूर्ण कराने का दायित्व लाभार्थियों का ही है जिनसे सम्पर्क कर आवास शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) स्वीकृत इकाई लागत की पूर्ण राशि व्यय होने के पश्चात् भी 10 सामूहिक

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री)

आवास अधूरे रहे। इनको पूर्ण कराने हेतु अभिकरण को पूर्व में आदेश दे दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। इन मकानों के निर्माण में भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा प्रगतिरत जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत राशि व्यय की गई है। इन्दिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना है जिसमें कुल आवंटित राशि की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा शेष 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित जि. ग्रा. वि. अभिकरण से प्राप्त कर केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है। जिसमें इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यय की गई राशि भी सम्मिलित होती है। वर्ष 94-95 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत बून्दी जिले में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) परि. निदेशक, बूंदी ने सूचित किया है कि इन्दिरा आवास की स्वीकृति तथा स्वीकृति के पश्चात् किश्त का भुगतान आदि के सम्बन्ध में 7 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6 शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। 6 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास का पूर्ण भुगतान सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा किया जा चुका है। शेष 1 शिकायत श्रीमती कान्ती बाई पत्नी श्री मदनलाल धाकड़ निवासी मालपुरा ग्राम पंचायत सुवानिया के स्वीकृत इन्दिरा आवास के सम्बन्ध में है, जो ग्रामवासी मालपुरा द्वारा की गई है। उक्त प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। उक्त सम्बन्ध में प्राप्त 7 शिकायतों की फोटो प्रति संलग्न परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(गुरूवार, 27 अक्टूबर, 1995)

अजमेर एवं राजसमन्द जिलों में सांसद की अभिशंसा पर स्वीकृत कार्य

76. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994–95 व 1995–96 में अब तक अजमेर एवं राजसमन्द जिले के किस–किस शहर, ग्राम पंचायत/ग्राम में किस–किस कार्य के लिए कब–कब, कितनी-कितनी राशि सांसद कोष से सम्बन्धित सांसद की अभिशंसा पर स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजसमंद जिले में सांसद कोष से वर्ष 1995–96 में कराये जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव कब–कब प्राप्त हुए ? उक्त प्रस्तावों को कब स्वीकृत किया गया ? यदि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 (सितम्बर, 95 तक) में अजमेर व राजसमंद जिलों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित सांसद की अभिशंसा पर स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजसमन्द जिले में वर्ष 1995-96 (11-10-95 तक) में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। उक्त प्रस्तावों में से केवल एक कार्य (जगपुरा से दामोदर-पुरा सड़क कार्य) स्वीकृत किया गया है तथा 67 विकास कार्यों के प्रस्ताव तखमीना बनाने हेतु सम्बन्धित विभागों को भिजवाये जा चुके हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, 27 अक्टूबर, 1995)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अमरवासी (भीलवाड़ा) में स्वीकृत कार्य

77. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरवासी जिला भीलवाड़ा में अप्रेल, 1990 से मार्च, 1995 तक विभिन्न योजनाओं में कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? वर्षवार कार्य का नाम एवं स्वीकृत की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय में छात्रों से प्राप्त विकास शुल्क से निर्मित कमरे का मूल्यांकन करवाकर एक कमरे की राशि को हड़प कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमरवासी जिला भीलवाड़ा में अप्रेल, 90 से मार्च, 95 तक 3 कमरों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये, जिनका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	योजना	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों रु. में)
1.	अपना गांव अपना काम योजना	1990-91	1.50
2.	निर्बन्ध राशि	1991-92	0.30
3.	अकाल सहायता योजना	1992-93	1.00
		कुल :	2.80

(2) परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भीलवाड़ा ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में अभिकरण को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(गुरूवार, 27 अक्टूबर, 1995)

नागौर जिले में आश्वासित रोजगार योजना

74. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993–94 व 1994–95 में नागौर जिले में आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितना बजट खण्ड अनुसार आबंटित किया गया है ?

(2) आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत कौन–कौन से कार्य आते हैं ? इन्हें अब तक किन-किन विभागों द्वारा किन-किन ग्रामों में स्वीकृत किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि जिला नागौर हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो किन–किन द्वारा व उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले को सुनिश्चित रोजगार योजना (आश्वासित रोजगार योजना) अन्तर्गत वर्ष 1993–94 में 412.50 लाख राशि का आबंटन हुआ था जिसमें से प्रत्येक विकास खण्ड को रु. 37.50 लाख राशि आवंटित की गई थी।

वर्ष 94–95 में इस योजनान्तर्गत नागौर जिले को 1100.00 लाख राशि आबंटित की गई थी जिसमें से प्रत्येक विकास खण्ड को 100.00 लाख राशि का आबंटन किया गया।

(2) इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) ज़िला नागौर हेतु इस योजनान्तर्गत जो भी प्रस्ताव विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुए हैं उनकी स्वीकृति राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है जिनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शोकाभिव्यक्ति

श्री भोगजी भाई, पूर्व सदस्य; श्री ओंकारलाल बोहरा व श्री हीरजी भाई, पूर्व सांसद के निधन पर

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के पूर्व विधायक श्री भोगजी भाई, जो बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1952 से...

श्री रामस्वरूप मीणा : यह गलत परिपाटी है, साहब, अधिकारी सब जा रहे हैं, शोकाभिव्यक्ति हो रही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 57 से 62 तक इस सदन के सदस्य रहे, उनका देहान्त हो गया है। श्री भोगजी भाई आदिवासी सुधार कार्यों में बहुत रुचि लेते थे और इस विधान सभा में आदिवासियों की समस्याओं के बारे में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान करते रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी वे आदिवासी होने के कारण तैराकी में और तीर चलाने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

में बहुत एक्सपर्ट माने जाते थे। उन्होंने एक हिन्दू विकास पंचायत भी बनायी जिसके वे मंत्री रहे और उसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में उनकी उन्नति के लिये बहुत काम किया है। ऐसे श्री मोगजी भाई का देहान्त 20 अगस्त, 1995 को हो गया।

मैं उनके निधन पर अपनी ओर से और हमारे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले और उनके शोक संतप्त परिवार को उसे सहन करने की शक्ति मिले।

मान्यवर, इसी प्रकार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे श्री ओंकारलाल बोहरा, जो 1967 में वहां से सांसद चुने गये थे उनका भी देहान्त हो गया। यद्यपि वे 1967 में सांसद हुए थे लेकिन उनका कार्यक्षेत्र बहुत कुछ कलकत्ते में रहा। सामाजिक, साहित्यिक और खास तौर से जर्नलिज्म में उनकी बहुत रुचि थी, वे एक पत्र भी निकालते थे। उनका देहान्त होने पर मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिवंगत आत्मा को प्रभु शान्ति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस कष्ट को सहन करने का धैर्य प्रदान करे।

इसी प्रकार हमारे एक भूतपूर्व सांसद श्री हीरजी भाई, जो बांसवाड़ा से 1967 में सांसद चुने गये आदिवासी क्षेत्र से, उन्होंने भी राजस्थान की समस्याओं को संसद में, लोक सभा में बहुत पुरजोर शब्दों में रखा। उनके निधन पर भी मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं। परमात्मा उनको शान्ति दे और उनके परिवार के लोगों को इस कष्ट को सहन करने का धैर्य दे। इसी आशा के साथ मैं यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन के नेता की अनुपस्थिति में उप मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व लोक सभा सदस्य श्री ओंकारलालजी बोहरा, श्री मोगजी भाई, सदस्य, राजस्थान विधान सभा और श्री हीरजी भाई के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने आप को और मेरी पार्टी को सम्मिलित करता हूं।

श्री मोगजी भाई के बारे में जैसा कि बताया गया है सदन को, वे द्वितीय विधान सभा के सदस्य रहे। वे आदिवासी क्षेत्र के थे और आदिवासियों के उत्थान के लिये उन्होंने काफी अभिरुचि ली थी और उनके क्षेत्र के विकास में उन्होंने काफी दिलचस्पी बताई थी। उनके निधन से आदिवासी क्षेत्र को नुकसान हुआ। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री ओंकार लालजी बोहरा लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे 1967 में। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर जिले के बल्लभनगर तहसील में पैदा होकर

(85)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

राजस्थान को ही नहीं, कलकत्ता को अपनी कार्यस्थली बनाया और वहां काफी काम किया। वे एक सामाजिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से, रचनात्मक कार्यकर्त्ता की हैसियत से कई संस्थाओं के सदस्य रहे। उन्होंने मेवाड़ मित्र मण्डल, रिलीफ सोसाइटी, उदयपुर और बल्लभनगर में गांधी सेवा सदन की स्थापना कर शिक्षा की ज्योति को जलाने में अभूतपूर्व काम किया। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। बल्लभनगर क्षेत्र, उदयपुर जिले और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, उनके निधन से शोक प्रकट हुआ और अत्यन्त शोक प्रकट हुआ। मैं उनके प्रति भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति पैदा करे।

इसी प्रकार श्री हीरजी भाई का निधन भी जैसा कि अभी बताया गया, हुआ। वे भी एक आदिवासी क्षेत्र के कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिये काफी काम किया और हमेशा जागरूक सदस्य की हैसियत से इस सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को वे रखते रहे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से और अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के उप नेता और प्रतिपक्ष दल के नेता महोदय ने शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रखा और उस पर विस्तार से अपने विचार रखे हैं। मोगजी भाई इस सदन के पूर्व सदस्य और हीरजी भाई पूर्व संसद सदस्य थे जिन्होंने इस राजस्थान के पिछड़े इलाके का, वह जो राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब इलाका है वहां का प्रतिनिधित्व किया और उनकी आवाज को उठाने में और समाधान कराने में अपना जीवन बलिदान किया। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार और उनके अनुयायियों को जिनको इस शोक से दुःख हुआ, सहन करने की शक्ति दे। इसी के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में हमारे तीन साथी, राजनैतिक क्षेत्र के साथी, सामाजिक क्षेत्र के साथी श्री मोगजी भाई, श्री ओंकारलाल जी बोहरा व श्री हीरजी भाई हमसे विदा हुए। श्री मोगजी भाई इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र से वे थे और आदिवासियों में उनके द्वारा किये गये कार्यक्रमों को आदिवासी भाई आज भी याद करते हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और अपने क्षेत्र ही नहीं, क्षेत्र के बाहर भी आदिवासियों की समस्याओं के लिये बराबर जूझते रहते थे।

अध्यक्ष जी, ओंकारलाल जी बोहरा, पूर्व सांसद हमारे बीच नहीं रहे हैं। वे स्वतन्त्रता सेनानी थे, पत्रकार थे और कई सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं से जुड़े हुए थे। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अधिकांश वे कलकत्ता में रहते थे लेकिन यहां की संस्थाओं को भी बराबर अपना मार्गदर्शन और योगदान दिया करते थे।

(श्री शिवनाथ सिंह)

इसी प्रकार से श्री हीरजी भाई एक अच्छे कार्यकर्त्ता थे। सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। सांसद भी रहे हैं और राजस्थान की समस्याओं के बारे में संसद में पुरजोर शब्दों में राजस्थान की बात रखा करते थे। सभी दिवंगत तीनों आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपने सभी साथियों की ओर से और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भाभड़ा जी द्वारा जो शोकाभिव्यक्ति की गयी है तथा प्रतिपक्ष की ओर से जो शोकाभिव्यक्ति की गयी है उसमें मैं सम्मिलित होते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओंकारलाल जी बोहरा चित्तौड़ से लोक सभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उदयपुर के थे और उदयपुर में वे पहले शिक्षक रहे। जब मेवाड़ सरकार थी, स्वतंत्रता के लिये वे संघर्षरत रहे। ओंकारलाल जी बोहरा जब शिक्षक थे उस समय एक आन्दोलन हुआ था और सम्पूर्ण मेवाड़ के शिक्षकों ने उनके नेतृत्व में त्यागपत्र दे दिया मेवाड़ सरकार से। इतने प्रखर वे रहे। हमारे शिक्षक रहे, मैं स्वयं उनका शिष्य रहा हूं। जिस समय वे हमें पढ़ाते थे उस समय भी गुलामी के दिन थे। मेवाड़ में राजा का राज था लेकिन ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय जो जुल्म–अत्याचार होते थे उन जुल्मों के सन्दर्भ में और जो कांग्रेस उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रही थी उसके बारे में मुझे वह दिन याद है जब 1945 में अंग्रेज जीते, आजाद हिन्द फौज हारी। उसके बाद में जो लड्डू बांटे तो ओंकारलाल जी बोहरा ने तब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, हमको बुलाकर यह कहा कि यह आज जो ब्रिटिश हुकूमत लड्डू बांट रही है इन लड्डुओं के अन्दर मिठास नहीं है, आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानियां की हैं उन लोगों का रक्त इसमें मिला हुआ है और आप सब को इनका बहिष्कार करना चाहिये। हम लोगों ने उस समय उसका बहिष्कार किया ओंकारलाल जी बोहरा के कह देने से। जो देशभक्त रहे, जिन्होंने स्वतन्त्रता की, आजादी की रक्षा के लिये अपना कर्त्तव्य पालन किया, हम सब लोगों को तैयार किया, मैं उन्हें अपनी ओर से और उदयपुर के सम्पूर्ण लोगों की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनका जो शोक–संतप्त परिवार है उस परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे इस क्षति को सहने की।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी हमारे निर्दलीय पक्ष की ओर से शोक प्रकट करता हूं। मेरा भी उनसे लम्बे समय तक सम्बन्ध रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन मुझे बराबर मिला है। "विशाल राजस्थान" के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं पर और प्रवासी राजस्थानी प्रदेश में, जन्मभूमि में किस प्रकार उद्योग–धंधे लगाएं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करें, विद्यालय अथवा दूसरी प्रवृत्तियां चलाएं, उन सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। आजादी के आन्दोलन और सार्वजनिक जीवन और सामाजिक सेवाओं में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अनेक शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भी कार्य करके इस प्रदेश की काफी उच्च-कोटि की सेवा की है। मैं उनके दिवंगत होने पर हमारे पक्ष की ओर से उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और शोक-संतप्त परिवार को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बहुत चिन्ता की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के उप नेता एवं प्रतिपक्ष के माननीय शक्तावत साहब ने और अन्य दलों के माननीय सदस्यों ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से दूसरी विधान सभा में सदस्य रहे भोगजी भाई एवं चित्तौड़ से सांसद रहे ओंकारलाल जी बोहरा एवं सांसद, बांसवाड़ा हीरजी भाई इन नेताओं ने हमारी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिये उस आदि-वासी बहुल क्षेत्र में जो कार्य किये हैं वे हमेशा याद रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व विधायक भोगजी भाई क्षेत्र बांसवाड़ा से सन् 1957 से 1962 तक विधायक रहे। वे सोशलिस्ट पार्टी से चुने गये थे, प्रखर थे। वे जनसेवक थे। वे सरपंच और प्रधान भी रहे। अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक के निधन से क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे तथा उनके परिवारजन को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने, प्रतिपक्ष के उप नेता श्री शक्तावत साहब ने और सभी माननीय सदस्यों ने जो शोक व्यक्त किया है, श्री भोगजी भाई, श्री ओंकारलाल जी बोहरा व श्री हीरा भाई ये तीनों ही मेवाड़ से सम्बन्धित थे। इन तीनों का देहावसान इन दिनों में हुआ। मैं सबके साथ अपनी भावना व्यक्त करता हूं।

पूर्व विधायक श्री भोगजी भाई का जन्म 5 अप्रेल, 1927 को बांसवाड़ा जिले के पनियाला गांव में हुआ। आपने मामनिया (मध्यप्रदेश) के भील आश्रम से हिन्दी मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

समाजवादी पार्टी के अनुयायी रहे श्री भोगजी भाई दूसरी राजस्थान विधान सभा (1957-62) के लिये बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वा-चित हुए। आदिवासियों के कल्याण के लिये समर्पित रहे श्री भोगजी भाई विधान सभा में भी आदिवासियों की समस्याओं के समा-धान तथा क्षेत्र विकास के लिये सतत् प्रयत्नशील रहे।

आदिवासी सुधार कार्यों के साथ-साथ आप सामाजिक कार्यों के लिये भी सदैव सक्रिय रहे। आप हिन्दू विकास पंचायत के मंत्री भी रहे। मध्यप्रदेश में हुए शराबबन्दी आन्दोलन में सक्रिय रहकर आपने जेल यात्रा भी की।

तैराकी के अलावा बंदूक चलाने व तीर चलाने में आपकी विशेष अभिरुचि थी। आपने आदिवासी भीलों की लोक संस्कृति के गीतों को संकलित कर "भीली लोक गीत" के नाम से प्रकाशित भी कराया।

88

(श्री अध्यक्ष)

श्री मोगजी भाई का दिनांक 20 अगस्त, 1995 को निधन हो गया।

स्वतन्त्रता सेनानी, पत्रकार और पूर्व सांसद श्री ओंकार लाल बोहरा का जन्म 4 जनवरी, 1928 को उदयपुर जिले के उंठाला, जिसे आज बल्लभनगर कहा जाता है, में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा बल्लभनगर और उदयपुर में हुई। उसके पश्चात् आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम. ए की उपाधि प्राप्त की। श्री बोहरा ने साहित्यिक रत्न की उपाधि भी प्राप्त की। आपने कुछ समय उदयपुर में अध्यापन का कार्य भी किया।

आपके सार्वजनिक जीवन की शुरूआत वर्ष 1948 में कलकत्ता जाने के बाद हुई। वर्ष 1967 में चौथी लोक सभा के लिये हुए आम चुनावों में चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। लोक सभा में आप राजस्थान के हितों के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री बोहरा का पत्रकारिता से विशेष लगाव रहा। आप लगभग 45 वर्ष तक पत्रकारिता से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। आपने कलकत्ता से प्रकाशित "विशाल राजस्थान" (साप्ताहिक) का सम्पादन किया। इसके अलावा आप नवजीवन, स्वाधीनता, समानता, वसुन्धरा, तरूण, आज का बीकानेर, नया राजस्थान आदि पत्रों से भी जुड़े रहे।

सामाजिक कार्यकलापों में भी आप समर्पित भाव से जुड़े रहे। गांधी सेवा सदन, बल्लभनगर के संस्थापक और मंत्री रहे श्री बोहरा तरूण संघ, कलकत्ता, रिलीफ सोसाइटी, उदयपुर तथा मेवाड़ मित्रमण्डल के भी पदाधिकारी रहे। इसके अलावा आप जूनियर चैम्बर, कलकत्ता; मारवाड़ी सम्मेलन, कलकत्ता तथा भारत जैन महा-मण्डल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे।

पढ़ने-लिखने के अलावा स्वास्थ्य, लोक जीवन के प्रसार और सामाजिक कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

मैंने भी सन् 52–53 में उनके मार्ग-दर्शन में काम किया और रिश्ते में वे मेरे बहनोई थे।

पूर्व सांसद श्री ओंकार लाल बोहरा का कल शाम 2 नवम्बर, 1995 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद श्री हीरजी भाई का जन्म 6 अप्रैल, 1941 को बांसवाड़ा जिले के मास्का बाड़ा में हुआ। आपने गवर्नमैण्ट हाई स्कूल, कुशलगढ़ और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा में शिक्षा प्राप्त की।

वर्ष 1967 में चौथी लोक सभा के लिये हुए आम चुनावों में आप अनुसूचित आदिम जाति के लिये आरक्षित बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए।

श्री हीरजी भाई सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हुए आदिम जाति तथा दलित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये निरन्तर कार्य करते रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में

(श्री अध्यक्ष)

आप अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे। वर्ष 1960-61 में आप न्याय पंचायत डूंगरा के मंत्री रहे। इसके अलावा आप ग्राम पंचायत केसरवाड़ी के मंत्री, विपणन संस्थाएं, कुशलगढ़ के निदेशक, सहकारी समितियां, सज्जनगढ़ के मंत्री तथा मण्डल कांग्रेस समिति, सज्जनगढ़ और डूंगरा जिला बांसवाड़ा के प्रधान रहे।

अध्ययन के अलावा कबड्डी और वाली-बाल में आपकी रुचि रही।

पूर्व सांसद श्री हीरजी भाई का दिनांक 25 अप्रेल, 1995 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन रहकर दिवगत व्यक्तियों की आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सूचना

पूर्व सदस्य के निधन की सूचना में विलम्ब

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोगजी भाई के निधन पर शोकाभिव्यक्ति हुई और उनका निधन अगस्त में हुआ। 26 अक्टूबर से विधान सभा चालू हुई थी, हमने शोकाभि-व्यक्ति की थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि कम से कम जो संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और राज्य सभा सदस्य हैं, उनकी इस सचिवालय को, आपके सचिवालय को तुरन्त सूचना प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष : हां, कल ही आयी थी।

श्री विष्णु मोदी : भविष्य में इस तरह की व्यवस्था हो कि सूचना तुरन्त मिले।

श्री अध्यक्ष : निर्देश जारी कर देंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिलाधीश को समय पर सूचना देनी चाहिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शम्भूरामजी पटेल, 1967 से 72 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे। मैंने पहले भी सचिवालय को 2 बार कह दिया कि उनकी श्रद्धांजलि के लिये यहां सूची में आना चाहिये। इन्होंने कहा कि कलेक्टर से सूचना नहीं आयी। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। शम्भूरामजी पटेल के निधन को एक वर्ष से भी अधिक समय हो गया और यहां पर आज तक उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह खेद का विषय है कि जिलाधीश महोदय इसकी सूचना समय पर नहीं देते।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) यह बड़े खेद का विषय है।

(श्री हरिसिंह)

(व्यवधान) इसमें लेकूना रह गया है। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैं आज ही निर्देश जारी कर देता हूं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड में लाकर आज ही निर्देश सरकार को दीजिये। (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आज ही निर्देश जारी करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : आप इसमें निर्देश सरकार को (व्यवधान) ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं। (व्यवधान) ऐसे निर्देश भी हो जाएं और अधिकारी ..

श्री अध्यक्ष : आज ही निर्देश जारी करें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप इसको सरकार का.... (व्यवधान) सरकार को यहां चेयर से इस बात के निर्देश देने चाहिये कि इस मामले में .. (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी सदन में उठ चुका है, पहले भी आपकी तरफ से व्यवस्था दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार की लापरवाही निरन्तर देखी जा रही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से फिर एक बार सारे कलेक्टर्स को सूचित किया जाएगा कि इसमें वे किसी तरह की देरी न करें और तुरन्त सूचना दें। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कलेक्टर ने समय पर सूचना नहीं भेजी इसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : पहले यह व्यवस्था सदन से एक बार हो चुकी है उसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही की गयी है। (व्यवधान) ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : समय पर सूचना नहीं देते, इसके बारे में माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ...

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उप मुख्य मंत्री महोदय, पहले भी यह बात सदन में आ चुकी है। व्यवस्था दी जा चुकी है, सरकार की तरफ से आश्वासन आ चुका है लेकिन निरन्तर इस प्रकार की कार्यवाही में व्यवधान होता रहा है, गलती होती रही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सरकार के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्षजी, इस बात के ऊपर एक साल में दुबारा यह मामला उठा है। (व्यवधान) खेद प्रकट करना तो दूर उसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है।

श्री हरजीराम बुरडक : उस कलेक्टर के खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे तो.... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह : और इसलिये उस पर्टीकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अगेंस्ट में कार्यवाही होनी चाहिये जहां के लिये माननीय परसादीलालजी ने.... (व्यवधान) दिया है।

श्रीमती बीना काक : सरकार को खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आज बहुत बिजनस लेना है। आज ही मैं अपनी तरफ से भी.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, संसार में जो आया है... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : मात्र कलेक्टर्स को निर्देश देना उचित नहीं होगा.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : एक कलेक्टर की रिपोर्ट के ऊपर सरकार को खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री जगदीप धनखड़ : खेद प्रकट कर देंगे, कोई कार्यवाही नहीं होगी, इसका क्या अर्थ है ? (व्यवधान) दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए (व्यवधान) और लापरवाही करने वाले....

श्री हरजीराम बुरडक : निर्देश दिये हुए हैं उनकी पालना नहीं कर रहे हैं, उनके लिये आप.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे निर्देश पहले दिये जा चुके हैं। पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है उसके बावजूद लापरवाही हुई है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सरकार खेद प्रकट करे। (व्यवधान) और आप मुस्करा रहे हैं, उप मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कोई इश्यू नहीं है।

श्री शीशराम ओला : भाभड़ा जी, सुनिये एक मिनट पहले आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपकी भावनाएं ... (व्यवधान) मैं भी मानता हूं इस बात को।

श्रीमती बीना काक : इश्यू नहीं है ? कम से कम आप सम्मान करें और आप हंस रहे हैं बैठे हुए। (व्यवधान) ... मखौल की बात थोड़े है यह।

श्री लक्ष्मण सिंह : उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं यह कोई इश्यू नहीं है। (व्यवधान) मतलब जो लिस्ट ऑफ बिजनस में आए वही इश्यू होता है ? बाकी कोई इश्यू नहीं होता ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुनेंगे या नहीं ? (व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मण सिंह : मतलब जो लिस्ट ऑफ बिजनस आये वही इश्यू होता है बाकी कोई इश्यू नहीं होता।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मसला इसलिये है (व्यवधान) निर्देशों के बावजूदआप....

श्री लक्ष्मण सिंह : नियमों का कलेक्टर पालन नहीं करता है और आप कहते हैं कि इश्यू नहीं है। कितनी गैर जिम्मेदारी से आप लोग ये बात करते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : वांछित कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आज हाउस एडजोर्न हो जाएगा और फिर तीन-चार महीने बाद अपन मिलेंगे (व्यवधान)....

श्रीमती बीना काक : यह सूचना आप अभी मंगवाइये। किस बात की हंसी आ रही है आपको ?

श्री जगदीप धनखड़ : एक न एक दिन सभी को ऊपर जाना है।

श्रीमती बीना काक : आप सीरियसली लिया करें किसी बात को।

श्री जगदीप धनखड़ : आप इस प्रकार के सुझाव व्यक्त नहीं कर पाये ! (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मुख्य सचेतक होते हुए... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : शम्भूजी पटेल इस सदन के माननीय सदस्य थे और साल भर से अधिक समय उनको इस संसार से विदा हुए हो गया। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि आज ही, अभी कलेक्टर से इसकी सूचना मंगवायी जाए और सदन स्थगित हो उसके पूर्व शम्भूजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले। सरकार इस बात पर अफसोस व्यक्त करे कि सरकार की गलती हुई, जो जिम्मेदार है वहां पर, पैराफरनेलिया मामला नहीं है। यह अधिक आक्रोश में कहने का मौका नहीं है, फिर भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है, नायक ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम अभी सूचना मंगवा लेंगे और जिला कलेक्टर्स ने इसमें कोताही की है, उनका सबका जवाब-तलब करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : दौसा जिले के कलेक्टर के विरुद्ध परसादीलालजी मीणा ने बताया, वह तो एक एग्जाम्पल है। आप क्यों नहीं यहां पर कमिट करते हैं कि इसमें जांच करके उनके अगेंस्ट में कार्यवाही होगी ? .. (व्यवधान) ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जवाब-तलब कर रहे हैं। इसमें दोषी .. (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह : आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं ? आप स्पेसिफिक क्यों नहीं मानते हो ? अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण बिन्दु है कि हम प्रश्नकाल के बाद शोकाभिव्यक्ति लेते हैं और शोकाभिव्यक्ति के बिन्दु पर माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि यह कोई इश्यू नहीं है। जहां तक स्पेसिफिक पाइन्ट आउट.... (व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें दो-राय नहीं हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि कमी रही है दौसा के कलेक्टर के द्वारा ? तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्रीमती बीना काक : अगर कोई गलती है तो उसको एग्री कर लेने में क्या दिक्कत है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : हर बात पर आक्रोश करके बोलने का अभ्यास है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अब देखिये मेरे बोलने के ऊपर तो आप कमेंट्स कीजिये मत कि....

श्री हरिशंकर भामड़ा : विवाद का विषय नहीं है। कलेक्टर्स ने भूल की है तो उनका जवाब-तलब करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं आक्रोश से बोलता हूं या प्रेम से बोलता हूं, आप तो अपनी राय दीजिये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपने जिन पटेल साहब की सूचना दी है, वह अभी मंगवा लेंगे और इसलिये यह कोई विवाद का विषय नहीं है। आप जो कह रहे हैं, उससे हम सहमत हैं। कलेक्टर्स जो इस तरह की गलती करते हैं उनका जवाब-तलब करेंगे और यदि एक्शन लेना जरूरी हुआ तो एक्शन भी लेंगे। (व्यवधान) अब आप चाहते क्या हो ?

श्री लक्ष्मण सिंह : पहले ऐसा क्यों नहीं बोला आपने ?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : दौसा कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उप मुख्य मंत्री महोदय, इतना तो करना चाहिये कि पिछली बार माननीय सदस्य ने सदन में बताया था कि उनका स्वर्गवास हो गया। ऊपर तो अपन सबको जाना है और एक माननीय सदस्य का स्वर्गवास होने के बाद पहली बार जब सदन एकत्रित होता है, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देने की अपनी प्रक्रिया है। अब इस नियम से जिला कलेक्टर्स को बार बार निर्देशित करें कि ये सूचनाएं राज्य सरकार के पास तुरन्त आनी चाहिये। सब जगह यह प्रश्न उठाया गया है। माननीय सदस्यों को स्वाभाविक रूप से दुःख होना इसमें है कि इस प्रकार की सूचना को विलम्बित करना बहुत बड़ा गलत कार्य है। मैं समझता हूं कि आपने आश्वासन दे ही दिया है कि आज ही उनकी सूचना मंगवा कर सदन को स्थगित होने से पहले हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर्स ने जो कोताही की है, उसके ऊपर राज्य सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करे। मैं समझता हूं कि यह सब माननीय सदस्यों की राय है।

श्रीमती बीना काक : मंत्री जैसा जवाब दिया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माणों की एक प्रकार से बाढ़ आने तथा इसमें जन–प्रतिनिधियों का संरक्षण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप और जोर से बोलेंगे तो और कुछ भी सुनाई नहीं देगा।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्षजी, आपका काम है हाउस को कण्ट्रोल में लेना।

श्री अध्यक्ष : आपका काम है चुप रहना। समय–समय पर बार-बार आपको खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं है और ज्यादा मार्गदर्शन करने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिये। अनधिकृत चेष्टा है आपकी। विराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में....

श्री विष्णु मोदी : आप उधर तो चुप करवाइये कि उधर बात नहीं करें। सुनाई तो देता नहीं।

श्री अध्यक्ष : मेरे को तो लगता है कि सबको सुनाई दे रहा है, पर आप क्यों बोल रहे हैं बीच में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप आसन को निर्देश देने वाले कौन होते हैं ? कौन होते हैं आप आसन को निर्देश देने वाले ?

श्री अध्यक्ष : अब बहुत नोंक–झोंक हो गयी। बन्द करें अब इसको।

(1) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माणों की एक प्रकार से बाढ़ आने तथा इसमें जन–प्रतिनिधियों का संरक्षण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(2) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर शहर में एक पूर्व प्रधान द्वारा आतंक फैलाये जाने के कारण वहां व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि पूर्व में निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी :—

1. श्री रामनारायण मीणा व 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति की घोषणा

(श्री अध्यक्ष)

नहीं कर अव्यावहारिक एवं असमान चुंगी दरें लागू करने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

2. श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली शहर में 01 अगस्त, 1995 को प्रातः दो जुड़वां बहनों की रहस्यमय हत्या की गुत्थी नहीं सुलझने से व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

3. श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के पोलोटेक्निक महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों एवं तदर्थ प्रवक्ताओं को अन्य राज्यों के समकक्ष वेतनमान नहीं मिलने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(3) सर्वश्री राजेन्द्र पारीक एवं परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजधानी जयपुर के पांच बत्ती चौराहे पर करोड़ों रुपये की मन्दिर की जमीन को हड़पने की कथित साजिश के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर वे दिनांक 02 नवम्बर, 1995 को बोल चुके हैं। यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

(4) मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि सर्वश्री रामनारायण मीणा एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 01 नवम्बर, 1995 को निम्न विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था :—

बूंदी जिले के लघु सीमान्त कृषकों के हितार्थ निर्मित किये जाने वाले विषधारी बांध के निर्माण में बरती जा रही शिथिलता के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में सूचित किया है कि डूब में आने वाली वन विभाग की भूमि सम्बन्धी फोरेस्ट क्लीयरेंस तथा लाभ लागत अनुपात मापदण्डों के अनुरूप होने एवं वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर योजना के निर्माण की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। उत्तर समाधानकारक है।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से घाटोल विधान सभा क्षेत्र में खमेरा से माही डेम वाया भूगड़ा रोड की स्थिति अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य के डाक्टरों एवं कम्पाउण्डरों

96

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा अस्पताल में मरीजों को न देखकर घर में मरीजों को देखने से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पटवारी के रिक्त नौ सौ पदों पर नियुक्ति हेतु ली गयी परीक्षा की हिन्दी विषय की उत्तर-पुस्तिकाएं गैर हिन्दी परीक्षकों द्वारा जंचवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्याधर नगर के सैक्टर–4 में जयपुर विकास प्राधिकरण की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरालाल बामनवास, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना नैनवां, जिला बूंदी में दर्ज प्रकरण 47/92 की तफ्तीश पूर्ण की जाकर मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की पेयजल योजनाएं एक वर्ष से लम्बित पड़ी होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसों के बहुत पुरानी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र में रोडवेज बसों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं लम्बित हैं। ये सब पढ़ी हुई मानी जाकर राज्य सरकार को भिजवायी जाकर सीधे ही माननीय सदस्यों को उत्तर भिजवाने के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं:—

श्री भीमसेन चौधरी, श्री हरिसिंह, श्री राधेश्याम, श्री विष्णु मोदी, श्री शिवकिशोर सनाढ्य, *** श्री रतनलाल ताम्बी, श्री रामनारायण मीणा, श्री जगदीप धनखड़, श्री राजेन्द्र गहलोत, श्री रामगोपाल बैरवा, श्री रेवतीप्रसाद कोली, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री चुन्नीलाल धाकड़, श्री नाथूराम अहारी, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री राकेश मेघवाल, श्री गोपीराम चौधरी, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री रामनारायण चौधरी, श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री अमराराम चौधरी, एवं श्री मोतीलाल।

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य की विशेष उल्लेख की सूचना अग्राह्य की गयी।

(श्री ग्रध्यक्ष)

यदि ग्राप अनुमति दें तो इन सबको पढ़ी हुई मान लें। वैसे तो सबके उत्तर ग्रा जाएंगे।

(स्वीकृत)

सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

ग्राज 20-22 स्लिप ग्रा गयी हैं जीरो ग्रावर की। यदि हमने चालू किया तो मैं समझता हूं कि यह ... (व्यवधान) ...

श्रीमती तारा भण्डारी : ग्रध्यक्ष महोदय, जीरो ग्रावर.... (व्यवधान)....

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : ग्रध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले में बिजली की समस्या को लेकर प्रस्ताव था उसका आपने कोई नोटिस ही नहीं लिया। क्या कार्यवाही हुई? ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने ग्रापकी सेवा में पेश किया था एडजोर्नमेंट मोशन नियम 50 में झुन्झुनूं जिले की बिजली की समस्या के बारे में। हमारे बिजली की गम्भीर समस्या है।

श्री ग्रध्यक्ष : एक सैकण्ड ग्राप विराजें तो। ग्रभी बात कर लेंगे अपन। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रापके व्यवस्था में ही नहीं है ... (व्यवधान)....

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के टाडा प्रकरण के बारे में ग्रापने कोई ध्यान नहीं दिया, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।.... (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक–एक मिनट ही दिया जाए पर बहुत महत्वपूर्ण मामला है बोलने की परमिशन दी जाए।

श्री किशनगोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, मसूदा विधान सभा की पंचायत समिति जवाइयां में.... (व्यवधान).... एक ग्रवैध बूचड़खाना शुरू हुग्रा है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज जैसा ग्रभी कहा था, सब लोगों को जाना है और ला एण्ड आर्डर का है, चार तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ग्रध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सरकार के फर्जी कार्य का मामला है इस पर तो बोलने का समय देना ही होगा ग्रापको। यह मैं सदन की मेज पर रख रही हूं।

श्री किशनगोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, मसूदा विधान सभा क्षेत्र की पचायत समिति जवाइयां में... (व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : और प्राइवेट मैम्बर बिल हैं, यदि....

श्री किशनगोपाल कोगटा : एक ग्रवैध बूचड़खाना शुरू हुग्रा है.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि सदन की मर्जी हो तो मै समझता हूं जो यह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव निपटाने के हैं, इनको तत्काल निपटा कर ला एण्ड आर्डर पर चर्चा शुरू हो। (व्यवधान) ..

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह यहां जिला प्रमुख के कार्यकारी अधिकारी ने जो फर्जी कार्य किये उसका मामला है। ... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बिल पास करवाने के बाद ला एण्ड आर्डर पर चर्चा शुरू हो जिससे माननीय सदस्य जा सकें। .. (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, यह यहां के सरकारी अधिकारी जिस तरह फर्जी कार्य कर रहे हैं उसका मामला है।.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आज सदन का आखरी दिन है। 60 बैठकों की बजाय यह 32वीं बैठक है और जीरो आवर बना ही इसलिये है कि जो और बहुत अर्जेंट समस्याएं हैं, जो राजस्थान के विभिन्न कोनों की हैं उनका यहां जिक्र किया जा सके, सरकार का उस पर ध्यान आकर्षित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार का इस विधान सभा के अन्दर, विधान सभा के नियमों के अन्दर विश्वास न था न है। और आज जो कुछ परम्पराएं पड़ी हुई हैं उनको भी खतम करना चाहते हैं।.... (व्यवधान) ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह स्पेशल मेन्शन का न तो प्रक्रियाओं में कहीं कोई स्थान है और जहां तक स्पेशल मेन्शन का सवाल है....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय चाहिये।.... (व्यवधान)... आपने कहा था, स्वीकृति प्रदान करें एक-एक मिनट की।.... (व्यवधान) ..

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं, 295 में अपनी सूचनाएं देते हैं, काफी सूचनाएं एकत्रित करके देते हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का ट्रैंड बना लिया है कि उनको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वे स्पेशल मेन्शन यहां पर दे देते हैं।.. (व्यवधान) ...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमें स्थगन प्रस्ताव की भी कोई परमिशन इस पूरे सदन में नहीं दी है ... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही तत्काल सरकार को ध्यान में लाया जाना आवश्यक है, कोई तूफान आ गया, कोई (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।..... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : लोक सभा के अन्दर, राज्य सभा के अन्दर, विभिन्न विधान सभाओं के अन्दर ... (व्यवधान)....

श्री अमराराम (धोद) : इनको क्या कह रहे हो पहले उधर सुन लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, अब आप जैसी व्यवस्था करें।.... (व्यवधान) ...

श्रीमती तारा भण्डारी : कौन मेहनत करके नहीं आते, सब मेहनत करके आते हैं। यह क्या बात हुई। सभी मेहनत करके आते हैं और मेहनत करके बोलते हैं।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री अरूण सिंहजी।.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप किस तरह मेहनत करती हैं, मुझे पता है। विधान सभा तक में तो आती नहीं हैं और मेहनत करती हैं।... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। श्री अरूण सिंहजी। आप एक मिनट में अपनी बात कहें।... (व्यवधान)... आप विराजें। अब ज्यादा समय जाया नहीं करें नहीं तो मैं बीच में ही बन्द कर देता हूं यह।

श्री अरूण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं जन स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाढ़ के कारण नगरपालिका के चुनाव भरतपुर जिले में स्थगित हो गये। आप शीघ्र ही चुनाव की घोषणा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : ठीक बात है, बढ़िया है।

श्री, कौन है यह ? एक तो आप नाम पूरा नहीं लिखते हैं। ऐसे समझ रहे हैं मकौड़े जैसे अक्षर लिखने से कि हम समझ ही जाएंगे। श्री उगमराज जी मेहता।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : हां, आ जाएगा वह अभी। आपका बाद में है।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर के आस-पास ग्रामीण औद्योगिक रूपांतरण, 1992 के नवम्बर, 1994 के संशोधन द्वारा औद्योगिक रूपांतरण का कार्य एकदम रुक गया। कारण यह हुआ है कि इस समय जो नगरीय सीमा है, नगरपरिषद की सीमा दो किलोमीटर रखी गयी थी उसके बाद तीन किलोमीटर रखी गयी। माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय जब अजमेर प्रवास में पधारे थे तो उन्होंने यह फर्माया था कि दो किलोमीटर के बाद में इस प्रकार से उद्योग लगाने की छूट है। उसके पहले ही एस. डी. एम. ने कम से कम 1992 से लगाकर 1994 के 10 नवम्बर तक 38 उद्योगों की भूमि का वहां रूपांतरण कर दिया। इस समय 38 में से 36 अण्डर कंस्ट्रक्शन और 22 उद्योग अण्डर प्रोडक्शन हैं। आपसे निवेदन है कि राजस्व मंत्रीजी, उद्योग मंत्रीजी और स्वायत्त शासन मंत्रीजी तीनों मिलकर इस समस्या का हल तुरन्त निकालें ताकि ब्यावर में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ गांव में मोदी इंस्टीट्यूट के नाम पर एक संस्था खुली। लोगों की यह भावना रही कि यह संस्था एक सेवाभावी संस्था का

[redacted]

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कार्य करेगी और शिक्षा का इससे विकास होगा। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से उस इंस्टीट्यूट के मालिकों ने इस संस्था का एक तरह से कमर्शियलाइजेशन किया है....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ? आप कहना क्या चाह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संस्था के लिये राजस्व मंत्री द्वारा काश्तकारों की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि गरीब काश्तकार उस जमीन से अपनी दो वक्त की रोटी पैदा करता है, उस कामर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिये यदि वहां के ...

(12.45)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गरीबों की काश्त की भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी तो वह गरीब दो जून की रोटी कहां से खाएगा ? मेरा आसन के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि कृपया इस तरह की कार्यवाही को तुरन्त रोकें। गरीब किसान केवल उसी जमीन पर आधारित रह कर अपनी दो जून की रोटी पैदा करता है। सैंकड़ों किसान इस तरह के हैं जिनके पास उस जमीन के अलावा कोई आमदनी का जरिया नहीं है। यदि राज्य सरकार द्वारा उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया तो जो वह किसान वहां अपनी काश्त की जमीन पर बैठा हुआ है, सड़कों पर आ जाएगा और उसके खाने-पीने योग्य कोई साधन नहीं रह जाएगा। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो पूर्ण रूप से कामर्शियल हैं, यदि उनको जमीन की व्यवस्था करनी है तो अन्यत्र जाकर करें। उन गरीब काश्तकारों की जमीन को वे अधिग्रहित करने के लिये पूरी तरह से तत्पर हैं, उसको तत्काल रोका जाए। प्राइवेट संस्थाओं को इस तरह का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। इसलिए मेरा आसन से यह निवेदन है कि राजस्व मंत्रीजी को आप निर्देश दें कि काश्तकार की जमीन को अधिग्रहित करने की जो कार्यवाही की गयी है उसको तुरन्त ड्राप करें। एक नहीं सैंकड़ों काश्तकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, स्लिप वाला बुलवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी।.... (व्यवधान) ...

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने स्लिप दी हैं उनको बुलाया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्लिप वाला है न मामला ?

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बारेठ एक जाति है। इस जाति का नाम आज की तारीख में किसी भी वर्ग में नहीं है जबकि ...

श्री उपाध्यक्ष : चुंगी समाप्ति का मामला है।

श्री रामनारायण मीणा : अच्छा, उस र बोलूं क्या ? (व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप मीणा : शून्य काल की पर्चियां चल रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय ?.... (व्यवधान) ... शून्य काल की पर्चियां चल रही हैं, अध्यक्षजी ने कह दिया इस बात के लिये । अभी शून्य काल ही समाप्त नहीं हुआ । शून्य काल की पर्चियां चल रही हैं आपने बीच में ही यह दूसरा विषय ले लिया ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : हमारी पर्चियां हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले उन पर बुलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी, बोलिये ।

श्री रामनारायण मीणा : चुंगी पर ? उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ग्रावर में भी मेरी स्लिप है । किस पर बोलूं मैं ?

श्री उपाध्यक्ष : चुंगी समाप्ति का ग्रापका मामला है ।

श्री रामनारायण मीणा : जीरो ग्रावर में, उपाध्यक्ष महोदय ।

राजस्थान में बारेठ जाति एक ऐसी जाति रह गयी है जो सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़ी, सबसे ज्यादा अशिक्षित...

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइण्ट ऑफ आर्डर ।

श्री रामनारायण मीणा : ग्रौर जो आज भी ढोल बजा कर ग्रपनी जीविका यापन करती हैं ।.... (व्यवधान) . वह सारी जाति के बारे में है । उनको पिछड़े वर्ग में नहीं लिया गया, उस जाति को पिछड़े वर्ग में लिया जाए ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह क्या व्यवस्था है ?.... (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था है ?

श्री रामनारायण मीणा : क्योंकि यह जाति आज की तारीख में भी गूजरों के बारेठ, मीणों के बारेठ, राजपूतों के बारेठ, इस तरह से यह जाति है यह ढोलियों में नहीं ग्राती है, ढोली दूसरी तरह की श्रेणी में ग्राते हैं । चूंकि बारेठ जाति का सर्टि-फिकेट .. (व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलिये ।

श्री रामनारायण मीणा : तो उनका लिया जाए ।

अच्छा, स्थगन पढ़ रहा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान....

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये इतनी पर्चियां हैं ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : हां, उन्होंने कहा था एक-एक मिनट बोलेंगे ।....

(श्रीमती इंदिरा मायाराम)

(व्यवधान)..... अध्यक्षजी आश्वासन देकर गये हैं, आप बदल नहीं सकते ।

श्री विष्णु मोदी : आज सदन का आखरी दिन है । .. (व्यवधान)....

श्रीमती इंदिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी आश्वासन दे गये हैं ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन का आखरी दिन है और अभी माननीय अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है और एक नाम पुकार कर जीरो आवर शुरू हो गया । आप पहले उसको लें ।.. (व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । श्री रामनारायणजी ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : अध्यक्षजी व्यवस्था देकर गये हैं एक-एक मिनट बोलने की, उपाध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)..... व्यवस्था हो चुकी है । अध्यक्ष महोदय ने एक–एक मिनट बोलने की परमिशन दी है ।

श्री विष्णु मोदी : एक–एक मिनट का समय मिलेगा, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है । (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : एक–एक मिनट बोलने की व्यवस्था देकर गये हैं अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान) वे बोलकर गये हैं कि सबकी एक–एक मिनट बोलने की पर्ची है, सबको बोलने दीजिये । . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने एक मिनट का समय हर एक को देने का निर्णय किया है । ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझसे कहकर गये हैं स्थगन प्रस्तावों पर आप बुलाइये । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो आप ही व्यवस्था दे दीजिये । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : एक–एक मिनट बुलाया जाए ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : आपके कान में क्या कहा, हमें नहीं मालूम । अभी सबके सामने कहा है । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति दी जाए । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांति रखें ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो आप ही व्यवस्था दे दीजिए ।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय को बुलवाइये । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप पहले स्थगन प्रस्ताव को ले रहे हैं तो मुझे इजाजत दी जाए । (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : उन्होंने जो यहां पर कहा है उसको मानना होगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सब खड़े होकर न बोलें। सारे माननीय सदस्य खड़े होकर बोलना चाहते हैं यह नियमों के विपरीत है। आप विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : पहले जो व्यवस्था दी है उसको आप मानें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी ने कहा था कि जीरो आवर की 20 पर्चियां हैं और उसके बाद में यह तय हुआ था कि एक-एक मिनट सबको बोलने दें। आज अन्तिम दिन है और जीरो आवर में दो आदमी बोल भी चुके हैं। आप एक-एक मिनट सबको दे दें ताकि वे अपनी बात कह सकें। जीरो आवर में नहीं बोलेंगे सदस्य तो फिर कब बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन से व्यवस्था मिली थी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, विधानसभा की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत चलती है।

श्री राधेश्याम : नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप अगर स्थगन प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं तो मैं नाम पुकार रहा हूं, कृपया आप बोलें। श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : यह व्यवस्था हुई है कि जो विशेष उल्लेख की बात है वह दो-दो मिनट बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी मीणा। श्री रामनारायणजी, आप बोलना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : हां।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं इस चुंगी के मामले की तरफ। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र 1993, पाइण्ट नम्बर 21, जिसमें यह लिखा गया था, माननीय नगरीय विकास मन्त्रीजी, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी, आप थोड़ा ध्यान देंगे, कि चुंगी से होने वाली आय की वैकल्पिक व्यवस्था कर चुंगी समाप्त कर दी जाएगी। यह आपने घोषणा पत्र दिया था और इसके नाम पर आपने वोट मांगे थे। 1990 में श्री मथुरादास माथुर कमेटी का गठन किया था और 1992 में उसकी रिपोर्ट आ गयी। उन्होंने कहा कि चुंगी समाप्त कर दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने स्पेशल सैक्रेटरी वित्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि चुंगी समाप्त की जाए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है यह तो बताओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो ग्रावर का क्या होगा ? जीरो ग्रावर का क्या हुआ ? (व्यवधान) नहीं, ग्राप नहीं ले सकते । जीरो आवर लेना पड़ेगा ग्रापको ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप विराजें । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं ग्रलग–अलग आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो ग्रावर लेना पड़ेगा ग्रापको । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको जीरो आवर लेना पड़ेगा । आप इस तरीके से व्यवस्था नहीं कर सकते । ग्रध्यक्ष महोदय यहां व्यवस्था देकर गये हैं, ग्राप उस व्यवस्था को बदल नहीं सकते । (व्यवधान) पहले जीरो ग्रावर लेना पड़ेगा । पहले जीरो ग्रावर चलेगा ।

श्री राधेश्याम : यह जीरो आवर है । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि ग्राप बाद में बोलेंगे । ग्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे व्यवस्था दी थी ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय ने कहा था एक-एक मिनट बुलवाएंगे । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें ग्रापको सहयोग देना होगा । हमने स्लिप दी है उस पर विचार करके फैसला करें और समय दें । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन नियमों का ग्राप उदाहरण दे रहे हैं उन नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन इस सरकार ग्रौर विधान सभा में हो रहा है । इन्हीं नियमों के अन्दर इस विधान सभा के तीन सत्र ग्रौर 60 बैठकें होंगी ...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह जीरो ग्रावर का समय ग्राप स्वयं ही समाप्त कर रहे हैं । जीरो ग्रावर का समय आप ले चुके । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : न तो 3 सत्र हुए, न इसकी 60 बैठकें हुई ग्रौर न यह विधान सभा नियमों से चलायी जाती है । ग्रौर ग्राप इन्हीं नियमों का उदाहरण देकर हम लोगों को बोलने से रोकना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नियम हाउस में बोलने के लिये होते हैं (व्यवधान) और उन नियमों का उदाहरण देते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । (व्यवधान) कृपया बैठें ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : (व्यवधान) बुलवाना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं । विराजिये ।

श्री विष्णु मोदी : (व्यवधान) न तो सरकार कुछ बोलती है न यहां से कोई व्यवस्था होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो ग्रावर चालू कीजियेगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जीरो ग्रावर चालू करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बैठें तो सही। ग्राप विराजें। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हाउस की 60 सिटिंग करवाइये फिर नियमों की बात करिये। नियमों में यह व्यवस्था है कि 60 सिटिंग एक कैलेण्डर वर्ष में होंगी। इस वर्ष में कितनी मीटिंग हुई हैं? आप नियमों की बात कर रहे हैं तो नियमों की पालना करिये ग्राप।

श्री जगदीप धनखड़ : ग्रान ए पाइण्ट ग्राफ आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : राजेन्द्र पारीक तो बोल चुके। ग्रापके पास पूरी सूचना नहीं है। सारी कार्यवाही को होच-पोच कर दिया। जो बोल गया उनको दुबारा बुला रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर का मेला दशहरा उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है ग्रौर इस दशहरे के मेले में हर वर्ष चाहे कार्पोरेशन के ऊपर प्रशासक नियुक्त हो ग्रौर चाहे इलैक्टेड बोर्ड हो, हमेशा वहां 10 या 12 रोज के सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रायोजित किये जाते हैं। कोटा कार्पोरेशन बोर्ड की बैठक हुई, उस बैठक में यह फैसला किया गया कि इस वर्ष जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हर दिन कलाकार बाहर से ग्राएगा, कलाकारों के नाम तय किये गये। कलाकारों के नामों में मैं तीन नाम गिनाना चाहता हूं—भजन संध्या के लिये श्रीमती ग्रनुराधा पोड़वाल, गजल संध्या के लिये पंकज उधास ग्रौर सिने गीत कलाकार सोनू निगम।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं ग्रौर कर क्या रहा हूं? कोई बैठा थोड़े ही हूं।

यह फैसला किया गया उस बोर्ड की मीटिंग में कि इन कलाकारों से निगम द्वारा सीधा ग्रनुबन्ध किया जाएगा। कोई भी बिचौलिया, कोई भी दलाल या किसी भी मार्फत इनसे एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा। यह फैसला महापौर महोदया ने ग्राबिट्रेरिली बदल दिया। ग्रौर बदल करके एक बिचौलिया ग्रा गया। जिसकी संस्था का नाम था जिद कम्युनिकेशन ग्रौर जिसके मालिक का नाम सुनील गौड़ था, एक ग्रार्डर शीट पर। यह ग्रार्डर शीट मौजूद है मेरे पास, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी देख लें जिसमें उन्होंने यह लिख दिया कि इसको तीन लाख रुपये का ड्राफ्ट दे दिया जाए ग्रौर इसके जरिये अनुबन्ध किया जाए। बोर्ड का फैसला है कि कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। इसको कह दिया गया, ग्रार्डर

(106)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

शीट पर नाम लिया गया। यह महापौर के सिगनेचर मौजूद हैं जिसमें लिख दिया गया कि 3 लाख रुपये का ड्राफ्ट जिंद कम्युनिकेशन के सुनील गौड़ को दे दिया जाए फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि न तो ड्राफ्ट दिया गया, न कुछ किया गया। नकद 3 लाख रुपये का ड्रा करके सीधे बम्बई को चले गये और कुल मिलाकर जो 14-15 लाख रुपये का कलाकारों को पेमेण्ट हुआ उसमें से साढ़े तीन लाख रुपये की ऊपर की रकम खा गये। आप कोटा पधारे तो भारतीय जनता पार्टी के जो 31-32-33 इलैक्टेड कारपोरेटर थे, उनमें से 17 या 18 आदमियों ने आपको लिखित में ज्ञापन जांच करवाने के लिये दिया। उसके बाद आज तक आपने और आपके विभाग ने उनके खिलाफ जांच चालू नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं? खुले में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षद, मेयर और उप मेयर सब गबन करते रहें? अलवर में जो कांग्रेस का इलैक्टेड मेयर था, उप मेयर था उसको आपने बर्खास्त कर दिया। अगर इस तरीके से स्वायत्त शासन संस्थानों को चलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप राजस्थान के साथ ही नहीं बल्कि एक छोटे से छोटे गरीब और जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं उन पर कुठाराघात कर रहे हो, उनके हकों को मार रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो व्यापारी चुंगी के रूप में नगर निगम में (व्यवधान) जाते हैं इनके गबन में बहुत बड़ा योगदान राजस्थान सरकार (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समय का ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : निक्का क्या है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बोलो, + + + बोलो। खड़े होकर बोलो। एक-एक बात का जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा जिले को बने हुए चार साल हो गये लेकिन चार साल के अन्दर अभी तक कोई उप जिले का गठन नहीं हुआ जिसके कारण अभी बाढ़ की दशा में और कोई अर्जेंसी के कारणों में किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक नियन्त्रण पूरे दौसा जिले पर नहीं होता है। बांदीकुई को उप खण्ड बनाये जाने के लिये दौसा के प्रथम कलेक्टर द्वारा भी अभिशंसा की गयी थी किन्तु 1-4-90 से लेकर आज तक दौसा जिले में कोई भी उप खण्ड का कार्यालय नहीं बनाया गया है। इसमें मेरा निवेदन यह है कि सबसे उपयुक्त स्थान बांदीकुई है जहां 18 उप जिला स्तर के कार्यालय हैं। डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन कोर्ट हैं, डीवाई. एस.

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पी. का आफिस है, एक्स. ईएन. आर. एस. ई. बी. और पांच विभागीय ए. ईएन. हैं। इसके अलावा ब्राडगेज से और हर तरह से सड़क से जुड़ा हुआ स्थान है।

(13.00)

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि सरकार को चाहिये कि दौसा जिला के अन्तर्गत जो पांच तहसीलें हैं उसमें प्रशासन की सुगमता को देखते हुए अविलम्ब रूप से बांदीकुई को उप खण्ड जिला घोषित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलालजी।

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने पर्ची ही नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान में प्रतिभूति घोटाला हुआ, उसमें कुछ करोड़ रुपये का मसला था। उसके अन्दर एक जाइन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी बनी, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट आयी। भारतीय जनता पार्टी जो लोक सभा के अन्दर अपोजीशन पार्टी है, उसने उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर और एक चीनी घोटाला हुआ उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर कई दिनों तक लोक सभा को नहीं चलने दिया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में सामुदायिक सद्‌भाव अपना अमिट निशान रखता है। लेकिन सबसे पहले....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट का समय है।

श्री विष्णु मोदी : मैं शुरू कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप लम्बी-चौड़ी भूमिका बना रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैं जल्दी कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप यह भी तो देखिये कि बात कितनी गम्भीर है।

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान के इतिहास में जयपुर शहर के अन्दर दंगे हुए। सरकार ने टिबरेवाल आयोग बिठाया। टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के वरिष्ठ लोग मेरे से मिले। मैं भी इस बात के इन्तजार में था कि टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट इस सदन में डिस्कस की जाएगी। आज तक भी वह रिपोर्ट नहीं दी गयी है, रिपोर्ट की कापी भी माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस टिबरेवाल आयोग ने भारत बन्द के दौरान . (व्यवधान)... एक्शन टेकन रिपोर्ट जो सरकार ने पेश की है, उसमें सिर्फ लीपापोती की है और यह कहा कि तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को इस सम्बन्ध में सूचित किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक मिनट बोलने की प्रक्रिया आपने प्रारम्भ की है, इसमें क्या इस तरह के गम्भीर प्रश्न पर इस तरह की चर्चा कर सकते हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियमों के अन्तर्गत बात कीजिये। मैं इस पर बहस के लिये तैयार हूं। राज्य सरकार इस बहस से भागना नहीं चाहती........ (व्यवधान)....

(108)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट नहीं दी गयी। सैंकड़ों लोगों की जानें गयी, सैंकड़ों-करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ .. .. (व्यवधान) उसके अन्दर यह कहा गया कि कलेक्टर को और एस. पी. को सूचित किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो अपने आपको संवेदनशील सरकार कहती है, इसको चाहिये कि इस एक्शन टेकन रिपोर्ट को (व्यवधान) ...

श्री कैलाश मेघवाल : यह कोई तात्कालिक विषय नहीं है और मैं एतराज करता हूं, इनको मना किया जाए। ये प्रक्रिया के अन्तर्गत आकर चर्चा करें। राज्य सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है .. (व्यवधान) ये जिस तरह से सदन में बोल रहे हैं ... (व्यवधान) ... यह बिलकुल असत्य कथन है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य को न तो जानकारी है और न इन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा है।.... (व्यवधान) आप इनको रोकिये। प्रक्रिया के अन्तर्गत आकर कहें। मैं चाहता हूं आप इनको रोकें।

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपोर्ट लाइब्रेरी के अन्दर रखी हुई है, एक बुलेटिन रखा हुआ है। कृपया आप इस पर ज्यादा चर्चा न करें।

श्री विष्णु मोदी : चर्चा करने की बात तो है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट नहीं दिलवायी गयी वह बात तो अलग है लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आयी है, सरकार ने उसके बाद टिबरेवाल आयोग को रिपोर्ट जो सदन में रखी है उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।.... (व्यवधान) ...

श्री कैलाश मेघवाल : नियमों में प्रक्रिया है। ये नियमों के जानकार होते हुए भी इस तरह से गलत तरीके से विषय उठा रहे हैं, इनको रोका जाए।

श्री विष्णु मोदी : जयपुर शहर के अन्दर दंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराये और सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट पर लीपापोती की है।..(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आसन पैरों पर है. कृपया विराजें।

श्री विष्णु मोदी : ... (व्यवधान).... चर्चा क्यों नहीं हो सकती ? ... (व्यवधान)..

श्रीमती कमला (बैराठ) : इसके अन्दर जो दोषी पाया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर चर्चा होनी चाहिये।... (व्यवधान) ...

श्री कैलाश मेघवाल : इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। यह इतना असत्य कथन कर सकती हैं, कमलाजी! .. (व्यवधान).... बैराठ से आने वाली विधायिका ने बिलकुल असत्य कथन किया। इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं हैं (व्यवधान).... हम चर्चा करने को तैयार हैं ... (interruptions)... You cannot take the Government unawares.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी, आप विराजें।

श्रीमती कमला : चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिये ? ... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : ये वरिष्ठ विधायिका होकर के इस तरह से असत्य कथन कर रही हैं .. (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : इनको एक गिलास पानी पिलाओ नहीं तो ये गर्म हो जाएंगे ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह बड़े आश्चर्य की बात है, चर्चा नहीं होनी चाहिये ? चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिये ? इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इतनी आपत्तिपूर्ण रिपोर्ट है ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

श्री कैलाश मेघवाल : इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है ।

श्रीमती कमला : आपको क्या मतलब है ? हमने आधी पढ़ी या नहीं पढ़ी । ... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : आप, उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहें कि ये प्रक्रिया के अन्तर्गत यहां पर लेकर आएं, राज्य सरकार इस पर चर्चा के लिये तैयार है । ... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : आप कराइये चर्चा, आप कराइये चर्चा । ... (व्यवधान) ...

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक रोज नियमों की बात करते हैं । आज सबसे ज्यादा मैं इन पर आरोप लगाता हूं, ये नियमों के अन्तर्गत लाएं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब गृह मन्त्रीजी इसको डिस्कस करने को तैयार हैं तो एक दिन का सेशन बढ़ा दीजिये और कल इसको डिस्कस करा लीजिये । जब आप इतना चैलेन्ज देते हैं तो एक दिन बढ़ा दीजिये और कल इस पर डिस्कशन हो जाना चाहिये ।

श्रीमती कमला : आपको तो चर्चा के लिये मना ही नहीं करनी चाहिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चर्चा के लिये मना नहीं कर रहा । लेकिन इस तरीके से, अनियमित तरीके से यह सब्जेक्ट उठाया गया है उसका मुझे एतराज है........ (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्रीजी, विराजें आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप चर्चा से कन्नी काट रहे हैं । आपको मालूम है कि अगर इस पर चर्चा हो गयी तो सरकार नंगी हो जाएगी ... (व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में इतने कन्ट्राडिक्शंस भरे हुए हैं कि एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : धारीवालजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आसन का निवेदन सुनिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान सरकार की पुलिस भाग जाए तो फिर बचेगा क्या ? ....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : टी. वी. पर, समाचार-पत्रों में यह आया है कि प्रशासन पूरी तौर से इसके लिये जिम्मेदार है ....(व्यवधान)...

(110)

श्री कैलाश मेघवाल : विधान सभा में इनकी बात को तो सीरियसली लिया ही नहीं जाना चाहिये ।

श्रीमती कमला : माननीय गृह मंत्रीजी, समाचार पत्रों में, टी. वी. पर आपकी सरकार के ऊपर खुले आम उस रिपोर्ट के अन्दर दोषारोपण किया गया है ।...... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें....... (व्यवधान) ..

एक माननीय सदस्य : गृह मन्त्रीजी, इस पद पर रह ही नहीं सकते ।

श्री परसादीलाल मीणा : गृह मन्त्रीजी को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर रिपोर्ट पर चर्चा हो गयी तो ।

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलाल जी, आप विराजिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : ये अपना जोश दिखा रहे हैं हमको । ... (व्यवधान). . सरकार ने दंगे करवाये हैं यह बात साबित हुई है । ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : परसादीलाल जी, आप विराजें ।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन पटल पर रखी गयी रिपोर्ट पर विधिवत चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन के पटल पर रिपोर्ट ले-डाउन होती है, उसको सदन में डिस्कस करने के लिये नियम और प्रक्रिया बनी हुई है । कांग्रेस के माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत आसन को लिखकर दें. उस पर आसन की अनुमति प्राप्त करें और उस रिपोर्ट पर अपन डिस्कस करें ।

एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा । माननीय मोदीजी ने कहा कि माननीय सदस्यों को यह रिपोर्ट वितरित नहीं की गयी है । इस सदन में तीन बार माननीय अध्यक्षों द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि जो इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी और अवलोकनार्थ उनको विधान सभा के पुस्तकालय में रख दिया जाएगा । माननीय सदस्य वहां से उसको ले सकते हैं, इश्यू करा सकते हैं । सभी दो सौ माननीय सदस्यों को इस प्रकार की रिपोर्ट वितरित नहीं करायी जा सकती । यह अध्यक्षीय आसन की यहां पर व्यवस्था हो चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है कि इस मामले में कोई एक माननीय सदस्य खड़े होकर आरोप लगाकर चले जाएं । उचित होगा कि इस सम्बन्ध में जो सदन में कहा गया है उसको एक्सपंज किया जाए और अगर व्यवस्था करनी हो तो आप समय तय कर दें और इस रिपोर्ट पर डिस्कशन हो जाए । धन्यवाद ।

श्री विष्णु मोदी : एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में मैंने यह कहा है । मैंने नोटिस भी दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सचिवालय में नोटिस भी दिया है कि इस पर चर्चा करायी जाए । ... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई एक माननीय सदस्य यहां पर इस प्रकार का आरोप लगाकर चले जाएं। वे स्वयं आरोपों से ग्रसित हैं, ये खुद + + + हैं। ऐसे + + + लोग इस प्रकार के आरोप लगाकर चले जाएं, कोई नोटिस नहीं दें .... (व्यवधान) ... मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे सदस्यों को आप नोटिस दें जो इस सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह इजाजत नहीं दी जा सकती। इस सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह इजाजत नहीं दी जा सकती इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे सदस्यों को जो बिना नोटिस दिये बोल रहे हैं उनको प्रताड़ित करें। ... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही से निकाला जाए ....(व्यवधान).... सरकार की साजिश है ....(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसको कन्कलूड करना चाहता हूं। मैं नहीं उठा रहा हूं, घनश्यामजी तिवाड़ी ने उठाया है।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर पर पाइन्ट आफ आर्डर ? .... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : तिवाड़ी जी ने जो बात कही है वह अर्द्ध सत्य है। यहां पर हाउस की टेबल पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहीं आवश्यक नहीं है कि उस रिपोर्ट पर लिखित के अन्दर देने पर ही चर्चा होगी। कई निगमों की रिपोर्ट यहां पर सरकार को प्रस्तुत करनी पड़ती हैं और यह अध्यक्ष महोदय और सरकार अपने आपस में तय करते हैं कि किस रिपोर्ट की किस सीक्वेंस के अन्दर और कब चर्चा होगी। अब टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण बिन्दू है, महत्वपूर्ण विषय है। इसको यहां राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं तोलना चाहिये। सरकार को इसके अन्दर कहीं पर डिस्कशन करने में पीछे नहीं हटना चाहिये इतने महत्वपूर्ण बिन्दु को जो राजस्थान प्रदेश के लॉ एण्ड आर्डर से सम्बन्धित है। ....(व्यवधान) हिन्दू और मुसलमानों के सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों से सम्बन्धित बात का सवाल है। इसके लिये सरकार एक दिन के लिये, मण्डे को समय बढ़ाती है, कल बैठ जाइये, हम कल बैठने को तैयार हैं। ये चाहेंगे तो हम सोमवार को बैठने को तैयार हैं। लेकिन इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखें, इस पर चर्चा की जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार तैयार है। नियमों के अन्तर्गत आ जाइये।

श्री राधेश्याम : मेरी एक प्रार्थना है कि जो चीज हिन्दुस्तान के टी. वी. पर आ चुकी है ....(व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : नियमों के अन्तर्गत आ जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नियम यह सदन ही बताता है और नियमों में अमेण्डमेंट भी यह सदन ही करता है। सदन यह

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

112

(श्री खेतसिंह राठौड़)

चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है ? जब आप स्वयं तैयार हैं, तो एक दिन का और समय बढ़ा दीजिये और कल कर लीजिये। इसमें क्या दिक्कत है ? इसमें क्या ऐसी बात है ? ..(व्यवधान) बेरी आयोग की रिपोर्ट आपके सामने थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला लीजिये और उसमें तय कर लीजिये, नियमों की जो प्रक्रिया है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान).. आपकी मंशा ही नहीं है। आप सिर्फ नियमों का सहारा लेना चाहते हैं। सरकार (व्यवधान) ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय भैरोंसिंहजी, ... (व्यवधान).... जयपुर में दंगे हुए थे, बेरी आयोग की रिपोर्ट रखी गई थी, इसी प्रकार से यह भी आए। ....(व्यवधान) 15 मिनट के लिये आप सदन से बाहर बैठ कर बिजनस एडवाइजरी की मीटिंग बुला लीजिये और कल का समय बढ़ा दीजिये, कल डिस्कस कर लीजिये। ....(व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : रिपोर्ट को नहीं पढ़ने दिया।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह टिबरेवाल कमीशन की रिपोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण है ... (व्यवधान).... उस पर तुरन्त चर्चा की आवश्यकता इसलिये है कि सदन में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् माननीय न्यायाधीश ने एक बयान दिया, इसमें कहा कि प्रशासन यदि जागरूक होता, उचित समय पर उचित कदम उठाता तो शायद ऐसा नहीं होता। ....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : I object. ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, + + + ने मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो दंगे कराये....... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्यगण। राधेश्यामजी, बैठिये आप एक मिनट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जीरो आवर है। इस जीरो आवर के अन्दर माननीय धनश्यामजी ने जो पाइण्ट आफ आर्डर उठाया है, इस प्रकार की कोई परम्पराएं नहीं हैं। उनके पाइन्ट आफ आर्डर को तो मैं निरस्त करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट का आपने यहां जिक्र किया वह लाइब्रेरी में रखी है। रिपोर्ट के बारे में कोई डिस्कशन करना हो तो माननीय सदस्यों को नियमों में मोशन देना चाहिये और उसके बाद ही उस पर डिस्कशन हो सकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

से निवेदन करना चाहता हूं हाउस को चलने दें ....(व्यवधान) ...

श्री किशन गोपाल कोगटा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है (व्यवधान). माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उसके विपरीत बात कही है (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान).... जो टिप्पणी दी है ....(व्यवधान) ... इसमें फांसी दी जाए। न्यायालय की नीति है कि माननीय सदस्यों को फांसी की सजा दी जाए।

एक माननीय सदस्य : पूरे राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगे ... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आये माननीय सदस्य ने जो टिप्पणी दी है, उसको पढ़ा है उसको एक्सपंज करना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें फांसी दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें चर्चा समाप्त। इस आयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया बैठिये।..... (व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज करवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल। (अनुपस्थित)। श्री रामस्वरूप मीणा।....... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर्स में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। कृपया विराजें। जीरो आवर्स में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कह सकते हैं कि जीरो आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है। स्वास्थ्य मन्त्रीजी और खाद्य मन्त्रीजी हाउस में विराजमान हैं। कल की बात है, जयपुर में एक खराब ब्रैड बेची गयी। जयपुर शहर में आनन्द ब्राण्ड की ब्रैड एकदम खराब, फफूंद लगी है, बदबू वाली बेची जा रही है। चार-पांच आदमी एक ही परिवार के उन्होंने बापू नगर, मंगल मार्ग स्थित व्यापारी से ब्रैड खरीदी। ब्रैड खराब होने के कारण ब्रैड वापस करके पैसे प्राप्त किये लेकिन जैसे ही कुछ आदमियों ने वह

(श्री रामस्वरूप)

ब्रैंड खायी तो वे बेहोश हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि श्री हीरा चन्दजी वैद के परिवार ने यह ब्रैंड खरीदी है, आप इस ब्राण्ड की जो ब्रैंड है उस पर पाबन्दी लगाएं। इस परिवार का जीवन खतरे में पड़ गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनाएं आये दिन होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से, आज सारे अखबारों में इस प्रकार की घटना आयी है इसलिये सदन के सामने यह ब्रैंड पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री रामस्वरूप : जो हालत है ब्रैंड की, आप देखिये, यह सड़ी हुई ब्रैंड बेची जा रही है जिससे सारा परिवार बीमार हो गया। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पूरी बात आ गयी।

श्री रामस्वरूप : सदन के सामने यह ब्रैंड रख रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अनुमति तो ले लो।

श्री रामस्वरूप : मैं आपकी अनुमति से रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे रहा।

श्री रामस्वरूप : मैं वापस ले जा रहा हूं..... (व्यवधान)..... मन्त्रीजी को दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आपका समय जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस तरह की ब्रैंड यदि है तो मैं पूरे प्रकरण की जांच करवाऊंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत राजस्थान उर्दू अकादमी का रजिस्ट्रेशन हुआ, गठन हुआ। इस बात के लिए मैं तत्कालीन मुख्य मन्त्री और वर्तमान मुख्य मन्त्री आदरणीय भैरोंसिहजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1979 में राजस्थान सरकार से इसको मान्यता प्राप्त करवायी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके कान्स्टीट्यूशन में साफ है कि इसके चेयरमैन की नियुक्ति के लिये हुकूमत के जरिये तीन साल के लिये किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर किया जाएगा जिसकी उर्दू जबान और अदब के लिये खिदमत, काबिले एहतराम और काबिले तारीफ होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1995 में वर्तमान सरकार ने किसी व्यक्ति को इसका चेयरमैन नियुक्त किया। मेरी आपत्ति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि खुले आम उल्लंघन किया है उस कानून का कि जिस आदमी को उर्दू लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती उसको राजस्थान उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाया। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। दूसरी बात

(श्री जुबेर खान)

इसमें साफ लिखी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जनरल कौंसिल जिसका गठन प्रभारी मन्त्री माननीय गुलाब चन्द कटारिया साहब द्वारा किया गया है, 15 दिन के अन्दर उसकी मीटिंग बुलाकर वाइस चेयरमैन, ट्रेजरार ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में कविता पढ़ी इसलिये विरोध कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है। माननीय कटारिया साहब ने जनरल कौंसिल का गठन किया। 15 दिन के अन्दर-अन्दर वाइस चेयरमैन, ट्रेजरार, दो सदस्य कार्यकारिणी के लिए और दो सदस्य फाइनेंशियल कमेटी के लिए उनमें से चुने जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, मैं कोई माननीय शिक्षा मन्त्रीजी की नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक तो इसका गठन कराया जाए और माननीय मन्त्री महोदय यह जानकारी कर लें कि जिसको अध्यक्ष बनाया है उसको उर्दू पढ़नी ही नहीं आती, उसको उर्दू लिखनी ही नहीं आती है। इस तरह के आदमी को बनाने का कोई औचित्य नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की कृष्णागंज पंचायत के सरपंच और पूरी पंचायत बाडी यहां पर आयी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णागंज पंचायत एक ग्रामदानी गांव था। इन चुनावों में पेलपीखेड़ा, बाड़ेली और कृष्णागंज, इन तीनों ग्रामदानियों को मिला कर पंचायत घोषित की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायत के चुनाव भी हो गये हैं लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उस पंचायत के सरपंच के पास न तो कोई काम करने का अधिकार है, न ही ग्राम पंचायत को कोई विकास का बजट दिया गया है। और तो और, जब सरपंच और पंचायत बाडी ने अपना भवन बनाने की पेशकश की, स्वीकृति मांगी तो प्रशासन ने कहा कि जो ग्रामदानी का भवन है वही आपके लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि एक म्यान में दो तलवार, एक तरफ तो जीता हुआ सरपंच और दूसरी तरफ उस पंचायत के तीन-तीन अध्यक्ष। कृष्णागंज, बाड़ेली, पेलपीखेड़ा गांवों को मिलाकर पंचायत बनायी गयी और उस पंचायत में आज भी तीन अथोरिटीज काम कर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। चुनाव हुए करीब 9–10 माह हो गये। चुने हुए प्रतिनिधि आपस में लड़ रहे हैं, काम का विकास रुका हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। सारी बात आ गयी है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त ही कर रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि इस प्रकार की समस्या पूरे राजस्थान में है। सभी जगह ग्रामदानियों के अध्यक्ष ही काम कर रहे हैं और चुने हुए सरपंचों में आपस में मुकदमेबाजी हो रही है। जनता को अगर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

एन. ओ. सी. चाहिये, कोई प्रमाण–पत्र चाहिये, और कोई काम हो तो सारा काम रुका हुआ है और चुने हुए प्रतिनिधि आपस में लड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस पंचायती राज के....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगदीप धनखड़।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठ ही रही हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कानून का एक बार पुनः अवलोकन करके, संशोधन करके इनको अधिकार दिये जाएं। या तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष रख लिया जाए या सरपंच को रख लिया जाए। दो–दो व्यक्तियों को आपने अधिकार दे रखे हैं इससे ग्रामीण जनता बहुत दुःखी है। धन्यवाद।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पंचायत मंत्री तो हैं नहीं, आप यूं ही गाथा गा रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : सरकार सक्षम है, आप चिन्ता क्यों कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़। (व्यवधान) कृपया विराजें। बीच में व्यवधान नहीं डालें। माननीय धारीवालजी, आप कहां से बोल रहे हैं?... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं उन कर्मचारियों की कठिनाई की ओर जिनके विरुद्ध छोटे मोटे फौजदारी प्रकरण लम्बित हैं और ऐसे फौजदारी प्रकरणों के होने के कारण उनका निलम्बन कई वर्षों से चल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार पर करोड़ों रुपये का भार पड़ रहा है, उसकी एवज में वे सरकारी कर्मचारी सरकार का काम नहीं कर पा रहे हैं। कई वर्षों के बाद में जब फौजदारी प्रकरण में वे बरी हो जाएंगे तो सरकार पर उतना ही करोड़ों रुपयों का भार फिर पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनस्टार्ड क्वेश्चन–766 के रेस्पोंस में जवाब आया है कि एक जाइंट रजिस्ट्रार अनिल गर्ग हैं, जिनको 302 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान में दोषी माना गया है। दस वर्ष के लगभग वे जेल में भी रहे हैं। उन्होंने अपील की, उच्च न्यायालय ने उनकी अपील खारिज की उसके पश्चात् भी सरकार ने उसको नौकरी दी और यह कहा गया कि नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे सजायाफ्ता आदमी को नौकरी नहीं दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब एक मर्डर कन्विक्ट दस साल जेल में रहने के पश्चात् भी सरकार में एक उच्च पद प्राप्त कर सकता है और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको नौकरी नहीं दी जाए, ऐसी स्थिति में गरीबों के टैक्स को क्यों करोड़ों की संख्या में खतरे में डाला जाए? किसी को आपने 223 के अन्दर निलम्बित कर रखा है जो साधारण अपराध है, किसी को 498 (ए) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में निलम्बित कर रखा है। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री जगदीप धनखड़)

महोदय, झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को किसी मुकदमे में निलम्बित तो करा सकता है पर इसका नतीजा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निकलता है कि हर साल राज्य सरकार करोड़ों रुपये निलम्बन के लिये देती है। और वर्षों बाद नतीजा यह निकलता है कि उनको बा-इज्जत बरी किया जाता है और करोड़ों की संख्या में भार पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में एक कमेटी का गठन करके समयावधि में निश्चित निर्णय लिया जाए ताकि राज्य सरकार का हित हो सके।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यह कब सजा हुई, कब इसको सजा में लिया गया, किस तारीख को इसकी नियुक्ति हुई यह भी स्पष्ट यहां कर दें तो ठीक रहेगा। और कौन-सी सरकार थी ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी जो.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज कानून व्यवस्था पर बहस है। आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : अनस्टार्ड क्वेश्चन–766 का रेस्पोंस कल दिया गया था, पूरी जानकारी दी गयी है फिर भी माननीय गृह मंत्रीजी की संतुष्टि के लिये मैं यह भेज रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : कांग्रेस की सरकार थी।

श्री जगदीप धनखड़ : अनस्टार्ड क्वेश्चन–766 जिसमें यह कहा गया, "क्या यह सही कि विभाग में भारतीय दण्ड संहिता 302 के अन्तर्गत सजायाफ्ता अधिकारी कार्यरत है ?.... (व्यवधान) उत्तर मिला, हां।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य धनखड़जी, आप विराजें।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय कौन-सी सरकार थी ? कांग्रेस की थी कि नहीं, आप यह बता दें।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार किसकी थी (व्यवधान) It seems that he is in a casual mood today.

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कर्मचारी और अधिकारी जो निलम्बित हैं और जिनके फौजदारी में केसेज चल रहे हैं, इसकी एक रिव्यू कमेटी बनी हुई है चीफ सैक्रेटरी के अण्डर कुछ सैक्रेटरीज की जो ऐसे केसेजों को कंसिडर करके उनको प्रक्रिया में रीइंस्टेट करने की कोशिश करती है। इसलिये जो आपका मत है उसी मत के आधार पर इस प्रकार की प्रक्रिया चल पड़ी है। जहां केसेज ऐसे सीवियर होते हैं उन पर वह कमेटी निर्णय देती है कि अभी नहीं इनका निलम्बन वापस किया जाए। किन्तु

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बाकी लोगों का निलम्बन वापस लेकर उनको रीइंस्टेट करने की प्रक्रिया चली हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बड़गूजरजी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मालपुरा-केकड़ी राज मार्ग पर डिग्गी चौराहे से राजस्थान का प्रमुख धार्मिक कल्याणजी महाराज का मन्दिर दो किलोमीटर दूर स्थित है। इसके दो काज-वे बाडी नदी पर और मासी नदी पर बने हुए हैं, जो वर्षा ऋतु के अवसर पर पद-यात्रियों का राज मार्ग है और यात्रियों को कठिनाई होती है। मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है कि इन दो काज-वे पर पुल निर्माण का कार्य करवाया जाए। लोग कल्याणजी महाराज के दर्शन करने से वंचित रह गये हैं, इस वर्ष वर्षा ऋतु में वे नहीं जा सके। इसलिये मैं चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस लोक महत्व के मार्ग के लिये पुल का निर्माण करवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : साहब, यह बहुत इम्पार्टेंट है। माननीय बड़गूजर जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत इम्पार्टेंट है। छोटी-सी पुलिया है, लाखों आदमी डिग्गी महाराज के यहां दर्शन के लिये जाते हैं, परन्तु बरसात में वे जा नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने उठा लिया है, सरकार के ध्यान में ला दिया है। आप बैठें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भयंकर बरसात आने के कारण एक विषम स्थिति पैदा हो गयी थी। राज्य सरकार ने विभाग से इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया है। मैंने एस्टिमेट बनाने के लिये कहा है कि किसी प्रकार से इस पुल को ठीक रूप से बनाया जाए। सरकार उसको करने की दृष्टि से कटिबद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी (अनुपस्थित)।

श्री राकेश मेघवाल (अनुपस्थित)।

श्री रामनारायण मीणा... (व्यवधान).. आपका दल बोल रहा है, कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमको बार-बार जवाब दिलवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको इस कुर्सी पर बैठे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज आपका जो आचरण है कि आप हर बात का जवाब सरकार से दिला रहे हैं, यह व्यवस्था आप आइंदा भी चालू रखें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा मामला सरकार के सामने रखना चाहता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, पिछड़े वर्गों की बहुत-सी जातियों को सूची में लिया गया। एक जाति बारेठ है जिसके 99 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उस बारेठ जाति को अभी तक पिछड़ा वर्ग में नहीं लिया गया है। ढोली वगैरह सबको ले लिया गया है, बारेठ को आज भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यह मामला गरीबों से सम्बन्धित है, यह एकमात्र जाति है जो छूटी है। माली आ गया, धाकड़ आ गया, सब अच्छी-अच्छी जातियां आ गयीं। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में आप गरीबों के हित की देखी करें और सरकार बारेठ जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करे ताकि आरक्षण का लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आजकल सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं और पहले भी हो रही थीं, वे 50 प्रतिशत अॉप्टोप्सिक रीजन में पायी गयी हैं। उनमें मुख्य रूप से लीवर रप्चर, स्प्लीन रप्चर और ज्यादा ब्लीडिंग से शॉक होता है। सर, मुख्य दिक्कत उसमें एक आती है। आपने सवाई मानसिंह अस्पताल के लिये जिस तरह से अलग-अलग विभाग कार्डियो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी की घोषणा की है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन भारत के अन्दर मेडिकल कॉलेज, एम्स (AIIMS) में, लखनऊ में अलग से गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी सर्जरी यूनिट स्थापित है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अलग से एस.एम.एस. अस्पताल के अन्दर गेस्ट्रो एण्ट्रोलॉजी सर्जरी यूनिट खोलने की व्यवस्था करें ताकि लीवर ट्रांसप्लांट और इस तरह के अच्छे आपरेशन हो सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा कि श्री आदित्य विक्रम बिरला जो भारत के लीडिंग, दुनिया के श्रेष्ठ बिजनसमैन थे, उनकी ऐसी दुर्घटना में मृत्यु हुई। मैं दुर्घटना कहूंगा उसको। वे ट्रीटमेंट के लिये बाहर गये थे, अपनी स्लिप्ड डिस्क के लिये और 5 दिन तक डायग्नोसिस नहीं हो सका। On the 6th day, he was diagnosed as any form of malaria and he developed broncho—pneumonia. And in adverse circumstances, he died

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

डा. जितेन्द्र सिंह : तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अंधी दौड़ है विदेश की तरफ इलाज के लिये। पाकिस्तान के एम्बेसेडर का कनाडा में 7 दिन तक इसीलिये ट्रीटमेंट नहीं हो सका, because he was a case of T. B. meningitis, जो कि इरेडिकेटेड है यूरोप और कनाडा के अन्दर। हिन्दुस्तान के डाक्टर आत्मप्रकाश ने जो उस समय

120

(डा. जितेन्द्र सिंह)

डाक्टर थे, डायग्नोसिस किया था। आज जो हमारी अन्धी दौड़ है इलाज के लिये यूरोप की ओर दौड़ने की, उसको सोच समझ कर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कल दिनांक 2 नवम्बर, 1995 को आगरा रोड पर एक परिवार जो सिकराय का रहने वाला था, पुष्कर स्नान करने जा रहा था, उसको सामने से दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी। उससे घटनास्थल पर 6 औरतों की और एक बच्चे की मृत्यु हो गयी। घायलों को एस.एम.एस. अस्पताल में पहुंचाया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एस. एम. एस. अस्पताल में जब वे घायल पहुचे, उनमें से एक महिला की मृत्यु इमर्जेंसी में जाते हुए हो गयी। इमर्जेंसी के अन्दर उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय का और सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

उन सारों को जो संख्या में करीब 16 थे, 11 की हालत ज्यादा खराब थी, लेकिन उनको इमीजिएट 10–15 मिनट वहां इलाज कर, सम्बन्धित विभागों को भेज दिया गया। लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहूंगा कि जब वे न्यूरो सर्जरी में भेजे गये तो वे करीब आधा घण्टे में तो वहां पहुचे। न्यूरो सर्जरी वार्ड में उनको कहा गया कि सी. टी. स्कैन कराईये, बिना कोई ट्रीटमेंट दिये। तीन की इतनी सीरियस हालत थी कि वे 2 घण्टे तक सी. टी. स्कैन के बाहर पड़े रहे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि जब तक 400 रुपये जमा नहीं होंगे तब तक आपकी सी. टी. स्कैन नहीं होगी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे–छोटे तीन बच्चे जिनके मां–बाप तो खत्म हो चुके थे, उनके पैसे देने के लिये, जो दूसरे साथ में यूं ही मदद करने के लिये गये थे...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जब मैंने उनसे कहा कि ये तो सहायता करने वाले हैं, इनके साथ कोई नहीं है, पैसे मैं दूंगा तब जाकर के सी. टी. स्कैन जांच की गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक्सीडेंट होकर के आए और जिसके साथ कोई नहीं हो, उसकी सी.टी. स्कैन इमीजिएट और फ्री होनी चाहिये। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर दवाइयों की पूरी व्यवस्था नहीं है। मैं वहां जाकर के खड़ा रहा, खड़ा रहने के बाद में मैंने जब उनसे कहा कि दवाइयों की व्यवस्था यदि आप नहीं करते हैं तो मैं करूंगा। शिकायत की तब जाकर के व्यवस्था की।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण मामला है, साहब, जो बच्चे 13–13 साल के वहां भर्ती थे उन बच्चों की ड्रिप आउट हो रही थी, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने इतना खर्चा करके इतनी बढ़िया व्यवस्था इमर्जेंसी में की है तो जिसके पास कोई व्यक्ति नहीं हो, उस मरीज के पास 10 ऐसे कर्मचारी अलग से लगाये जाएं जो खड़े रहें।

इसके साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मृतक परिवार हैं उनको कम से कम 25–25 हजार रुपये की इमीजिएट सहायता की व्यवस्था की जाए और जो घायल हैं उनकी दवाओं की फ्री व्यवस्था की जाए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह नमूना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार का, फर्जी कार्य का। यह एक आर्डर है मेरे हाथ में, 21 तारीख को बैन लग गया। जिला परिषद् के कार्यकारी अधिकारी ने यह आर्डर निकाला है, यह आर्डर क्योंकि 21 तारीख को बैन लग गया, पैसा खाकर के 20 को डिस्पैच किया। 26 तारीख दस्तखतों के नीचे डाली हुई है ...(व्यवधान) ... मैं इसे सदन पटल पर रखना चाहती हूं। ट्रांसफर की है ये। इस तरह पैसा खा–खाकर के जिला परिषद् में क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसका नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। कृपया इसकी जांच कराएं। जिन्होंने पैसे खाये हैं और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोका जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सदस्य ने जिला परिषद् पर पैसे खा करके ट्रांसफर करने का जो आरोप लगाया है वह निराधार है। जिन पंचायत समितियों में से अध्यापक एजूकेशन में चले गये हैं और उनके पद जो रिक्त हुए हैं, उन पदों को भरा गया है, यह कोई पैसे खाकर के ट्रांसफर नहीं किये गये हैं। ....(व्यवधान)... आपकी यह आदत पड़ी हुई है और आप हर बात को भ्रष्टाचार कर देते हैं...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जिला प्रमुख ने पैसे खाये हैं ....(व्यवधान).... अब जो मन्त्री नहीं है....

श्री गोपीराम जाट : वास्तव में जो खाली स्थान थे, उन रिक्त पदों को भरने के लिये यह कार्यवाही की गयी है। ... (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम :....आप जवाब दिलवाइये, जिला प्रमुख.... ... (व्यवधान) ... यह आर्डर मेरे हाथ में है।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन से थोड़े समय के लिये बाहर था तब भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान मेरे सम्बन्ध में यह कहा कि हमारे निर्दलीय उम्मीदवार रतनलाल ताम्बी। माननीय विधायक महोदय को यह भी मालूम नहीं है कि मैं उम्मीदवार हूं या विधायक हूं। इन्होंने कहा कि पंचायत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चुनावों के अन्दर कार से आ रहे थे तो उन्होंने रास्ता रोक लिया, मेरी गाड़ी के कांच फोड़ दिये। ये लोकतन्त्र की दुहाई देते है तो मैं आपके मार्फत चुनौती देना चाहता हूं कि न मैं कहीं गाड़ी में मिला, न मैंने कोई कांच फोड़े बल्कि उन्होंने वहां के लोगों के साथ झगड़ा किया और असत्य मुकदमे लगाये। एफ. आई. आर. में कहीं मेरा नाम हो, कोई कार्यवाही की गयी हो तो मैं इसको चुनौती देना चाहता हूं। इस तरह की असत्य बात कह करके मुझे अपमानित करने की कोशिश की गयी है। न मैं इनसे पंचायत चुनाव में कहीं मिला, न मैंने रास्ता रोका और न मैंने कांच फोड़ने का काम किया। इस तरह की बात यहां कही गयी है, मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : और फिर निर्दलीय उम्मीदवार कहा है मुझे। माननीय सदस्य पहली बार बोले, उनको उम्मीदवार और विधायक में भी अन्तर मालूम नहीं है। इस प्रकार के निराधार आरोप लगाये हैं, आप चाहें तो, माननीय गृह मन्त्री महोदय, एफ. आई. आर. मंगवाकर के देख लें। उलटे इन लोगों ने ज्यादती करके कई लोगों को असत्य मुकदमे दायर करके परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में एक कालूसर गांव है। इसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। उस समुदाय के लोगों को एक ही जाति विशेष का होने के कारण सरकार में बैठे हुए प्रभावशाली लोग तंग और परेशान करने में लगे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज ही प्रातःकाल सरदारशहर से टेलीफोन आया कि वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जो वहां रहते हैं, 91 की धारा के तहत डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर जो कि सस्ता अनाज डिस्ट्रीब्यूट करता है वह समय पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है उसकी शिकायत की। उस भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली व्यक्ति ने सरकार में बैठे हुए प्रभावशाली लोगों से मिलकर वहां के एस. डी. एम. को फोन करवाया कि आप अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ठीक करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके गांव में बैठा हुआ है फीता लेकर और उनको बेदखल करने में लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जिम्मेदार सदस्य हूं, मैं यह नहीं कहता कि जिनके नाजायज कब्जे हैं उनको मत हटाइये लेकिन एक तरफ तो आपकी सरकारी भूमि पर प्रभावशाली लोग कब्जा किये हुए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो वहां पर बीस-बीस साल से अपने आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं आप उनको बेदखल करने में लगे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि वे अल्पसंख्यक लोग मुसलमान हैं उनके लिए कहा जाता है कि यह कांग्रेस को वोट देते हैं इसलिये उनको तंग किया जा रहा है, तो यह बात

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस कालूसर गांव में ही नहीं बल्कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : ....माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मुद्दा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को तंग किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आप सरकार को कहें कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को तंग नहीं करें, परेशान नहीं करें। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप इस तरह से जाति विशेष के लोगों को तंग करेंगे तो आप राज नहीं कर पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वोटों की राजनीति नहीं करता हूं, मैं एक ऐसा कार्यकर्त्ता हूं जो सच बात कह रहा हूं। यदि मेरी बात सच साबित नहीं हो तो आप एक कमेटी बैठा दीजिये। उस गांव में सारे के सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और आज सब आतंकित हैं। उनको वहां से हटाने में लगे हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बीस-बीस साल से मकान बनाकर रह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। स्थगन प्रस्ताव, श्री राधेश्यामजी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : परम सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव पहले भी लगाया था, फिर मैंने 131 का लगाया। कल जीरो आवर में हम 4 विधायकों ने लिखकर दिया और आज मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप शीघ्र ही स्थगन प्रस्ताव पर आ जाइये। समय बरबाद कर रहे हैं आप।

श्री राधेश्याम : ... मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां एक सुरेन्द्रसिंह राठौड़ के नाम से उप-प्रधान पंचायत समिति के हैं जिन्होंने आये दिन वहां आतंक फैला रखा है। पंजाब, हरियाणा और आसाम में आतंक खतम हो गया, बिहार में हो गया लेकिन गंगानगर की जनता घरों में घुसी हुई है और उसके नाम का बड़ा भारी आतंक है। मैं आपके सामने ऐसी घटनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिनको सुनकर यह सदन सोच में पड़ जाएगा। राजस्थान की भूमि पूजनीय भूमि है—अगर वास्तव में यहां राज्य सरकार इसका ध्यान नहीं रखेगी तो यहां इतना आतंकवाद फैल जाएगा कि आपकी राजनीति स्वच्छ नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जगतबहादुर काण्ड अभी बिलकुल नया-नया है। एक लड़का जो महाराजा गंगासिंह फार्म पर था उस लड़के ने मालिकों की चोरी की और मालिकों ने पर्चा दर्ज कराया। वह लड़का वहां से भाग गया, अपने गांव चला गया। इन्होंने वहां आतंक फैलाया। बहुत सारे ऐसे आदमी इकट्ठे किये जो कि बदमाश टाइप के थे और गुण्डा गिरोह के थे। उनको इकट्ठा करके शहर बन्द कराया, हड़ताल करायी और धरने

(124)

(श्री राधेश्याम)

दिये और पुलिस को इतना कोसा, इतना कोसा कि जिसका कोई अन्त नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस एस. पी. को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को कि उस व्यक्ति को उत्तरप्रदेश के अन्दर से उसके गांव से लेकर आये और पब्लिक के सामने पेश किया कि इसको किसने उठाया। हमारी पुलिस उठाकर ले गयी और उन्होंने इसको कैद कर दिया, कत्ल कर दिया। यह कार्यवाही उसने की।

एक लोकूराम काण्ड पुरानी आबादी में हुआ गंगानगर थाने में। सुभाष चन्द्र अरोड़ा ने अपनी बहिन कु. प्रवीण के अपहरण की रिपोर्ट भूरिया पुत्र लोकूराम पत्नी लोकूराम, लोकूराम की पुत्री विद्या के खिलाफ दर्ज करायी थी। तफ्तीश के दौरान लोकूराम, उसकी पत्नी व पुत्री को थाने में बुलाया गया। लोकूराम थाने से स्नान करने के बहाने चला गया ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम : नहीं साहब, अभी तो बहुत है। मेरा तो स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव में मैं कैसे समाप्त करूंगा? अभी तो मूल मामला आया ही नहीं और अभी सैंकड़ों सीरियस मामले हैं।

बड़ा भारी आतंक है। उसके बाद ए. डी. एम. सिटी ने और एस. पी ने उसकी इन्क्वायरी की। उस इन्क्वायरी में यह पाया गया कि आत्महत्या की। जब शहर को 10 दिन तक बन्द कराया गया। और शहर को बन्द कैसे कराया? गुण्डे आकर पत्थर मारते हैं, शीशे तोड़ते हैं लोगों के, गरीबों की रहड़ी उलट देते हैं, दुकानें लूट लेते हैं और पुलिस बोलती नहीं है। मिनिस्टर साहब, आप + + + आपकी + + + है उससे। आप बोलते नहीं हैं। यह कोई कारण है?

इसके अलावा विमला कत्ल काण्ड हुआ। 1982 में जे. सी. टी. मिल में यह हुआ। विमला बलात्कार प्रकरण में तीन माह तक हड़ताल करायी और मिल के उत्पादन को ठप्प रखा और श्रमिकों को भड़काया। मिल के मैनेजर को ब्लैकमेल किया और उससे लाखों रुपया लेकर उस मामले को खतम किया।

खैमका काण्ड में भी इसी तरह हुआ, यह बहुत पुराना काण्ड है। शहर को 10–12 दिन तक बन्द करवाया। लोगों की बहुत बुरी दुर्दशा की। इसके अलावा प्रीतम सिंह प्रकरण है। सुन्दरसिंह राठौड़ ने प्रीतम सिंह से यह कहा कि तुमको मैं टाडा में गिरफ्तार करा दूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा समाप्त। ....(व्यवधान) आपके स्थगन प्रस्ताव की समय सीमा समाप्त हो गयी।

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में भसीन हत्याकांड के अन्दर टैम्पो वाले को मारा। ग्रीन होटल एम. आई. रोड पर कत्ल किया। उस दौरान नारायण चतुर्वेदी का कत्ल किया ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा। ... (व्यवधान) .. अब ये आपका समय ले रहे हैं, देख लीजिये। आप बोलिये।....

+ + + : अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राधेश्याम : मेरा स्थगन प्रस्ताव है। ....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्यामजी, विराजें।

श्री राधेश्याम : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिये। टाडा के अन्दर इसको बन्द करो और इसका जो रिवाल्वर का लाइसेन्स है उसको वापस करो। अभी-अभी जयपुर में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की कनपटी के ऊपर रखकर कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, मारने की धमकी दी। पता नहीं उस बेचारे ने किस तरह से अपनी जान बचायी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री राधेश्याम : एक पान वाले को एम. आई. रोड पर कहा कि 150 पान बांधो और शराब पीकर उपद्रव मचाया।....

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्यामजी, विराजें।

श्री राधेश्याम : ऐसे कैसे ? मुझे आश्वासन दिला दो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दे देंगे।

श्री राधेश्याम : आप टाडा के अन्दर बन्द करो और जो रिवाल्वर उसके पास है उसको बरामद कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : आज कानून और व्यवस्था पर बहस है और माननीय गृह मन्त्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज से पीड़ित नहीं हूं। पिछले सदन में भी मैंने निवेदन किया था और आज भी निवेदन कर रहा हूं। ऐसे सैंकड़ों मामले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव की समय सीमा समाप्त। .. (व्यवधान) ...

श्री राधेश्याम : ...(व्यवधान)........ आतंक मचा रखा है (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम : ऐसे नहीं जी। मैं तो इनके सामने धरना देता हूं।

(माननीय सदस्य श्री राधेश्याम द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो मुद्दे उठाये हैं वे मेरे ध्यान में भी आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानून व्यवस्था की आज चर्चा है उस समय आप जवाब दे दें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, तीन प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं, ट्रायल में हैं और अभी जनता दल के अध्यक्ष के ऊपर भी शराब पीकर हमला किया गया है। मैं इस प्रकरण में तो तुरत गति से अनुसंधान करने के निर्देश दे रहा हूं। इस बात के भी मैं निर्देश दे रहा हूं कि इस व्यक्ति और इसके साथ जो लोग हैं, अपराध में पंजीबद्ध होकर जिनके खिलाफ चालान हुए हैं इन सबके लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किये जाएं और यथोचित नियमानुसार कार्यवाही करके उनको निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : टाडा में बन्द करो इस आदमी को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टाडा समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं करें आप, विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार से चुंगी लगायी जा रही है, मेरा निवेदन करना आपके माध्यम से यह है कि दिल्ली का होलसेल डीलर यहां हैं तो यहां चुंगी लगती है, कोटा में जाता है तो वहां चुंगी लगती है, दूसरी नगर पालिका में जाता है तो वहां चुंगी लगती है। एक आइटम के ऊपर 10–10, 15–15 रुपये की चुंगी लगती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जब शासन में आयी अपना घोषणा पत्र उसने दिया। पाइंट नं. 21, इसमें लिखा गया था कि चुंगी समाप्त की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस चुंगी पर आप शायद बोल चुके हैं।

श्री रामनारायण मीणा : कहां बोला? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में केवल एक शराब के ऊपर अधिकतम चुंगी की दर निर्धारित है। मोटे कपड़ों पर ज्यादा चुंगी ली जाती है और बढ़िया कपड़ा जो ज्यादा रेट का होता है उस पर कम चुंगी ली जाती है। इसी तरह से कोयला जो जोधपुर में जलाया जाता है उस पर 45 पैसे प्रति टन है, कोटा में आता है तो दस रुपये मैट्रिक टन है। पहले चार रुपये मैट्रिक टन था। इसी तरह से कोटा में चूने से पुताई नहीं हो सकती, इतनी महंगी चुंगी की दर है। इसी प्रकार जूट की बोरी के ऊपर कहीं क्या दर है कहीं क्या दर है। यह इतनी विषमता है ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा निवेदन करना यह है कि मथुरादास कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, स्पेशल सैक्रेटरी फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट दे दी, सभी का यह आशय है कि कोई न कोई तरीका ढूंढा जाए लेकिन राजस्थान सरकार राग एक अलापती है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, चुंगी समाप्त की जाए घोषणा पत्र के मुताबिक।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री रामनारायण मीणा : या उसकी समान दर लागू की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : राजस्थान के हित में नहीं, अपनी जुबान के हित में, जो

(श्री रामनारायण मीणा)

आपने कहा है वह किया जाए और चुंगी समाप्त की जाए। चुंगी की एकरूपता के लिये जो कार्यवाही की जा रही है, चुंगी में एकरूपता लायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री रामनारायण मीणा : कोटा में एक ही आइटम पर दो चुंगी हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आपको तो पता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : जिस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है। आखिर में यही निवेदन करना चाहूंगा, स्वायत्त शासन मंत्री जी, एक फाइल में तो आपने चुंगी सस्पेंड की कि आगे नहीं बढ़ायी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : I am very sorry. हरिसिंह जी कुम्हेर।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में अर्ज करूंगा कि जो सरकार शासन में आयी है वह अपनी कहनी और कथनी में अन्तर नहीं करे और चुंगी समाप्ति का जल्दी से जल्दी निर्णय ले। निर्णय नहीं ले तो एकरूपता की बात करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मेरा नाम आपने पुकारा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत .. (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौजूद हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पद्धति बदलने पर....

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष : अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौजूद हूं। आपने मेरा नाम पुकारा है, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के आसन की गरिमा के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं मौजूद हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र चौधरी....

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सदस्य, विधान सभा, जोधपुर शहर में सोजती गेट सब स्टेशन को हटाने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है, मैं सदन में मौजूद हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा, तहसील लाडनूं ...

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जिला नागौर में राजस्व कर्मचारियों द्वारा चरागाहों से अतिक्रमण हटाने में मनमानी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। मैं सदन में मौजूद हूं और खड़ा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है, मैं सदन में मौजूद हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था, आप सदन में मौजूद नहीं थे। आप विराजें।

श्री भीमराज भाटी : मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अवसर नहीं दूंगा। आप विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : ये खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मैं कहीं भी नहीं गया, मैं मौजूद हूं।

एक माननीय सदस्य : इनको समय दीजिये, माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये यहां खड़े थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मौजूद हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री हरजीराम बुरडक।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है मैं यहां मौजूद हूं। यह क्या तरीका है, मैं सदन में मौजूद हूं, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आप इस तरह से यह कर रहे हैं। यह क्या तरीका है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ? मैं सदन में मौजूद हूं, मैं बाहर नहीं गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजें। आप कृपया आसन की बात सुनें।

श्री भीमराज भाटी : मैं सदन में किस लिये बैठा हूं ? मैं सदन में मौजूद हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इनका नाम पुकारा। ये खड़े थे, बोल रहे थे।

श्री भीमराज भाटी : यह इस तरह से + + + हो रहा है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदाशयता बरतिये।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्थान के इस पवित्र सदन का ध्यान मेरे पाली शहर में 1 अगस्त, 1995 को ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम पहले भी पुकारा था। इसका क्या इलाज है हमारे पास ?

श्री भीमराज भाटी : मैं मौजूद हूं। मैं कहीं गया नहीं था। मैं खड़ा था बोलने के लिये.... (व्यवधान) अनुशासन में रहने का यह दण्ड तो मत दीजिये मेहरबानी करके।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये खड़े थे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, भाटी साहब, बोलिये।

श्री भीमराज भाटी : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में आपकी मार्फत माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान मेरे पाली शहर में हुई दो निर्मम हत्याओं के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। 17 वर्ष की दो जैन समाज की बच्चियां थीं, पढ़ाई में बहुत होशियार थीं, 80 प्रतिशत से ज्यादा उनके नम्बर आते थे। सुशील परिवार की बच्चियां थीं। जिस कालोनी में वे रहती थीं उस कालोनी के लोगों का भी यह कहना है कि सुसंस्कृत बालिकाएं थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन दोनों बालिकाओं को 1 अगस्त, 1995 को पता नहीं कहां पर मारा गया और रेलवे पटरी पर लाकर डाल दिया गया और रेल से कटी हुई बता दिया गया। जबकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन दोनों बच्चियों की चेन, उन दोनों की घड़ी, उन दोनों की अंगूठी और उनकी टार्च वहां एक जगह पर रेलवे ट्रेक के बाजू में कहीं दूर अच्छी तरह से रखी हुई प्राप्त की गयीं। दोनों जुड़वा बहिनें थीं, उन दोनों जुड़वां बहिनों की एक साथ कैसे मानसिकता आत्म हत्या की हुई कि दोनों बच्चियां वहां पर रेलवे ट्रेक पर जाकर सो गयीं और उनके ऊपर से ट्रेन गुजर कर चली गयीं। हकीकत यह है कि रेलवे इन्जन के आगे एक ग्रिल लगा रहता है वह ग्रिल रेलवे पटरी से 6 इंच ऊपर रहता है। अगर किसी तरह की कोई चीज रेलवे इन्जन के आगे आती है और छोटा–मोटा कोई जानवर भी कटता है तो ड्राइवर को पता चलता है। इंजन में भी एक की जगह दो ड्राइवर होते हैं, दोनों ड्राइवर्स थे। पाली और जोधपुर के बीच में जितनी भी ट्रेनें उस समय में पास हुई हैं उनका रजिस्टर में रिकार्ड मेनटेन किया जाता है, उस रजिस्टर में किसी ड्राइवर का कोई इन्द्राज नहीं है। न रेलवे इन्जन की ग्रिल पर न रेलवे की पटरियों पर किसी तरह के खून के निशान पाये गये। तो मेरा यह मानना है, मेरा ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहां से सांसद हैं उनका भी यह मानना है, हमारे जैन युवा संगठन का भी यह मानना है, पूरी लोकलिटी का यह मानना है कि उन बच्चियों की निर्मम हत्या कहीं दूसरी जगह की गयी और उनकी लाशें वहां डाल दी गयीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आत्म हत्या करने वाली 17 साल की, 18 साल की बालिग बच्ची क्या

(श्री भीमराज भाटी)

एकदम नंगी होकर आत्महत्या करेगी ? पुलिस ने नंगी लाश बरामद की है। इस तरह से रेलवे पटरी के बीच में क्या कोई बच्ची अपनी एक बहन के साथ जाए और दो बच्चियों में से एक बिलकुल नंगी हो और नंगी होकर आत्महत्या करे और दूसरी बच्ची–उसकी सगी बहन, जुड़वां बहन उसी तरह से उसके साथ आत्महत्या करे ? साथ में जहर पीने में भी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। वे समझदार बच्चियां थीं, 80 प्रतिशत से ज्यादा नम्बर लाने वाली बच्चियां थीं, क्या उनकी एक साथ ही यह मानसिकता डवलप हो गयी ?

(14.00)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं, वह बताइये।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है और मेरा ही नहीं, मेरे पूरे शहर के लोगों का यह मानना है कि इन बच्चियों की हकीकत में आत्म-हत्या नहीं हुई, हत्या हुई है। माननीय गृह मंत्री महोदय, जब-जब भी मैं आपके पास आया हूं, आपने हमेशा मुझे न्याय दिलाने की चेष्टा की है और न्याय दिलवाया भी है लेकिन इस मामले में पुलिस न मालूम क्यों इस हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप देकर पूरा का पूरा दबाने में लगी हुई है। मेरे शहर के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में शासन कर रही है उसके सांसद महोदय ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री भीमराज भाटी : आप समय नहीं दे रहे हैं नहीं तो मैं आपको बड़े से बड़े पदाधिकारियों की बताऊं। उन सबका यह मानना है....

श्री उपाध्यक्ष : कानून व्यवस्था की चर्चा होगी, माननीय गृह मंत्रीजी जवाब दे देंगे आपको। आप विराजें।

श्री भीमराज भाटी : मैं देख रहा हूं, यह बहुत गम्भीर बात है और बड़ी शर्म जैसी बात है इसलिये मुझे आपसे थोड़ा समय लेना पड़ रहा है। सब लोगों का यह मानना है कि उन बच्चियों की कहीं पर हत्या की गयी। उस हत्या में जो लोग शामिल हैं वे अपने पैसे के बल पर, अपने प्रभाव के बल पर पुलिस को वहां पर प्रभाविक करके इन बच्चियों की हत्या को आत्महत्या का रूप दे रहे हैं। मैं राजस्थान के इस पवित्र सदन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इस राजस्थान की सरकार से और हमारे राजस्थान के कर्मठ गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेकर पता लगाने की चेष्टा करें कि प्रभावशाली....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री भीमराज भाटी : और पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने इतना क्रूरतम काम किया है, यही मेरा कहना है।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा काल अटेंशन है।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 302 का केस रजिस्टर कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप अनुपस्थित थे।

श्री रामनारायण चौधरी : जघन्य अपराध है दो लड़कियों की हत्या का।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर अण्डर रूल 23।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय विधायक ने जिस प्रकरण का जिक्र किया है, मुझे इस बारे में जानकारी है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की जांच राजस्थान की सी.आई.डी. (सीबी) के एस. पी. स्तर के अधिकारी से करवा दूंगा। यह आज ही निर्देश दे दूंगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर अण्डर रूल 23.

श्री रामनारायण चौधरी : 302 का पहले केस दर्ज करवाएं। यह कोई बात नहीं हुई, पहले आप 302 का केस दर्ज कराएं। दो लड़कियां नंगी वहां पर मिली हैं। (व्यवधान) मंत्री महोदय, आप महिलाओं की रक्षा करो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको पता ही नहीं है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको पता ही नहीं है राजस्थान में क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : दो जवान लड़कियां, हाइएस्ट नम्बर प्राप्त करने वाली, उनकी हत्या का मामला है और रफा दफा करने की कार्यवाही हुई। होम मिनिस्टर साहब तक बात पहुंची और आज माननीय सदस्य ने इतनी जद्दोजहद के साथ इस मामले को उठाया है। माननीय सदस्य का जो कथन है और जो यह घटना है उसके साथ पूरे सदन की सहानुभूति है। आउट राइट 302 का केस दर्ज किया जाए और इन्वेस्टीगेशन राजस्थान की सी. आई. डी. को सौंपी जाए। इसमें इन्साफ करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : 302 में दर्ज करने की बात कहें आप पहले।

श्री उपाध्यक्ष : बुडानिया साहब, चर्चा समाप्त।

श्री रामनारायण चौधरी : 302 का केस दर्ज होना चाहिये। ऐसी घटना करने वाले लोग समाज के कंटक हैं, पैसे के बल पर हत्याएं करते हैं, करवाते हैं, देश की महिलाओं की इज्जत लूटते हैं। आप 302 का केस उन पर दर्ज नहीं करना चाहते, आपको 302 का केस दर्ज करना चाहिये। अगर सबूत नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, कानून-व्यवस्था पर बहस होगी उस समय उठा सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर अण्डर रूल 23.

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें भी सरकार भागना चाहती है। लॉ एण्ड आर्डर पर बहस नहीं करवाएगी।

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार कभी भी भागना नहीं चाहती, सरकार तो हमेशा आपसे चर्चा करने के लिये तैयार है। यह प्रकरण जो आया है उसकी मैं एस. पी. स्तर के अधिकारी से जांच करवाऊंगा। जो भी स्थिति होगी वह सामने आ जाएगी।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्रीजी की इच्छा है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी। माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, आप विराजें। भाटी साहब, आप तो विराजें।

श्री भीमराज भाटी : मेरे शहर में वातावरण बहुत खराब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर मैं आपको दुबारा चर्चा करने का मौका नहीं दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां लॉ एण्ड आर्डर पर बहस होगी? माननीय गृह मंत्रीजी बहस करवाएंगे नहीं. नहीं होगी बहस। मुख्य मंत्रीजी गायब हैं और विधान सभा का लास्ट दिन है। आप कहते हैं उस समय कह देना। चर्चा होगी जब बहस कर लेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। आज यह गैर सरकारी कार्य का दिवस है फ्राइडे और नॉन आफिशियल डे में रूल 23 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो गैर सरकारी कार्य होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। यह सदन राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, कानून बनाता है, नियम बनाता है और यदि हम अपने ही बनाये हुए नियमों पर नहीं चलें तो मेरे ख्याल से यह एक अच्छा उदाहरण हम राजस्थान की जनता के लिये प्रस्तुत नहीं करते हैं। रूल 23 के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट दिया हुआ है "Allotment of time for private member's business—The House may on the advice of the B. A. C., allot as many days as may be possible for private members business and may allot different days for the disposal of different classes of such business and on days so allotted for any particular class of business of that class shall have precedence :"

श्री उपाध्यक्ष : कृपया हिन्दी में पढ़ें। यह हिन्दी में क्यों नहीं पढ़ते हो आप? ज्यादा ठीक रहता।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह इंग्लिश पहले है। यह भी एतराज तो नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा अभ्यास डालिये। हिन्दी में पढ़ने का अभ्यास डालिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : नहीं, मेरी बात पूरी सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप पाइंट ऑफ आर्डर को इतना लाइटली मत लीजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग मेरे जैसे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में समझते ही नहीं इसलिये जरूरी है हिन्दी में बोलना ।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैंने यह बात इसलिये कही है कि उसके बाद में आप अगला बिजनस लेने जा रहे हैं । उसके पहले जो प्राइवेट मैम्बर्स डे है उस प्राइवेट मैम्बर्स के बिजनस के लिये आपको समय देना चाहिये । हम मेहनत करके यहां पर बिल्स बनाते हैं, रमाकान्त जी ने बहुत मेहनत करके एक अच्छा बिल बनाया, आज प्राइवेट मैम्बर्स डे के ऊपर भी उस कार्य को आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो यह तो एक गलत परम्परा होगी । इसलिये मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं, आप तय करें कि प्राइवेट मैम्बर्स डे के बिजनस को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले और विशेष रूप से ला एण्ड आर्डर पर डिस्कशन से पहले लिया जाना चाहिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप चाहते ही नहीं हैं ला एण्ड आर्डर पर बहस करवाना । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप भाग जाओ, आप चले जाओ । आप काम क्यों नहीं करने दे रहे ? बीच–बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, बात नहीं करने दे रहे हो । आप इतने वरिष्ठ हैं.....

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह चाहती है कि बीकानेर के टाडा प्रकरण पर बहस नहीं हो, कोई लॉ एण्ड आर्डर पर बहस नहीं हो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर समय निर्धारित है इसलिये ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतना ही कहना है कि निर्धारित समय पर आप इसको ले लीजिये पर इन लोगों को तो समय बरबाद करना है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर में सोजती गेट सब स्टेशन का स्थानान्तरण

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर शहर में सोजती गेट सब स्टेशन को हटाने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में ऊर्जा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में आर. एस. ई. बी. का सब स्टेशन पिछले कई वर्षों से बना हुआ था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल ध्यान आकर्षित करिये ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसके सन्दर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री अनंग कुमार जैन (वित्त राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, जोधपुर शहर में कई सब स्टेशन कार्य कर रहे हैं और उनमें से एक सब स्टेशन

(श्री अनंग कुमार जैन)

सोजती गेट सब स्टेशन भी था। इस वितरण सब स्टेशन की क्षमता 2 × 500 के. वी. थी। सोजती गेट सब स्टेशन से पूर्व में निम्न सात एल. टी. फीडर निकले हुए थे जिनसे कि शहर के बाहरी/भीतरी क्षेत्र में विद्युत प्रवाह की जाती थी :—

(1) घोड़ों का चौक फीडर

(2) घोड़ों का चौक--बाईजी का तालाब फीडर

(3) मोती चौक फीडर

(4) तेलियों की मस्जिद-त्रिपोलिया फीडर

(5) मोहम्मदी चौक फीडर

(6) हाई कोर्ट रोड फीडर

(7) स्टेशन रोड फीडर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। आदरणीया कमलाजी, शान्त रहें जरा।

श्री अनंग कुमार जैन : इन एल. टी. फीडरों की लम्बाई इतनी अधिक थी कि ज्यों-ज्यों सम्बद्ध भार में बढ़ोतरी हुई, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में कम दबाव अर्थात् कम वोल्टेज प्राप्त होने लगे। इसके साथ ही इससे विद्युत छीजत में भी बढ़ोतरी होती गयी। इस समस्या के निराकरण हेतु मण्डल ने इस क्षेत्र में प्रवाह होने वाली विद्युत वितरण लाइनों को कम कर उप चौकियों का निर्माण लोड सेन्टर पर करना शुरू किया जिससे कि उपरोक्त समस्या का समाधान होने लगा। ये वितरण चौकियां निम्न स्थानों पर निर्माण की गयीं :—

(1) पेटी का नोहरा मोती चौक

(2) मरडिया हास्पिटल मोती चौक

(3) गोविन्दा बावड़ी

(4) बकरा मण्डी नगर निगम के पास

(5) मजदूर मैदान सोजती गेट

(6) कौल राज का बेरा

(7) सिटी बस-टैम्पो स्टैण्ड

इन वितरण उप चौकियों के निर्माण के बाद उस क्षेत्र को वितरण लाइनों का संचालन उन्हीं उप चौकियों से होने लगा एवं सोजती गेट सब स्टेशन पर लगे ट्रांसफार्मरों का सम्बद्ध भार भी कम हो गया तथा वहां पर लगे ज्यादातर ओ. सी. बी. की उपयोगिता नगण्य रह गयी। तत्पश्चात् भी स्टेशन रोड, सोजती गेट जाने वाले एल. टी. फीडर की लम्बाई ज्यादा एवं मांग की बढ़ोतरी को मद्दे नजर रखते हुए एक ट्रांसफार्मर को स्टेशन रोड पर दूध मन्दिर के सामने लोड सेन्टर पर स्थानान्तरित किया गया। तत्पश्चात् स्टेशन रोड की वोल्टेज के कम दबाव के कारण एक अन्य उप चौकी का बाम्बे लॉज के पास निर्माण करना पड़ा। इसी से सोजती गेट व स्टेशन रोड पर वोल्टेज में पर्याप्त सुधार हुआ व छीजत कम हुई। इसी प्रकार एक ट्रांसफार्मर चिल्ड्रन पार्क हरिजन बस्ती, घोड़ों का चौक रोड पर स्थानान्तरित करने से घोड़ों का चौक, मोहम्मदी चौक से सम्बन्धित क्षेत्र में वोल्टेज में पर्याप्त सुधार हुआ। अतः यह कार्य तकनीकी दृष्टि से उचित व सही है।

यह सही नहीं है कि विद्युत मण्डल ने इस सब स्टेशन का स्थानान्तरण किसी निजी

(श्री अनंग कुमार जैन)

संस्थान को लाभ पहुंचाने की नीयत से किया है। एक निजी संस्थान द्वारा दरवाजा सोजती गेट सब स्टेशन की तरफ निकालने के कारण सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने पुलिस थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवायी है एवं एक मुकदमा भी कोर्ट में दायर किया है जिसकी कार्यवाही कोर्ट में चल रही है। नगर निगम, जोधपुर ने अपने पत्र संख्या 95 दिनांक 4-4-95 द्वारा यह दावा किया है कि उक्त भूमि नगर निगम की है और वह लीज पर रा. रा. वि. म. को दी हुई है। इस भूमि पर रा. रा. वि. म. का ही आज दिन तक कब्जा है।

जोधपुर शहर में 33/11 के. वी. उप चौकियों का निर्माण होने के पश्चात् इस स्थानों से निकलने वाले 11 के. वी. लाइनों के नियन्त्रण हेतु इन उप चौकियों पर कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय को स्थानान्तरित किया गया एवं एम. जी. एच. 33/11 के. वी. उप चौकी पर इसी अनुरूप सोजती गेट उप कार्यालय को वहां स्थानान्तरित किया गया जिसके कि सोजती गेट के क्षेत्र की 11 के. वी. लाइन के नियन्त्रण में सुधार हुआ है। अतः यह आरोप कि सोजती गेट उप चौकी एवं उप कार्यालय का स्थानान्तरण किसी निजी संस्था को राहत पहुंचाने की नीयत से किया है, सही नहीं है अपितु मण्डल व उपभोक्ताओं के हित में किया गया है।

पूर्व में सोजती गेट सब स्टेशन में 2 × 500 के. वी. क्षमता के दो ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित थे जहां से इसके आसपास के सम्बन्धित क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति इसके द्वारा की जाती थी। चूंकि इस क्षेत्र में विद्युत भार बढ़ने के कारण कम वोल्टेज की समस्या पैदा हो गयी, अतः विद्युत समस्या के निराकरण हेतु 11 के. वी. लाइन खींची गयी। इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नये सब स्टेशन निर्माण कर लोड को विभिन्न स्थानों पर नये-नये सब स्टेशनों में स्थानांतरित कर वोल्टेज की समस्या का निराकरण किया गया। अब नये सब स्टेशनों का निर्माण हो जाने के पश्चात् विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में पूर्व से काफी सुधार हो गया है, अतः पुनः पूर्व स्थान सोजती गेट में सब स्टेशन बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी का इस बात के लिये तो मैं आभारी हूं कि उन्होंने जवाब देने के लिये अपने आपको सुधार लिया। महत्वपूर्ण बात यह है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि जोधपुर शहर के अन्दर कितने सब स्टेशन बने हुए हैं ? नम्बर एक। नम्बर दो, किन-किन सब स्टेशनों के कार्यालय स्थानांतरित हुए ? मेरा यह स्पष्ट आरोप है, उपाध्यक्ष महोदय, कि विद्युत मण्डल ने जोधपुर में सब-स्टेशन हटाने का जो आधार बनाया है, विस्तार के लिये और वहां की जनता की सुविधा के लिये केन्द्रित करने का जो माध्यम बनाया है मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल असत्य है, निराधार है। जोधपुर के पूर्व महाराजा गजसिंहजी को लाभ देने के लिये उस जमीन से विद्युत मण्डल ने वहां का अपना कार्यालय हटाया है। क्योंकि जब कार्यालय हटा, उपाध्यक्ष महोदय, उस कार्यालय के हटने की तिथि के साथ ही वहां से पीछे दरवाजा निकाल दिया गया उसको लाभ पहुंचाने के लिये जब जोधपुर की

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जनता ने इसके बारे में जोर से आवाज उठायी, तब वहां के ए. ईएन. को मुकदमा दायर कराना पड़ा, एफ. आई आर. लॉज करनी पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद में भी शर्म की बात थी कि उस ए. ईएन. का स्थानांतरण यहां कोर्ट से कराया गया सिगल आदमी का। वह स्थानान्तरण आदेश आप देख लीजिये, एक ए. ईएन. को सिंगल आर्डर से हटाया गया क्योंकि उस ए. ईएन. ने उस सम्पत्ति को बचाने का प्रयास किया।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात और है। इसके अन्दर जो जवाब दिया है, मंत्री महोदय, शायद वह पढ़ना भूल गये या इनको पढ़ने से मना कर दिया गया कि जनता की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। मुझे जवाब दिया है उसमें यह है कि जनता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मुझे अच्छी तरह से इस बात का ज्ञान है, पहले से नगर निगम के पार्षदों ने और जनता के लोगों ने पत्र दिये चेयरमैन को। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर बिजली की मांग पर चर्चा हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उस समय मैंने आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन भण्डारी जी से बात की यहां पर, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करता, इसमें कुछ न कुछ मामला है। यह बात भण्डारीजी ने मुझे यहां पर कही। मैंने कहा, इस तरह का सीरियस मैटर है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एक सब स्टेशन हटाया गया, खाली वोल्टेज की बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वोल्टेज बढ़ाने के लिये ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं, उनकी क्षमता बढ़ायी जाती है या कार्यालय हटाया जाता है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सवाल पूछिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल ही ...

श्री उपाध्यक्ष : स्पेसिफिक सवाल।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सवाल ही पूछ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जोधपुर के अन्दर एक भी सब स्टेशन को नहीं हटाया गया, सिर्फ इसी को हटाया गया और इसमें यह कहा गया कि न्यायालय में मामला चल रहा है। मेरी जानकारी में यह है कि खाली एफ. आई. आर. लॉज हुई है, न्यायालय में यह मामला गया ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी असत्य बयानी यहां पर की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आगे चलिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अभी जवाब आ जाएं इनके पहले।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय, क्या आपने यह स्टेटमेंट खाली जो अफसरों ने लिखकर दिया है वह पढ़ा है? आप मौका जाकर तो देखिये, उस सब स्टेशन के हटने से एक व्यक्ति की प्रोपर्टी की करोड़ों रुपये की कीमत बढ़ गयी, मेन रोड पर उसका दरवाजा खुल गया। इस तरह से सरकार

(श्री माधवसिंह दीवान)

किसी एक इन्डिवीजुअल को फायदा देने के लिऐ सब स्टेशन हटा रही है और जवाब गोलमोल दे रही है। कम से कम आप जवाब सदन के अन्दर देने से पहले विचार करें कि ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 20 सालों में (व्यवधान) कोई कहीं पर भी नहीं हटाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जोधपुर के अन्दर कितने ऐसे सब स्टेशन हटाये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय? वोल्टेज में सुधार हो रहा है वह ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ट्रांसफार्मर लगाने से हो रहा है (व्यवधान) लगाने से हो रहा है और ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियमों के अन्तर्गत बोलिये। विराजिये आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : और गरीब लोगों को (व्यवधान) उनकी सिफारिश से सब स्टेशन को वहां से हटाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। जिसने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पूछा है, उनके सवालों का जवाब आने दीजिये। आप विराजिये।

श्री रामनारायण डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी हमारे सबके सवालों के जवाब एक साथ में दे देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा।

एक माननीय सदस्य : आप सबके जवाब एक साथ में दिला दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : इस प्रकार की धांधली राजस्थान के अन्दर कहीं नहीं हुई है, यह पहला काम है ...

श्री उपाध्यक्ष : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर आपका नाम नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण डूडी : केवल देखने और वितरण व्यवस्था में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर आपका नाम नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं है तो, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो पूछ सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है। माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन्होंने आपकी अटेंशन काल नहीं की है लेकिन मामला बड़ा सीरियस है ...

श्री उपाध्यक्ष : नियमों का पालन नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : पालन होगा लेकिन ये नियमों को तोड़ रहे हैं, जो वायोलेट कर रहे हैं (व्यवधान) + + + मैनर में। इसी तरह से पर्टिकुलर व्यक्ति को

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

आब्लाइज करना, या तो किया है आपने नाहरगढ़ के अन्दर और या किया है सब स्टेशन की रिमूवल करके, इसलिये यह मैटर सीरियस है, उपाध्यक्ष महोदय। लोक सभा चलती है साल में छह महीने। अब आप कृपा करें मुख्य मन्त्रीजी कह रहे हैं कि 12 बजे तक बैठेंगे तो हम बैठने की तैयारी में हैं, कल चार तारीख की सुबह दो बजे तक। इम्पोर्टेन्ट मैटर से डिप्टी सी. एम. भी एग्री करेंगे। अभी वे एक बिल भी लाये हैं, अगर वह पास कराना इतना जरूरी है तो उसको भी देखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री): पास नहीं कराना है, पेश करना है।

श्री परसराम मदेरणा: वह तो आपने पारित का नहीं लिखा है, इतना तो मैं थोड़ा बहुत समझता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा: आप कह रहे हैं पारित करवाना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा: नहीं, आपका क्या भरोसा? आप यह ले आये और आकर के यह सर्कुलेट कर रहे हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा: मुझे इन नियमों और कानूनों का पता है। यदि पास कराना होता तो उसमें लिखते कि पास कराना है।

श्री परसराम मदेरणा: नहीं – नहीं, आपको मुझसे ज्यादा पता है। आप इस कुर्सी पर विराजे हैं और रूल्स और प्रोसीजर की मास्टरी करनी पड़ती है। मुझे यहां दो दिन का समय मिला था और दो दिन के समय में मैंने जिस तरह से हाउस चलाया है, वह अनन्तास्वामी अय्यंगर ने चलाया है या परसराम मदेरणा ने चलाया है।....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा: इसलिये यह बहुत सीरियस मैटर है। .. (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक: आज भाभड़ा साहब वैसे भी मुख्य मंत्रीजी की कुर्सी पर बैठे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन: उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर का तेजी से विकास हो रहा है और जिस प्रकार उसका विकास और फैलाव हो रहा है तो विद्युत की आवश्यकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। विभिन्न सब स्टेशनों के माध्यम से जोधपुर शहर के अन्दर कनेक्शन दिये गये हैं....

श्री माधव सिंह दीवान: आप स्पेसिफिकली जवाब दीजिये क्वेश्चन का, बैकग्राउण्ड क्या बना रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): मांग करने पर सब स्टेशन और बनाये जाते हैं, हटाये नहीं जाते।

श्री अनंग कुमार जैन: माननीय, सीधा जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जो मुद्दे उसके अन्दर उठाये हैं....

एक माननीय सदस्य: आप + + + बात करें और वही कह दें ... (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अनंग कुमार जैन : वही कह दूं मैं। जिस प्रकार विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न लोगों ने नये कनेक्शन के लिये आवेदन किये। कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पूर्व में कम कनेक्शन थे, वहां पर कनेक्शनों का दबाव बढ़ा। उसकी वजह से जहां आवश्यता थी वहां ट्रांसफार्मर्स को चेंज किया गया, अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स लगाये गये। उसी प्रकार....

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो एक ही जवाब दिलवाइये न। यह किया है तो अच्छा किया है, उन लोगों को फायदा हुआ होगा लेकिन एक बात बता दीजिये कि यह जो हुआ है क्या एक आदमी को फायदा देने के लिये हुआ है ?

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं, कतई नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसकी जांच कर लीजिये, खतम कीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : एक मिनट सुन लें।

श्रीमती कमला : मकान बदलने से वोल्टेज कैसे बढ़े, यह बताइये। यह विधि बताइये।

श्री माधव सिंह दीवान : वोल्टेज कैसे बढ़े ?

श्री रामनारायण डूडी : हां, यह बता दीजिये, ए. ईएन. की बदली करने से वोल्टेज कैसे बढ़ गये ?....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : ज्यादा होने से तो वोल्टेज बढ़ते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर्स हटाने से वोल्टेज कैसे बढ़ गये ?

श्री रामनारायण डूडी : मकान बदलने से आपके वोल्टेज कैसे बढ़ गये ? आपने कितने ऐसे जी. एस. एस. का मतलब....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सुनें तो सही।

श्री रामनारायण डूडी : वोल्टेज बढ़ने के लिए स्थानान्तरित किये हैं, यह बता दीजिये।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी को सुन लें। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह यह सब स्टेशन स्थापित था वहां से कई एरिया में विद्युत सप्लाई की जाती थी। उसको हटाने के बाद उस एरिया के उपभोक्ता थे उनको विभिन्न सब स्टेशन पर ट्रांसफर किया गया। कई क्षेत्र के उपभोक्ता तो ऐसे थे जिनको काफी दूर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती थी और उनके यहां विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिये उनको विभिन्न क्षेत्र के अन्दर जो दूसरे सब स्टेशन थे उनमें स्थानान्तरित किया गया। इससे वहां के लोकल उपभोक्ता को सुविधा हुई। दूर के मन्दिर के पास इसको स्थानान्तरित किया गया है, उस एरिया से जो कनेक्टेड एरिया था उसके लोड को सुधारने के लिये, वोल्टेज प्राब्लम को सुधारने के लिये तकनीकी दृष्टि से सारा एग्जामिनेशन करने के बाद इस सब स्टेशन को स्थानान्तरित किया गया। माननीय सदस्य का यह कहना

(श्री अनंग कुमार जैन)

कि किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये यह सब स्टेशन स्थानान्तरित किया गया है, कतई असत्य है । किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं किया बल्कि तकनीकी दृष्टि से जोधपुर की जनता को अच्छी तरह से विद्युत मिले, उनकी शिकायतों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, उनका निस्तारण जल्दी हो और वहां के उपभोक्ताओं को और वहां की जनता को सुविधा हो, उस सुविधा की दृष्टि से पूरे जोधपुर शहर की जो वितरण व्यवस्था है उस दृष्टि से इस सब स्टेशन को उस स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है ।

जहां तक दरवाजा खोलने का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही वहां पर दरवाजा खोला गया और विद्युत मण्डल की निगाह में यह बात आयी, चीफ इंजीनियर जो वहां के इस वक्त हैं, उन चीफ इंजीनियर स्वयं ने आदेश दिया कि इस मामले में जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी जाए । थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी, एफ आई. आर. लॉज हुई और उसका चालान अदालत के अन्दर पेश कर दिया गया है जो विचाराधीन है अदालत के अन्दर । जो भी कानूनी कार्यवाही थी उसको तत्काल किया गया । यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिये यह कार्य करती है तो उस प्रभावशाली के खिलाफ अदालत के अन्दर चालान पेश नहीं करवाती । राज्य सरकार का कभी यह दृष्टिकोण नहीं रहा और कभी सरकार यह नहीं चाहती कि सार्वजनिक हित के आगे किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचा कर सार्वजनिक हितों की बलि दी जाए । बल्कि राज्य सरकार तो हमेशा इस उद्देश्य को सामने रखती है कि जहां, सार्वजनिक हित का सवाल हो वहां कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आये, चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति के हित का सवाल हो, वह राज्य सरकार के सामने नगण्य रहता है । सार्वजनिक हित की बात सबसे पहले रहती है, उसी दृष्टि से राज्य सरकार ने इस सब स्टेशन को स्थानान्तरित किया । हो सकता है, पूर्व कांग्रेस शासन के अन्दर इस प्रकार की परिपाटी चलती रहती थी इसलिये उनको यहां ध्यान आ रहा है । मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं ... (व्यवधान) कि यह किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को फायदा पहुचाने के लिये नहीं किया गया बल्कि वहां की वितरण व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से इस सब स्टेशन को स्थानान्तरित किया गया है और उस सक्षम व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की गयी ।.... .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें । मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्टेड प्रश्न किया है ।

श्री हरजीराम बुरडक : एफ. आई. आर. में मुल्जिम कौन है ? एफ. आई. आर. में मुलजिमान के नाम बताइये आप । ....(व्यवधान) ..

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइन्टेड प्रश्न किये हैं । और वह यह कि कितने सब स्टेशन हैं जोधपुर शहर में, उनमें से किनको शिफ्ट किया गया ? सिर्फ इसी एक को शिफ्ट किया गया । और मैंने यह, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूछा है कि शिफ्ट करने में वोल्टेज में सुधार करने की

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बात है, तो जोधपुर के अन्दर विस्तार खाली इस सोजती गेट का ही हुआ है क्या ? और दूसरे केन्द्र की भी बात करते हैं। मैं इस सदन के अन्दर दावा करता हूं कि यदि मैंने जो यह आरोप लगाया है इस आरोप के अन्दर एक भी बात असत्य हो तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। आप जांच कर लीजिये इस बात की। क्या बात करते हैं ? बयान गलत हैं और भूतपूर्व महाराजा जोधपुर गजसिंह को इन्होंने बचाने के लिये जिस तरह का प्रयास किया है, क्या बात करते हैं आप....

श्री माधव सिंह दीवान : आर. टी. डी. सी. के चेयरमैन थे उनको फायदा देने के लिये....

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं यह बात सदन के अन्दर कह रहा हूं। मुझे एक बात आप बताइये, वोल्टेज विस्तार हुआ नहीं और यह जो सुविधा की बात करते हैं जनता की, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बात के लिये भी कहता हूं, ये कोई खुदा नहीं हैं आर. एस. ई. बी. के अधिकारी जो अपने आप को तकनीकी कहते हैं। दूसरी जगह भी बिजली आती है....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल हो गया, विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये आप, बहुत गम्भीर बात है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, वहां पर ओ. सी. बी. लगी हुई थीं, जिस जगह फाल्ट होता था उस साइड की ओ. सी. बी. को बन्द कर दिया जाता था और दूसरे लोगों को नुकसान नहीं होता था, उनकी लाइट चालू रहती थी। और अभी केवल एक जगह लगी हुई है। यदि कहीं पर भी पूरे क्षेत्र में फाल्ट आएगा तो बिजली पूरे इलाके की बन्द होगी। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं यह आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कि जिस तरह से आप यह बयान दे रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने काफी विस्तृत बयान दिया है, काफी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं—नहीं, मन्त्री जी ने बयान नहीं दिया अभी तक। मंत्रीजी ने मैंने जो बात पूछी है उसका जवाब नहीं दिया है। जनता की शिकायत है उसके बारे में नहीं बोले हैं मंत्रीजी। मैंने मंत्रीजी से यह कहा है कि वोल्टेज सुधार करने के लिये कितने सब स्टेशन हटाये गये, एक भी ..

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है जन हित में किया है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जन हित, कौन-सा जन हित ? हम बोल रहे हैं न, हम जन हित के लिये ही खड़े हैं यहां पर। मुझे इस बात का जवाब दिलवा दीजिये कि कितने सब स्टेशन जोधपुर के विकास को देखते हुए हटाये गये और दूसरी जगह लगाये गये। एक भी नहीं लगाया गया, सिर्फ इसी को हटाया गया और वह भी उस जोधपुर के

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

भूतपूर्व महाराजा गजसिंह को लाभ देने के लिये। उस जमीन के लिये, इस तरह का षड्यन्त्र किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात और है। उस सम्बन्धित ए. ईएन. को मैंने यह भी पूछा क्या उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। बिलकुल, चेयरमैन, बोर्ड के आदेश हैं, सिगल आर्डर हैं, उस आदमी का ट्रांसफर हुआ है। इसके अन्दर साफ बू आती है। जब हो--हल्ला मचा तब एफ. आई. आर. लॉज उस ए. ईएन. ने की और उसके बाद में इसको हटा दिया गया। यह मैंने पूछा है, इसका जवाब दिलवाइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त नहीं होगी।

श्री माधव सिंह दीवान : बिलकुल नहीं होगी। ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरी चर्चा का जवाब दिलवाएं, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह आब्जर्वेशन शिरोधार्य है कि जन हित की बात इन्होंने कही, प्रभारी मंत्रीजी ने, जो टैम्परेरी आफिसिएट कर रहे हैं एनर्जी मिनिस्टर को। जो कुछ भी एलिगेशन लगाये या जिस परपज और जिस इंटेशन से इसको ट्रांसफर किया, इन्होंने कहा है कि वह सब असत्य लगा रहे हैं ये। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि अगर मैंने असत्य बात कही है तो मैं इस सदन से त्यागपत्र देने को तैयार हूं, यह उन्होंने सदन को आश्वासन दिया है। अब कोई न कोई बात तो असत्य कह रहे हैं। चाहे मंत्रीजी कह रहे हों चाहे माननीय सदस्य कह रहे हों। इसलिए मेरा ऐसा सुझाव है, इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को, जो टैक्निकल मामलों में ज्ञान रखते हों और जहां तक मेरा आकलन है चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य काफी टेक्नोक्रेट माइण्डेड हैं, अभी एबसेंट हैं वे, एक व्यक्ति से इसकी जांच करा ली जाए ताकि सत्यता का पता लग जाए। आप खड़े होकर भी यह कह दीजिये कि अगर मैंने असत्य कहा है तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा ताकि कम से कम उसका परिणाम तो आ जाए जांच के आगे कि कौन असत्य बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है। सत्य और असत्य वर्ड को यूज करके जो बात कह रहे हैं, माननीय सदस्य ने यहां पर दावा भी किया है और इस सदन को आश्वासन भी दिया है। बहुत सीरियस मैटर है, चुनौती दी है, बहुत बड़ी चुनौती दी है, इसलिये आप भी इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिये और दोनों में से एक का पत्ता कटेगा तो कोई बात नहीं, जाएंगे यहां से वे।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मंत्रीजी के पास तो टैम्परेरी चार्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीरामजी बुरडक।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : जवाब क्या देना है? आपका इस्तीफा तो मैं मंजूर करना चाहता नहीं और न आपसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस्तीफा दिलवाने की कोई स्थिति पैदा करना चाहता। (व्यवधान) एक मेरी सुनिये। टैक्निकल मामला है, इसको देख लेंगे। आपको सन्तोष नहीं होगा अगर, सारी जांच से सन्तोष नहीं हो तो आपसे मैं बात कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मुख्य मंत्री जी, मैं सिर्फ एक ही लाइन पर आपसे जवाब चाहता हूं सदन के अन्दर कि आप इस मामले की जांच करवा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जांच के लिये तो मैं खुद ही कह रहा हूं न। मैं टैक्निकली भी दिखवा लूंगा और जो जवाब दिया है उसको भी देख लूंगा। और आपने जो आरोप लगाये हैं उनको भी देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

चरागाहों से अतिक्रमण हटाने में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमानी कार्यवाही

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत तहसील लाडनूं जिला नागौर में राजस्व कर्मचारियों द्वारा चरागाहों के अतिक्रमण हटाने में मनमाही कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला नागौर में गोच अंगोर इत्यादि भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 26–9–95 से 30–9–95 तक एक अभियान चलाया गया। यह सही नहीं है कि अतिक्रमियों से सांठ गांठ करके मात्र दिखावा ही किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 5 दिवसीय अभियान में जिले में 1635 बीघा भूमि पर 885 व्यक्तियों का अतिक्रमण हटाया गया है।

यह भी सही नहीं है कि जो व्यक्ति पटवारी व राजस्व निरीक्षक से सांठ गांठ करने में शामिल नहीं थे उन्हीं के अतिक्रमण हटाये गये थे तथा अन्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

ग्राम सुनारी, हीरावती, हुडास, मणु, आसोटा, जसवन्तगढ़, छपारा व बलदू में रिश्वत लेकर कब्जे नहीं हटाये जाने सम्बन्धी कथन सही नहीं है अपितु अभियान की संक्षिप्त अवधि में ग्राम सुनारी में 14 व्यक्तियों का 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर से, ग्राम हीरावती में 8 व्यक्तियों का 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि से, ग्राम जसवन्तगढ़ में 2 व्यक्तियों का 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि से तथा ग्राम हुडास में 4 व्यक्तियों का 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया गया है। शेष 4 ग्रामों में किसी भी व्यक्ति का अभियान अवधि में अतिक्रमण हटाया नहीं गया। इसके लिये तहसीलदार, लाडनूं को इन ग्रामों में अतिक्रमण हटाने को पाबन्द किया गया है।

अतिक्रमण हटाने के मामले में कोई पक्षपात नहीं किया गया तथा रिश्वत लिये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री का जो उत्तर आपने सुना, शुरू-शुरू में बड़े जोर से कहा नागौर जिले में अतिक्रमण हटाने के लिये कलेक्टर ने अभियान चलाया। उस अभियान का नतीजा क्या निकला कि लाडनूं तहसील में केवल 15 बीघा भूमि से कब्जा हटा है और 15 बीघा में कई व्यक्तियों के इन्होंने आंकड़े भी दिये हैं। लेकिन मैंने जो मेरा ध्यान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिखा था, उदाहरण के लिये इन 8 गांवों के नाम लिखे थे। आपने उत्तर में कह दिया कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। मेरा इसमें साफ लिखा हुआ था कि जिन लोगों ने पटवारियों को या राजस्व निरीक्षकों को पैसे नहीं दिये उनके नाम के अतिक्रमण दर्ज कर दिये और जिन्होंने पैसे दिये उनके नाम से किये नहीं। मैंने इसमें साफ उल्लेख किया था कि आप किसी बाहर के जिले से कोई टीम भेजकर चरागाहों का और अंगारों का सर्वेक्षण करवाइये तब पता लगेगा कि अतिक्रमण कितना था और आपने हटाया कितना। इस बात की ओर आपने कोई ध्यान दिया नहीं और दो लाइन जो नीचे से लिखकर आयीं वे आपने पढ़ दीं कि ऐसी कोई शिकायतें नहीं हैं, यह सब गलत है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो मैंने मेरे प्रस्ताव में बात कही थी उसकी ओर आप ध्यान देते। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, एक-एक गांव में सैंकड़ों बीघा पर कब्जा है। आपने इतना लम्बा–चौड़ा बयान देकर 15 बीघा भूमि का अतिक्रमण हटाया है। मैंने उल्लेख किया ग्राम मणु का, मणु में कम से कम सौ बीघा भूमि पर अतिक्रमण है। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने 76 बीघा पर अतिक्रमण कर रखा है, आपने उसको नहीं हटाया। आपने इतनी दूर घूमकर और इतने लोगों के झोंपड़े तोड़कर केवल 15 बीघा भूमि छुड़ायी है। दूसरा, आपने आसोटा के बारे में कह दिया कि वहां से अतिक्रमण नहीं हटाये। इस आसोटा का मामला लगातार तीन सत्र से आ रहा है, आपने तीन बार में तीन जवाब दे दिये। अभी पिछले सत्र का जवाब आपने मेरे को दिया अगस्त में, उस जवाब में आपने लिखा है कि वहां पर....

श्री उपाध्यक्ष : स्पेसिफिक सवाल पूछ लीजिये।

श्री हरजीराम बुरडक : सवाल ही पूछ रहा हूं और क्या कर रहा हूं ? फिर क्या सवाल होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत ले रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : इस सवाल का क्या होगा ? क्या परिभाषा है सवाल की ? जब मैं बात नहीं करूंगा तो सवाल क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जब माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, क्या दे दिया वक्तव्य ? यह तो कह रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : उसको दोहरा क्यों रहे हैं ?

श्री हरजीराम बुरडक : इन्होंने सवाल के बारे में पहले यह कहा कि हमारे पास इस गांव की फाइलें नहीं हैं। यह उत्तर

(श्री हरजीराम बुरडक)

आपने अगस्त में मेरे को दिया। इसका दूसरा प्रश्न जब इस सैशन में आया तो मालूम हुआ कि वे फाइलें तो एस. डी. ओ. कोर्ट में 12 साल से जांच हो रही हैं, जिन अतिक्रमियों पर आपने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये। आपने इसमें यह भी लिखा है कि मौके पर किसी को नहीं हटाया। आप 18 साल तक कागजों में अतिक्रमण हटाते रहे और जवाब आपने तीन तरह का दिया है। इसी तरह से दूसरे गांवों की हालत है। पहली बात तो यह है कि आसोटा के बारे में आपने जो तीन जवाब दिये हैं उनमें सही कौन-सा है? दूसरा मेरा यह है, मेरे प्रस्ताव में मैंने यह कहा है कि आप किसी पार्टी को जिला लेवल से भेजकर केवल इन 8 गांवों की चैकिंग करवा लीजिये कि चरागाह और अंगोर, इनमें कितने में कब्जा है और कितने में पटवारियों ने रिपोर्ट नहीं की? तीसरा मेरा यह है, अभी चर्चा हो रही थी प्रश्नकाल में कि आपने जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में अमेण्डमेंट किया था उसमें यह किया था कि पटवारी और रेवेन्यू इन्सपैक्टर की जिम्मेदारी होगी, जितने दोषी अतिक्रमी हैं उतने दोषी वे भी होंगे, तो यह जो रिपोर्ट नहीं की हैं उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही करेंगे? चौथा मेरा यह है कि इस कीमती जमीन जो आसोटा की है, जिस पर दुकानें बनी हैं आपने नियम में बता दिया बाड़ों का और कब्जा बता दिया दुकानों का। यह आपने उत्तर में स्वीकार किया है कि नियमन दूसरे नम्बर की थी और सड़क के ऊपर कीमती जमीन पर उन्होंने दुकानें बना लीं तो किसी बात पर तो आप सहमत हो। उत्तर में आपने स्वीकार किया उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं की, यह कह दिया कि हम जांच करा लेंगे और दूसरे उत्तर में कह दिया कि 87 से जांच हो रही है एस. डी. ओ. कोर्ट में। अब 87 से क्या जांच हो रही है, साहब?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव केवल अभियान के सम्बन्ध में था।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, अभियान का मैंने कहां लिखा है?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं पहले निवेदन कर दूं। माननीय सदस्य ने अभियान के सम्बन्ध में पूछा है इसलिये कुछ जानकारी अभियान के सम्बन्ध में ही दी है और जो गांव माननीय सदस्य ने लिखे उनके सम्बन्ध में जानकारी दी हैं, पूरे लाडनूं तहसील का इसमें फीगर मैंने नहीं दिया। अब मैं दुबारा कह देता हूं, पूरी लाडनूं तहसील में अभियान के दौरान 52 व्यक्तियों का 24 बीघा 10 बिस्वा से कब्जा हटाया था। जो गांव माननीय सदस्य ने इसमें जिक्र किये उनमें से 4 गांवों के ही अभियान के दौरान कब्जे हटाये थे, उनका ही फीगर मैंने इसके अन्दर दिया है, दूसरों का फीगर अभी मैंने इसमें नहीं दिया। आसोटा की जहां तक बात है, अभियान के दौरान इसका कब्जा हमने नहीं हटाया, वहां पर कोई पार्टी नहीं भेजी। लेकिन पुराने वक्त में आपके जो प्रश्न हैं, आपका जो पहले का ध्यानाकर्षण है उसके अन्दर मैंने उत्तर दिया है। जहां तक जबानी मुझे याद है–इस वक्त वह कागज मेरे पास में नहीं है, यह बात सही है कि जिन व्यक्तियों का जिस जगह नियमन किया गया

(श्री गंगाराम चौधरी)

था बाड़ों का, उस जगह के अलावा उनका अतिक्रमण है। वह अतिक्रमण हटाने के लिये जिला कलेक्टर बाध्य है और मैं उनसे कहूंगा कि नियमन के अलावा अगर किसी जगह किसी का कब्जा है तो वह हटाया जाए।

दूसरी बात, माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया है, थोड़ी देर पहले ही मैंने अर्ज किया था कि माननीय विधायक, प्रमुख और प्रधान इन लोगों से जिला कलेक्टर समय–समय पर सम्पर्क करेंगे और उनसे जानकारी करेंगे। इस वक्त मैं यह निवेदन कर दूं कि जिन गांवों का आपने जिक्र किया है लाडनूं तहसील में, जिन खसरा नम्बर में नाजायज कब्जा है और उनको अभी तक नहीं हटाया गया–वैसे उसमें मैंने कहा भी है, तहसीलदार को पाबन्द भी किया है कि उनको हटाया जाए, उनको विशेष तौर से हटाया जाएगा। माननीय सदस्य जिला कलेक्टर को जो भी बताएंगे उन कब्जों को हटाने का विशेष तौर से प्रयत्न किया जाएगा।

राजकीय कर्मचारी का हमारी धारा 91 (6) में जिक्र है, कि राजकीय कर्मचारी, जिनकी सांठगांठ है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि उस धारा को आप ठीक से देखें तो उसमें यह लिखा है कि जिला कलेक्टर अगर आदेश दे जिस राजकीय कर्मचारी को विशेष तौर से कब्जा हटाने के लिये और वह उसकी समय पर अनुपालना न करे तो उसको दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। एक महीने की सजा या जुर्माना जो भी उसमें जिक्र है, वह है। इसके अलावा भी अनुशासनात्मक कार्यवाही हर राजकीय कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतने पर की जाती है। तो, माननीय सदस्य, आप यदि जिला कलेक्टर को कुछ बताएंगे तो जिला कलेक्टर अवश्य ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। आसोटा के मामले में आपने जो अभी अगस्त में उत्तर भेजा है उसमें आपने माना है कि इन 12 या 15 मामलों में 18 साल तक लगातार कागजों में कब्जा हटाते रहे लेकिन मौके पर नहीं हटाया। यह आपने माना है। तो हटाते तो पटवारी, आर. आई. हैं, और कौन हटाता है ? दूसरा मेरा यह था कि 8 गांव के नाम दिये। आपको क्या तकलीफ हो रही है, कलेक्टर को कहिये कि जिले से ही कोई टीम भेजकर के उन गांवों का सर्वे करवा लें। जितने भी गोचर और आगोर हैं सिर्फ उन्हीं का करवाना है। उनमें इन्होंने जो बताये अगर वे कब्जे सही हैं तो ठीक है, अगर उनसे ज्यादा निकले तब तो आप कार्यवाही उनके खिलाफ करेंगे ? सीधी–सी बात है। इसमें क्या करेंगे, साहब ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें क्या आपत्ति है आपको ?

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिला कलेक्टर से कह देंगे, सर्वे करवा लेंगे। आसोटा के मामले में जो आपने कहा, (व्यवधान) एक मिनट और मैं अर्ज कर दूं कि आसोटा में

(श्री गंगाराम चौधरी)

जो जमीन आबादी घोषित कर दी गयी थी, बीच में अदालत ने ...

श्री हरजीराम बुरडक : वह अलग बात है। आपने यह कहा है कि 18 साल तक, जिनके फाइलों में आपने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये दूसरे साल उसी में अतिक्रमण हो गया। यह भी आपने माना है एक उत्तर में कि उन्होंने मौके पर फिजीकली कब्जे नहीं हटाये। तो जो उस समय पटवारी था, उस समय यह राजस्व भूमि थी आज आबादी में हो गयी होगी, मैं आज की नहीं कह रहा हूं, उन पटवारियों और आर.आई. के खिलाफ तो कुछ करेंगे कि नहीं ? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके इस कानून की धारा 91 (6) का क्या होगा ? कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिये आप तो दो बात बता दीजिये (व्यवधान) एक तो उन 8 गांवों की जमीन का सर्वे करवाना; दूसरा, इस पीरियड में आसोटा में जो पटवारी और आर. आई. थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करना, ये दो बातें बता दीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य, जो जमीन घोषित थी और बीच में कुछ अर्से के लिये घोषित नहीं थी....

श्री हरजीराम बुरडक : खतौनी में जो सरकारी जमीन (व्यवधान) रही, उसी पीरियड की बात है।

श्री गंगाराम चौधरी : उसके बाद में फिर वह आबादी में आ गयी।

श्री हरजीराम बुरडक : अब हो गयी ना।

श्री गंगाराम चौधरी : इसलिये अब यह सोचने, एग्जामिनेशन की बात है कि वह आदमी कितना दोषी है। जब आबादी में, बीच में ... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : उसको पता लग रहा था कि आगे 1994 में आबादी में होगी ? उसको पहले ही पता लग रहा था ?

श्री गंगाराम चौधरी : वे कब्जे पहले से थे, वे बाद में हो गये।

श्री हरजीराम बुरडक : 1983 में जो पटवारी था, उसको क्या पता था कि 1994 में जाकर आबादी में होगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री हरजीराम बुरडक : एक मिनट, साहब, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पटवारी 1984, 85, 86 में उस गांव में था, तहसीलदार का जमीन से कब्जा हटाने का आदेश था, उसने फिजीकली इसलिये नहीं हटाया कि वह 1994 में आबादी में होगा। यह कोई बात हुई ? मैं यह कह रहा हूं कि जब सरकारी भूमि आपकी खतौनी में दर्ज थी, आबादी में नहीं थी उस समय तहसीलदार ने कब्जा हटाने का आदेश दिया। उस समय कब्जा नहीं हटाया, उन पटवारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : कार्यवाही करेंगे लेकिन उन आदेशों को देखना होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलदार

(श्री गंगाराम चौधरी)

जो आदेश देते हैं धारा 91 के अन्तर्गत कब्जा हटाने का कि हटाया जाए, उस आदमी को ही आदेश देते हैं और वह व्यक्ति जिसने नाजायज कब्जा किया है। समय के अन्दर कब्जा नहीं हटाता है तो तहसीलदार अपनी तरफ से हटाने की कोशिश करता है। सिर्फ पटवारी की जिम्मेदारी नहीं है।.. (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : तो तहसीलदार को साथ ले लो। मैं कब मना कर रहा हूं? आप तहसीलदार को ले लो। (व्यवधान) मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि आप पटवारी की करो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा यातायात विभाग के झुन्झुनूं स्थित कार्यालय में कथित रूप से व्याप्त आपराधिक षड्यन्त्र से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यातायात राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कार्यालय, यातायात विभाग, झुन्झुनूं द्वारा कथित आपराधिक षड्यन्त्र

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत यातायात विभाग के झुन्झुनूं स्थित कार्यालय में कथित रूप से व्याप्त आपराधिक षड्यन्त्र से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं यातायात मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 14–7–95 को परिवहन आयुक्त कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राजस्थान में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में फर्जी रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चलायी जा रही हैं। प्राप्त शिकायत में ट्रक नम्बर आर.जे.–18-जी-526 व बस नम्बर आर.जे.-18-पी-155 का उल्लेख था। शिकायत प्राप्त होने पर उसी दिन तत्कालीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को जांच के लिये आदेश दिये गये। जांच रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को दिनांक 22–7–95 को प्राप्त हुई जिससे प्रतीत होता था कि इन वाहनों का फर्जी पंजीकरण हो सकता है। अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व टेल्को कम्पनी से चेसिस नम्बर के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिये परिवहन आयुक्त ने उसी दिन दिनांक 22-7-95 को यह सूचना प्राप्त करने के टेल्को कम्पनी को निर्देश दिये। दुर्भाग्यवश टेल्को कम्पनी ने यह सूचना 3 महीने के बाद दिनांक 19-10-95 को दी। लेकिन सूचना प्राप्त होते ही फर्जी पंजीकरण की सम्भावना को देखते हुए परिवहन विभाग ने 20–10-95 को ही थाना कोतवाली, झुन्झुनूं में प्रथम सूचना रिपोर्ट 406/95, 407/95 दर्ज करवा दी। गृह विभाग ने सूचित किया है कि इन दोनों मामलों में पुलिस द्वारा तफ्तीश जारी है। वाहन संख्या आर.जे.-18-जी–526 के सम्भावित फर्जी रजिस्ट्रेशन में प्रथम दृष्टि में विभाग के जिला परिवहन अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक को लिप्त पाया गया है और उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। वाहन संख्या आर.जे.–18–पी–155 के सम्भावित फर्जी रजिस्ट्रेशन में लिप्त परिवहन

(श्री रोहिताश्व)

विभाग के अधिकारी तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनूं और तत्कालीन परिवहन निरीक्षक, झुन्झुनूं के विरुद्ध प्राथमिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं। अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री जगदीप धनखड़ ने वाहन संख्या आर.जे.–18 पी-0318 का भी उल्लेख किया है। इस गाड़ी से सम्बन्धित पत्रावली एवं दस्तावेजों को देखा गया है और प्रथम दृष्टि से इस वाहन का फर्जी पंजीकरण नहीं लगता। फिर भी मैंने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि वे इसकी जांच गहनता से अपने स्वयं के स्तर पर कर लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि उपरोक्त सम्भावित फर्जी रजिस्ट्रेशन में जिन चेसिस नम्बरों का प्रयोग किया गया है उसी चेसिस नम्बर से एक अन्य वाहन भी झुन्झुनूं में पंजीकृत हुआ है जिसका पंजीकरण नम्बर आर.जे.–18 पी–0387 है। इस वाहन के असाइनमेंट हेतु भिवानी जिला परिवहन अधिकारी, हरियाणा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 21–9–94 को जारी कर दिया गया है। अतः इस गाड़ी के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, हरियाणा को विस्तृत जांच हेतु लिखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आये हैं उनको मैंने बड़ी गम्भीरता से लिया है और परिवहन आयुक्त को यह निर्देश दिये हैं कि वे सभी अधिकारियों को भविष्य में पूरी सतर्कता बरतने के लिये पाबन्द करें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से इसमें कोई सवालों की गुंजाइश नहीं है, उत्तर पर्याप्त है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि और किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती तो निश्चित रूप से मैं प्रश्न नहीं पूछता। इसमें अनेक प्रश्नों की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। विधान सभा के सचिवालय से जो जानकारी मुझे प्रेषित की गयी है, उसमें इन्होंने लिखा है वाहन संख्या आर. जे.–18 पी–0155 बस के बारे में। पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जो प्रार्थना पत्र एक श्री हरपाल पुत्र श्री रिछपाल ने प्रस्तुत किया, उसके अधिकांश कालम खाली छोड़े हुए हैं। खाली छोड़े गये कालमों में चेसिस नम्बर एवं इन्जन नम्बर जैसे महत्वपूर्ण कॉलम भी नहीं भरे गये हैं। आगे देखिये, प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा दिया गया पता अपूर्ण है। प्रार्थी के पते का कोई प्रमाण–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और इसका वैरीफिकेशन तत्कालीन परिवहन निरीक्षक ने कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे देखिये, हालांकि पंजीयन में इस वाहन पर वित्तीय संस्था का ऋण दिखाया गया है लेकिन प्रार्थना पत्र पर वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आगे देखिये, प्रार्थना पत्र पर जो चेसिस नम्बर पेश किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सवाल करें।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, मैं बता रहा हूं, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो उसको दोहरा रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, यह नहीं पढ़े गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्पेसिफिक सवाल कीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया होता। जो मुझे बताया गया है, पहले कोई भी जाए तुरन्त रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। चेसिस नम्बर नहीं देखते हैं, इन्जन नम्बर नहीं देखते हैं, पता नहीं देखते हैं, अधिकारी उसको वैरीफाई करते हैं। आगे सबसे गम्भीर बात और हुई-यदि उनके चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर का भी अंकन नहीं हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो आतंकवाद को कहां रोकेंगे? नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग को कहां रोकेंगे? आगे ज्यादा गम्भीर बात है, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का सर्टीफिकेट जाली। और किया क्या गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका जवाब है- "वैसे भी इस तथाकथित इन्वाइस की सत्यता संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि पत्रावली पर लगाया गया विक्रेता पत्र तो फोटो–कापी है लेकिन उस पर चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर कॉलम से अलग–अलग भाग में लिखे गये हैं। मतलब, क्या किया गया है? जिरोक्स कापी एक निकाल दी, आप हजारों निकाल सकते हैं। उसके अन्दर हाथ से भर दिया, इन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे देखते जाइये, वास्तव में सेल इन्वाइस विक्रेता की फोटो कापी प्राप्त करना पंजीयन अधिकारी के लिये गैर कानूनी था। आगे जिन संस्थाओं को लिप्त किया गया है, उनमें देखिये, टाटा कम्पनी ने उनको सूचित किया कि इन तीन वाहनों का हमने कभी निर्माण ही नहीं किया जिनका इन्होंने पंजीयन कर दिया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ये वाहन कहां हैं? आपने दो डी. टी. ओ. को सस्पेंड कर दिया, बड़ा अच्छा काम किया। आपने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, बड़ा अच्छा काम किया। ये वाहन कहां गये? आपके विभाग ने कौनसी ऐसी कार्यवाही की है जिसके तहत ये वाहन जो टाटा कम्पनी ने निर्मित ही नहीं किये, जिनको आपके अधिकारियों ने पूर्ण तरीके से कानून को ताक पर रख कर पंजीकृत कर दिया, इन वाहनों को सड़क से उठाया जाए और कानून के दायरे में डाला जाए? पहला प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो एक ही प्रश्न हुआ है क्या?

श्री जगदीप धनखड़ : हां। इन वाहनों की क्या स्थिति है? कौनसी कार्यवाही इनके मंत्रालय ने की है? नम्बर–एक।

नम्बर दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस घटनाक्रम को राजस्थान की सीमाओं के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। इनके अधिकारियों ने नो–आब्जेक्शन सर्टीफिकेट हरियाणा के लिये जारी कर दिया। एक वाहन हरियाणा पलायन कर गया। इसके बाद, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन आपने रद्द किया? कर दिया। मतलब, वाहन को हरियाणा भेज दिया, उसको एन. ओ. सी.

(श्री जगदीप धनखड़)

दे दी। एन ओ. सी. देने के बाद इन्होंने यहां कागजों में रद्द कर दिया, वाहन वहां चल रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा को आपने सूचना दी ? नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर दो ?

श्री जगदीप धनखड़ : हां, सवाल नम्बर दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

सवाल नम्बर–तीन। इंश्योरेंस कम्पनी और राजस्थान सरकार जो राशन कार्ड जारी करती है, इन सब पर हस्ताक्षर एक ही आदमी के हैं। क्या राजस्थान सरकार के अन्य विभागों को सूचित किया गया, जहां इन्होंने लिखा है ? सेल्स टैक्स कहां दिया, पता नहीं। चोरी किया गया ? क्या सूचित किया गया ? प्रश्न नम्बर तीन।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक वाहन शाहपुरा पुलिस थाने के अन्दर एक दुर्घटना की वजह से जब्त है। आरोप लगा (व्यवधान) नहीं–नहीं, उन तीन में से एक है। यह 14 जुलाई को ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को जो ज्ञापन दिया उसमें दर्शाया गया है। उस वाहन के बारे में क्या आपके विभाग ने कोई कार्यवाही की है ? आप कह सकते हैं कि उस वाहन को किसी आदमी ने न्यायालय के आदेश से ले लिया हो। कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति तो राज्य में यहां तक है कि....

श्री उपाध्यक्ष : अब पर्याप्त है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। एक भी इर्रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो I will sit down. If there is a single irrelevant question, I will sit down. आगे देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इनके अधिकारी जाते हैं, झुन्झुनूं की पुलिस उन अधिकारियों को जो ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के आदेश से जाते हैं, अपने थाने में घुसने नहीं देती है। राजस्थान के अन्दर क्या शासन व्यवस्था खतम हो गयी ? Transport Commissioner is a very senior functionary. पर वहां पर कहा जाता है कि हम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। क्यों....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : क्योंकि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न और हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया।

श्री जगदीप धनखड़ : दो प्रश्न और हैं। एक भी इर्रेलेवेंट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सीमा से आगे बढ़ रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं–नहीं, यह तो छोड़ दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : इस सवाल की जो समय सीमा है, ध्यानाकर्षण करने के बाद मन्त्रीजी के वक्तव्य देने के बाद एक-दो सवाल आप पूछ सकते हैं, आपने पूछ लिये । अब कृपया जवाब सुनें ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इतना बड़ा अपहरण कांड क्यों हुआ ? इसलिये हुआ कि चाहे जैसे वाहन पंजीकृत हो गये । मैं समझता हूं कि वरिष्ठ मंत्रीगण भी इस बात मे अत्यन्त रूप से प्रभावित हुए होंगे कि इस प्रकार का आपराधिक षड्यन्त्र एक्सपोज होना चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इन वाहनों के बारे में क्या हुआ ? पंजीकरण के अन्दर अनियमितताएं, चलो । कुछ नहीं देखा गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं । इनका कोई प्रश्न नहीं है । आप इनको भाषण करने से मना कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको भाषण करने से रोकिये । ये प्रश्न करें तो करें, नहीं तो बैठ जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा उत्तरदायित्व है, आप विराजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपको पूरा अवगत है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप विराजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गैर सरकारी कार्य दिवस है ।

श्री पराक्रम सिंह : आपके सात–आठ क्वेश्चन हो गये हैं । इस सदन के आप अकेले सदस्य नहीं हैं, हम भी सदस्य हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और ढाई बजे संकल्प लिये जाने वाले थे । आप इनको बैठाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें । आप विराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके जो टैक्स मैटर्स थे, इनको टैक्स कन्सेशन लाखों का दे दिया गया क्योंकि इन व्यक्तियों ने एक दरख्वास्त दे दी कि हमारे व्हीकल, कौनसे व्हीकल ? यह फर्जी व्हीकल तो कभी निर्मित नहीं हुए, ये तो जिस कम्पनी से लोन लिया था उसने जब्त कर लाखों रुपयों का कन्सेशन बाई वन स्ट्रोक आफ पैन दे दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : अब उत्तर आने दीजिये ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अगर यही कोर्ट में झगड़ा जाता तो क्या आनन्द आता ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे नहीं ।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है। जब सरकार की यह जानकारी में आया, विभाग की जानकारी में आया, जिस तत्परता के साथ सरकार ने इसमें एक्शन किया, मैं यह उम्मीद करता था कि विधान सभा में मुझे ये धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के बजाय उन्होंने उलटे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री रोहिताश्व : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गम्भीर रूप से डी. टी. ओ. का लिप्त होना पाया गया। विभाग के कर्मचारियों का होना पाया गया तभी तो उनको निलम्बित कर दिया। दूसरी बात इस सम्बन्ध में ... (व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे आप।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरे क्वेश्चन का रेस्पांस ... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश्व : जैसे ही 19 तारीख को टेलको कम्पनी का लैटर हमको मिला कि इन गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, चेसिस हमारे यहां से नहीं बनाया गया, हमने तत्काल प्रभाव से 20 तारीख को एफ. आई. आर. लॉज करवा दी। हमने एक सैकण्ड की कोताही इसमें नहीं बरती और तुरन्त प्रभाव से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) ...

श्री विष्णु मोदी : हो गया, आप विराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदीजी, विराजिये आप।

श्री रोहिताश्व : और तुरन्त प्रभाव से हमने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिख दी और इस सम्बन्ध में हरियाणा के बिहानी के आर. टी. ओ. को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिये 20-6-1995 को सूचित कर दिया। टेलको कम्पनी, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एन. जी. एफ., नयी दिल्ली, कलेक्टर, झुन्झुनूं और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को इमीजिएट इन्फार्म कर दिया। और अब क्या चाहते हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने अच्छे कांग्रेसी की तरह सब काम कर दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में कुछ रिकार्ड गायब है ?

(15.00)

श्री रोहिताश्व : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन किया ... (व्यवधान) ...

श्री कालीचरण सराफ : धनखड़जी को दे देते तो ठीक हो जाता।

श्री रोहिताश्व : इस सम्बन्ध में हमने आर. टी. ओ. लेवल के सीनियर आफिसर को जांच अधिकारी अपाइण्ट किया हुआ

(श्री रोहिताश्व)

है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल पर इस सम्बन्ध में मानिटरिंग हो रही है और पुलिस विभाग में इसकी एफ. आई. आर लॉज कर दी गयी है। हमने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, हम इसमें एक-एक चीज छान कर ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मंत्री महोदय, आपने एक कसर छोड़ दी, एक कापी धनखड़जी को दे देते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री पराक्रम सिंह : Mr. Dhankad, are you satisfied now ?

श्री जुबेर खान : आज पहली बार है कि धनखड़जी सेटिस्फाई हुए हैं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि राज्य मंत्री दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (कृषि राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (II) के अन्तर्गत

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 1991-92, एवं

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर, पर्यटन राज्य मंत्री, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (पर्यटन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर के भूपालपुरा मठ के नीचे सेंट पाल्स स्कूल रोड के पूर्व भाग (मकान नम्बर 169) में पानी की पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन को बदलवा कर बड़ी पाइप लाइन लगवाने बाबत चार

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, (1) ग्राम बासना में पीने के पानी के अभाव में हो रही कठिनाई को दूर कराये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

(2) साऊ ग्राम की स्वीकृत सड़क को पूरा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति व हो रही भयंकर कठिनाई बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे ।

श्री अमराराम (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित तीन याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

(1) बालोतरा शहर में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये दो ओवरहैड टैंक्स के निर्माण बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(2) बालोतरा शहर के पास लूणी नदी पर पुल का निर्माण कराने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

(3) बालोतरा को जिला बनाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित !

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा, प्रभारी मंत्री राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइण्ट ऑफ आर्डर ।

यह कभी भी टैंटेटिव बिजनस में नहीं आया । बिजनस एडवाइजरी कमेटी में मैंने कभी चर्चा नहीं सुनी कि आप इस प्रकार का बिल ला रहे हैं । और प्रोसिजर और उसके सम्बन्ध में तो you are master in this House. इसमें मैं आपका चेला बनने को तैयार हूं, आप गुरू बनें या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है । लेकिन आप इस वक्त लाये । हम बिल को पढ़ते, आप क्या ले आये यहां । सदन के अन्दर इमीजिएटली सीधा आप ऊपर से उतर गये हैलीकाप्टर की तरह । लालू प्रसाद यादव तो कहता है कि मैं इसमें लोडिंग–अनलोडिंग करता हूं कई लोगों को जो कानून को तोड़ते हैं, इसलिए मैंने हैलीकाप्टर खरीदा है, आप तो सीधे सवाई मानसिंह असैम्बली हाल में पधार गये । काहे के लिए ला रहे हो ?

(श्री परसराम मदेरणा)

आप इसका क्या करोगे ? पास कराओगे या जनमत जानने के लिये दोगे या सलैक्ट कमेटी में दोगे ? या हमारे ज्ञानवर्धन के लिये यहां सदन की मेज पर रखा है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बिजनस एडवाइजरी कमेटी में आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आपने बुलाया ही नहीं । आपने हद की है । ऐसा कभी हुआ ही नहीं इतने साल के अन्दर इस हाउस के अन्दर कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर विपक्ष को नहीं बुलाएं ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या सुनें आपकी बात ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह तो आप कह चुके ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और आपने एक तरफ ही बैठ कर (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप सदन में यह बात कह चुके हैं । पहली बार तो नहीं कह रहे आप । अब बहस इस पर होगी कि उस दिन बिजनस एडवाइजरी कमेटी में नहीं थे ! इसके कारण पर बहस होगी ? ... (व्यवधान) ...

श्री परसराम मदेरणा : उप-मुख्य मंत्रीजी, इस exalted and dignified आसन पर आप बैठे हैं । यह गवर्नमेंट बोडी एरोगेंट हो सकती है, आप गवर्नमेंट का पार्ट बन गये हैं नीचे आकर लेकिन कम से कम आप तो हमको बुला लेते अपने चैम्बर में कि मैंने इस तरह से किया है । मान लो, यह बिजनस एडवाइजरी कमेटी के जुरिस्डिक्शन के बाहर भी होता तो भी कम से कम आप ऐसा कर सकते थे । यह मुख्य मंत्रीजी तो नहीं करेंगे, मैं जानता हूं । इन्होंने क्या चालाकी की है कि हम नहीं गये तो ये खुद ही उसमें नहीं गये । इनके तो यहां सफेद कपड़ों के अन्दर सी. आई. डी. बहुत खड़ी है कि इनका ध्यान रखो, ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे । नहीं जाने में मैं भी नहीं गया था । हमारे पास में सी. आई डी. कुछ नहीं है, हम तो सी. आई. डी., हम मैम्बर खुद ही हैं । आप इसको कम से कम हम को बता सकते थे । अब मैं इसको पढ़ने लगा तो मैंने समझा आज पारित करा रहे हैं । आखिर में बिल जब लाते हैं, गवर्नमेंट का उस बिजनस के सम्बन्ध में एक इरादा होता है कि आप उसको सलैक्ट कमेटी में भेजेंगे । सलैक्ट कमेटी का आपका प्रस्ताव है क्या ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, जनमत संग्रह का है ।

देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के बीच क्या हुआ, इसका जवाब तो मेरे को देने की जरूरत नहीं है । आप एक-दूसरे को अच्छा समझते हैं इसलिये मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : "दो-दो कन्या और दो-दो मात, राम करे लक्ष्मण से

(श्री परसराम मदेरणा)

बात"। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह आप निपटते रहिये, उस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : भैरोंसिंहजी भी समझ रहे हैं। वे भी आपको समझ रहे हैं और आप भी उनको समझ रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस बिल का उद्देश्य वास्तव में जैसा कहा, अगले बजट सत्र के पहले तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये इसको प्रसारित करने के लिये हम लाये हैं ताकि इस बिल को आप विस्तार से पढ़ सकें और आम जनता भी पढ़ सके। क्योंकि एक प्रकार से नया विधेयक है और नया चैप्टर है इसलिये इसको आज लाने की जरूरत पड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाने वाला विधेयक।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(स्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विचारार्थ विधेयक।

विधेयक पर अग्रेतर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995, श्री सुजानसिंह यादव, प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाए, पर अग्रेत्तर विचार होगा। विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने एवं एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं। प्रभारी मंत्री महोदय।

158

श्री सुजान सिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 2-11-95 को यह बिल विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था पर बिल में कुछ विसंगतियां महसूस की गयीं। विसंगतियों को दूर करने के लिये आज यह बिल पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें खास विसंगतियां थीं नहीं, केवल प्रतिपक्ष के नेता महोदय से विचार-विमर्श करके यह बिल पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले बिल में यह था कि एक साल की अवधि रखी जाए उसकी जगह डेढ़ साल की अवधि रखी है। यह इस कारण से रखी गयी है कि इस बिल का प्रचार-प्रसार जनता में जाए, अधिक प्रचार हो। इसलिये एक साल की जगह डेढ़ साल किया गया है।

दूसरा संशोधन इसमें इस बात का किया है, बिल में स्पष्ट नहीं था इसलिये इसका प्रोवीजो दूसरा अलग से बना दिया गया है। इस बात के लिये संशोधन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2–श्री किशन गोपाल कोगटा संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री जुबेर खान : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयकों पर जब चर्चा हो रही हो .. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा : "Notice of amendments.-(1) If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved :

Provided that in the case of a Government Bill, an amendment

(श्री जुबेर खान)

of which notice has been received from the member-in-charge, shall not lapse by reason of the fact that the member-in-charge has ceased to be a Minister or a member and such amendment shall be printed in the name of new member-in-charge of the Bill"

श्री उपाध्यक्ष : समझ गया मैं। स्पीकर साहब ने इसको अलाउ कर दिया है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। स्पीकर साहब ने इसको अलाउ कर दिया है।

श्री जुबेर खान : हम लोगों को क्यों नहीं सूचना दी, हम भी रख सकते थे। (व्यवधान) जब बिल यहां आ गया then it is property of the House. आप ऐसे कैसे कर देंगे ? बन्द कमरे में एक आदमी को अलाउ कर देंगे ? गवर्नमेंट का जब अमेंडमेंट है तो गवर्नमेंट का अमेंडमेंट लाना चाहिये था। कल सदन के नेता महोदय ने यह कहा था कि विपक्ष के लोगों से सलाह करके इसमें कोई तरमीम करनी होगी, अमेंडमेंट लाना होगा, अमेंडमेंट लाकर कल इसको पेश करेंगे। जब हमने पढ़ा तो बड़े दुःख की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार के मौजूद होते हुए प्राइवेट अमेंडमेंट मूव कराया गया। इसके पीछे क्या मंशा है ? जबकि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ सरकारी बिल में ही शार्ट नोटिस पर अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं, प्राइवेट मैम्बर क्यों करे ? Being a Member of the House, it is my privilege. I wanted to have an amendment in this Bill. My opportunity has been denied by the Chair, that is why I am raising this point of order.

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) देखिये, अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार होता है, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी।

श्री जुबेर खान : आप सरकुलेट तो कर सकते थे माननीय सदस्यों को कि अध्यक्ष महोदय ने यह अनुमति दी है इसके आधार पर यह अमेंडमेंट पेश कराया गया है। यह तो आपने जिक्र कर दिया इससे मालूम चल गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री जुबेर खान . उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलना चाहते हैं ?

श्री जुबेर खान : बोलने की बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : कल सदन में मैंने एक एतराज किया था कि इसकी वाइड पब्लिसिटी नहीं हुई है और इसी प्रकार की बात पंचायत चुनावों में थी। मैंने जब मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन किया तो इमिजिएटली शायद वे बात को

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

समझे नहीं होंगे, कल उनके कुछ कन्फ्यूजन रह गया । प्रोवीजन तो ये वैसा ही है लेकिन समय जो दिया है एक साल, मैं यह चाहता था कि कुछ सोसाइटी के चुनाव इन चार महीनों में हो गये हैं और कंसीव होने का मैटर है हस्बेंड और वाइफ के बीच में, इसलिये कई डिस्प्यूटेड चीजें खड़ी हो सकती हैं । मैं चाहता था एक्ट फोर्स में आये जब से, आर्डिनेंस नहीं-ओर्डिनेंस में तो इसके बाद चुनाव हो गये, उसमें डेढ़ साल का पीरियड दे दीजिये । डेढ़ साल के अन्दर हस्बेंड-वाइफ सोचकर, उनके दो बच्चे हों या दस बच्चे हों, आगे आपरेशन करवा लेंगे । कर्मचारी रह जाएगे, वे सेलीबेसी आब्जर्व करेंगे और नैचुरोपैथी में रहेंगे, उसके सोचने की बात है, कानून बन जाएगा । गवर्नमेंट ने कल एश्योरेंस दिया था, पेंडिंग रखा था, गवर्नमेंट ने इस बिल को डैफर नहीं किया था । जब पेंडिंग रखा था तो बिल कल लिया जाएगा, यह बात भी कही थी चीफ मिनिस्टर साहब ने । तो बिल आ गया और इनोक्युअस अमेंडमेंट है, कोई खास बात नहीं है ।

श्री जुबेर खान : इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं है लेकिन सरकार लाती तो ज्यादा अच्छा था ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्डशः विचार ।

खण्ड-2. श्री किशन गोपाल कोगटा, सदस्य, विधान सभा संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 के खण्ड-2 में संशोधन के लिये प्रस्ताव पेश कर रहा हूं ।

विधेयक के खण्ड 2 द्वारा, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 34 की विद्यमान उप-धारा (7 ख) के पश्चात् अन्तःस्थापित किये जाने के लिये ईप्सित उप-धारा (7 ग) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किये जाएं :—

"परन्तु राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्या...) के प्रारम्भ की तारीख से डेढ़ वर्ष की कालावधि के दौरान हुए किसी अतिरिक्त बच्चे के जन्म पर इस उप धारा में उल्लिखित निरर्हता के प्रयोजन के लिये विचार नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक बच्चे (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से डेढ़ वर्ष की कालावधि के दौरान जन्मे बच्चे को, यदि कोई हो, छोड़कर) हैं, इस उपधारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक पूर्वोक्त अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती ।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : आप इस संशोधन को मंजूर कर रहे हैं न?

श्री सुजानसिंह यादव : मुझे संशोधन स्वीकार है ।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने अपनी जगह उनको अधिकार दे दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, you kindly put to vote.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में जो संशोधन श्री किशन गोपाल कोगटा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 स्वीकार किया गया।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री सुजानसिंह यादव, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, कागजों में और प्रचार के लिये यह जो विधेयक में संशोधन किया गया है बहुत अच्छा है क्योंकि पूरे देश में पंचायतों में संशोधन हुआ, म्युनिसिपैलिटीज के कानून में संशोधन हुआ। हमारे मुख्य मंत्रीजी की पूरे देश में प्रशंसा हुई और यह कहा गया कि राजस्थान ने एक अग्रणी कदम उठाया है। हमारा भी गौरव बढ़ा। हमें ऐसा एक मुख्य मन्त्री मिला जिसने हमारे सिर को पूरे हिन्दुस्तान में ऊंचा किया।

उपाध्यक्ष जी, जब हम इसकी क्रियान्विति पर जाते हैं, अफसोस होता है, पीड़ा होती है। सिर्फ प्रचार के लिये इस प्रकार के संशोधन लाये जाएं, इनसे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है क्योंकि इस सरकार के द्वारा सीमित परिवार रखने के लिये कोई भी कार्यक्रम ठोस रूप से नहीं अपनाया गया। कल भी चर्चा हुई थी। हमारे माननीय उप मुख्य मंत्रीजी आसन पर विराजते थे तब हम सब लोगों को तीन दिन अच्छा खाना खिलाया, सबको अटैचियां दीं। उसका हुआ क्या ? प्रचार के लिये अभी माननीय रामनारायण जी कह रहे थे हवा बनी, उस हवा का क्या

(162)

(श्री शिवनाथ सिंह)

हुआ ? कहां उसमें बैलून खतम हो गया। उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीमित परिवार हो, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत-से माननीय सदस्यों ने कल विचार व्यक्त किए कि जो इस कार्यक्रम को अपनाए उनको प्रोत्साहन दिया जाए लेकिन जो इस कार्यक्रम को नहीं अपनाते हैं उनको पैनलाइज किया जाए। मैं यहां अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। परिवार बढ़ता है पति-पत्नी के सहयोग से। बच्चे जो इन्फांट हैं, आज छोटे हैं, उनको अधिकारों से, सुविधाओं से वंचित करते हैं तो यह दोष पति–पत्नी को, माता-पिता को न होकर छोटे बच्चों पर जाएगा। इसलिये सरकार कभी ऐसा नहीं सोचे कि जिन्होंने अपना लिया उनको हम सुविधा देंगे और बाकी के लोगों को सुविधा से वंचित रखेंगे। इस प्रकार का विचार सरकार के दिमाग में हो तो यह विचार निकाल देना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, अब यहां संशोधित रूप में हम इसको देख रहे हैं। मैं इसको बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानता। हमारे प्रभारी मंत्री जी **मौजूद हैं** और +++ गया कि वे सही रूप में कोई अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं इसलिये सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य को सम्मानित करने के लिये यह कार्यवाही की गयी। ये हमारे किशनगोपाल जी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत संक्षेप में, एक मिनट में। किशनगोपाल जी को तो बधाई देता हूं कि आप हमारे सहकारिता मंत्री जी के सहयोग के लिये आये लेकिन, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड आप कायम मत कीजिये। कल माननीय नेता महोदय ने कहा था कि सरकार इसमें प्रतिपक्ष के नेता महोदय से विचार करके संशोधन लाना चाहती है। वह संशोधन आपको लाना चाहिये था। एक किसी प्राइवेट मैम्बर से इस प्रकार का संशोधन लाया जाना सरकार के लिये +++ बात है।

उपाध्यक्ष जी, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हर पंचायत समिति में आठ-आठ गांवों का विकास गांव के नाम से चयन हुआ। वहां शर्त यह रखी गयी थी कि जिस गांव की ग्रोथ रेट तीस या उससे अधिक होगी उन्हीं गांवों का चयन हम करेंगे और जिनकी ग्रोथ रेट तीस से कम रही उन गांवों को उस चयन से वंचित रखा गया। एक तरफ सरकार चाहती है परिवार सीमित हो, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगायी जाए और दूसरी तरफ चयन उन गांवों का किया जाता है जिनकी ग्रोथ रेट तीस से ऊपर हो, क्या विरोधाभास सरकार की नीति और कार्य-कलापों में है, मेरी समझ में नहीं आता।

इसलिये उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को सरकार लायी है तो बहुत दृढ़ता से, ईमानदारी से इन कार्यक्रमों को बढ़ाएं, उनको सहयोग करें और कार्यक्रम इस प्रकार से

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

चलाएं कि जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण हो सके ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो मिनट निवेदन करना चाहती हूं । माननीय मंत्री महोदय जो परिवार नियोजन के सम्बन्ध में संशोधन लाये हैं वह तो स्वागत योग्य है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान के सहकारी कानून में आइसोलेटेड एक क्लाज के अन्दर कुछ जोड़ने से सहकारी आन्दोलन या सहकारी संस्थाओं की तरक्की, उनकी स्वायत्तता या वे एक आर्थिक सक्षम इकाइयां बनें, इस सन्दर्भ में कोई विशेष योगदान नहीं होगा । ठीक है, परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम हमें देश में सभी स्तरों पर अपनाना है । निवेदन यह है कि आप तमाम सहकारी कानून को एक बार व्यापक तौर पर क्लाज-वाइज अध्ययन करने के लिये चर्चाएं करें, संगोष्ठी करें । इतनी रिमण्डेंट धाराएं उसमें हो गयी हैं, कई ऐसी धाराएं हैं जिन्होंने अधिकारियों का शिकंजा सहकारी संस्थाओं पर जकड़ दिया है और कई ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत सहकारी संस्थाएं मात्र प्रशासनिक इकाइयां रह गयी हैं, कोई आर्थिक इकाई नहीं है । इसलिए जो सैण्ट्रल का प्लानिंग कमीशन का एक माडल एक्ट है और जो आपके एक्ट के अन्दर संशोधन आने हैं उन सबके सन्दर्भ में मैं चाहूंगी कि आप माननीय सदस्यों से चर्चा कर, कारपोरेटर्स से चर्चा कर इस एक्ट के अन्दर तमाम धाराओं का एक व्यापक संशोधन आगामी समय में लाएं । यह जो आप संशोधन लाये हैं, न सिर्फ कोआपरेटिव कानून में बल्कि तमाम संस्थाओं के अन्दर, असैम्बली के अन्दर और पार्लियामेंट के अन्दर भी लागू करने के लिये राजस्थान से इसकी प्रेरणा ली जाए ।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि अगर 33 परसेंट महिलाओं का आरक्षण तमाम पदों पर और डाइरेक्टरेट्स के अन्दर ले आते तो बहुत ही सुन्दर होता लेकिन आप वह नहीं लाये । यह संशोधन आप लाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से विषय है ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनट में अपनी बात कहूंगा ।

श्री अर्जुनदास मदान : हाथ हमने पहले उठाये । यह ठीक नहीं है कि जो लोग हाथ उठाते हैं उनको तो बोलने नहीं देते । जो खड़े हो जाते हैं वे बोलने लग जाते हैं .. ....(व्यवधान) ...

श्री रमाकांत शर्मा : आपने नाम नहीं लिया हमारा, हमने बोलने के लिये हाथ खड़ा किया था ।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं कम से कम पांच मिनट से हाथ उठा रहा हूं । आपका ध्यान मेरी तरफ पहुंचता ही नहीं ।

श्री रमाकांत शर्मा : हमने पहले हाथ उठाया था तो आपको पहले हमारा नाम बोलना चाहिये था । ... (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मैं तो हां पक्ष का हूं इसलिये मेरी जो मर्यादा है मैं उसी में रहूंगा ।

(164)

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट आया है इसका तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं। बल्कि सच बात तो यह है कि जिस समय पंचायत एक्ट आया और म्युनिसिपल एक्ट आया उसी वक्त आ जाना चाहिये था। सहकारिता विभाग की सुस्ती रही है। अब आये हैं, देर आयद दुरुस्त आयद, बहुत अच्छी बात है। सहकारी समितियों के अन्दर जो चुनाव सहकारी विभाग के लोग करायेंगे वहां तो इसका प्रभावी तरीके से उपयोग हो जाएगा क्योंकि जिस आदमी के उस समय दो बच्चे से ज्यादा हैं या बाद में बच्चे पैदा हो गये तो सहकारी विभाग बाद में उसको डिसक्वालिफाई कर देगा परन्तु अभी-अभी राज्य सरकार ने तय किया है कि हजारों ऐसी सोसाइटीज जिनके अन्दर राज्य सरकार का कोई भी विनियोजन नहीं है, उनके चुनाव राज्य सरकार का सहकारी विभाग नहीं कराएगा, वे सहकारी समितियां अपने आप ही कराएंगी। ऐसी जो सहकारी समितियां हैं, जिनके चुनाव अपने आप ही होंगे उनका आडिट भी अपने आप ही होगा। उनमें पूरी स्वायत्ता है, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। वहां पर इस प्रकार के जो मैम्बर्स इलैक्ट होकर आ जाएंगे और वहां पर इस प्रकार के मैम्बर्स के बच्चे पैदा हो जाएंगे, उन पर किस प्रकार प्रभावशाली होगा इसका इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं है। इसलिये हजारों ऐसी सोसाइटीज हैं जिन पर यह जो हमने अमेंडमेंट किया है यह पूरी तरह से इफैक्टिव नहीं होगा।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज को आपरेटिव एक्ट, 1965 में परिवर्तन करने की बात सदन कर रहा है। अव्वल तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जब से 1965 में यह एक्ट बना तब से लेकर चाहे धारा 32 हो, चाहे धारा 34 हो, चाहे धारा 74 हो, इसमें जितनी अनियमितताएं बरती गयी हैं इसलिये उसके प्रावधानों को बदलने की आपने जरूरत समझी। जैसा रमाकान्त जी भी कह रहे थे कि पिछली बार हम संशोधन लाये कि ऐसी सोसाइटियां जिन्होंने सरकार से कोई अनुदान नहीं ले रखा, सरकार से कोई ऋण नहीं ले रखा, हमारा कानून कुछ प्रावधानों में उनको छूट दे। कितनी सोसाइटीज हैं कुल मिलाकर ? आपने संसोधन तो किया, छूट दे दी। 139 में देते, जिसमें सरकार को पावर्स दे दी गयी हैं कि चाहे जो सचिव महोदय को आपरेटिव एक्ट, 1965 की धारा 139 के अन्तर्गत कर सकते हैं। यह जो आप प्रावधान रख रहे हैं इससे दूसरी बात सामने आयी है। ऐसी संस्थाएं तो एक प्रतिशत होंगी। मेरे से पूर्व वक्ता ने सही निवेदन किया उनके ऊपर आपका अंकुश ही नहीं है क्योंकि आपने उनको अधिकार दे दिये कि वे अपना चुनाव अधिकारी स्वयं नियुक्त करेंगे। वे आपसे आडिट नहीं कराएंगे, अपना जिसको चाहेंगे आडीटर बना लेंगे। चाहे जिस आदमी को निलम्बित कर देंगे, आपके पास आने की उनको कोई जरूरत ही नहीं। जब आपने इतनी छूट दे ही दी है इन सारी संस्थाओं को तो उनके ऊपर कानून किस प्रकार से लागू होगा, यह एक मूल प्रश्न है। जहां तक आबादी के बढ़ने के ऊपर अंकुश लगाया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है, मैं आदर करता हूं। क्योंकि विशेषकर हमारा राजस्थान आज सारे हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर है। प्रतिशत आबादी यदि किसी प्रान्त में पूरे हिन्दुस्तान

(श्री अर्जुनदास मदान)

में सबसे ज्यादा बढ़ती है तो मेरे राजस्थान में बढ़ती है । विश्व में सबसे ज्यादा बंगला-देश में बढ़ती है, सैकिण्ड नम्बर पर हिन्दुस्तान आता है और हिन्दुस्तान के प्रान्तों में सबसे पहले नम्बर पर राजस्थान आता है । चाहे वह माइग्रेशन के कारण से बढ़ती हो । मैं यह नहीं कहता हूं आबादी केवल मात्र पापुलेशन के कारण ही बढ़ रही हो । हो सकता है, कोई आसाम से आ रहा हो, कोई कलकत्ता से आ रहा हो लेकिन आबादी का प्रतिशत निश्चित रूप से राजस्थान का सर्वोपरि है । हमारे सीमित साधन हैं, राजस्थान सरकार को इस बारे में बिल्कुल विचार करना चाहिये, क्योंकि जब तक आबादी नहीं रुकेगी यह प्रगति का सूर्य कभी भी प्रतिबिम्बित नहीं हो सकेगा और यह बढ़ने वाली आबादी सारी सुविधाओं के ऊपर एक आवरण बन कर हमेशा उनको ढांपती रहेगी, यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह फर्टिलिटी जो बढ़ती है इस बारे में कुछ रिसर्च की जाए । सेन्सस, 81 के अन्दर यह बात कही गयी है कि फैमिली पांच की नहीं है, रेगिस्तानी इलाके में छः और साढ़े छः की एक फैमिली है । यह बताया गया है कि इस डैजर्ट एरिया में फर्टीलिटी ज्यादा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जलवायु का असर खेतसिंहजी पर क्यों नहीं हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : आप पर भी नहीं हुआ है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं जोधपुर के डैजर्ट से हूं और आप सीकर के डैजर्ट से हैं । मेरे भी एक है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पर असर नहीं हुआ न जलवायु का । आपने पर असर क्यों नहीं पड़ा ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात समझ में नहीं आयी कि इस कानून का विरोध जिनके बच्चे पैदा होना बन्द हो गया वे कर रहे हैं । ये विरोध कर रहे हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं विरोध कोई नहीं कर रहा हूं, मैंने तो स्वागत किया है । आपका नाम सारे हिन्दुस्तान में हुआ है । मैंने तो इसका स्वागत किया है । मैं तो विरोध इस बात का कर रहा हूं कि हमारे सुजानसिंह जी को आप ले डाउन कर रहे हो । इनके द्वारा संशोधन होना चाहिये था वह आपने दूसरे मैम्बर से करवाया, इस बात का विरोध है ।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने तो आपको महिमामण्डित किया है । आपने प्राइवेट मैम्बर से अमेण्डमेंट रखवाया है । इन्होंने तो कहा है कि आपने को आपरेटिव मिनिस्टर को ले डाउन किया है ।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के लोकतन्त्र के इतिहास के अन्दर पहला मुख्य मंत्री है सुखाड़ियाजी 17 साल रहे, और मंत्री भी रहे, लेकिन खुद अपने वक्त

(श्री परसराम मदेरणा)

में अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि मैं मुख्य मंत्री था। यह अकेला टिकाता आया है। मैं इतना निवेदन कर रहा था एक बहुत वैलिड पाइन्ट रेज किया है, उपाध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने और लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने। आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है, सैक्शन 139 एग्जम्प्ट किया है। पांच–छः कैटेगरी आफ सोसाइटी को छोड़ कर बाकी सब सोसाइटी चुनाव खुद करवाएंगी। खुद करवाएंगी उनका नम्बर है हजारों का–ये लेबर सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी। वे करीबन होंगी 20-25 हजार, 20–25 हजार सोसाइटी के ऊपर यह कानून लागू ही नहीं होगा क्योंकि इसका रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होगा। वह उसके पर्चे को इस एंगल से एग्जामिन ही नहीं करेगा कि वह एलीजिबल है या नहीं है या डिसक्वालीफिकेशन उस पर एप्लाई करती है या नहीं करती है। तो यह हाफ हार्टेडली लेकूना करके मंत्रीजी आप क्या लाये हैं ? उनको भी तो थोड़ा बहुत इसके परव्यू में लाना चाहिये आपको।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के सम्बन्ध में तो मैं समझता हूं कि सदन के किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं है - इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया जाए, इसकी मांग है। आपने जो प्रश्न उठाया है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं यह सही है लेकिन यह कार्यवाही ऐसी है कि समय–समय पर यदि हम बढ़ेंगे तो पब्लिक इसको स्वीकार कर लेगी कहीं विरोध नहीं करेगी। यदि एक साथ सारी व्यवस्था कर दी तो स्वतन्त्र हो जाएगी। इसलिये स्वतन्त्र नहीं हो ...

श्री परसराम मदेरणा : इसको तो आपने एग्जम्प्ट इसलिये किया है कि आपका एक पैसा भी शेयर मनी नहीं। इसलिये उनको निकाला है कि हमारा कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक मिनट सुन लें आप। मैंने पहले भी जिक्र किया था और आज भी करना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने इसकी समिति अपाइन्ट की थी उस समिति में सारे प्रश्नों के ऊपर विचार किया गया। न केवल को–आपरेटिव सोसाइटीज में या कोई सोसाइटीज सरकार के नियन्त्रण से बिल्कुल बाहर हैं उन पर, बल्कि उसमें यह भी विचार किया गया है कि प्राइवेट सैक्टर में जो एम्पलायमैंट मिलता है उसको भी इस परिधि में लाया जाए। प्रश्न इतना–सा है कि पार्लियामेंट में कानून पड़ा है उसमें विधान सभा के सदस्य भी आएंगे, लोक सभा के सदस्य भी आएंगे, राज्य सभा के सदस्य भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि समय समय पर लाने से एक्सैप्टीबिलिटी इसकी होगी। जैसे पंचायतों में कानून आया, नगरपालिकाओं में कानून आया, मैं समझता हूं कोई विरोध नहीं हुआ बल्कि जनता ने इसको स्वीकार किया। शिवनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि इस कानून का पालन नहीं हुआ, इसकी तो मैं जांच करवा रहा हूं। पर आपको कोई जानकारी हो कि अमुक सरपंच, पंच या म्यूनिसिपैलिटी के मैम्बर ने इस कानून के विरोध में कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बच्चा पैदा कर लिया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आटोमैटिकली डिसक्वालिफाई हो जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं मेरे लिये कहता हूं कि मैंने कानून नहीं तोड़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप खुद कानून नहीं तोड़ रहे हो वह तो मजबूरी है।

श्री चन्दनमल बैद : आप कानून नहीं तोड़ रहे यह तीसरी मजबूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और जो मजबूरी से कानून तोड़ते हैं उनको आप फंसाना चाहते हो। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको थोड़ा गम्भीरता से लें, एक जनमत बनाना पड़ेगा। यह सही है कि हिन्दुस्तान में चाहे आप कितना ही विकास का काम करें, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक सारे विकास के काम न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। आज शहरों में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है–कुछ माइग्रेशन से बढ़ रही है, बर्थ रेट ज्यादा बढ़ रही है उसके कारण से हो रही है, यह एक सही दिशा में कदम है। यह सही दिशा का कदम हम ज्यादा किस प्रकार से व्यापक बना सकते हैं, बाकी क्षेत्रों में ले जा सकते हैं उस पर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा।

श्री शीशराम ओला : यह नहीं आया, शिवनाथ जी ने कहा, बहुत गम्भीर बात है। पंचायतों में आठ–आठ गांव सलैक्ट किये गये हैं सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये। उसमें जब हम बैठे तो उसमें ज्यादा आबादी जिन्होंने पैदा की उनके ही नम्बर आये, कम आबादी पैदा की उनके नहीं आये। तो सरकार की यह दोहरी नीति कैसे है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेती है उस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लोग जहां हों उनको लाभ मिलना चाहिये। अब आज यह तो कर नहीं सकते हैं कि एक गांव में पांच हजार आदमी हैं और सारी स्कीम लागू करें, तो पांच हजार जो पैदा हो गये उनकी रेस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। आइन्दा कोई पैदा नहीं हो, आइन्दा जनसंख्या नहीं बढ़े। जैसे कल जमवारामगढ़ से आयी माननीय सदस्या बोल रही थीं कि इसमें राशनकार्ड की इतनी पाबन्दी, इसमें यह पाबन्दी, यह सब कुछ है। ये सब कुछ जानते हैं तो उसका मतलब यह नहीं है। अब आज शीशरामजी बोल रहे हैं तो वह इसी आधार पर है। आज जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं या ज्यादा लोगों को कम्युनिटी सर्विस मिल सके उन लोगों के लिये कानून बना।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा नहीं है। पास तो हो गया, वह कराया गया 81 से 91....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया तो होने दो।

168

श्री शिवनाथ सिंह : जिनकी पापुलेशन ग्रोथ हाइएस्ट है उनको दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताऊं, जब भी किसी कमीशन से, भारत सरकार से पैसा लेते हैं तो हमारे यहां भी जो ग्रोथ रेट है, या जितनी जनसंख्या है उसको आधार बना कर ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : ग्रोथ रेट जो है, उसके लिये कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। प्रश्न यह है कि राजस्थान....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया यह तो।

श्री शीशराम ओला : मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया दिया....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मत्रीजी ने इस एक्सप्लेनेशन के बाद में और भाषण के बाद में बहुत इल्युसीडेट कर दिया है। आपका मैंने भाषण सुना था, मुख्य मंत्रीजी, कि को–ग्रापरेटिव के बारे में भी आप किसी माडल बिल को लाने की बात सोच रहे हैं। दूसरे स्टेट्स के इनेक्टमेंट्स, उनके अधिनियमों को देखकर माडल बिल लाने का इरादा सरकार रखती है तो सदन जानना चाहता है कि सरकार का ऐसा इरादा है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि महाराष्ट्र और गुजरात में को–आपरेटिव सिस्टम के कारण रूरल इकोनोमी के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा है। मैं स्वयं महाराष्ट्र गया हूं और मैंने को–आपरेटिव सिस्टम को देखा है, खास तौर से बैंकिंग सैक्टर में और एग्रीकल्चर सैक्टर में को–आपरेटिव सैक्टर ने जो सर्विस दी है। निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि उसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में कर दें। ऐसी स्थिति गुजरात में है एवं अभी आंध्र प्रदेश ने भी कुछ कानून बनाये हैं। सहकारी कानून के अन्तर्गत जिन सोसाइटीज से कोई हमारा लेना देना नहीं है, पर जो सरकारी नियन्त्रण में हैं उस सरकारी नियन्त्रण को खत्म करने का भी हमारा इरादा है और इसी दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि क्या–क्या संशोधन इसमें हो सकेंगे। जब यह सारी व्यवस्था हो जाएगी तब विधान सभा में प्रस्तुत कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा देश आबादी के प्रभाव से चिन्तित है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देता हूं, इस बात के लिये कि इन्होंने यह प्रस्ताव पचायत एक्ट और नगरपालिकाओं में रखा है। इसके लिये पूरे हिन्दुस्तान ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और राजस्थान का इस निमित्त सर ऊंचा हुआ। माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की कि इस धारा को इसमें संलग्न करने से क्या प्रभाव होगा। प्रभाव केवल इस बात का है कि यह सन्देश राजस्थान के कोने–कोने, गांव-गांव में पहुंचे और लोगों की निगाह में यह बात आये कि सरकार ऐसा करने जा रही

(श्री सुजानसिंह यादव)

है जिससे आबादी पर नियन्त्रण हो सके। आज आबादी का कितना विस्तार हुआ है! जितना हम विकास करते जा रहे हैं आबादी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिये, इस पर विचार और साधना उत्पन्न करने के लिये हमने इस बिल में यह संशोधन प्रस्तुत किया है। अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने चिन्ता व्यक्त की। हम माडल एक्ट की तैयारी कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के जितने भी कोआपरेटर्स थे उनकी एक मीटिंग हमने आयोजित की विधि आयोग के समक्ष। अलग-अलग राजस्थान के जितने भी कोआपरेटिव से सम्बन्धित व्यक्ति हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं उन्होंने मीटिंग की। उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। उसके उपरान्त मुझे इस बात की चिन्ता है और माननीय सदस्यों ने भी जब कोई सत्र आहूत हुआ उसमें अपनी बात बतायी कि पूरी सहकारिता का राजकीयकरण हो रहा है। इससे उन्मुक्त होने के लिये हमने धारा 139 में एक संशोधन किया है कि सरकार का नियन्त्रण उन कोआपरेटिव सोसाइटीज पर नहीं रहे जिनमें हमारा विनियोजन नहीं हो। क्योंकि जहां हमारा विनियोजन नहीं है हम उनका आडिट टाइम पर नहीं करवा सकते और इस तरह से गबन-घोटाले ज्यादा होते रहे। इसलिये हमने उदारीकरण की भावना लेते हुए 139 की धाराओं में संशोधन किये हैं, जिन सोसाइटीज से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, जिनमें कोई हमारी हिस्सा पूंजी नहीं है, हमारा कोई विनियोजन नहीं है हमने उनको फ्री कर दिया है। वही चुनाव करवाएंगे, वही मीटिंग करवाएंगे, अपना आडिट करवाएंगे, अपने मैम्बर बनाएंगे। हमने 139 को संशोधित इस बात के लिये किया है कि इस पर सरकारीकरण नहीं रहे, इसमें राजकीयकरण नहीं रहे और राज का इस पर कोई प्रतिबंध न हो। इस एक्ट में इस तरह की बात करने जा रहे हैं जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा। अभी विभाग के कर्मचारी गुजरात और महाराष्ट्र में अध्ययन करने जा रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, प्रसंग पर ही बोलें।

श्री सुजानसिंह यादव : इन दोनों स्टेट्स का हम अध्ययन करके एक माडल एक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो विसंगतियां इस एक्ट में हैं, बहुत-से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि ...

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकों को भी विश्वास में लेंगे कि नहीं लेंगे ?

श्री सुजानसिंह यादव : पहले आप सुन लें, आगे बात कहूंगा। माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की कि कोआपरेटिव विभाग की बहुत बुरी हालत हो गयी है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : ये बिल पर बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : अपनी बात तो बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री विष्णु मोदी : कोआपरेटिव का भाषण दे रहे हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने इस बात की भी चिन्ता व्यक्त की कि....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मंत्री महोदय।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं इसी पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : केवल इसी पर बोलियेगा, इसी पर बोलिये।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं संशोधन ला सकता था लेकिन मैं माननीय सदस्यों को सम्मान देना चाहता हूं कि यह आपके ग्र॰ ग्राये तो ग्रौर भी बढ़िया बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुजानसिंह यादव : उनको सम्मान दिया है, उनके ग्र॰ ग्राता है तो; मेरे ग्र॰ ग्राता तो ग्रच्छी बात नहीं लगती।

श्री विष्णु मोदी : आप ग्रपनी मनमर्जी से सम्मान नहीं दे सकते, नियमों के ग्रधीन ही दे सकते हो।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

माननीय कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर एक वक्तव्य देंगे।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विष्णु मोदी : आई एम ग्रान ए पाइंट आफ ग्रार्डर, सर।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मेरा पाइंट ग्राफ ग्रार्डर पहले है।

श्री विष्णु मोदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मानीयय उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न पहले मैंने उठाया है इसलिये पहले मुझे मौका दिया जाए।

श्री विष्णु मोदी : रूल 23 के अन्दर........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदीजी।

व्यवस्था का प्रश्न

गैर सरकारी कार्य के लिये समय का नियतन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आज हमारी जो कार्य सूची है उसमें ढाई बजे से 5 बजे तक का समय गैर सरकारी संकल्प के लिये रखा गया है। आपने इसमें शिथिलता के लिये कोई बात नहीं कही है, जैसे मुखबंद का प्रयोग होता है उसी प्रकार से यह प्रयोग था। समय लिखा हुआ है उसके बावजूद कार्य सूची आगे चलती जा रही है। एक ही दिन सबको मिलता है बात कहने के लिए कोई संकल्प है उस पर चर्चा करनी है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार बाद में किया जाए और पहले संकल्पों को लिया जाए। यही, मेरा आपसे आग्रह है, आप इस पर व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, वक्तव्य दें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इस तरह से गृह मंत्रीजी को पुकारेंगे, यह जो व्यवस्था देते हैं तो फिर बात ठीक नहीं होगी।

श्री विष्णु मोदी : आइ एम आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात पर आप व्यवस्था दीजिये उसके बाद ही आप किसी को पुकारेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके पाइंट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं। कृपया आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को निरस्त कर दें, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है, आपको अधिकार निरस्त करने का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें आपने ढाई बजे का लिखा है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सूची अध्यक्ष महोदय ने बनायी है, कार्य सूची को आप पढ़ लीजिये उसमें 5 बजे तक चर्चा है। ये ठीक कह रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ढाई बजे संकल्प लिया जाए, आप उसको निरस्त कर रहे हैं। आप अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके पाइंट आफ आर्डर को निरस्त कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर यह कब लेंगे ? पहले यह व्यवस्था दीजिये कि आप इसको कब लेंगे ? और लेंगे कि नहीं लेंगे ?

श्री विष्णु मोदी : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : मोदीजी, आप एक मिनट सुनिये । एक पाइंट आफ आर्डर जब उठाया जाता है उसके बाद दूसरा पाइंट आफ आर्डर नहीं उठता है । आप विराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पाइंट आफ आर्डर मैंने उठाया है, उन्होंने नहीं उठाया है ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था को आपने निरस्त कर दिया तो क्या आपने कार्य सूची को भी निरस्त कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, आप वक्तव्य दीजिये ।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति वर्ष 1995 में पूर्णतया सन्तोषप्रद एवं नियन्त्रण में रही । राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहा । कुछ स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, जिन्हें स्थानीय स्तर पर ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तात्कालिक कार्यवाही कर नियंत्रित किया गया । जातिवादी तनाव से राजस्थान सामान्यतया मुक्त रहा है । राज्य में इस वर्ष पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के तथा विभिन्न स्थानों पर छात्र संघों के चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए । कुल मिलाकर औद्योगिक शांति बनी हुई है एवं राज्य में कोई विशेष श्रमिक आंदोलन अथवा असंतोष की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई । राज्य में शांति तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है ।

राज्य में अपराध स्थिति नियन्त्रण में रही है तथा गत वर्ष की अपेक्षा डकेती, हत्या, लूट नकबजनी एवं चोरी के अपराधों में कमी आयी है । पंजीकृत अपराधों का त्वरित अनुसंधान करने के निर्देशों के फलस्वरूप राज्य में तीन माह से अधिक अनुसन्धानाधीन मामलों में कमी आयी है । माह सितम्बर, 1995 के अन्त तक दर्ज 1,09,625 अभियोगों में से केवल 1,113-एक प्रतिशत--ही 3 माह से अधिक समय से जैर तफ्तीश हैं ।

पिछले 6 माह से जनता की शिकायतों को सुनने के सम्बन्ध में एक नयी परिपाटी को प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत जो भी शिकायत जिस अधिकारी के समक्ष की जाती है वही उसका निर्णय करेगा और एक माह से अधिक का समय इस निर्णय में नहीं लगाएगा । इसके अन्तर्गत जो भी शिकायतें जनता के द्वारा आयीं उनका त्वरित गति से निपटारा किया गया । कई रेंजों में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम निकले हैं । जनता में नये विश्वास का संचार हुआ है क्योंकि उनकी शिकायतों का त्वरित गति से निवारण किया जा रहा है । दोषी अधिकारियों को समुचित दण्ड भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिया गया है। जहां आवश्यक हुआ और बहुत अधिक लापरवाही पायी गयी या कर्त्तव्य की अवहेलना का दृष्टान्त सामने आया है तो दोषी अधिकारियों को निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गयी है।

राजस्थान पुलिस अकादमी में अनुसंधान विषयक पांच दिवसीय कोर्स एक बहुत ही विचार विमर्श के उपरान्त तैयार किये गये पाठ्यक्रम के अनुरूप आरम्भ किया जा रहा है। यह विशिष्ट कोर्स अब तक सफलतापूर्वक 10 बार सम्पन्न हो चुका है जिसके अन्तर्गत अब तक 52 पुलिस उप अधीक्षक, 82 पुलिस निरीक्षक, 272 उप निरीक्षक, कुल 400 पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान सम्बन्धी जटिलताओं और वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान करने की विधि से अवगत कराकर उनकी क्षमता में वृद्धि की गयी है। इस कोर्स का सफल संचालन राजस्थान पुलिस के अनुसंधान के स्तर में वृद्धि करने में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो रहा है!

राजस्थान राज्य में विशेषकर अन्तरराज्यीय सीमाओं पर और विभिन्न अंचलों में जगह–जगह अपराध नियन्त्रण और यातायात संचालन हेतु रोड-ब्लॉक्स लगाये हुए थे। इस व्यवस्था में यह पाया गया कि इन रोड–ब्लॉक्स के कारण सुगम यातायात संचालन में व्यवधान होता था और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी प्राप्त होती थीं क्योंकि ट्रैफिक चैकिंग विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न तरीकों से की जाती थीं। इस स्थिति का पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर यातायात संचालन एवं वाहन चैकिंग की नयी व्यवस्था शुरू की गयी है।

इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत अब कोई एक एजेंसी वाहनों की चैकिंग नहीं करती। मजिस्ट्रेट, पुलिस, परिवहन एवं रोडवेज के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिली-जुली कम्पोजिट टीम चैकिंग करती है। इस चैकिंग का सुपरविजन जिला स्तर पर गठित समिति, जिसके अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होते हैं, करती है। इस चैकिंग व्यवस्था के न केवल अच्छे परिणाम सामने आये हैं, अपितु पारदर्शित भी परिलक्षित हुई है। यह टीम जिले की विभिन्न सड़कों पर एक माह में कम से कम 7 दिन चैकिंग करती है।

जयपुर शहर में प्रीपेड टैक्सी प्रणाली 15 अगस्त से रेलवे स्टेशन तथा सिंधी कैम्प से शुरू की गयी है। यह प्रणाली प्रारम्भिक अड़चनों के बाद सुचारू रूप से चल रही है। प्रत्येक दिन लगभग 700 से 1000 यात्री इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली भारत के कुछ ही बड़े शहरों में प्रचलित है। इस प्रणाली के तहत शहर के प्रमुख स्थलों से निर्धारित गन्तव्य स्थानों पर जाने के लिये यात्री को बूथ पर पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार पैसा जमा कराना होता है तथा टैक्सी ड्राइवर को टोकन दे दिया जाता है। टैक्सी ड्राइवर सवारी को गन्तव्य स्थान पर छोड़ कर अपने टोकन के अनुसार किराया बूथ से प्राप्त कर लेता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यात्री विशेष कर नये यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने

174

(श्री कैलाश मेघवाल)

की आदत पर पाबंदी लगी है। यह व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त है।

राज्य सरकार पुलिस हिरासत में मृत्यु तथा पुलिस द्वारा उत्पीड़न के प्रति सदैव चिन्तित रही है एवं ऐसी घटनाओं को पूर्णतया समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है जिसके फलस्वरूप गत वर्ष की अपेक्षा 1995 में ऐसी घटनाओं में कमी आयी है। 1995 में हिरासत में 3 तथा पुलिस द्वारा अन्यत्र मारपीट के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पूर्वनिर्धारित नीति के अनुरूप....

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : ...जो आपकी कस्टडी में हुई और आपने कल हाउस की टेबल पर लिस्ट रखी है उसमें बौंली वाले उस स्थान का तो नाम ही नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : 1995 की बता रहा हूं मैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं 1994 की नहीं कह रहा हूं, मैं 1995 की कह रहा हूं, जुलाई, 1995 की, वह तो आया ही नहीं आपके।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अभी जवाब दे दूंगा मालूम पड़ने पर। पूर्व निर्धारित नीति के अनुरूप दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त प्रशासनिक कार्यवाही कर अभियोग पंजीबद्ध किये गये। अनुसंधान से दोषी पाये जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों की भी पालना की जा रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप भी राज्य में कार्यवाही की जा रही है और समय–समय पर राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं जिनकी पालना भी राज्य सरकार तत्परता से करवाती है। नये पुलिस प्रशिक्षणार्थियों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील व सजग बनाने हेतु विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

राज्य सरकार महिलाओं का उत्पीड़न एवं उनके विरुद्ध अन्य अपराधों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस अधीक्षक के अधीन एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित है जो कि ऐसे अभियोगों के अनुसंधान पर निगरानी रखता है तथा इन अपराधों के सम्बन्ध में प्राप्त परिवादों की प्राथमिकता से जांच कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। रेंजों एवं जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारीगण महिलाओं द्वारा दर्ज कराये गये अपराधों के प्रति विशेष ध्यान देते हैं तथा महिला की दहेज हत्या जैसे प्रकरणों का उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से अनुसंधान करवाया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार सजग है। समय–समय पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जाती है। इस वर्ग के व्यक्तियों पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

अपराध के समस्त प्रकरण स्पेशल रिपोर्ट की परिधि में आते हैं और उनके अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अत्याचार के मामलों का कम से कम उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा ही अनुसंधान किया जाता है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस अधीक्षक के अधीन एक प्रकोष्ठ भी स्थापित है जो ऐसे मामलों की समीक्षा करता है।

अत्याचार की घटनाओं की रोकथाम के नियोजित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचारों में विशेष कमी आयी है। माह जनवरी से सितम्बर तक वर्ष 1993 में 5371, वर्ष 1994 में 5761 के मुकाबले सन् 1995 में 4632 अपराध राज्य में घटित हुए।

राजस्थान पुलिस ने गत विधान सभा सत्र के बाद अक्टूबर, 95 तक की अवधि में राजस्थान की जनता को डकैतों व संगठित गिरोहों के भय से मुक्त कराने, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, तस्करों, अवैध हथियारों के सौदागरों, असामाजिक तत्वों तथा चोरों, नकबजनों आदि के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जो पुलिस की बढ़ी हुई कार्यक्षमता का प्रतीक है। प्रदेश की जनता को असामाजिक तत्वों की आपराधिक गतिविधियों से राहत मिली है।

श्री राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण और मुठभेड़ के बाद उनको छुड़ाने के पश्चात् आतंकवादी समर्थक तत्वों की पहचान करने में पुलिस सक्रिय रही है। श्री मिर्धा के अपहरणकर्त्ताओं की सहायता करने वाले पांच व्यक्तियों का गिरफ्तार कर चालान सक्षम न्यायालय में पेश किये गये हैं। प्रमुख अपहरणकर्त्ता दयासिंह लाहोरिया को कलकत्ता में राजीव सूदन के फर्जी नाम से पासपोर्ट दिलवाने एवं शरण देने वाले गुरू सुखदेवसिंह व हरदयाल सिंह को दिनांक 10 अक्टूबर, 95 को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ से महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं सुराग प्राप्त हुए हैं। दयासिंह लाहोरिया व उसकी पत्नी को अमेरिका से प्रत्यार्पण कर लाने का प्रयास भारत सरकार व इंटरपोल के माध्यम से किया जा रहा है।

(16.00)

राज्य में टाडा के अन्तर्गत कार्यवाही। राज्य सरकार आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानून को प्रभावशील करने के पक्ष में रही है ताकि राष्ट्रविरोधी तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। 23 मई, 1995 को टाडा अधिनियम की समाप्ति के पूर्व इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल 170 अभियोग पंजीबद्ध किये गये जिनमें 30-9-95 तक 118 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य में इस कानून के प्रावधानों का केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही उपयोग किया गया है। जिसके फलस्वरूप गत वर्ष के अन्त तक निर्णय किये गये मामलों में 50 प्रतिशत अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी। यह उल्लेखनीय है कि देश के अन्य प्रमुख राज्यों में केवल 10 से 18 प्रतिशत अभियुक्तों को ही न्यायालय ने सजा योग्य पाया है। सीमा क्षेत्रों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। पाकिस्तान से लगी हुई

(श्री कैलाश मेघवाल)

1040 किलोमीटर लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की शह पर हथियारों, नशीले पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी तथा जासूसी व राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिये राजस्थान पुलिस पूरी तरह सतर्क है व उसके द्वारा कुछ अभूतपूर्व उपलब्धियां भी प्राप्त की गयी हैं।

केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा व गुप्तचर एजेन्सियों से राजस्थान पुलिस का समन्वय बना हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्थान भारत के प्रधान मन्त्री व गृह मंत्री को सीमान्त क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं व अन्तरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिये सहायता भी प्राप्त करने में सफल रहे हैं। सीमान्त क्षेत्र में सीमा आसूचना चौकियों को पुनर्गठित कर अधिक सुदृढ़ बनाया गया है तथा उन्हें आधुनिक हथियार, संचार के साधनों, वाहनों आदि से सुसज्जित किया गया है। पक्के भवनों की व्यवस्था भी क्रमबद्ध तरीके से की जा रही है। गंगानगर तथा बीकानेर जिले की सम्पूर्ण पाक सीमा पर तारबन्दी तथा फ्लड लाइटें लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही जैसलमेर जिले में 121 किलोमीटर तथा बाड़मेर जिले में 100 किलोमीटर लम्बी सीमा पट्टी पर तारबन्दी का कार्य पूरा हो गया है व फ्लड लाइटें लगाने का कार्य भी प्रगती है। सीमा पर 160 किलोमीटर तारबन्दी की स्वीकृति भारत सरकार से और प्राप्त हुई है। सीमान्त गांवों में रात्रि कर्फ्यू भी समय–समय पर लगाया जाता है। इन सब उपायों तथा सीमा पर तैनात पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप 81.67 किलोग्राम हैरोइन, 263.93 किलोग्राम चरस, 20.30 किलोग्राम अफीम, 1330 लीटर ऐसेटिक एन हाइड्राइड बरामद कर 128 तस्कर गिरफ्तार किये गये। इस प्रकार 84 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में वर्ष 1995 में अब तक राजस्थान पुलिस को सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त 18 किलो चांदी, व 1.32 लाख रुपयों की भारतीय मुद्रा तस्करों से जब्त की गयी। इसके अलावा 9 व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गये तथा भारत से पाकिस्तान जाते समय 831 व्यक्तियों तथा पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने वाले 81 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

राज्य के विभिन्न जिलों में नशीले पदार्थों, सोना, चांदी हथियारों व अन्य वस्तुओं की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अधिक प्रभावी कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप 1.6 किलोग्राम हैरोइन 3.36 किलोग्राम चरस 451.32 किलोग्राम अफीम, 167.23 किलोग्राम गांजा, 496.16 किलोग्राम पोस्त डोडा आदि बरामद किये। विभिन्न प्रकार की तस्करी में लिप्त 475 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।

डकैती उन्मूलन के तहत राजस्थान पुलिस ने काफी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अप्रैल, 95 से सितम्बर, 95 तक पुलिस ने 42 डकैतों को गिरफ्तार कर उनसे 8 हथियार बरामद किये। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 जून, 95 को बाड़मेर पुलिस के योजनाबद्ध प्रयासों के फलस्वरूप सीमान्त जिलों में गत 25 वर्षों

(श्री कैलाश मेघवाल)

से सक्रिय स्वरूप सिंह गिरोह के दस सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। यह गिरोह डकैती, हत्या, तस्करी, लूट तथा अन्य गतिविधियों में लिप्त था तथा सीमान्त जिलों में काफी आतंक फैला हुआ था। इन डकैतों का पाकिस्तान भी आना-जाना बना हुआ था।

राजस्थान पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले बदमाशों के खिलाफ इस अवधि में प्रभावी कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के 178 हथियार बरामद किये गये तथा 167 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई स्थानों पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी पकड़ी गयीं जहां से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस व उपकरण जब्त किये गये। कोटा ग्रामीण, झालावाड़ और धौलपुर जिले में 3 अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां पकड़ी गयीं और 14 हथियार बरामद कर 17 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया।

10 सितम्बर, 95 को भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र के रणधीरगढ़ का नगला में अवैध हथियार बनाने के कारखाने पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां 19 पूरी तरह निर्मित या अर्द्ध निर्मित बन्दूकें, कट्टे व कलपुर्जे बरामद किये गये। 1 अप्रैल, 1995 को भरतपुर जिले में 13 हथियार बरामद किये गये जबकि 14 मई, 1995 को चित्तौड़-गढ़ पुलिस ने बेगूं में 15 क्विण्टल विस्फोटक सामग्री बरामद कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।

इन्टेलीजेन्स शाखा का पुनर्गठन

राजस्थान में सीमा पार कर प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ करने तथा राज्य में छद्म रूप से निवास करने के प्रयासों के कारण राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी एजेन्सियां हथियार, गोला बारूद एवं मादक पदार्थ भारत में भेजने के लिये सतत् प्रयास-रत हैं। 1 जुलाई, 1995 में जैसलमेर जिले में दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी से भी पड़ौसी राष्ट्र एवं आतंकवादियों की भारत में व्यापक हिंसा एवं तोड़फोड़ की घटनाओं की योजना का पर्दाफाश हुआ है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर वी. आई. पी. सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। एक विशेष सुरक्षा दल का गठन किया गया है तथा समस्त रेंज मुख्यालयों पर विस्फोटकों को निष्क्रिय करने हेतु प्रशिक्षित दल लगाये गये हैं जिन्हें समुचित साधन दिये गये हैं। 13 अन्य जिलों को भी विस्फोटकों को खोजने के उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। कोटा एवं जोधपुर हेतु बम डिस्पोजल दल एवं खोजी कुत्ते स्वीकृत किये गये हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत आतंकवादी गतिविधियों की सूचना एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु एस. पी. एन्टी टेररिस्ट का पद सृजित किया गया है। आतंकवादियों के विरुद्ध नियोजित तरीके से एक दल का एस. पी. (आपरेशन) के अधीन गठित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय युनिटें भी कार्य करेंगी। राज्य विशेष शाखा में आतंकवादी और घुसपैठियों की कार्यवाहियों पर नियन्त्रण हेतु विशेष सैल स्थापित किये गये हैं।

178

(श्री कैलाश मेघवाल)

गुप्तचर शाखा की पुनर्गठित व्यवस्था हेतु 161.12 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गयी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिये 190.62 लाख रुपये तथा राज्य की अपराध अन्वेषण शाखा के पुनर्गठन हेतु 12.30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

जिला पुलिस की पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 25 पुलिस चौकियां, 10 नये पुलिस थाने, 3 महिला पुलिस थाने एवं 8 पुलिस वृत स्वीकृत किये गये हैं। इनके अलावा 100 पद सहायक उप निरीक्षक के थानों में तफतीशी भार कम करने के लिये स्वीकृत किये गये हैं और 35 पुलिस थाने जिन पर अब तक पुलिस उप निरीक्षक इन्चार्ज थे उनके स्थान पर अब पुलिस निरीक्षक एस. एच. ओ. किये गये हैं। 16 पद अपर पुलिस अधीक्षक के स्वीकृत किये गये हैं। इनके अलावा 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है।

जयपुर शहर के लिये यातायात पुलिस 2 उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक-3, पुलिस उप निरीक्षक 9, सहायक उप निरीक्षक 9, मुख्य आरक्षी 30 एव आरक्षक के 180 पद स्वीकृत किये गये हैं।

नव सृजित हनुमानगढ़, दौसा, बारां, राजसमन्द, धौलपुर, कोटा ग्रामीण एवं जयपुर ग्रामीण जिलों में दूर संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये निरीक्षक 7, उप निरीक्षक 18, सहायक उप निरीक्षक 60, मुख्य आरक्षक 36, आरक्षक 36 के नये पद स्वीकृत किये गये हैं।

पुलिस प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिये उप पुलिस अधीक्षक 9, निरीक्षक 14, उप निरीक्षक 27, मुख्य आरक्षक 65, आरक्षक के 50 पद स्वीकृत किये गये हैं।

अपराधों पर समुचित नियंत्रण करने के लिये एवं जिलों में कम्प्यूटर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये 32 डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद स्वीकृत किये गये हैं।

उपरोक्त पदों के साथ-साथ मंत्रालयिक कर्मचारियों के निम्न पद स्वीकृत किये गये हैं: स्टेनो 2, कनिष्ठ लेखाकार 2, कार्यालय 5, वरिष्ठ लिपिक 27, कनिष्ठ लिपिक 45, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60, अनुबन्धित आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 39।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हो रही है। हमने सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आया वह सुना लेकिन असल में कानून और व्यवस्था की राज्य में क्या स्थिति है इससे हम सभी वाकिफ हैं। मैं इन सब की तह में नहीं जाना चाहती हूं लेकिन आज सदन में मैं सिर्फ उन मुद्दों का, उन हत्याओं का, उन हादसों का जिक्र करना चाहती हूं जो पुलिस थानों में न होकर घर की चारदीवारी में होते हैं। मैं इन सभी हत्याओं का ब्यौरा और पुलिन्दा यहां लाना चाहती थी लेकिन मैं जानती हूं कि यह सब जानकारी सरकार के पास है, मंत्रीजी के पास है। मुझे इस बात की खुशी

(श्रीमती बीना काक)

है कि आज जब मैं महिलाओं की ये समस्याएं उठा रही हूं तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मैं कहूंगी उसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा और अवश्य कार्यवाही होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर रोज हत्याओं को लेकर या दहेज को लेकर ताड़नाएं जो महिलाओं के साथ होती हैं उनका जिक्र अखबारों में होता है, रोज ही अखबार इस तरह के हादसों से, खबरों से रंगे होते हैं। आज भी एक खबर का जिक्र अखबार के अन्दर है। माननीय मन्त्री महोदय, एक-एक शब्द जो मैं कह रही हूं मन से निकला हुआ है, दिमाग से निकला हुआ नहीं है। कृपया आप इधर-उधर ध्यान न दें, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। माफी चाहती हूं। यह सवाल राजनीति का नहीं है सिर्फ उस सम्मान का है जिसे हम खास तौर से सत्तारूढ़ दल बार-बार जहां नारी की पूजा होती है वहां लक्ष्मी का निवास होता है, कहकर याद दिलाता है। मैं सरकार से केवल इतनी ही अर्ज करना चाहती हूं, इतनी ही मांग करना चाहती हूं कि वे दहेज हत्या या इसे लेकर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में संवेदनशीलता का परिचय दें। ऐसे किसी भी मामले में अपराधियों को तुरन्त पकड़ कर दण्डित किया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में कानून के साथ-साथ संवेदनशीलता का परिचय अगर सरकार की तरफ से दिया जाए तो मुझे ही नहीं बल्कि राज्य की समस्त महिलाओं को, सारी जनता को बहुत प्रसन्नता होगी। मैं नहीं कहती कि ऐसे मामलों में दोषियों को सीधा फांसी के तख्ते पर ले जाया जाए या उन्हें एकदम फांसी दे दी जाए लेकिन हर बेटी की मां, बाप, हर बेटी का भाई चाहेगा कि अगर उसकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है या होने जा रहा है, तो सरकार का उसकी तरफ ध्यान जाए और उसे जहर देकर मार डालने वाले या मरने के लिये मजबूर करने वालों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि ऐसे मामलों में पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। अपराधियों को कई-कई महीने गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसको इतना कमजोर बना दिया जाता है कि वह अदालत में जाने से पहले ही अपना दम तोड़ देता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई बेसिक बात बताओ।

श्रीमती बीना काक : आप घनश्याम जी, कृपया इसे मजाक में मत लें, मैं मजाक के मूड में आज नहीं हूं। (व्यवधान) कृपया हरिसिंह जी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्रीमती बीना काक : प्लीज। आप जब ये तस्वीरें देखेंगे तो आपके होश फाख्ता होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने देख लिया, इसलिए नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : यह 25 वर्षीय मीनाक्षी चौबीसा की जुलाई, 95 में मौत हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना इलाज कराने गयी हुई थी, उस वक्त यह हादसा हुआ। डूंगरपुर में इस मीनाक्षी के

(180)

(श्रीमती बीना काक)

पेट में छुरियां घोंपी गयी, उसके गुप्तांगों को लहूलुहान किया गया, उसमें एसिड छिड़का गया और उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसे जला दिया गया। इतनी बर्बतापूर्वक और इतने पाशविक तरीके से किसी की बेटी, किसी की बहिन, के साथ इस तरह का हादसा हो तो रौंगटे खड़े होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैना साहनी की भी हत्या हुई थी। जी हां, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है पूरा देश जानता है, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी काफी हुई है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी उसकी काफी चिन्ता की और अखबार के अन्दर बयान भी दिया। नैना साहनी को पहले मारा गया बाद में उसको काट कर तन्दूर में झोंका गया। मीनाक्षी को पहले काटा गया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और उसके बाद उसे मारा गया। यह जो अपराध है यह नैना साहनी हत्या काण्ड से कहीं अधिक मैं सीरियस मानती हूं। यह बहुत ही घिनौना कृत्य है। इसकी तस्वीरें हैं, मुझे शर्म आती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की तस्वीरें देखते हुए दिल दहलता है। जुबेरजी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपकी किसी बेटी-बहिन के साथ इस तरह का हादसा कभी हो, तो क्या आप चाहेंगे कि उसके जो हत्यारे हैं वे खुलेआम घूमते रहें। उनको गिरफ्तार किया गया दो दिन के लिये, वह भी तब जब एजीटेशन्स हुए, डिमास्ट्रेशन्स हुए। लोग चिल्लाये, मां-बाप गिड़गिड़ाये उसके बाद जाकर के एक्शन लिया गया। लेकिन बेल पर रिहा हो गये। तीन-तीन अधिकारियों ने उसकी तफ्तीश की, एस. डी. ओ. ने कहा कि इस तरह का मामला हुआ है। इसकी सारी की सारी रिपोर्ट विष्णु मोदी जी ने बार-बार मुख्य मंत्रीजी को लिखी है, मैं उस वक्त थी नहीं लेकिन मैं यह बोलना चाहती थी, इस बारे में बात करना चाहती थी। मुझे यह बताया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लीयर कट मर्डर केस है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अर्ज करूंगी, माननीय गृह मन्त्रीजी, यह आपके ही डिवीजन का मामला है इसको सी. बी. आई. को सौंपा जाए। मैं कहती हूं कि किसी संवेदनशील अधिकारी को दिया जाए और हर इस तरह के केस के अन्दर इसी तरह से सीरियसली एक्शन लिया जाए। इसी तरह कई केसेज हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दु अग्रवाल नीम-का-थाना में, आज ही शिमला का जिक्र आया है कमला का। ऐसी कई बहू-बेटियां हैं जो इन हादसों की शिकार हो रही हैं। दिल दहलाने वाले किस्से हैं, जिन्हें हम अखबारों में पढ़ते हैं। आप सभी से मैं तो यही गुजारिश करना चाहती हूं कि इस तरह से अगर कोई भी किस्सा, कोई भी वारदात आपके ख्याल में आती है, तो अपनी बहिन-बेटी समझकर उसके रिश्तेदार जो अपने पैर रगड़ते रहे हैं, जो एड़ियां रगड़ कर सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनको न्याय दिलवाने में अपनी मदद करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन पर एक वालेंटरी एक्शन ब्यूरो तो बना रखा है, माननीय मंत्रीजी ने भी उसका जिक्र किया लेकिन इसकी इफैक्टिविटी कितनी है, यह सभी जानते हैं। पुलिस थाने में कोई मौत होती है, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे थाने का तबादला हो जाता, पुलिस थाने में

(श्री कैलाश मेघवाल)

से सक्रिय स्वरूप सिंह गिरोह के दस सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। यह गिरोह डकैती, हत्या, तस्करी, लूट तथा अन्य गतिविधियों में लिप्त था तथा सीमान्त जिलों में काफी आतंक फैला हुआ था। इन डकैतों का पाकिस्तान भी आना–जाना बना हुआ था।

राजस्थान पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले बदमाशों के खिलाफ इस अवधि में प्रभावी कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के 178 हथियार बरामद किये गये तथा 167 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई स्थानों पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी पकड़ी गयीं जहां से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस व उपकरण जब्त किये गये। कोटा ग्रामीण, झालावाड़ और धौलपुर जिले में 3 अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां पकड़ी गयीं और 14 हथियार बरामद कर 17 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया।

10 सितम्बर, 95 को भरतपुर जिले के मुसावर थाना क्षेत्र के रणधीरगढ़ का नगला में अवैध हथियार बनाने के कारखाने पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां 19 पूरी तरह निर्मित या अर्द्ध निर्मित बन्दूकें, कट्टे व कलपुर्जे बरामद किये गये। 1 अप्रैल, 1995 को भरतपुर जिले में 13 हथियार बरामद किये गये जबकि 14 मई, 1995 को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बेगूं में 15 क्विण्टल विस्फोटक सामग्री बरामद कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।

इन्टेलीजेन्स शाखा का पुनर्गठन

राजस्थान में सीमा पार कर प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ करने तथा राज्य में छद्म रूप से निवास करने के प्रयासों के कारण राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी एजेन्सियां हथियार, गोला बारूद एवं मादक पदार्थ भारत में भेजने के लिये सतत् प्रयासरत हैं। 1 जुलाई, 1995 में जैसलमेर जिले में दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी से भी पड़ौसी राष्ट्र एवं आतंकवादियों की भारत में व्यापक हिंसा एवं तोड़फोड़ की घटनाओं की योजना का पर्दाफाश हुआ है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर वी. आई. पी. सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। एक विशेष सुरक्षा दल का गठन किया गया है तथा समस्त रेंज मुख्यालयों पर विस्फोटकों को निष्क्रिय करने हेतु प्रशिक्षित दल लगाये गये हैं जिन्हें समुचित साधन दिये गये हैं। 13 अन्य जिलों को भी विस्फोटकों को खोजने के उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। कोटा एवं जोधपुर हेतु बम डिस्पोजल दल एवं खोजी कुत्ते स्वीकृत किये गये हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत आतंकवादी गतिविधियों की सूचना एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु एस. पी. एन्टी टेररिस्ट का पद सृजित किया गया है। आतंकवादियों के विरुद्ध नियोजित तरीके से एक दल का एस. पी. (आपरेशन) के अधीन गठित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय युनिटें भी कार्य करेंगी। राज्य विशेष शाखा में आतंकवादी और घुसपैठियों की कार्यवाहियों पर नियन्त्रण हेतु विशेष सैल स्थापित किये गये हैं।

182

(श्री कैलाश मेघवाल)

गुप्तचर शाखा की पुनर्गठित व्यवस्था हेतु 161.12 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गयी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिये 190.62 लाख रुपये तथा राज्य की अपराध अन्वेषण शाखा के पुनर्गठन हेतु 12.30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

जिला पुलिस की पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 25 पुलिस चौकियां, 10 नये पुलिस थाने, 3 महिला पुलिस थाने एवं 8 पुलिस वृत स्वीकृत किये गये हैं। इनके अलावा 100 पद सहायक उप निरीक्षक के थानों में तफतीशी भार कम करने के लिये स्वीकृत किये गये हैं और 35 पुलिस थाने जिन पर अब तक पुलिस उप निरीक्षक इन्चार्ज थे उनके स्थान पर अब पुलिस निरीक्षक एस. एच. ओ. किये गये हैं। 16 पद अपर पुलिस अधीक्षक के स्वीकृत किये गये हैं। इनके अलावा 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है।

जयपुर शहर के लिये यातायात पुलिस 2 उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक–3, पुलिस उप निरीक्षक 9, सहायक उप निरीक्षक 9, मुख्य आरक्षी 30 एव आरक्षक के 180 पद स्वीकृत किये गये हैं।

नव सृजित हनुमानगढ़, दौसा, बारां, राजसमन्द, धौलपुर, कोटा ग्रामीण एवं जयपुर ग्रामीण जिलों में दूर संचार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये निरीक्षक 7, उप निरीक्षक 18, सहायक उप निरीक्षक 60, मुख्य आरक्षक 36, आरक्षक 36 के नये पद स्वीकृत किये गये हैं।

पुलिस प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिये उप पुलिस अधीक्षक 9, निरीक्षक 14, उप निरीक्षक 27, मुख्य आरक्षक 65, आरक्षक के 50 पद स्वीकृत किये गये हैं।

अपराधों पर समुचित नियंत्रण करने के लिये एवं जिलों में कम्प्यूटर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये 32 डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद स्वीकृत किये गये हैं।

उपरोक्त पदों के साथ-साथ मंत्रालयिक कर्मचारियों के निम्न पद स्वीकृत किये गये हैं: स्टेनो 2, कनिष्ठ लेखाकार 2, कार्यालय 5, वरिष्ठ लिपिक 27, कनिष्ठ लिपिक 45, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60, अनुबन्धित आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 39।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हो रही है। हमने सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आया वह सुना लेकिन असल में कानून और व्यवस्था की राज्य में क्या स्थिति है इससे हम सभी वाकिफ हैं। मैं इन सब की तह में नहीं जाना चाहती हूं लेकिन आज सदन में मैं सिर्फ उन मुद्दों का, उन हत्याओं का, उन हादसों का जिक्र करना चाहती हूं जो पुलिस थानों में न होकर घर की चारदीवारी में होते हैं। मैं इन सभी हत्याओं का ब्यौरा और पुलिन्दा यहां लाना चाहती थी लेकिन मैं जानती हूं कि यह सब जानकारी सरकार के पास है, मंत्रीजी के पास है। मुझे इस बात की खुशी

(श्रीमती बीना काक)

है कि आज जब मैं महिलाओं की ये समस्याएं उठा रही हूं तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मैं कहूंगी उसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा और अवश्य कार्यवाही होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर रोज हत्याओं को लेकर या दहेज को लेकर ताड़नाएं जो महिलाओं के साथ होती हैं उनका जिक्र अखबारों में होता है, रोज ही अखबार इस तरह के हादसों से, खबरों से रंगे होते हैं। आज भी एक खबर का जिक्र अखबार के अन्दर है। माननीय मन्त्री महोदय, एक-एक शब्द जो मैं कह रही हूं मन से निकला हुआ है, दिमाग से निकला हुआ नहीं है। कृपया आप इधर-उधर ध्यान न दें, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। माफी चाहती हूं। यह सवाल राजनीति का नहीं है सिर्फ उस सम्मान का है जिसे हम खास तौर से सत्तारूढ़ दल बार-बार जहां नारी की पूजा होती है वहां लक्ष्मी का निवास होता है, कहकर याद दिलाता है। मैं सरकार से केवल इतनी ही अर्ज करना चाहती हूं, इतनी ही मांग करना चाहती हूं कि वे दहेज हत्या या इसे लेकर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में संवेदनशीलता का परिचय दें। ऐसे किसी भी मामले में अपराधियों को तुरन्त पकड़ कर दण्डित किया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में कानून के साथ-साथ संवेदनशीलता का परिचय अगर सरकार की तरफ से दिया जाए तो मुझे ही नहीं बल्कि राज्य की समस्त महिलाओं को, सारी जनता को बहुत प्रसन्नता होगी। मैं नहीं कहती कि ऐसे मामलों में दोषियों को सीधा फांसी के तख्ते पर ले जाया जाए या उन्हें एकदम फांसी दे दी जाए लेकिन हर बेटी की मां, बाप, हर बेटी का भाई चाहेगा कि अगर उसकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है या होने जा रहा है, तो सरकार का उसकी तरफ ध्यान जाए और उसे जहर देकर मार डालने वाले या मरने के लिये मजबूर करने वालों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि ऐसे मामलों में पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। अपराधियों को कई-कई महीने गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसको इतना कमजोर बना दिया जाता है कि वह अदालत में जाने से पहले ही अपना दम तोड़ देता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई बेसिक बात बताओ।

श्रीमती बीना काक : आप घनश्याम जी, कृपया इसे मजाक में मत लें, मैं मजाक के मूड में आज नहीं हूं। (व्यवधान) कृपया हरिसिंह जी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्रीमती बीना काक : प्लीज। आप जब ये तस्वीरें देखेंगे तो आपके होश फाख्ता होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने देख लिया, इसलिए नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती बीना काक : यह 25 वर्षीय मीनाक्षी चौबीसा की जुलाई, 95 में मौत हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना इलाज कराने गयी हुई थी, उस वक्त यह हादसा हुआ। डूंगरपुर में इस मीनाक्षी के

(श्रीमती बीना काक)

पेट में छुरियां घोंपी गयी, उसके गुप्तांगों को लहूलुहान किया गया, उसमें एसिड छिड़का गया और उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसे जला दिया गया। इतनी बर्बरतापूर्वक और इतने पाशविक तरीके से किसी की बेटी, किसी की बहिन, के साथ इस तरह का हादसा हो तो रोंगटे खड़े होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैना साहनी की भी हत्या हुई थी। जी हां, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है पूरा देश जानता है, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी काफी हुई है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी उसकी काफी चिन्ता की और अखबार के अन्दर बयान भी दिया। नैना साहनी को पहले मारा गया बाद में उसको काट कर तन्दूर में झोंका गया। मीनाक्षी को पहले काटा गया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और उसके बाद उसे मारा गया। यह जो अपराध है यह नैना साहनी हत्या काण्ड से कहीं अधिक मैं सीरियस मानती हूं। यह बहुत ही घिनौना कृत्य है। इसकी तस्वीरें हैं, मुझे शर्म आती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की तस्वीरें देखते हुए दिल दहलता है। जुबेरजी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपकी किसी बेटी-बहिन के साथ इस तरह का हादसा कभी हो, तो क्या आप चाहेंगे कि उसके जो हत्यारे हैं वे खुलेआम घूमते रहें। उनको गिरफ्तार किया गया दो दिन के लिये, वह भी तब जब एजीटेशन्स हुए, डिमास्ट्रेशन्स हुए। लोग चिल्लाये, मां-बाप गिड़गिड़ाये उसके बाद जाकर के एक्शन लिया गया। लेकिन बेल पर रिहा हो गये। तीन-तीन अधिकारियों ने उसकी तफ्तीश की, एस. डी. ओ. ने कहा कि इस तरह का मामला हुआ है। इसकी सारी की सारी रिपोर्ट विष्णु मोदी जी ने बार-बार मुख्य मंत्रीजी को लिखी है, मैं उस वक्त थी नहीं लेकिन मैं यह बोलना चाहती थी, इस बारे में बात करना चाहती थी। मुझे यह बताया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लीयर कट मर्डर केस है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से अर्ज करूंगी, माननीय गृह मन्त्रीजी, यह आपके ही डिवीजन का मामला है इसको सी. बी. आई. को सौंपा जाए। मैं कहती हूं कि किसी संवेदनशील अधिकारी को दिया जाए और हर इस तरह के केस के अन्दर इसी तरह से सीरियसली एक्शन लिया जाए। इसी तरह कई केसेज हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दु अग्रवाल नीम-का-थाना में, आज ही शिमला का जिक्र आया है कमला का। ऐसी कई बहू-बेटियां हैं जो इन हादसों की शिकार हो रही हैं। दिल दहलाने वाले किस्से हैं, जिन्हें हम अखबारों में पढ़ते हैं। आप सभी से मैं तो यही गुजारिश करना चाहती हूं कि इस तरह से अगर कोई भी किस्सा, कोई भी वारदात आपके ख्याल में आती है, तो अपनी बहिन-बेटी समझकर उसके रिश्तेदार जो अपने पैर रगड़ते रहे हैं, जो एड़ियां रगड़ कर सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनको न्याय दिलवाने में अपनी मदद करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन पर एक वालेंटरी एक्शन ब्यूरो तो बना रखा है, माननीय मंत्रीजी ने भी उसका जिक्र किया लेकिन इसकी इफैक्टिविटी कितनी है, यह सभी जानते हैं। पुलिस थाने में कोई मौत होती है, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे थाने का तबादला हो जाता, पुलिस थाने में

(श्रीमती बीना काक)

अगर कोई मौत होती है, तो एक महीने का वक्त दे करके उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है लेकिन दहेज हत्या के सभी मामले कोल्ड स्टोरेज में जाकर बन्द हो जाते हैं। जब तक कोई मांग नहीं होती कोई एक्शन नहीं होता। आज राधेश्याम जी ने वहां जाकर धरना दिया तो माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि एक्शन ले लूंगा। किसी और बात के अन्दर किसी और ने बात की उस वक्त एक्शन ले लूंगा, लेकिन जब हादसा होता है, जब वारदात होती है तब पुलिस सक्रिय क्यों नहीं होती ? यह जो कमी है उसको ठीक किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, आप दिल पर हाथ रख कर कहिये कि क्या जो आपकी यह व्यवस्था है, उससे आप पूरे सन्तुष्ट हैं ? बतायें मुझे, क्या आपका दिल मानता है कि पुलिस सच में बिलकुल सही तरीके से काम कर रही है ? प्रदर्शनों की नौबत नहीं आनी चाहिये। मैं कुछ सुझाव भी इस सरकार को देना चाहूंगी कि प्रशासनिक तौर तरीकों में, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिये पारदर्शिता लाने का प्रयत्न करना चाहिये। हम जो जन प्रतिनिधि हैं, मैं कहती हूं कि जन साधारण को भी, सोशल एजेन्सीज को भी यह अधिकार होना चाहिये कि महीने के अन्त में इस तरह की कितनी वारदातें हुईं, किस प्रकार की वारदातें हुईं अगर हम चाहें तो निवेदन करने पर हमें थाने से ही एक बार उनका ब्यौरा मिल जाए। इससे हमें अवेयरनेस आएगी कि किस प्रकार की वारदातें हो रही हैं। एक पर्टीकूलर थाने में किस प्रकार का ट्रेंड है, उसके ऊपर क्या कार्यवाही की, तो लोगों में खुद एक अवेयरनेस आएगी, जागरूकता बढ़ेगी मेरे ख्याल से ये जो वाइफ बीटिंग के केसेज हैं, बहुओं पर अत्याचार के केसेज हैं, महिला उत्पीड़न के केसेज हैं, बलात्कार के केसेज हैं, कितने केसेज दर्ज किये गये और कितने चार्जशीट हुए, यह महीने के अन्त में अगर हम आवेदन करें– कोर्ट से तो मिल जाता है लेकिन थानों में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो तो मेरे ख्याल से जनता को यह मानीटर करने का मौका मिलेगा। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) एक मिनट और लूंगी साहब।

पुलिस अधिकारियों में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको फटाफट सस्पेण्ड कर दिया जाता है लेकिन अगर वह कुछ अच्छा काम करता है, कहीं पकड़ लाया, कोई मुस्तैदी से काम किया तो जून मारकर उसको टाल दिया जाता है कि यह तो ड्यूटी थी। इसके लिये उनको भी अवार्ड्स दिये जाएं और उनको इन्सेंटिव दिया जाए। यदि किसी कलेक्टर ने, किसी एस. पी. ने इस तरह का मामला देखा हो, उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की हो उन्हें, मुख्य मंत्रीजी, किसी प्रकार के इंसेंटिव दिये जाने चाहिये। जब केसेज में एफ. आर. लगती है उस वक्त लॉज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों की एक कमेटी बनायी जाए। जिसके अन्दर अगर आप चाहें तो सोशल साइंटिस्ट को ले सकते हैं, साइकोलोजिस्ट को ले सकते हैं, लॉयर्स को ले सकते हैं, इस प्रकार की कमेटी एफ. आर. लगने से पहले अगर इन केसेज की स्क्रूटिनी कर ले तो मेरा ऐसा सोचना है कि काफी ठीक होगा। लॉज बुरे नहीं हैं लेकिन अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, सेंसिटिविटि से हो तो काफी हद तक हमारी समस्या सुलझ सकती हैं।

(186)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस तरह के कई केसेज हैं लेकिन जो खास मुद्दा मैंने मीनाक्षी हत्याकांड का उठाया है उसकी जांच आप सी. बी. आई. से कराएं। ये तस्वीरें मैं सदन के पटल पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन कानून और व्यवस्था के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है। मेरे से पूर्व वक्ता ने थोड़ा भावुक होकर काफी कुछ बातें कहीं। मैं तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यह निवेदन करता हूं, मान्यवर, कि पुलिस समाज का एक अविभाज्य अंग है, वह कभी हमसे अलग नहीं हो सकता और हम पुलिस से कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन इतना तो देखना ही पड़ेगा कि आज पुलिस की कितनी जिम्मेदारियां हैं एक वह भी समय था, मान्यवर, जब पुलिस अपने आपको केवल व्यवस्था के लिए केन्द्रित करती थी, पुलिस कानून बनाये रखने के लिये केन्द्रित थी लेकिन आज पुलिस को खेल के मैदानों में भी जाना पड़ता है, आज पुलिस को किसी शादी–विवाह के समारोह में भी उपस्थिति देनी पड़ती है और मैं तो यहां तक कहता हूं, कई-कई स्थानों पर तो मैंने यह भी देखा है कि जहां भगवान की कथा, परिचर्चाएं होती हैं वहां पर भी पुलिस को अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस को आज आप समाज से अलग नहीं कर सकते, वह उसका एक अंग है। आज आप कल्पना करते हैं कि समाज में, ये कहते हैं, मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रही थीं कि बहुत ज्यादा अपराध हैं। निश्चित रूप से हैं मैं भी मानता हूं। क्योंकि जब देश में आबादी, प्रान्त में आबादी बढ़ेगी तो समाज में उच्छृंखलता बढ़ेगी, लोगों में जाग्रती होगी और सरकार के प्रति भय भी धीरे–धीरे कम होगा तो निश्चित रूप से मानियेगा कि अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटा-सा निवेदन करता हूं, मान्यवर, आज पुलिस के अलावा कौन किससे संरक्षण प्राप्त करे? आज भगवान से कोई डरता नहीं, समाज के हुक्के पानी की किसी को चिन्ता नहीं, मां-बाप से उतना भय रहा नहीं–जितना आज से 20 साल पहले अपने पिता से मैं डरता था वह आज मेरी औलाद मुझसे नहीं डरती, लेकिन एक छोटा-सा भय पुलिस का रह गया है। मान्यवर, मैं इतना निवेदन करता हूं कि जिस दिन पुलिस का भयसमाप्त हो जाएगा उस दिन मेरे जैसे आदमी शांति से जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे इस पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि समाज में धीरे-धीरे उच्छृंखलता बढ़ी है, पापाचार बढ़ा है, दुराचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है। यह पुलिस में नहीं बढ़ा बल्कि समाज में बढ़ा है।

मैं तो निवेदन करता हूं कि आखिर पुलिस आती कहां से है? मान्यवर, वह भी हमारे बीच में एक अंग है। हमारे बीच में से, हमारे ही भाई–बहन, हमारे ही बेटे, हमारे ही सगे सम्बन्धी पुलिस में जाते हैं। समाज का जो प्रारूप होगा वही पुलिस का प्रारूप होगा। जब मैं पैसे खाता हूं या जब कोई आदमी गलत काम करता है तब तो कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और जब मैं देखता हूं कि समाज का दूसरा

(श्री अर्जुनदास मदान)

व्यक्ति वही काम कर रहा है जो मैंने किया था तो उसे मैं अपराध की संज्ञा में ले लेता हूं। तो प्रश्न यह है कि समाज में इतनी भी मानवता आ जाए, इतना भी चिन्तन और मन्थन कर हम निष्कर्ष पर पहुंच सके तो समाज और पुलिस को आप अलग-अलग नहीं कर सकते।

मैं आपको कई प्रान्त बता सकता हूं इसी देश के जहां पर पुलिस को कम कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी प्रान्त के सूबों और जिलों को भी मैं आपको गिना सकता हूं जहां पर आपकी पुलिस को थोड़ी कम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। शहर में ज्यादा जिम्मेदारी होती है, गांवों में कम जिम्मेदारी होती है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस को आज आप समाज के किसी कृत्य से अलग नहीं कर सकते। आज समाज में एक भावना बढ़ी, प्रत्येक आदमी पैसे बटोरने के पीछे लगा है, हर आदमी का यह सोच है कि जो कुछ बटोर सकें, बटोर लो, पता नहीं अगले जन्म में हमारे साथ क्या होगा। यह प्रवृत्ति समाज में धीरे-धीरे बनती चली गयी और उसके कारण भी हैं मान्यवर, मैं मानता हूं। पूर्व में व्यक्ति को समाज के ऊपर विश्वास था और आदमी यह सोचता था कि अगर मेरे जीवन में कोई घटना भी आ जाएगी, यदि मैं पीड़ित होऊंगा, यदि मेरे मन में कोई चुभन होगी तो मेरे समाज का दूसरा प्राणी मेरी रक्षा के लिये बैठा है। लेकिन मान्यवर, आज यह स्थिति नहीं है। आज आदमी सोचता है कि मेरा भाई, मेरी मदद नहीं करेगा, मेरे परिवार वाले मेरे पीछे से खड़े नहीं होंगे, मेरा कौन सहारा है। वह समझता है कि एक मात्र सहारा पैसा है और इसलिये आज सारा समाज उस पैसे की तरफ दौड़ता चला गया। जब समाज पैसे की तरफ दौड़ रहा है तो अगर पुलिस वाला दौड़ता है तो मैं उसे पाप क्यों समझूं ? मान्यवर, देखिये, इससे आप कोई रूप ले सकते हैं लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि समाज का प्रतिबिम्ब हैं हम। जो कुछ समाज में होगा वही पुलिस में होगा। आज, पुलिस के आचरण को आप बदल नहीं सकते इसलिये यह बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है हम जब स्वयं कोई कुकृत्य करते हैं तब तो उसे हम पाप नहीं समझते और जब दूसरा आदमी उसी काम को करता है तो हम उसे पापाचार की संज्ञा में लेते हैं। मैं मानता हूं कि कहीं-कहीं पर पुलिस के कुछ अत्याचार हैं भी, बढ़े भी हैं। भागलपुर का केस हमारे सामने है और छोटी-मोटी घटनाएं हैं। और अभी हरियाणा का केस तो आपके सामने ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के आई. पी. एस आफिसर्स को जेल में भेज दिया। आखिर यह सारी परिस्थिति यह तो तय करती है कि परिस्थिति से भय पुलिस के लोग भी खाते हैं कई बार। कितना बड़ा विश्वास समाज ने पुलिस के ऊपर सौंपा है, सरकार ने कितना बड़ा विश्वास पुलिस को सौंपा है कि चाहे जिस आदमी को जब अरेस्ट कर ले और अन्दर बिठा दे। कल मुझे मालूम पड़ा कि अर्जुन दास मदान तो एम. एल. ए. है और उसको छोड़ दो, उसे छोड़ दिया लेकिन उसको अधिकार तो दिया समाज ने। इतना बड़ा विश्वास पुलिस के अधिकार में सौंप दिया कि बिना पूछे-ताछे एक बार तो आप अच्छे अच्छे आदमी को बुला लो और बिठा लो,

(श्री अर्जुनदास मदान)

पकड़ लो। उसके ऊपर केस बनाओ न बनाओ, यह आपके ऊपर की बात है। समाज का इतना बड़ा विश्वास जिस के ऊपर हमने सौंपा, आज उसके वरिष्ठ अधिकारी यदि जेलों में जाएं, यदि वहां के अधिकारी जेल में पड़े हुए लोगों की आंखें फोड़ें तो निश्चित रूप से समाज के उलाहने बढ़ते हैं, मान्यवर। समाज में होने वाला प्रत्येक कृत्य, अच्छा या बुरा, वह मुझे प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि मैं भी समाज में से एक हूं। मान्यवर, अब स्थिति यह आ जाती है, जब पुलिस इस प्रकार के आचरण करती है और समाज में जब मैं देखता हूं कि मेरा पोषक शोषक बन गया, जिसके ऊपर मेरे पूरे जीवन का आधार था वह मेरा एक सहारा नहीं होकर के कुछ और बन गया और रक्षक ही भक्षक हो गये तो समाज में कुंठाएं बढ़ती हैं, जागरुकों के उलाहने बढ़ते हैं, गिले-शिकायतें बढ़ती हैं। वही गिले-शिकायतें आज समाज में पुलिस के प्रति धीरे धीरे बढ़ती चली गयीं और उसे आप समाज में कम कर नहीं सकते। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, ये सारी समाज की परिकल्पनाए एक बार आप मस्तिष्क में बटोरें और सोचें, मन्थन करें, मान्यवर, कि जब आजादी बढ़ती चली जाएगी, भय में जीने वाले लोगों के अंकुश धीरे-धीरे कम होते चले जाएंगे तो आखिर सहारा केवल मात्र पुलिस का ही लेना पड़ेगा।

अब मैं एक छोटा-सा निवेदन करता हूं। सभी लोग कहते हैं कि पुलिस तो बड़ा पापाचार करती है और पुलिस तो बड़ा अत्याचार करती है। मैं किसी एम. एल. ए. को पूछता हूं, मान्यवर, अपने धर्म ईमान से कह दें किस एम. एल. ए. ने यहां विधान सभा में यह नहीं कहा कि मेरे एक थाना खोलो, किसने यह नहीं कहा कि मेरे चौकी खोलो। आज नहीं कहा होगा, पर पिछले एक साल में दो साल में, मैंने भी कहा है, हर आदमी ने कहा है। आप सक्षम होंगे लेकिन मैं कहता हूं कि जितने एम. एल. ए. बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा यह चाहते हैं कि मेरे यहां पर पुलिस का वर्चस्व बढ़े, थाने बढ़ें मेरे यहां....

श्री हरिसिंह (महुआ) : पुलिस की मांग करते हैं, लुटेरों की बात नहीं करते हैं। आप सब कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं एक निवेदन कर दूं, बन्धुवर, जब कोई सही सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब भी सही आता है। मैं तो आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिये लेकिन जब सवाल ही किया तो जवाब देता हूं। एक मास्टर ने किसी से पूछ लिया कि मेरी उम्र कितनी है, स्कूल के कमरे की लम्बाई 20 फीट है और चौड़ाई 10 फीट है तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। मान्यवर, आप सुन लें। जवाब देने एक छोटा छात्र बीच में से खड़ा हुआ, उसने कहा मास्टर साहब, 42 साल। दुर्भाग्य से उस पढ़ाने वाले मास्टर की उम्र 42 साल थी। उसने कहा कि भई,' तूने 'मेरी सही उम्र कैसे निकाल दी। तो उसने कहा, मान्यवर, मैंने इसलिये निकाल दी कि मेरी गली में एक आधा पागल 21 साल का है। तो जब आप ऐसे सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी ऐसा होगा।

(श्री अर्जुनदास मदान)

निश्चित रूप से गलत सवाल का जवाब गलत ही आएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ): we could get the past of his life very well.

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये। हरिसिंह जी साहब, देखिये मैं कोई पुलिस का + + + नहीं हूं, आप विश्वास करें, मैं कोई पुलिस की + + + नहीं कर रहा लेकिन मैं इतना ही निवेदन जरूर कर देता हूं, धर्म-ईमान से आप अपने अंतःकरण में झांक-कर देखिये कि हम जो कर रहे हैं अगर कोई दूसरा आदमी वही करता है तो उसे हम पाप क्यों समझते हैं। इसलिये मैं निवेदन यह कर रहा था कि हम यहां पर ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर, आपने मुझसे सवाल किया इसलिये एक छोटा-सा यह निवेदन करता हूं। जब हम यह मानते हैं कि पुलिस पापाचार करती है, जब हम मानते हैं कि वह समाज में ज्यादती करती है फिर भी थानों में पुलिस को बढ़ाने के नाम पर, होम मिनिस्टर ने इस वित्तीय वर्ष में इतने पद और मांगे हैं, क्या जरूरत थी। केवल मात्र यही मैंने आपसे कहा कि मैं भी कांशस हूं, मैं चेतन अवस्था में तो कहीं कहता हूं कि पुलिस की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मेरी अचेतन अवस्था में एक चीज छिपी बैठी है कि अगर कोई रक्षा करेगा, कोई बात को बना सकता है तो पुलिस ही कर सकती है। मंत्री महोदय, पुलिस के बीच में मेरा छोटा-सा निवेदन है। एक पुस्तक है उसका "शस्त्र और शास्त्र" नाम है, लेखक दीक्षित जी हैं। उनकी पुस्तक के बारे में मैं आपसे, अभिशंसा नहीं कर रहा हूं लेकिन उस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें और जो भी उच्चाधिकारी हैं उनको जरूर पढ़वा दें। "शस्त्र और शास्त्र" उस पुस्तक का नाम है और जगदीश जी दीक्षित जो एम. पी. पुलिस के डाइरेक्टर थे, उन्होंने लिखी है। उसमें पुलिस के कर्त्तव्यों के ऊपर बहुत बड़ी परि-चर्चा थी, कि मैं समझता हूं उससे काफी ज्ञान में वृद्धि होगी।

पुलिस के लिये आप यह कहते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है। मान्यवर, पुलिस रिश्वत भी मेरे ख्याल से तीन तरह से होती है। एक तो नजराना होता है, एक शुक्रियाना और एक जबराना ....।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पहले कह चुके हैं। आपको कैसे पता है ?

श्री अर्जुनदास मदान : मैं उन संज्ञाओं में नहीं जाना चाहता। मुझे यह पता है कि कैलाश नाथजी काटजू कह गये हैं। कैलाश नाथ जी काटजू से किसी ने सवाल किया कि मान्यवर, आप रिश्वत की बात करते हैं, कितनी होती है ? तो कैलाश नाथ जी काटजू ने कहा था तीन प्रकार की होती हैं– एक तो नजराना है, एक शुक्रियाना है, एक जबराना है। अब मैं उनकी संज्ञा नहीं देना चाहता आपको। नजराना बड़े-बड़े राजाओं

+ + + : शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

को पेश होता था कि आप कृपा करें, साहब, कि मैं जब आपके दरवाजे पर आऊं तो मेरे पाप छिपा लेना यह नजराना हुआ करता था। शुक्रियाना यह है कि मैं इतना माल पार कर रहा हूं, मुझे माल पार कर लेने दो। तुम्हारी भी इसमें पार है और मेरी भी पार है। यह शुक्रियाना है कि मैं शुक्रियाना अदा करता हूं पैसे देकर के। और जबराना तो आप समझते ही हैं, मान्यवर जो जबरदस्ती वसूल किया जाता है (व्यवधान) नहीं, यह मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं। यह कैलाश नाथ जी काटजू की बात कर रहा हूं जो आपकी पार्टी के थे मगर कोशिश अच्छी थी। अब आपसे मैं आपकी बात निवेदन कर रहा हूं, जब थानों में तीसरी डिग्री के हथकण्डे अपनाये जाते हैं या उसमें झूठी मुठभेड़ों के नाम पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं तब तो पुलिस में उजड्ड लोगों का एक टोला समझ लेते हैं। वहां यह समझा जाता था कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये पापाचारी हैं, ये दुराचारी हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना इस समाज में हम कर सकें तो निश्चित रूप से बहुत उचित होगा। राजस्थान में तो मैं यह नहीं कहता कि यहां कोई सतयुग आ गया है, आखिर हम कलयुग में जी रहे हैं, सब जगह एक–सी स्थिति है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मैं यह मान सकता हूं कि दूसरे प्रान्तों से आप और कहीं सर्वे करवा लें, राजस्थान फिर भी शांत है, यहां पर कानून की व्यवस्था ठीक है। यह मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, यह सब लोगों की बात है। कोई माने या नहीं माने, लेकिन भीतर की आत्मा कचोटती होगी उन लोगों की कि यह जो मैं बात कर रहा हूं, उसका विरोध करें कि नहीं करें। मान्यवर, यह मैं जरूर मानता हूं कि पुलिस अगर कानून तोड़ने वालों की मदद प्रारम्भ कर दे या लोग जो कानून को नहीं तोड़ते उनका उपहास करे या उन पर बराबर ध्यान नहीं दे तो मन में निश्चित रूप से विचार आता ही है कि हम क्या करें, कहां जाएं। क्योंकि पुलिस के पास जाता आखिर कौन है ? जो पीड़ित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जिसके मन में चुभन है, जो कुंठा संजोये हुए हैं वही पुलिस के दरवाजे पर जाकर मदद मांगता है। जब उसको मदद नहीं मिलती है, जब उसको वह व्यवहार नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा बटोरकर वह पुलिस के दरवाजे पर गया था तो मन में निश्चित रूप से दर्द होता है कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां ? आज तक (समय–समाप्ति–सूचक घण्टी) मान्यवर, आपने घण्टी बजा दी। मेरे पास तो यह भी आंकड़े थे कि मैं सबके ऊपर आपको यह बता देता कि आज विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान ने 1995 में कितनी–कितनी सफलता प्राप्त की है। आप मुझे अनुमति दें तो इसमें पांच मिनट लगेंगे और नहीं दें तो मैं बैठ जाता हूं, जैसा आपका आदेश हो, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कृपया....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया। समय का अभाव है।

श्री अर्जुनदास मदान : ठीक बात है। बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा। (16.35)

(श्री शान्तिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अर्जुनदास मदान : मैं अन्तिम बात और कहकर जाता हूं, मान्यवर, लोगों को सदाचार, एक सही व्यवहार अगर थानों में मिलना प्रारम्भ हो जाए, आने वाले आदमी को बहुत कुछ नहीं सही व्यवहार भी मिल जाए तो मैं समझता हूं तो उसकी पीड़ा में बहुत बड़ी कमी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें ज्ञात हुआ है कि पांच बजे हाउस एडजोर्न हो रहा है। हमारे जो संकल्प हैं, कृपया उनको मूव तो करवा दीजिये। अध्यक्ष महोदय, इतनी मेहनत करके प्राइवेट मेम्बर डे के दिन....

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है संकल्प प्रस्तुत करने की ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है। संकल्प प्रस्तुत कर लें।

अशासकीय संकल्प

सार्वजनिक समारोहों का उद्घाटन सरकारी अधिकारियों द्वारा किये जाने का निषेध

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नाकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "सदन यह संकल्प करता है कि किसी भी सार्वजनिक विकास कार्य/समारोह का शिलान्यास/उद्घाटन सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।"

निजी शिक्षण संस्थाओं को अधिकतम पांच वर्ष तक अनुदान

संकल्प नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। "सदन का अभिमत है कि प्रदेश की अच्छी निजी शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान देने की अधिकतम सीमा पांच वर्ष ही रखी जाए।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके दोनों संकल्पों का एक मिनट में उत्तर दे दूं। पहला संकल्प राज्य सरकार स्वीकार करती है और हमने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : दूसरे का क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक का दे दिया। दूसरे पर चर्चा होगी, वह चर्चा करने के लिये मूव किया है। (व्यवधान)

श्री रमाकांत शर्मा : मैं विधेयक प्रस्तुत कर दूं ?

श्री लक्ष्मण सिंह : मुख्य मंत्रीजी, आशा है कि पूरी तरह से व्यापक है, व्यापकता लिये हुए है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, व्यापक है। इस पर चर्चा सुनना चाहूंगा, चर्चा सुनकर ही अपना विचार बनाऊंगा। लेकिन आपने कहा है इसको पहले ही मैंने इन्तजाम कर दिया।

श्री लक्ष्मण सिंह : धन्यवाद ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका आदेश जारी होने के बाद जिन अफसरों ने उद्घाटन किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान) आपके आर्डर जारी होने के बाद भी यदि किसी अफसर ने उद्घाटन किया है ..

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये । समय बहुत लिमिटेड है । श्रीमती उजला जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जानकारी .

राजकीय कार्यों में राजभाषा का उपयोग

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, "यह सदन संकल्प करता है कि राजकीय विभागों/निगमों/न्यायालयों के सभी आदेशों/आज्ञाओं में अनिवार्यतः राजभाषा का उपयोग किया जाए ।"

मान्यवर हम यह देखते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : बस ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संकल्प के देने के साथ ही इसका विकल्प हो गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे प्रस्तुत करके मैं बैठने वाली नहीं हूं । पिछली बार मैं यह सजा भुगत चुकी हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका यह संकल्प रहेगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, यह नहीं रहेगा । पिछली बार हमारे माननीय पूर्व स्पीकर ने कहा था कि मैं आपसे कहता हूं, आपका यह संकल्प जीवित रहेगा । मुझे बोलने दीजिये । यह संकल्प जीवित रहेगा और आप कहेंगे कि श्री विष्णु मोदी का संकल्प प्रस्तुत कर लेने दीजिये । अभी इसमें यह शलाका निकाली गयी तो मेरा वह संकल्प रद्द कर दिया इसलिये मैं दो मिनट आपकी आज्ञा से बोलना चाहूंगी, मान्यवर । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उजला जी, विराजिये ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संकल्प तो मेरा पहले है । बिजनस लिस्ट में मेरा ऑन–गोइंग है और इनका नम्बर दो है । इस पर बोलने का नम्बर मेरा पहले है । अगर इस पर चर्चा हो तो चर्चा तो मेरे से करवाइये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उजला जी, विराजिये । श्री ओमप्रकाश शर्मा (व्यवधान) अपना बिल पेश करें ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसके बाद में संकल्प तो कर चुके हैं ...

श्री रमाकांत शर्मा : विधेयक प्रस्तुत कर दूं मैं ?

श्री अध्यक्ष : हां ।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसकी बात मैं कह दूं?

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, पहला नम्बर तो मेरा है।

श्री अध्यक्ष : मूव के बाद केवल (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं दो मिनट बोलकर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदान साहब।

श्री विष्णु मोदी : उनको तो खाली मूव करना है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मूव करने की बात ही है तो यह....

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान। आप मूव कर दें, आपका संकल्प रहेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो मिनट बोलकर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मदान साहब, आप बोलें।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मदान साहब, आपका संकल्प प्रस्तुत करें। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हिन्दी भाषा को राजस्थान में (व्यवधान) मेरा संकल्प प्रस्तुत कर दूं मैं दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें, मदान साहब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसी सन्दर्भ में दो मिनट कहना चाहूंगी.... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : पहले मैं पेश कर दूं?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, उजला जी।

राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : "यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में अपनी मातृ भाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु राज्यों के समस्त कार्यालयों, कार्यकलापों और पत्राचार आदि में केवल हिन्दी का ही उपयोग किया जाए।"

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली) : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आपका है?

श्री विष्णु मोदी : हां, मेरा तो है। लेकिन चर्चा होगी तो पहले इस पर होगी।

श्री अध्यक्ष : हां, वह तो है। वह उसी नियमानुसार होगी। श्री रमाकांतजी।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में मेरे नाम की लाटरी खुली थी जो मेरा संकल्प था उसकी और मेरा पहला नम्बर था। मुझे अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बुला कर यह कहा गया था कि आज विष्णुजी का यह ले लेने दीजिये, आपका दूसरे नम्बर पर रहने दीजिये, विष्णुजी दो मिनट बोलेंगे और उसके बाद आप बोल लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकांतजी।

श्री भीमराज भाटी : पिछले विधान सभा सत्र में विष्णुजी उसको लम्बा करते ही गये....

श्री अध्यक्ष : अबकी बार ध्यान रखेंगे, आप विराजें अभी।

श्री भीमराज भाटी : क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब की बार ध्यान रखेंगे।

श्री भीमराज भाटी : नहीं-नहीं, ध्यान क्या रखेंगे ? मेरे उसका हुआ क्या ? मुझे यह कहा गया था उसके खत्म होने के बाद भी कि आपका यह जीवित है, तो मेरे राजस्थानी भाषा वाले का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलें, रमा-कांत जी।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ उसका ? मैंने जो राजस्थानी भाषा का....

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन)....

श्री अध्यक्ष : आपको दस मिनट बाद बता दूंगा क्या हुआ, विराजें आप।

श्री भीमराज भाटी : विधान सभा अध्यक्ष के चैम्बर में जो बात हुई....

श्री अध्यक्ष : दस मिनट बाद बताऊंगा। विराजें, आप विराजें पहले।

श्री भीमराज भाटी : वह बात अगर हाउस में इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो हमारा क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : दस मिनट बाद बता दूंगा, बैठ जाइये अब। आप बैठें। मैं दस मिनट में ही बता दूंगा, विराजें आप।

अशासकीय विधेयक

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1995 को

(श्री अध्यक्ष)

पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया । कानून–व्यवस्था के बारे में इन्होंने जो स्थिति बतायी, गृह मंत्रीजी, आप प्रोवोक मत होना, मैं जो कहूंगा फैक्ट्स के अनुसार कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में कहें आप। शोकाभिव्यक्ति भी करनी है अभी । आप ही ने उठायी थी, वह आ गयी है ।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी सरकार ने जब से पिछले दो वर्षों से शासन सम्भाला है.....

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : प्रोवोक का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज है न एक्ट शिड्यूल ट्राइब एण्ड शिड्यूल कास्ट का, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कहना कि वह उसके सैक्शन तीन के परव्यू में आ जाए ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसमें लागू नहीं होगी, साहब, वह इसमें लागू नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : दोनों एक दूसरे के नहीं होती ?

श्री परसादीलाल मीणा : मेरे ऊपर लागू नहीं होगा वह एक्ट ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, बिलकुल । अगर यह कोई वर्ड यूज कर दें यहां पर इनके खिलाफ ...

एक माननीय सदस्य : ये एस. टी. हैं ये भी ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकते ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, नहीं कर सकते । वह एक्ट है अनुसूचित जाति जनजाति कष्ट निवारण है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप तो मेरी बात सुनिये, फिर क्या कहें । मुझे किसी ने बताया कि मेघवाल कह दो तो यह एक डैरोगेटरी वर्ड है । हरिजन कहते हैं तो क्या कह दो, शैतान का बेटा बनो...

श्री कैलाश मेघवाल : मेघवाल डैरोगेटरी वर्ड नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : महात्मा गांधी का नाम लेते हैं तो कहते हैं नहीं, अम्बेडकर साहब का नाम लो। अब वहां पर मेघवाल के लिये भी कोई मुझे कह रहा था कि मेघवाल के लिए भी ऐसा...

एक माननीय सदस्य : नहीं है, नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप उसको मेघवाल नहीं कह सकते। ऐसी कोई बात है क्या ?

श्री अचलाराम मेघवाल : यह तो भ्रांति आप फैलाते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे साथ यह लागू नहीं होती है।

श्री परसराम मदेरणा : पूरे राजस्थान में आपसे भी लोग डरने लग गये हैं क्योंकि झूठे मुकदमे बन रहे हैं। आपका और तो इंतजाम किया है लेकिन इसके अन्दर जिनको प्रिविलेज है, इस प्रिविलेज का मिसयूज तो नहीं हो। फिर मैं मेघवालजी कह रहा हूं, न मालूम है या नहीं है। यह वर्ड कैसा है मुझे पता नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेघवालजी का तो नहीं, बेनीवालजी का है ...

श्री परसराम मदेरणा : मेघवाल ठीक है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेघवाल को तो मेघवाल कह सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेघवालजी कह रहा हूं मैं। यह जरा आपको देखने की बात है। बाकी तो लॉ एण्ड आर्डर है, बट लॉ एण्ड आर्डर में झूठे, फैब्रिकेटेड और फाल्स केसेज बनाना और फेक मामले करना और उसके बाद में लोगों को तंग करना। आप यहां थे नहीं, आप पधार गये बाहर, इंग्लैण्ड गये थे या कहां गये थे आप ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इटली पधारे थे।

श्री परसराम मदेरणा : इडली डोसा खाने के लिये आप तो वहां चले गये।

एक माननीय सदस्य : इडली खाने के लिए गये थे वहां, इडली।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि इस तरह का एक मामला है इसलिये फाल्स केस, फैब्रिकेटेड, कनकाक्टेड, यह इस तरह का नहीं होना चाहिये। थोड़ा–सा आपको देखने की बात है इसे खास तौर से, आप अपने लोगों को समझाओ कि झूठे लोगों को मत फंसाओ आप, नहीं तो आप समाज से सैग्रिगेट हो जाओगे।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो बर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब तक 17 मौतें होने का विवरण गृह मंत्रीजी ने दिया है। गृह मंत्रीजी, आप अपने आप को ठीक करो। बौंली थाने में जो हुसैन तेली की मौत हुई है वह पुलिस कस्टडी में हुई है और आप उसको इसमें जोड़िये। आपकी पुलिस ने, वह फरियादी बनकर आया था,

(श्री परसादीलाल मीणा)

उस फरियादी की किस निर्ममतापूर्वक हत्या की गयी है, उसका आंखों देखा हाल मैं आपको कहना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी, मैं वहां गया हूं, हमारे नेता महोदय ने कमेटी बनायी थी। मैं दिन भर वहां रहा। एक प्रहलाद पीर की किसी ने हत्या करके हुसैन तेली के उस कुएं में डाल दिया जो गांव से दो किलोमीटर दूर था। पांच–सात दिन बाद जब लाश का पता एक गंगाविशन गूजर को चला तो सारा गांव इकट्ठा हुआ कि भाई, इसकी किस ने हत्या की है, तो सारे गांव ने यह तय किया कि हुसैन और पंचायत समिति का सदस्य जयनारायण, दोनों थाने पर जाकर उसकी रिपोर्ट करें। हुसैन तेली और जयनारायण बैरवा ने 15 जुलाई को उसकी रिपोर्ट बौंली थाने में की। उसके बाद उसकी तफ्तीश शुरू हुई, कई लोगों को बुलाया गया। आखिर में 22 जुलाई को हुसैन तेली को थाने पर बुलाया गया। वहां पर उप पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर ने उससे तफ्तीश शुरू की। उस हुसैन तेली को, दूसरे लोगों को सारी रात भर पीटा गया। उसकी मार–मार कर यह हालत कर दी कि उसको बेहोशी की हालत में वहां पर हास्पिटल में 7 बज कर 15 मिनट पर सुबह भर्ती कराया। 7 बजे, हास्पिटल का रिकार्ड है बौंली का, कि बेहोशी की हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसको होश नहीं था। आठ बजे उसको रैफर सवाई माधोपुर के लिये किया। वह मर चुका था, गृह मंत्रीजी, थाने में। बेहोशी की हालत कहते हैं, वह थाने में मर चुका था, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। आठ बजे वहां से आपकी पुलिस ने उसको सवाई माधोपुर के लिये रैफर कराया। जब हमने थाने में आकर पूछताछ की तो वहां का तत्कालीन एस. एच. ओ. बता रहा है कि उसकी आठ, साढ़े आठ बजे डैथ हो गयी, जब कि आपके हास्पिटल के रिकार्ड में यह है कि उसको सवाई माधोपुर रैफर किया गया है इलाज के लिये। न कोई उसके साथ डाक्टर है ऐसी सीरियस पोजीशन में, न कोई उसके साथ कम्पाउण्डर, क्या रैफर करवा लिया आपने उस लाश को ? गृह मंत्रीजी, आपके एडीशनल एस. पी. ने जो मुकदमा दर्ज कराया है 95/95, आप उसकी एफ. आई. आर. पढ़िये। उसमें लिखा हुआ है, पुलिस की लापरवाही के कारण यह पुलिस कस्टडी में मरा है। आप अपनी एफ. आई. आर. पढ़ लीजिये। क्या आपने 302 में उसका मुकदमा दर्ज कराया ? क्या आपने उसके परिवार के लोगों को पूछा ? सवाई माधोपुर में एलान हो गया। बिना किसी पंचनामे के, बिना किसी परिवारजन के, बिना किसी मोतबिर आदमी के उसकी लाश को ले जाकर ऐसे जैसे कोई लावारिश लाश हो, उसका पोस्टमार्टम करना बताया। आपकी पुलिस जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करती है, जो फरियादी थाने पर फरियादी लेकर आये उसकी हत्या करती है, कहती हैं कि इसने पॉइजन खा लिया। कहां से खा लिया पॉइजन उसने ? आया कहां से, जब वह पुलिस की कस्टडी में था ? कहां से पॉइजन आ गया सुबह पांच बजे ? कौन–सा पॉइजन ? कोई दुकान खुलती है पांच बजे ? गृह मंत्रीजी, उसके लिये जिम्मेदार उप पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर है, वह सारी रात वहां पर रहा है। आप देख लीजिये कि वह कितने बजे बौंली 22 तारीख

(श्री परसादीलाल मीणा)

को गया और वापस कब आया। थानेदार का जो नया आदमी था, दो-तीन दिन पहले ही पोस्टेड हुआ था, इसमें दोष नहीं है। इसमें दोष है आपके सवाई माधोपुर के डी.वाई. एस. पी. का। आपने 302 में आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। आपने उस लाश को पुलिस फोर्स के जरिये लाकर दफना दिया। उसके परिजनों को, जिसके परिवार में छह बच्चे हैं-एक उसकी पत्नी है, एक उसका भाई, यह भी इत्तला नहीं दी कि आपका भाई, आपका पिता, आपका पति समाप्त हो गया। आप लावारिस की तरह सवाई माधोपुर ले गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगर अल्पसंख्यकों की इस तरह हत्या होगी, इस तरह उनके साथ अन्याय होगा, उस गांव में, मैं आपकी जानकारी के लिये कहूं, एक ही अल्पसंख्यक परिवार रहता था। वह दूध बेचने का धंधा करता था। उसके परिवार के किसी भी जन के, उसकी जिन्दगी में कोई उसके खिलाफ थाने में मुकदमा नहीं था। जो फरियादी बन कर आया था, आपकी पुलिस ने उसकी हत्या की है। उप पुलिस अधीक्षक ने जो वहां पर सारी रात रहा, उसकी हत्या की। वहां पर पन्द्रह-बीस लोग थाने पर और थे उनके सामने हत्या की। होटल वालों से, हमने सबसे जानकारी की है। बौंली का सरपंच है उससे जानकारी की है। पुलिस ने मार-मार कर उसको ढेर किया है। कोई पॉइजन नहीं खाया। अगर आपको डाक्टर ने, आपके मेडिकल बोर्ड ने कोई रिपोर्ट दी है वह सरासर गलत दी है। पैसे के बल पर आपकी पुलिस आपका कलेक्टर, आपका एस. पी. अगर पोस्टमार्टम कराये किसी चीज का तो कौन क्या रिपोर्ट नहीं लिख दे। आप सवाई माधोपुर के अस्पताल का रिकार्ड देख लीजिये; मुख्य मन्त्रीजी और उस पर आप सन्तोष कर लीजिये पर मैं चाहूंगा कि हुसैन तेली हत्या काण्ड की न्यायिक जांच होनी चाहिये। इसमें कौन दोषी है, आप किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से इसकी जांच करवाइये। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : एक-एक घर जो हैं यहां पर अल्पसंख्यकों के, वे वहां से उजड़ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मण्डावर थाने में किशोर मीणा की हत्या की गयी। मैं, गृह मंत्री महोदय, पूछना चाहूंगा, क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा था? क्या उसकी 7 पीढ़ी के खिलाफ कोई मुकदमा था कठूमर थाने में, अलवर जिले में? राजस्थान में कहीं भी अगर उसके परिवार के खिलाफ, उसकी 7 पीढ़ी के खिलाफ कोई मुकदमा हो चोरी का, लड़ाई का, झगड़े का। कोई मुकदमा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, कोई एक लाख रुपये की डकैती के मामले में तीन युवकों को पकड़कर पुलिस लायी। सीताराम और राजाराम दो लड़के चैनपुर गांव के थे, प्रहलाद सलीमपुर के वास का था, इन तीनों लड़कों ने वहां एक लाख रुपये की वारदात की। वे वहां खेड़ली पढ़ते थे उसके बाद ये वहां से फरार हो गये। हमने सारे गांव वालों से पूछताछ की है, प्रहलाद कभी भी यह वारदात करने के बाद सलीमपुर के वास में नहीं आया। आपने उनके परिवारजनों

(श्री परसादीलाल मीणा)

अमरसिंह, किशोर और बलबीर को 8-4-95 से 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में नाजायज रूप से रखा। उनकी खूब 15 दिन तक ठुकाई की उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद आपका तत्कालीन थानेदार पुरी, वह दो जून को पुलिस जाब्ते के साथ सुबह 4 बजे सलीमपुर के बास जाकर कजोड़, अमरसिंह दोनों को और एक किशोर जो अपने खेत में खाद डाल रहा था, उसको पकड़कर वहां पर कठूमर थाने लाया। कठूमर थाने में वहां के इन्चार्ज के साथ उस चौकी का जो सिपाही गया था मानसिंह 38। उसने कहा कि साहब, यह निर्दोष परिवार है, इसका कोई लेना–देना नहीं। प्रहलाद यहां रहता नहीं, वह खेड़ली में पढ़ता है, खेड़ली में रहता है। यहां इस वारदात के बाद आया भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पुलिस अत्याचार के बारे में आपसे स्पेशल मेरी प्रार्थना है, इससे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : काफी बातें कह दीं आपने।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरे मन में व्यथा है। मैं व्यथा सुना रहा हूं गृह मंत्रीजी को कि किस तरह निर्दोष किसान जो कि अपने खेत में खाद डाल रहा था, उसको पुलिस ने पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। कठूमर थाने पर लाये तो, अध्यक्ष महोदय, वहां पर थानेदार ने कहा कि किशोर का या इसके परिवार का इस वारदात में कोई हाथ नहीं है। किशोर को 7 बजे मण्डावर थाने का थानेदार थाने पर लाया। जो कजोड़ उसके साथ वहां था, उस कजोड़ को इधर बैठा दिया और उसको उधर बैठा दिया। उस थानेदार ने और उसके स्टाफ के लोगों ने कजोड़ के पेट में जूतों सहित इतनी लातें मारी हैं जिसके कारण से उसने पानी मांगा। उसने कहा, मेरे को लैट्रीन होगी। उसको लैट्रीन करायी, उसके बाद वह बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में, अध्यक्ष महोदय, उसको हॉस्पटल मण्डावर में भर्ती कराया गया और यह कहा गया कि इसकी हृदय गति रुक गयी। काहे को रुक गयी हृदय गति ? खाद डाल रहा था, खेत पर काम कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष : पहले शोकाभिव्यक्ति करनी है मुझे।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आप टाइम बढ़ा लो, मेरे को अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : पहले शोकाभिव्यक्ति होगी उसके बाद।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, फिर इस पर चर्चा कराने से फायदा क्या है ? टाइम नहीं बढ़ाओ तो बन्द कर दो।

श्री अध्यक्ष : तो शोकाभिव्यक्ति तो करानी है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बंद कर दो इस चर्चा को, मैं तो बन्द कर दूंगा। अगर पुलिस के खिलाफ सुनना नहीं चाहते तो मैं बन्द कर दूंगा।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू अब आने वाले हैं और सरकार अगर लॉ-एण्ड-आर्डर के मामले में भागना चाहती है तो दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय की भी सीमा है।

अनेक माननीय सदस्य : 6 बजे तक टाइम बढ़ा दो, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 6 बजे तक सन्तुष्ट हो जाओगे तो 6 बजे तक बढ़ा दो।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आप वैसे भी हस-अप कर रहे हो इनको और ऐसे हाउस में भी हस-अप करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कर रहे हैं लेकिन समय की सीमा तो हो कोई। आप कह दो कि 6 बजे तक सदन की कार्यवाही...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही 6 बजे तक बढ़ायी जाए ?

श्री अध्यक्ष : आपकी सहमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है। आप बोलो।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, किशोर के साथ कजोड़ था। उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटी गठित की। उसने कहा कि इस तरह से बुरी तरह थानेदार ने जूतों से पीटा, उसके पेट में लात मारी जिससे उसकी हत्या हुई। हत्या होने के बाद उसकी लाश के पोस्टमार्टम के लिये कजोड़ उसके गांव का था, उसके साथ नहीं जाने दिया। उसको मरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसकी लाश को लाकर मण्डावर थाने गये, सलीमपुर का वास दफनाकर आये। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पुलिस कस्टडी में निर्दोष लोगों की हत्याएं होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से, उस किशोर का क्या दोष था ? भरतपुर में महीमन हत्याकाण्ड हुआ, उसमें महीमन का क्या दोष था ? हमारे विधायक महोदय ने कहा है कि महीमन हत्या काण्ड मेरी आंखों के सामने हुआ है। किशोर हत्या काण्ड के बारे में जो उस क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं, उन्होंने प्रेस नोट दिया है कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक किशोर की हत्या की है। किशोर के एक तीन साल का, एक बारह महीने का, दो बच्चे हैं, उसका बाप लकवे

(श्री परसादीलाल मीणा)

की बीमारी से ग्रस्त है और उसकी पत्नी गूंगी है। उस परिवार का क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, उनकी आंखों में आंसू हैं। अध्यक्ष महोदय, ये थानेदार नहीं, ये + + + हैं जो थानों में बैठे हैं। इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पूरे स्टाफ को बदल दिया जाएगा अगर पुलिस कस्टडी में डैथ होगी। वहां पर केवल एक थानेदार हटाया है, सारा स्टाफ आज भी वहां बैठा हुआ है। हम गये तब हमने पूछा कि क्या स्टाफ बदला गया। वहां पर कहा गया कि अब तक कोई स्टाफ नहीं बदला गया है। इस तरह से थानों में हत्याएं हो रही हैं और 302 में आप चालान नहीं करते, उनके मुकदमे दर्ज नहीं करते। इस तरह के काण्ड राजस्थान में हो रहे हैं। निर्दोष लोगों की जो 17 हत्याएं हुई हैं और जो 18वीं हुसैन तेली की की गयी है, आज तक भी उसके घर वालों की एफ. आई. आर. पुलिस ने दर्ज नहीं की है। आज तक भी आतंक का साया है उस ...

श्री परसराम मदेरणा : मण्डावर में पुलिस कस्टडी में जो डैथ हुई है, वह तो शायद मेरी समझ में इस राजस्थान गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि यह पुलिस कस्टडी में डैथ हुई है, इस को मारा गया है। ऐसी मुझे जानकारी मिली थी, गृह मन्त्रीजी, आप जरा नोट कर लेना इस पाइंट को।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक आपको टोडाभीम थाने का किस्सा सुनाना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, महिला के साथ खुले आम बलात्कार करने के बाद, 164 में बयान होने के बाद आज तक मुलजिमान नहीं पकड़े गये हैं। मुकदमा नम्बर 189/95 थाना टोडाभीम। आज तक सरेआम वे बी.जे.पी के नेताओं के साथ घूम रहे हैं, किशनलाल तहसीलदार के हत्यारे नेताओं के साथ घूम रहे हैं। लील्या अभी पकड़ा गया है, बलराम आपकी पार्टी से सरपंच चुना गया है, इस तरह का अपराधीकरण राजनीति में हो गया। अध्यक्ष महोदय, आज बी जे. पी के लोग चाहे खराब से खराब अपराधी भी होगा, उसकी यह कहेंगे, यह पोलिंग कैप्चर करेगा क्योंकि इसको पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। हालात इस तरह के हैं कि पुलिस अपराधियों की तरफ देखती नहीं, पुलिस अपराधियों को छूती नहीं। आज लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इस तरह है कि पुलिस का मनोबल टूट गया है, पुलिस बी. जे. पी. के लोगों की गिरफ्त में आ गयी है। महुआ में सरेआम एक हरिजन की एक अपर क्लास आदमी ने लाठी देकर मौत कर दी, उसके हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गृह मंत्रीजी, 164 के बयान यदि आप पढ़ो तो आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो महिला के बयान हैं, पर आपकी पुलिस ने आज तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया है। मुलजिम आपके डी. आई. जी., आपके एस. पी. के संरक्षण में उनके साथ घूम रहे हैं सरेआम, बी. जे. पी. की गाड़ियों

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

में घूम रहे हैं। इस तरह के आरोपी इस तरह के अपराधी, इस तरह के लोगों को अगर सरकार संरक्षण देगी तो, अध्यक्ष महोदय, आप ही बताइये, राजस्थान का गरीब, राजस्थान का हरिजन, राजस्थान का अल्पसंख्यक कैसे सुरक्षित रह पाएगा ? मेरी आंखों में दुःख है, मैं किशोर मीणा के घर गया तो उसकी पत्नी बोल नहीं पाती है, उसका बाप लकवे से ग्रस्त है वह बोल नहीं पाता है। उसके बच्चे, कौन मालिक है उनका ? क्या दोष था किशोर मीणा का ? क्या दोष था उस हुसैन तेली का ? उनको मार दिया और आपके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही नहीं की। आपके पुलिस उप अधीक्षक वहीं के वहीं बैठे हैं, जिसने उसकी हत्या की। मेरे को तो, गृह मंत्रीजी, आप पर तरस आता है क्योंकि आपके न कोई लड़का है न लड़की है, न आपके कोई वंश है। अगर आपके बेटे और बेटी के साथ ऐसा होता ? गृह मंत्रीजी, ऐसी जघन्य घटनाएं हुई थानों में निर्दोष लोगों की हत्याओं की क्या आप एक जगह भी गये ? कह सकते हैं कि आप एक जगह भी गये ? + + + आपको ? आपको जाना चाहिये था वहां पर लोगों के साथ, सुनना चाहिये था कि असलियत क्या है क्योंकि आप भी जनता से चुने हुए हैं। यह सारा सदन जनता का प्रतिनिधि है, पुलिस और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आपको जाना चाहिये, मेरी आपको सलाह है। आपने आज तक 302 में हुसैन तेली हत्याकाण्ड को दर्ज नहीं किया है, आप उसको दर्ज करने से पहले मौके पर जाइये, बौंली में लोगों को सुनिये। इस तरह के पुलिस के + + + आपने थानों में बैठा रखे हैं। थानों में थानेदार एक-एक लाख रुपये लेकर लगाये जाते हैं, थाने नीलाम होते हैं। मैं आप पर कोई दोष नहीं लगाता कि आपका उसमें कोई हाथ है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। आपके यहां पर जो लोग हैं, अपराधी लोग........ (व्यवधान)........

(17.00)

श्रीमती उजला अरोडा : आप कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे हैं क्या ? आप कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप सुन लीजिये।

मैं आपको दोष नहीं देता, न मुख्य मंत्रीजी को दोष देता हूं। आपकी पार्टी में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो यह कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया एस. पी. ने तो मैं ऐसा कर दूंगा, बसों के आग लगवा दूंगा, यह कर दूंगा। वह कर लूंगा, उन लोगों के हाथ है। उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर जो पुलिस के + + + बने हुए हैं, जो नीचे से ऊपर तक + + + बने हुए हैं पाबंदियां नहीं लगायीं तो इस देश का गरीब, इस देश का हरिजन, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरी आपसे पर्सनल एक विनती है, जहां भी ऐसी हत्याएं हुई हैं पुलिस लेवल पर, आपने कह दिया कि अपराध शाखा के आई. जी. को भेज देंगे या और किसी आई. जी. को भेज देंगे।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

ये सब के सब + + + की श्रेणी में हैं, कोई साहूकार नहीं है इनमें। सब पुलिस को बचाएगे, इनके सारे + + + हैं। मैं कहता हूं कि आप खुद जाइये, हाउस की कमेटी बनाइये, जिससे लोगों को यह लगे कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं। मेरी आपसे एक ही विनती है। ये जो हत्याएं हुई हैं, मुख्य मंत्रीजी, उनकी आप न्यायिक जांच कराएं। किशोर मीणा के परिवार जनों के लिये कि आज रोटी के लिये दर-दर घूम रहे हैं, मेरे मन में पीड़ा है. आप उसको मुआवजा जितना हो सके उतना दीजिये। उनकी रोटी का, उनके बाल-बच्चों के लालन-पालन का प्रबन्ध करिये नहीं तो उनकी आत्मा रोएगी, हमें श्राप दे देगी अगर हमने उनके लिये कुछ नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी की तो ठीक है कि सन्तान नहीं है लेकिन राजस्थान के, मुल्क के जो बेटी और बेटे हैं वे सभी आपकी सन्तान हैं और इसलिये फील तो कर सकते हैं इस बात का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही पीड़ा व्यक्त की है। वैसी पीड़ा मुझे भी है। इन मामलों की जांच हुई है लेकिन आगे के लिये मैं सदन में कहना चाहूंगा कि अगर कोई थाने में मर गया और यह साबित हो गया कि पुलिस वालों के द्वारा वह मारा गया है तो उसके परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। दूसरा, मैं यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि अगर थानों में इस प्रकार की मौत हो गयी तो उसकी जांच एडिशनल डी. जी, सी. आई, डी. (क्राइम) अपने आप ही करेंगे, कोई आर्डर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य मंत्रीजी, छोटा-सा अनुरोध करता हूं, आपकी जानकारी ले लूं। आपकी पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी श्री श्याम प्रताप सिंहजी राठौड़ ने हुसैन तेली के सम्बन्ध में एस. पी., सवाई माधोपुर को निर्देश दिया था कि 302 में केस रजिस्टर करवाएं, क्या यह सही है? यहां आपके अधिकारी हैं, आप उनसे पूछ लो (व्यवधान) और ऐसा है तो उसकी पालना क्यों नहीं हुई?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूछने की जरूरत ही नहीं। यदि आप चाहें तो इन दोनों मामलों की जांच एडिशनल डी. जी. सी. आई डी, (क्राइम) करेंगे।

शोकाभिव्यक्ति

श्री शम्भूराम पटेल, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष : यदि आप चाहें तो पहले शोकाभिव्यक्ति करें। शोकाभिव्यक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक श्री शम्भूरामजी पटेल का दिनांक 16 जुलाई, 1994 को निधन हो गया। इसकी सूचना देर से प्राप्त हुई, उसका मुझे खेद है। पूर्व विधायक श्री शम्भूरामजी पटेल 1967 से 1972 तक राज्य विधान सभा के सदस्य रहे हैं। मण्डावरी पंचायत के पंच, उप सरपंच और सरपंच रहे हैं। वे किसानों के एक मसीहा

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

थे। किसानों के सम्बन्ध में और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में हमेशा चिन्तित रहते थे। लगातार उनकी सेवा किस प्रकार से हो सके, उनका विचार था और यही उनका कार्यक्रम था। वह व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, हमें इसका बहुत दुःख है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी उम्मीद करता था कि आप मुझे भी सूचना देते कि शोकाभिव्यक्ति, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये जा रहे हैं सदन के नेता महोदय।

शम्भूरामजी पटेल लालसोट कांस्टीट्यूएंसी से एम. एल. ए. थे। उनका निधन 16 जुलाई, 94 को हुआ, यह पहले सदन की जानकारी में नहीं आया। वे चौथी विधान सभा के सदस्य थे। सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय भूमिका उनकी रही है। राजनैतिक क्षेत्र में वे किसी भी पार्टी से रहे हों लेकिन कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर उनका बहुत बड़ा सक्रिय रोल रहा है। कृषि के कार्यों में और कृषि की उन्नति के लिये उनकी विशेष अभिरुचि थी। 16 जुलाई, को उनका देहावसान हो गया। मैं भी अपनी ओर से और मेरे दल की ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस श्रद्धांजलि के साथ मैं यह भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुखद-पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, शम्भूजी पटेल हमारे बीच में नहीं रहे। चौथी विधान सभा में जिन लोगों ने उनको देखा है, वे किसान शब्द के प्रतिरूप थे। ठेठ किसान थे और किसानों की बात हमेशा उनके दिल में रहती थी। अच्छे कार्यकर्ता थे। हमेशा वे गांव के हित की बात करते थे। वे हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बाबाजी के नाम से हमारे ही गांव के, मेरे ही परिवार के बाबा थे मेरे। वे सीधे किसान थे। गांव के सरपंच रहे काफी समय तक, उसके बाद 1967 में वहां से विधायक बने। अध्यक्ष महोदय, जब तक वे जीवित रहे उनके सामने कोई भी कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, कोई भी उनको बाबा के अलावा कुछ नहीं कहता था। वे बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार थे। मुख्य मन्त्रीजी को पता है कि बाबा 1967 में स्वतन्त्र पार्टी से चुने गये थे। जब कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी, बाबा के पास पांच–पांच लाख की थैलियां लेकर पहुंचे थे। बाबा ने यह कह दिया, मैं जिस पार्टी से चुना गया हूं, महारानी ने मेरे को टिकट दिया है, महारानी कहेंगी, 5 साल तक उनके साथ रहूंगा। बहुत सारे लोग राजनीति में पैसे से इधर से उधर हो जाते थे, पर वे दृढ़ निश्चयी थे, ईमानदार थे। जो जबान से कह दिया वह कह दिया, उससे उनको कोई डिगा नहीं सकता था। ऐसे कर्मयोगी बाबा मेरे ही परिवार के थे। मैं

(श्री परसादीलाल मीणा)

बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, भगवान से कामना करूंगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। हम आपको तो आशीर्वाद है ही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री शम्भूरामजी पटेल के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना व्यक्त की है, उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

पूर्व विधायक श्री शम्भूरामजी पटेल का जन्म वर्ष 1910 में ग्राम मण्डावरी, तहसील लालसोट, जिला जयपुर में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री पटेल चौथी राजस्थान विधान सभा (1967-72) के लिये लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से स्वतन्त्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहे।

सामाजिक गतिविधियों में भी आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे। वर्ष 1947 में आप ग्राम पंचायत मण्डावरी के सदस्य बन गये थे। बाद में वर्ष 1952 से 54 तक उप सरपंच तथा 1954 से 62 तक इसी ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। वर्ष 1963-65 में आप कोआपरेटिव सोसाइटी, मण्डावरी के कोषाध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक क्षेत्र में आप स्वतन्त्र पार्टी से सम्बद्ध रहे। वर्ष 1962 से 67 तक आप स्वतन्त्र पार्टी, लालसोट के अध्यक्ष रहे।

कृषि कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि रही। श्री शम्भूरामजी पटेल का 16 जुलाई, 1994 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री शम्भूरामजी पटेल को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री ओमप्रकाशजी का एक संकल्प रह गया था, यदि अनुमति हो तो उन्हें प्रस्ताव ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने अभी पचास हजार रुपये की घोषणा की थी कि किसी व्यक्ति की थाने में जब हत्या हो जाए और पुलिस वाले दोषी हों तो पचास हजार रुपये की सहायता उनको दी जाएगी, हत्या साबित होने पर। यह रुपया जो दोषी हैं उन्हीं से वसूल किया जाएगा, यह और बोल दूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मेरा दूसरा मामला है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी। लटूर के लिये उसकी बेवा आपके यहां गयी थी, मैं उसको लेकर गया था। उसका केस रजिस्टर्ड है, उसका चालान नहीं हो रहा है। इतनी गरीब है कि उसके पास खाने को दाने नहीं हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप कृपा करें वह आपसे मिली है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी। ..

श्रीमती कमला : कब चालान होगा ? कब वह दोषी साबित होगा? कब उस परिवार का क्या होगा ? इसलिये यह शर्त आप नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा।

श्री रामनारायण मीणा : उसका चालान अभी तक नहीं हुआ। गृह मन्त्रीजी कहते हैं कि चालान करवा दिया पर उसका चालान अभी तक नहीं हुआ और उसकी मदद नहीं हुई। आप कृपा करके .. .... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे रहा हूं उसको, कोई है ही नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : आपसे मिली है, आपको दरख्वास्त दी है। केस रजिस्टर्ड है। आप कृपा करके उसके लिये घोषणा करें, उसके लिये आदेश दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, दोषी लोगों से रिकवरी करने में एक दशक लग जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : वह ज्यादा पीड़ित है। थानेदार ने मार दिया, थानेदार को भी रीइंस्टेट कर दिया गया है। उस केस का अब तक चालान नहीं हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। कई बातें हैं उसमें। रामनारायणजी, विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से मिली है, बहुत दुःखी है। मैं चाहता हूं गृह मंत्रीजी इस बारे में कुछ बताएं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। गृह मंत्रीजी का जब आएगा तब वे कहेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : उस केस में एफ. आर. लगायी जा रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गृह मन्त्रीजी इसका जवाब देंगे ? माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिली है। .. (व्यवधान) ..

अशासकीय संकल्प

कृषि उपज मण्डी के व्यय का आनुपातिक विभाजन

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अखबारों में घोषणा करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : "यह सदन संकल्प करता है कि कृषि उपज मण्डी समिति के फण्ड में से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19 में वर्णित प्रयोजनों के लिये किया जाने वाला व्यय कृषि उपज

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मण्डी क्षेत्र के अतिरिक्त उस कृषि उपज मण्डी क्षेत्र पर भी उसी अनुपात में व्यय किया जाए जो अनुपात कृषि उपज मंडी क्षेत्र के बाहर से आने वाले कृषि उपजों के मूल्य का होता है।"

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर हम विचार करने जा रहे हैं और विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। उन विचारों में आया है कि राजस्थान की जो स्थिति है वह अन्य प्रान्तों से बहुत भिन्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो सुमेरपुर से आयी हैं उन्होंने एक मीनाक्षी हूजा का मामला उठाया था।

श्री विष्णु मोदी : हूजा नहीं, चौबीसा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, चौबीसा। उसका चालान 304 में कर दिया गया है और पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उसकी बेल रिजैक्ट हो।

श्री परसराम मदेरणा : अभी, मुख्य मंत्रीजी, आपने जो घोषणा की पचास हजार रुपये की कि यह साबित हो जाए कि पुलिस कस्टडी में उसकी डैथ हुई है। और यह रिकवरी आप ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस से ही करेंगे। दोषी से।

श्री परसराम मदेरणा : पुलिस तो एक बहुत बड़ा अमला है। इसमें पुलिस का सरदार डी. जी. भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, दोषी से होगी। दोषी पुलिस अधिकारी से होगी।

श्री परसराम मदेरणा : पुलिस स्टेशन पर काफी लोग हैं। नहीं-नहीं, मेरी बात सुनिये। किसने मारपीट की? सब-इंस्पेक्टर भी है, वहां पर हैड कांस्टेबल भी है और दस-पन्द्रह कांस्टेबल भी हैं। और जैसा डीआई. एस. पी. मण्डावर में था, कोई ले गया था उसको, तो यह रेस्पांसिबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? यह जो मरा है, इस पर्टीकुलर पुलिस मैन की या पुलिस आफिसर की चोट से मरा है, यह कैसे साबित करेंगे?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मान्यवर, इस मामले में एक लीगल बात बता दूं। आप पनिशिंग आथोरिटी तो हैं एज गवर्नमेंट पर आप पैनल्टी आथोरिटी नहीं हैं। माइंड यू, कि पुलिस विभाग किसने गलती की उसे जेल तो भेज सकता है लेकिन आपको जुडीशियल पावर्स नहीं हैं कि आप उससे पचास हजार रुपये वसूल कर लें। तो आपने ये + + + इधर-उधर की बातें क्यों कीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि + + + नहीं है। जिसका दिमाग + + + हो, बात ही + + + सूझती है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ज्यों ही किसी पुलिस अफसर का, चाहे कोई भी हो– थाना इंचार्ज हो, हैड कांस्टेबल हो, सिपाही हो, चालान किया जाएगा और ज्यों ही

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोर्ट में चालान पेश होगा, पचास हजार रुपये का भुगतान राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। राज्य सरकार जब उसको सजा हो जाएगी, दोषी माना जाएगा तो उससे पचास हजार रुपये वसूल करने की कार्यवाही करेगी । (व्यवधान) ... बस ठीक है, अब यह कर लेंगे ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपने यह घटिया बात कह दी कि मेरा + + + दिमाग है आपका मेरे से भी ज्यादा + + + है। आपके पास पैनल्टी लेवी करने की क्या आथोरिटी है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : No, no, you cannot; कोर्ट फाइन कर सकती है, आप नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : This is not–यह डिस्कशन का कोई विषय नहीं है। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : और आप बार-बार यह कहें कि फलाने का + + + फलाने का . (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : सवाल तो यह है कि व्यक्ति को पचास हजार रुपये मिलने चाहिये। चालान पेश होते ही मिल जाएंगे, This is the material thing. विराजिये आप। श्री शिवकिशोरजी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप बराबर किसी को + + + दिमाग बता देते हैं, किसी को यह बता देते हैं। आप भाषा का नियन्त्रण कर प्रयोग करिये नहीं तो आपके खिलाफ भी ये गम्भीर आरोप होंगे।.... (व्यवधान) ...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक तो पुलिस वाले हैं उनको सजा हो जाएगी ....(व्यवधान)....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : और उससे पचास हजार रुपये और वसूल करोगे तो उनके बीवी-बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आप उनकी सहायता करना। श्री शिवकिशोरजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हत्यारों को सजा दो, पर उनके बीवी-बच्चों को मत मारो। हत्यारों को सजा दो पर किसी के बीवी-बच्चों को भूखे कैसे मारोगे ?

श्री अध्यक्ष : आप हो न, उनको प्रोटेक्शन आप दे देना।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या बीवी-बच्चों के लिये चिंतित

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं कि उनको यदि सजा हो जाएगी तो उनकी ग्रामदनी का कोई जरिया नहीं रहेगा। लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, क्वेश्चन फुलेरा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, क्योंकि ग्रापने यह कमिटमेंट कर दिया कि गवर्नमेंट दे देगी। गवर्नमेंट एक दफे तो पेमेंट कर देगी ग्रौर फिर उससे वसूल होगा या नहीं होगा यह गवर्नमेंट के बीच में ग्रौर सजायाफ्ता के बीच का मामला है इसलिये ग्राप तो पेमेंट, ज्यों ही चालान हो जाए... (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेमेंट हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : सजा–वजा नहीं ?

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, चालान होने के लिये ही कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : Government should be satisfied about the bonafide....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यों ही चालान होगा, पचास हजार रुपये का पेमेंट मृतक के परिवार को कर दिया जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : हां, ठीक है।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सर्वोच्च सदन में मैंने पहले भी निवेदन किया ग्रौर माननीय गृह मंत्रीजी ने गये सत्र में कहा था कि पुलिस थानेदार ने उसको मारा है, मैं उसका चालान करूंगा। आज की तारीख तक उसका चालान नहीं हुग्रा ग्रौर एफ. ग्रार. लगायी जा रही है। उसके परिवार को पैसे नहीं दिये जा रहे हैं पचास हजार रुपये। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) ...

श्री ग्रध्यक्ष : यह तो ग्रापने तीसरी बार रिपीटीशन कर दिया, ग्रब ग्राप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : इसका जवाब माननीय मुख्य मन्त्रीजी दें या माननीय गृह मंत्रीजी दें। यह मजाक की बात नहीं है। माननीय, यहां सदन में घोषणा कर दी जाती है, उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उलटे पुलिस के ग्रफसरों को बचाने के लिये कार्यवाही की जाती है। हम यहां बोलते हैं सदन में, सदन में बोलने के अलावा ग्रौर कोई चारा नहीं है। मुख्य मंत्रीजी से मिले थे वहां जाकर के, उसकी बेवा माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिली है ग्रौर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि मैं इसकी मदद करवाऊंगा पर आज की तारीख तक उसकी मदद नहीं हुई है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय। इस तरह से घोषणाग्रों से काम नहीं चलने वाला। उसकी मदद की जाएगी, राजस्थान सरकार इसकी घोषणा करे। यह कोई बात नहीं हुई कि इस बात को किसी भी तरह से ग्राप घुमा कर रख दें ग्रौर उसमें एफ. ग्रार. लगायी जाए। ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें पुलिस के खिलाफ एफ. आर. लगायी जाती है। माननीय गृह मंत्रीजी, आपने इस सदन में ग्राश्वासन दिया था....

श्री ग्रध्यक्ष : आप विराजें, विराजें, विराजें।

श्री रामनारायण मीणा : आपने इस सदन में ग्राश्वासन दिया था। यह बैठने का सवाल नहीं है। लटूर को मार दिया....

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री रामनारायण मीणा : क्या टाइम खराब होगा यहां ? इस भाषण से क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह तीसरी बार कर दिया, विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : भाषण से क्या होता है, माननीय गृह मंत्रीजी ? मैं इस बारे में निश्चित तौर से अडिग हूं और रिजिड हूं कि इस तरह की घोषणाएं इस सदन में हो जाएं और उसके बाद उसकी मदद नहीं की जाए। आप, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से कहलवा दीजिये, आप मुख्य मंत्रीजी से भी कहलवा दीजिये। उसको 50 हजार रुपये नहीं दिये जा रहे हैं, एफ. आर. लगायी जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 17 लोगों के खिलाफ पुलिस कस्टडी म शिकायत है, आपके पास आयी है उसमें केस नम्बर तीन में आपने चालान किया है, बाकी कुछ में सस्पैण्ड किया है, कुछ में पुलिस लाइन में हाजिर कर दिया है। 1993 से एक ही केस का आप कम्प्लीट इंवेस्टीगेशन नहीं कर सके सिवाय एक केस के। मतबल 16 में नहीं हो सके। हुसैन तो उसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन केसेज के अन्दर इनआर्डिनेट डिले हो रही है। आप अभी इन्फोर्मेशन आब्टेन करके यह बताइये। आज दो-दो, डेढ़-डेढ़ साल के ऊपर हो गया है। कोई भी केस अक्टूबर, 1993 के बाद का नहीं है, 1993 वाले हैं। दो साल से ऊपर तो समय हो गया है कइयों में ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जल्दी करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : तो भी अभी तक चालान नहीं हुआ है न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जल्दी करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : चालान एक केस में हुआ है, कुछ में सस्पैण्ड किया है और कुछ में सस्पैण्ड ही नहीं किया आपने।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : ये 1994 के हैं, इनकी तारीखें सब आप देख लीजिये। 1994 से पहले के नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में एक घोषणा की थी कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी की डैथ होगी तो इमीजिएटली उनको सस्पैण्ड किया जाएगा। चालान की बात तो बाद में आती है लेकिन जब आप यह कह रहे हो कि पुलिस कस्टडी में हुई है तो इसका मतलब है कि the Home Minister is satisfied beyond hilt, कि यह डैथ पुलिस कस्टडी में हुई है प्राइमाफेसीली। चालान उसके बाद होगा तो फिर मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का क्या होगा ? आपने इनको सब को सस्पैण्ड क्यों नहीं किया ? सस्पैण्ड भी नहीं किया।...... (व्यवधान) ..... जवाब बाद में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोरजी।.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : आप जवाब दीजिये इसका।

श्री परसराम मदेरणा : जवाब साथ में आएगा।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप। हर मामले में खड़े हो जाते हैं, इनको बोलने दें आप। मंत्रीजी का जवाब आएगा तब दे देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : हां-हां, ठीक है। ... (व्यवधान) ...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी द्वारा जो विधान सभा के अन्दर दिया गया स्टेटमेंट .. (व्यवधान).. ...

श्री रामनारायण मीणा : मेरा साफ है। उन 16 में उसका नाम नहीं लिखा है ऐसे केसेज में। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक बताने के लिये जो आदमी मारे जाते हैं, केसेज रजिस्टर होते हैं उनको आप क्यों नहीं उसमें शामिल करते ? आप इस बात को बताएं, गृह मंत्रीजी, अपने जवाब में।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उस स्टेटमेंट के द्वारा जो माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की है उस सम्पूर्ण भावना में एक बात स्पष्ट हुई कि राजस्थान के अन्दर....

श्री रामनारायण मीणा : हम इसको मानते हैं, आप जवाब दीजिये.. (व्यवधान).. ऐसे केसेज में .. (व्यवधान)... उसको शामिल किया जाए।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : समय बहुत शार्ट है, विराजें आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है। लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को इस सदन में रखा था कि आज प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समाज के अन्दर कानून और व्यवस्था पुलिस को बना कर रखनी है, इसलिये यह चाहता है कि पुलिस मेरे आस-पास कहीं भी रहे।

आज थानों की मांग की जाती है, आज पुलिस चौकियों की मांग की जाती है, आज गन मैन की मांग की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से कहीं न कहीं यह आवश्यकता महसूस होती है, आज भी सम्पूर्ण समाज पुलिस की आवश्यकता महसूस करता है। यह सच है कि आजादी के पहले की जो पुलिस थी और आजादी के बाद की पुलिस है, इन दोनों के मध्य हमें अन्तर करके चलना चाहिये था, रीआर्गेनाइजेशन होना चाहिये था आजादी के बाद में। अंग्रेजों के जमाने में जो पुलिस का महकमा था, जो कानून थे उनको आज तक रद्द नहीं किया गया, बहुत-से कानूनों को आज भी नहीं बदला गया। उसी एक्ट के अन्तर्गत आज भी पुलिस का आई. पी. सी. एक्ट चल रहा है, सी. आर. पी. का जो एक्ट है वह आज भी वह का वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था। निश्चित रूप से अगर ये कानून बदले जाते ...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इण्डियन पीनल कोड में सैक्शन 511 हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अटेम्प्ट का।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, 511 सैक्शन हैं कुल मिलाकर।

श्री अध्यक्ष : हां, 511 तक हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि कोई भी दुनिया में ऐसा ओफेंस नहीं है जो हिन्दुस्तान में नहीं हो रहा है और जो इन 511 सैक्शन में कवर नहीं होता हो। इस पर भारत सरकार ने विचार किया है कि इण्डियन पीनल कोड में कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है, एक।

जहां तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सवाल है, आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ कमियां थीं, लेकूनाज थे और उसको अमेंड करना जरूरी था। 1973 में पार्लियामेंट ने पूरे के पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड कर दिया है, एक। और, दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो अपनी स्टेट के अन्दर अमेंडमेंट करने का उसको भी अधिकार है, इस लेजिस्लेशन को।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्षजी, मैं संकेत कर रहा था उस समय कि अंग्रेज के जमाने से ही यह चला आ रहा है कि जो चोरी करने वाला है उसे तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा लेकिन अगर एक्सीडेंट कर दे तो थाने में ही उसकी जमानत हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज जानता था कि चोरी करने वाला कोई अंग्रेज होगा क्योंकि उसी के पास व्हीकल होगी। पर आज तो हरेक के पास व्हीकल है। आज जो गरीब है, जो आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला है उस पर हमारे यहां सैंकड़ों केसेज हैं। स्वयं हाई कोर्ट ने इस बात के लिये कमेटी बैठायी कि कितने केसेज हैं उन आदिवासियों पर जहां पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। आपका फोरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी अत्याचार करता है, पुलिस का आदमी अत्याचार करता है, एक्साइज का आदमी अत्याचार करता है। उस आदमी के खिलाफ आदिवासी की ताकत नहीं है कि वह खड़ा हो सके, वह किसी वकील को कर सके। उसके ऊपर जो चोरी के मुकदमे लगाये जाते हैं, इस राजस्थान विधान सभा में ऐसे सैंकड़ों केसेज भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विथड्रा किये हैं। सबकी संवेदनाएं उसके साथ हैं, यदि उसने चोरी की होती तो सजा पाता महीने की, दो महीने की, चार महीने की लेकिन कोर्ट में उसकी पेशियां चलती रहती हैं। कोई पैरवी करने वाला नहीं होता और साल–साल, दो–दो साल की सजा भुगत लेता है वह जेल में। यह जुल्म नहीं है तो क्या है? ऐसे लोगों के लिये कानून में परिवर्तन निश्चित रूप से किये जाने चाहिये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों के ऊपर बैठकर के निश्चित रूप से विचार होना चाहिये। लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जब कह रहे थे तो लोगों ने आब्जेक्शन किया कि पुलिस की जरूरत कहां है। लेकिन पुलिस की जरूरत आज सब जगह महसूस की जाती है, जैसा उन्होंने बताया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस आखिर इसी समाज की उपज है। पुलिस के अन्दर जो आदमी भर्ती होता है वह इसी समाज का है। आज देश में चर्चा चल रही है कि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

राजनीति के अन्दर अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है, आखिर यह चिन्ता का विषय हम राजनीतिज्ञों के लिये क्यों है ? क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है, समाज के कौन व्यक्ति हैं जो उनको संरक्षण देते हैं, समाज के वे कौन लोग हैं जिनके कारण से अपराधी पनप रहे हैं। कभी-कभी पुलिस पर यह शंका की जाती है कि पुलिस भी उन अपराधियों की मदद करती है। आम धारणा आज जनता की यह है कि यह पुलिस का एक संगठित गिरोह है जो अपराधियों की मदद करता है, अपराधियों को छुड़ाता है। लेकिन राजस्थान सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि यह जनमानस जो बनता चला जा रहा है उसको किस तरह से बदला जाए और शायद इसीलिए यह रीआर्गेनाइजेशन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिये। किट में कुछ सामान कम कर देने से और कुछ ज्यादा कर देने से उस सिपाही पर अन्तर नहीं आने वाला है लेकिन जहां पर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, वह संवेदनशील बने इस बात की आवश्यकता है। आज थाने के अन्दर रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है कोई भी संभ्रांत आदमी, तो वह थानों में जाना क्यों नहीं पसन्द करता ? क्योंकि जिस तरीके का उसके साथ व्यवहार होता है वहां, उस व्यवहार के कारण कोई भी पसन्द नहीं करता। इसलिये मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात की कोशिश कीजिये कि जहां इनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, वे ठीक तरह से व्यवहार करें। आज लिटरेरी कांस्टेबल है, विदेशों में जाकर देखें तो पुलिस को इतने अधिकार दिये हुए हैं, पुलिस पर इतना विश्वास किया जाता है। वह विश्वास इस देश में क्यों नहीं किया जाता ? पुलिस वहीं का वहीं जुर्माना कर देती है अगर किसी ने गलती की है और आदमी जुर्माना होने पर रसीद लेकर चला जाता है। लेकिन हमारे यहां तो मजिस्ट्रेट साहब के यहां ही जाना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट साहब के यहां जाएंगे।

मैं सोचता हूं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखे जाएं, पुलिस को अधिकार दिये जाएं। लेकिन वह तो ऐसा करेक्टर है कि हम भी उसको चुपके से देकर चले जाएंगे तो वह भी निश्चित रूप से चला जाएगा। लेकिन हमने गलती की है तो हम उस गलती को स्वीकार करें और हम उससे कहें कि रसीद काटकर दे तो वह निश्चित रूप से रसीद काटकर देगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से यह रीआर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिये। आज रीआर्गेनाइजेशन जो आपने किया है, आपने जैसलमेर में ट्यूरिस्ट का थाना दिया, जयपुर में दिया लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, उदयपुर को उससे वंचित कर दिया। आज उदयपुर में भी उसी संख्या के अन्दर ट्यूरिस्ट आते हैं। शायद जैसलमेर में इतने ट्यूरिस्ट नहीं जाते होंगे लेकिन उदयपुर में बहुत ट्यूरिस्ट आते हैं। उदयपुर को आपने कमिश्नरी हैडक्वार्टर होते हुए भी महिला थाना नहीं दिया, ट्यूरिस्ट का थाना नहीं दिया।

आपने इस बात की चर्चा की थी जब बजट के अन्दर रीआर्गेनाइजेशन की बात

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हुई थी, कि ये सर्किल खोले जाएंगे। आपने जयपुर में तो सर्किल खोल दिये लेकिन उदयपुर को आपने उससे वंचित कर दिया। आपने थानों से वंचित कर दिया। हमारे यहां बोरवाड़ी में पुलिस चौकी होती थी कभी। उस पुलिस चौकी को जला दिया गया उसके बाद वहां पुलिस चौकी नहीं बनायी गयी। 10-11 पुलिस चौकियां उदयपुर में आवश्यक हैं, उदयपुर में 4 थाने आवश्यक हैं जो खुलने चाहिये। उदयपुर में दो सर्किल बनने चाहिये थे उन सबसे आपने वंचित किया है।

मैं सोचता हूं, उदयपुर के होने के नाते आपके मन में यह शंका रही होगी कि शायद आपके ऊपर राजस्थान के अन्य लोग यह आरोप लगाएंगे कि आपने उदयपुर को सम्पन्न किया है। लेकिन उदयपुर में आज महती आवश्यकता है इस बात की-अपराधों की दृष्टि से अगर आप देखें, डकैतियां आप देखें, इस अप्रेल से लेकर अब तक आप चोरियां देखें, आप तस्करी की बात देखें, आप विस्फोटक पदार्थ होने की बात देखें। यह सारे के सारे जितने भी हुए हैं उनमें बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद में अपराधियों को पकड़ने की दृष्टि से वे लोग भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी पूरा-पूरा प्रयत्न किया है।

लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर से भी लोग उदयपुर आते हैं, विदेशी भी आते हैं और बहुत वी. आई. पीज. आते हैं लेकिन वहां पर यातायात पुलिस की कमी है। वहां पर आपको एस्कोर्ट देनी चाहिये थी, पायलट जीप देनी चाहिये थी। इसकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी चाहिये थी क्योंकि वहां पर आये दिन वी आई. पीज. आते रहते हैं, एरोड्रम से लेकर उदयपुर जाते हैं और वहां से विभिन्न जगह जाते हैं। आप मेहरबानी करके अपराधों की दृष्टि से देखें, जयपुर के थाने हैं उन की स्ट्रेंथ देखें और वहां की स्ट्रेंथ देखें। इस स्ट्रेंथ को आप पूरा करें और वहां पर दें।

मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, कि राजस्थान की पुलिस में जो आर. पी. एस. लोग हैं उनको आई. पी. एस. बनाया जाना चाहिये। चार-पांच साल से उनके प्रमोशन रुके हुए हैं। इस तरीके से वे एडीशनल एस. पी. बन जाएंगे, आई पी. एस. में जा पाएंगे। ऐसे 20-25 लोग हैं लेकिन 20-25 लोगों की वजह से नीचे तक के लोगों पर प्रभाव पड़ता है और वे नहीं बन पाते। आप कहेंगे कोर्ट में केसेज चल रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करना चहूंगा, कोर्ट ने जिस पर स्टे दिया हुआ है अगर आप एडहाक भी प्रमोशन कर देंगे तो पांच साल से लोगों के मन में जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है उसे आप दूर कर सकेंगे।

अभी रीआर्गेनाइजेशन करते समय इनकी वर्दी वगैरह में चेंज करने के लिये, इनको इक्विपमेंट्स देने के लिये, नये हथियार देने के लिये आपने सोचा है लेकिन आप यह देखें कि केन्द्र का कांस्टेबल वहां क्या पाता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के एम्प्लाइज के साथ एक समझौता किया है, वह समझौता यह है कि हम केन्द्र के बराबर राजस्थान के एम्प्लाइज को पैसा देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कि आज भी हमारे यहां के कांस्टेबल को 855 रुपये मिलते हैं जबकि केन्द्र में 950 रुपये उसे तनख्वाह मिलती है। यह कांस्टेबल की तनख्वाह है। हैड कांस्टेबल को 950 रुपये मिलते हैं, केन्द्र में 1200 रुपये मिलते हैं। यहां सहायक उप निरीक्षक को 1200 रुपये से स्टार्ट करते हैं, केन्द्र में 1400 रुपये से स्टार्ट करते हैं। उप निरीक्षक को यहां 1400 रुपये मिलते हैं, केन्द्र में 1600 रुपये मिलते हैं। केवल जो निरीक्षक है उसको यहां भी 2000 से स्टार्ट करते हैं 3200 तक और केन्द्र में भी उसे 2000 से 3200 मिलते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो खाई है इस खाई को निश्चित रूप से पाटा जाना चाहिये।

भर्ती करते समय जब हम सीना देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं तो हमारे यहां का वनवासी भी ताकत की दृष्टि से, स्ट्रेंग्थ की दृष्टि से कोई कम नहीं होता लेकिन जब भर्ती होने लगती है और उसका सीना नापा जाता है तो आदिवासी उसमें खरा नहीं उतरता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ....(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हाइट भी छोटी होती है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हां, हाइट भी बहुत छोटी होती है और उसका सीना भी। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है गृह मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से कि कुछ परिवर्तन करें। जब तक वहां के लोग भर्ती नहीं होंगे, बाहर के लोग लगेंगे वे अपने गृह में जाना पसन्द करते हैं, उनका कोई लगाव नहीं होता लेकिन यदि वहीं का आदमी वहां भर्ती होगा तो निश्चित रूप से उसका लगाव रहेगा। इसलिये मैं आग्रह करूंगा, इन कानूनों में थोड़ा-सा बदलाव करें ताकि वहां का स्थानीय आदमी लग सके। राजस्थान के अन्दर जो कीर्तिमान, गृह मंत्रीजी, आपने स्थापित किया है और जिस तरीके से (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) आपने कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखा है उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी। (व्यवधान) मैं अपनी लिस्ट बदलता नहीं।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के जिले से आता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के जिले में न्याय और कानून की क्या व्यवस्था है, आपको भारतीय जनता पार्टी के जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं और जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे जिले में उन्होंने आपकी इस कानून और न्याय की व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, बहुत ही थोड़ा-सा समय लूंगा लेकिन आपको यह बता देना चाहता हूं।

हमारे पाली जिले के नगर परिषद के पार्षद लिखते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्य मंत्रीजी को और उसकी कापी मुझे भी भेजी है–"इस चौराहे पर सभी धर्मों के मन्दिर स्थित हैं मगर सायं साढ़े आठ बजे के बाद कोई भी परिवार मन्दिर दर्शनार्थ आ नहीं सकता। वहां पान की दुकान पर भी पान खाना तो दूर उधर से गुजरना भी दूभर हो गया है।" माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली में भारतीय जनता

(श्री भीमराज भाटी)

पार्टी के महामंत्री हैं पाली शहर के, वे यह लिखते हैं कि न केवल अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिये हैं अपितु उस शेखावत सरकार की कार्य कुशलता व कार्य क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है जिसने राजेन्द्र मिर्धा अपहरण काण्ड जैसे जटिल एवं जोखिम भरे मामलों में अपराधियों को नाकों चने चबवाकर सम्पूर्ण देश में कुशल प्रशासक का परिचय दिया था। आज उन भैरोंसिंह शेखावत की कार्य कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो अध्यक्ष हैं हमारे बांगड़ कॉलेज में, वे आपकी इस कानून व्यवस्था के बारे में लिखते हैं कि—"इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा किये गये सभी तरह के अन्वेषणों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। निश्चित ही पुलिस ने ऐसे घृणित काण्डों पर पर्दा डालने का प्रयास किया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी के रहते हुए यह निश्चित ही चिन्ता का विषय है।" और तो और, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, उनके समाज के अध्यक्ष का पत्र आज मुझे तीन पेज का प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के समाज के जो अध्यक्ष हैं—पूज्य भूलेलाल सेवा मण्डल, मैं यह सब सदन के पटल पर रखूंगा, उन्होंने अपना नाम लिखा है। दिनांक ... इतना को रात्रि साढ़े नौ बजे पुलिस थाना सदर की जीप आयी। उनमें बैठे ड्राइवर व नामधारी थानेदार बिल्लू व दर्शन तलवार के पुत्र व अन्य तीन चार व्यक्ति जो कि शराब के नशे में धुत्त थे, हमारे घर में घुस आये और मेरे पुत्र नरेश के बारे में पूछने लगे। मेरी पत्नी द्वारा नरेश का घर पर न होने का कहने पर भी जबर्दस्ती घर में घुस गये। मेरी पत्नी को धक्का देकर पिछले बरामदे में गये। चूंकि घर में मौजूद औरतों द्वारा प्रतिवाद किया गया, परन्तु शराब के नशे में धुत्त होने के कारण भी उन्होंने पिछले बरामदे में सोये मेरे पुत्र लक्ष्मण को बाहर खींचकर पकड़कर उठाया और घसीट कर चौक में ले आये और उसको यह धमकी दी।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूज्य भूलेलाल सेवा मण्डल के अध्यक्ष जो हैं उनके परिवार के साथ बाली शहर में, जिस जिले से मुख्य मंत्री महोदय हैं उस जिले के मुख्यालय पर कानून और न्याय की यह हालत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाली शहर में जो नगर पार्षद हैं उनकी दुकान पर चोरी हुई। उन्होंने नामजद एफ. आई. आर. लाज करवायी, 58 हजार रुपये की चोरी हुई ...

श्री अध्यक्ष : आप पहले स्थगन प्रस्ताव पर भी बोल चुके हैं। विराजें।

श्री भीमराज भाटी : छह महीने बाद भी उस रिपोर्ट का कुछ नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां हालत यह है कि जो अच्छे पुलिस अधिकारी हैं उनको तो कहीं सड़ी-गली जगह लगा दिया जाता है और जो बेइमान से बेइमान सरकारी अधिकारी हैं उनको अच्छे से अच्छे इनकम के थाने दिये जाते हैं।

(श्री भीमराज भाटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट आपका और लूंगा। पुलिस अधिकारी जिनका कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक संरक्षक नहीं है, उनको चाहे जहां लगा दो। हमें गृह मंत्रीजी के ऊपर पूरा विश्वास है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर पूरा विश्वास है....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, भाटी साहब।

श्री भीमराज भाटी : लेकिन उनकी सत्ताधारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। वे पैसे लेकर उन थानेदारों की और एस. पी. की पोस्टिंग करा रहे हैं। गृह मंत्रीजी को पता ही नहीं चलता, मुख्य मंत्रीजी को पता ही नहीं चलता और इनकी पार्टी के पदाधिकारी यहां आलीशान बंगलों में बैठे–बैठे ही अपना मतलब सीधा कर रहे हैं। यही मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के जिले की यह हालत है तो राजस्थान की मालूम नहीं क्या हालत होगी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह शाश्वत सत्य था, है और रहेगा कि पुलिस इस समाज का अविभाजित अंग है। अब देखना यह है कि जो अविभाजित अंग है वह हाथ के रूप में है, समाज को बचाता है या समाज को मारता है, यह हाथ स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अस्वस्थ है तो उसकी दवा–दारू करनी चाहिये, इलाज करना चाहिये। काट तो उसे नहीं सकते, इसलिये उन्हीं परिप्रेक्ष्य में हमको सोचना होगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी हम ला सकते हैं। आम आदमी पुलिस के बारे में क्या सोचता है? जितनी जिम्मेदारी पुलिस पर है, आम आदमी का तो यह कहना है कि पुलिस में बर्बरता है पुलिस में अन्याय है, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती, पुलिस अन्याय करती है। उसका दूसरा पहलू भी है। पुलिस अपने-अपने तरीके से अपने-अपने स्थान पर अपना-अपना कार्य करती है। किन्तु उस कार्य का इस तरह से दिखावा होना चाहिये कि आम आदमी को विश्वास हो जाए। विश्वास पैदा करने की प्रक्रियाएं हम ला सके हैं या नहीं ला सके हैं, इसको देखना है। आज इतना बड़ा जखीरा आपने अपने स्टेटमेंट में दिया, अपने आप में प्रशंसनीय है, उससे हम भी खुश हैं, किन्तु विद्यमान क्या है इसका आंकलन हमने नहीं किया तो हम फिर भुलावे में रह जाएंगे। फिर जो हम हाथ के इलाज की बात सोचते हैं वह हाथ का इलाज कतई नहीं कर पाएंगे। इसलिये उस परिप्रेक्ष्य में सोच अपना बनाएं। मैं सिर्फ आपको दो उदाहरण दूंगा। जो विद्यमान स्थिति है उसकी तरफ आपका ध्यान इंगित करूंगा अजमेर के सन्दर्भ में। यह नहीं कि उन केसेज का निराकरण मैं आपसे चाहता हूं, किन्तु जो घटनाएं घटी हैं उनसे आप अपने-आप आकलन कर लेंगे कि ग्राउण्ड रियलीटीज क्या हैं, क्या एक्चुअली चल रहा है। उसको आपको फिर सोच समझ करके अपने तरीके से उसका आकलन करके रेक्टिफिकेशन करना होगा। एक उदाहरण।

दो महिलाएं सात दिन तक अजमेर में आमरण अनशन पर बैठीं। कारण बहुत छोटा-सा है। एक मां है, एक बच्ची है।

(श्री किशन मोटवानी)

बच्ची के हसबैण्ड ने अत्याचार किया, सास-ससुर ने अत्याचार किया। 498 का केस दर्ज कराया। उसमें पुलिस ने तो अपने बस चलते एफ. आर. देने के प्रयास किये लेकिन कोर्ट ने उसमें काग्नीजेंस ले लिया। किन्तु जो उसका माल था, 498 (ए) में जो एक स्त्री धन होता है उसकी रिकवरी नहीं होती तो उस लड़की ने फिर एक दरख्वास्त 406 की अदालत में की। अदालत ने उसको 156 (3) के तहत पुलिस थाने पर भेजा। अब आपका सोच क्या होना चाहिये कि पुलिस को क्या करना चाहिये जब 156 (3) में थाने पर दर्ज होने के लिये मामला आ गया? 406 का है, इसमें रिकबरी अनिवार्य है। यह जानकारी है, मैं इसमें एक और सन्दर्भित बात करना चाहता हूं। The person who is involved in that, जिसने वह दहेज लिया था, लड़के के बाप ने, वह आदमी जयपुर की ही लाखों-लाखों रुपये की चोरी में इनवाल्व्ड है। जवाहरात की चोरी हुई थी जयपुर में। वह शादी की वीडियो कैसेट पुलिस ने देख ली। उस वीडियो कैसेट के माध्यम से पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। वह व्यक्ति है इनवाल्व्ड, अब उसके साथ क्या सलूक करना चाहिये? जानकारी है कि उसके पास दहेज में जो सामान दिया है वह है। उसके आदमी को नहीं पकड़ा, लड़के को पकड़ा। लड़के को पकड़ कर शहजादे की तरह थाने में बिठाया तीन दिन तक। कोर्ट ने रिमाण्ड दिया, किन्तु तीन दिन बाद पुलिस कहती है कि हमको रिकवरी नहीं करनी है क्योंकि इसने यह कह दिया है कि उसके बाप के पास माल है। अब उसके बाप को पकड़ने की बात आयी। यहां एक बात और निवेदन करूंगा कि पत्रकार बन्धुओं ने भी उसमें अन्धकार कर दिया, उस न्यूज को ब्लैक आउट कर दिया कि एक औरत और उसकी बच्ची सात दिन के आमरण अनशन पर बैठीं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर। पुलिस ने उनको नहीं बुलाया, अखबार ने उनकी कोई न्यूज नहीं दी। सात दिन तक वे बैठी रहीं। अब आप बताइये, यह किस तरह की ट्रांसपेरेन्सी पुलिस में लाना चाहते हैं। Was it not the duty and responsibility of the police to have gone for the recovery ?

इस तरह से एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैंने कल आपको एक अखबार की न्यूज दी थी। मैंने सोचा था कि शायद आप बुलाकर आज बता देंगे कि उसमें मैंने यह कार्यवही कर दी और यह कार्यवाही हो गयी। दो माह से एक नाबालिग बच्ची गायब है। पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। कारण यह है कि वे कहते हैं कि वह नाबालिग बच्ची तो है किन्तु बदचलन है। आप उसके बाप से पूछिये, वह बाप क्या कहेगा। बदचलन है तो मेरी बेटी है। आखिर यह स्टेट का उत्तरदायित्व है कि नहीं कि उस लड़की की रिकवरी की जाए? क्या वे चाहते हैं कि वह लड़की कहीं व्यभिचार के अड्डों पर चली जाए, या बेच दी जाए, या उसको मार दिया जाए? यह काम हमारे स्टेट के प्रोटैक्शन का नहीं है?

मैं आपको दो उदाहरण इसलिये दे रहा हूं—मैं आपसे इसमें कोई विशेष इन्वेस्टीगेशन की मांग नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ यह चाह रहा हूं कि आप यह सिद्ध कर दीजिये कि आपने ट्रांसपेरेन्सी कहां पैदा की, आम आदमी में विश्वास कहां पैदा

(श्री किशन मोटवानी)

किया कि जो हाथ है वह स्वस्थ हाथ है उसके प्रोटेक्शन के लिये न कि उसकी आंख निकालने के लिये और दांत तोड़ने के लिये। यही मुझे निवेदन करना था, अध्यक्ष महोदय, यह मैंने आपके माध्यम से निवेदन कर दिया कि ट्रान्सपेरेन्सी लाइये और अपने स्टेट का जो आप नाम बता रहे हैं स्टेटमेंट के माध्यम से, उसे और ऊंचा कीजिये।

श्री भीमसेन चौधरी : मेरा कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था, आपने रूलिंग दी थी कि आप डिमाण्ड पर बोल सकेंगे। मुझे भी अवसर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं।.... (व्यवधान).... जो नाम दिये हैं उसी के अनुरूप बुला रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा नाम भी है। या तो मैं बीच में बोलने के लिये खड़ा हो जाऊं। आप बुलवायेंगे या नहीं ? नहीं तो फिर चालू होता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कानून और व्यवस्था पर वक्तव्य दिया है। 22 अप्रेल, 1987 का वह पुलिस का गोलीकाण्ड सीकर किसान छात्रावास पर जिस पर चार घण्टे तक गोलियां चलायी गयीं और... (व्यवधान).. उसके बाद जितने भी अत्याचार पुलिस कैम्प कर सकता था, केवल छात्रों को ही नहीं इस सदन के माननीय सदस्य कामरेड त्रिलोक सिंह को 70 साल की उम्र में पुलिस थानों में ले जाकर सब तरह से यातनाएं दी गयीं। एक कानाराम की हत्या हुई, चार विद्यार्थियों के गोलियां लगीं और बीसों विद्यार्थियों को पकड़ कर कोतवाली में बन्द करके उनके शरीर पर सिगरेटें दागी गयीं और उनके नाखूनों में पिनें चुभोयी गयीं। उसके बाद वहां की जनता ने आन्दोलन किया तो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता तथा वर्तमान सदन के नेता वहां गये। आन्दोलन को सपोर्ट दिया इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। 27 अप्रेल को तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता जनता पार्टी के प्रो केदार, सुमित्रा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शोपत सिंह ने उस घटना को जाकर अपनी आंखों से देखा है। उन विद्यार्थियों का खून जो पुलिस में जाकर अकारण बहा है उसको देखा है। उन दीवारों पर गोलियों के निशान देखें हैं, कोतवाली में जाकर मिले हैं। वहां हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था मैं उसको पढ़ कर सुना सकता हूं। उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच होनी चाहिये, अगर मेरा राज होता तो ये दोषी अधिकारी आज ड्रेस में नहीं होकर त्रिलोक सिंह और विद्यार्थी जहां बन्द हैं उन सींखचों में बन्द होने चाहिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राज आने के बाद उन अधिकारियों को सजा तो दूर प्रमोशन दिया गया। कोर्ट में यह मांगा गया कि केस चलाने के लिये अनुमति दी जाए, वहां अनुमति नहीं दी गयी। उसके बाद एक साल तक वे जेल में रहे। उसके बाद तत्कालीन सदस्य शोपत सिंह, जवाहर सिंह ने सात दिन का अनशन किया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने वहां जाकर अनशन तुड़वाया, तत्कालीन मुख्य मंत्री को

(श्री अमराराम)

पत्र लिखा, इस सदन में रखा। तब तो वह बात वाजिब थी कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये, जो छात्र मरा है उसको मुआवजा मिलना चाहिये, जो बेगुनाह लोगों पर केस बनाये गये विथड्रा होने चाहिये, दुरुस्त होने चाहिये लेकिन जब खुद सरकार में आ गये हैं, पांच साल के बाद भी आज वह छात्रावास पुलिस के जूरिस्डिक्शन में है। केवल पुलिस के जूरिस्डिक्शन में नहीं है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री अमराराम : 14–2–91 को कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि एक वर्ग विशेष के विद्यार्थियों को....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम : दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में ही समाप्त करना पड़ेगा। दो मिनट का ही तो टंटा है।

श्री अमराराम : कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वर्ग विशेष के विद्यार्थियों को परेशानी है, उनको छात्रावास में एडमीशन दिया जाना चाहिये। एडमीशन नहीं देकर यह सरकार, माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार हाई कोर्ट से स्टे ले आयी और आज भी वहां सात साल के बाद पुलिस बैठी हुई है। क्या यह कानून व्यवस्था केवल घोषणा करने से होगी ? मैं कहता हूं कि वहां सिवाय पुलिस की गोली के कोई विवाद नहीं था। न आज से पहले था और न आज कोई विवाद है। मात्र उनको परेशान करने की....

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री मोतीराम जी।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : हमारे गृह मंत्रीजी कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री मोतीलाल (रूपवास) : माननीय, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक साल के अन्दर 6–7 मर्डर हो गये। उन 6–7 मर्डरों में से आज तक एक भी मर्डर नहीं खुला, बड़े खेद की बात है।

श्री अमराराम (धोद) : उस छात्रावास में पुलिस बैठा रखी है....

श्री मोतीलाल : डी. जी. साहब से बात हुई। मेरे यहां से डेलिगेशन आया तो डी. जी. साहब ने कहा था.... (व्यवधान)... ऐसी कोई बात की थी....

एक माननीय सदस्य : संवेदनशील मुद्दा है, और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं आज।.... (व्यवधान)...... बहस खतम होने तक।

श्री मोतीलाल : तीन महीने हो गये लेकिन अब तक वह मर्डर नहीं खुला।....

श्री परसराम मदेरणा : गृह मंत्रीजी, आप जरा दो मिनट के लिये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आ जाइये। मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर काफी लोग बोलना चाहते हैं। आपकी तरफ से भी यह सुझाव था कि लोग

(श्री परसराम मदेरणा)

कह रहे हैं कि आज शादी है, जाना चाहते हैं लेकिन उसके बाद 6 बजे तक का समय रखा है, एक घण्टा बढ़ाया था। मेरा प्रथम तो अनुरोध यह है, निवेदन है कि थोड़ा-सा समय और बढ़ाया जाय क्योंकि लोग बोलना चाहते हैं, सत्र का आखरी दिन है। दूसरी, अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वेस्ट यह है, टिबरेवाल कमीशन की रिकमण्डेशन्स हाउस की टेबल पर रख दी गयी हैं। गृह मंत्रीजी आपका जो पुलिस प्रशासन है जिसके अभी चुस्त-दुरुस्त होने की आप बात कर रहे हैं, टिबरेवाल कमीशन ने ऐसी पोल खोली है, कोई माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि रौंगटे खड़े हो रहे हैं। उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। मेरे दल के लोग, प्रतिपक्ष के लोग उस पर चर्चा करना चाहते थे। इस पर एक दिन का समय जब भी आगे सत्र होगा, पूरा एक दिन उस पर चर्चा के लिये रखा जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले सत्र में इस कमीशन की रिपोर्ट पर, इसकी रिकमण्डेशन पर अलग से एक दिन निर्धारित किया जाय।

श्री मोतीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मर्डर उचंद थाने में हुआ जिसमें कहा गया कि स्वयं फांसी लगा कर थाने में मरा है मुल्जिम स्वयं फांसी लगाकर अपनी कमीज से मर सकता है क्या थाने में? जिसकी डी. आई. जी. और एस. पी. भरतपुर ने जाकर के दाह क्रिया करवा दी। मेडिकल बाद में बनवाया गया। घर वालों को बीस-पच्चीस हजार रुपये देकर इस मर्डर को दाब दिया, केस को बिगाड़ दिया। बड़ी खतरनाक, खतरनाक मौतें हो रही हैं लेकिन पुलिस प्रशासन भरतपुर में नंगा नाच कर रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी प्रकार से मिलकपुर में एक डेढ़ साल के बच्चे का, मीणा टीचर था जिसके बच्चे का मर्डर हुआ। उसके बारे में आज तक कोई जांच नहीं हुई। पैसे ले जाकर वह भी खा गये। उसी प्रकार से चौथा मर्डर मेरा पूने गांव का है जिसमें एस. एच. ओ. बोहरा 50 हजार रुपये लेकर खा गया और उसको एस. पी. महोदय ने ... (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : सदन का समय दो घण्टे के लिये बढ़ाया जाए।... (व्यवधान) ...

श्री मोतीलाल : भरतपुर जिले के अन्दर एस. पी. और डी. आई. जी. ऐसे बैठा दिये जिनको पता ही नहीं। कि क्या हो रहा है। इससे बड़ा आतंकवाद छाया हुआ है। और एस. पी. का तो वहां बिलकुल ही जीना हराम हो रहा है। गृह मंत्री से मैं कह रहा हूं .. (व्यवधान)... अनुरोध करके कह रहा हूं कि इस पर ध्यान दें अन्यथा इस पद से इस्तीफा दे दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह विभाग पर चर्चा के लिये दो घण्टे का समय बढ़ाया जाए। . (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को ...

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, आप बैठो न।

श्री परसादीलाल मीणा : अमरारामजी, आप बैठो तो सही। क्या बोलोगे टाइम

(श्री परसादी लाल मीणा)

नहीं बढ़ेगा तो ? टाइम नहीं बढ़ेगा तो क्या बोलोगे आप ? बैठो । आप बैठो तो सही । अब मैं कह रहा हूं आप बैठो एक बार । आप बैठो ना एक बार । अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिये बढ़ाया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आपके डिस्क्रिशन का है । बिजनस पर आज लॉ एण्ड आर्डर है और आखरी दिन है, इसलिये मेरा यह निवेदन था क्योंकि पहले 6 बजे की पाबन्दी लगा दी गयी थी और सदन में इस प्रकार की घोषणा हो गयी थी । मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आज आखरी दिन है, तो लोग बोलते रहेंगे रात के 12 बजे तक, तो भी कोई बात नहीं है । कुछ लोग कह रहे थे कि हमको शादियों में जाना है तो शादी वाले चले जायेंगे । ....(व्यवधान) .. अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष से मैं यही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय का मानस मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है । इसलिये अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, कि कम से कम दो घण्टे का सदन का समय बढ़ाया जाय ताकि दोनों ओर के माननीय सदस्य इस डिबेट में पार्टीसिपेट कर सकें ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय मे वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाता है ।

अनेक माननीय सदस्य : नो–नो, नो ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई के अन्दर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है । हम हमारी बात कहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि समय नहीं बढ़ायें यह तो डेमोक्रेसी ।

श्रीमती कमला : क्या तकलीफ हो रही है ? बहुत–से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिये । आप जब चाहो तब तो आप 10 बजे तक चला लेते हो, अब मैम्बर्स चाह रहे हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते । यह कोई बात थोड़े ही हुई ।

श्री अध्यक्ष : आप शांति रखिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक-एक आदमी 15 मिनट तक बोलते रहते हैं । टू दी पाइण्ट बात बोलते नहीं और समय बढ़ाने की बात कर रहे हैं ।

(18.00)

श्री अध्यक्ष : समय आधा घण्टा बढ़ाया है । आप बोलें तो सही, बात पूरी करें ।

श्रीमती कमला : आधे घण्टे बाद माननीय सदस्य फिर खड़े होंगे तो आप फिर बढ़ायेंगे, तो आप एक साथ ही बढ़ा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ।

श्रीमती कमला : क्यों नहीं बोलने देना चाहते हो ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनियेगा । ऐसा है कि समय बढ़ाया है तो टुकड़ों–टुकड़ों में बढ़ाने से चर्चा कारगर नहीं हो सकती क्योंकि तलवार लटकती रहती है

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कि पांच मिनट रहे हैं, दस मिनट रहे हैं। माननीय सदस्य धीरज से बोल सकें इसलिये घण्टे भर का समय तो कम से कम आपको बढ़ाना ही चाहिये। और दूसरी बात .... (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के कइयों को शादियों में जाना है तो आज कोई मतदान तो हो नहीं रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपके तो सारे लोग गये।

श्रीमती कमला : कहां गये ? .... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माभड़ा साहब अध्यक्ष रहे हुए हैं उनको भी मालूम है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : बुलवाओ सबको, हैं कि नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं बैठा हूं। एक सदस्य एक हजार के बराबर होता है, मैं मूंछ ऊंची कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : 10 जने बैठे रहते हो और दूसरों का समय खराब करते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : न तो गम्भीरता है, न कोई चर्चा में भाग लेता है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अगर मूंछों में बल पड़ा नहीं तो मूंछें रखना पाप है।

एक माननीय सदस्य : सदन का समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह परम्परा चलाना चाहते हैं तो अगले सत्र में अगर सरकार चाहेगी भी तो फिर हम समय नहीं बढ़ाने देंगे। यह जरूरी नहीं है कि सरकार जब चाहे तो 12 बजे तक सदन चलाये और हम चाहें तो सदन नहीं चले। अगर आप यह परम्परा डालना चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से ही समय बढ़ेगा तो फिर हम अगले सत्र में ऐसा नहीं चलने देंगे। और अगर यह सरकार लॉ एण्ड आर्डर पर भागना ही चाहती है तो फिर ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में खराब है। जगह-जगह थानों में मारपीट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जनप्रतिनिधि चुन कर आये हैं और हम हमारी बात ही नहीं कह सकते। + + + हम सब हमारी बात कहने के लिये यहां आये हैं। आप समय बढ़ाएं, हमारे को हमारी बात कहने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रारम्भ तो रखें। मैंने बढ़ाया है, आप बोलना तो प्रारम्भ करें। पता लगेगा ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप लॉ एण्ड आर्डर के बारे में समय दीजिये हम बोलना चाहते हैं।

श्री राधेश्याम (श्री गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से विषय महत्वपूर्ण हैं

+ + + : अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हैं हमारा जिला गंगानगर बार्डर पर है, बहुत सारी घटनाएं हैं। आप कृपया इसका समय एक घण्टा बढ़ाएं और हमें बोलने का मौका दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम तथ्य लेकर आये हैं और आप बोलने की अनुमति हो नहीं देते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर जिला संवेदनशील जिला है और बार्डर के ऊपर है। पंजाब का बार्डर है, हरियाणा का बार्डर है, पाकिस्तान का बार्डर है। बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने रखनी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अगर यह सरकार हमारे सदन के नेता की कही बात पर अडिग रहती है तो मैं कहता हूं कि उस छात्रावास को तुरन्त छोड़ दिया जाए और उसकी न्यायिक जांच करायी जाए। जो गलत मुकदमे सैंकड़ों लोगों पर बनाये गये हैं उनको तुरन्त वापस लिया जाए और मृतक छात्रों के परिवारजन को मुआवजा दिया जाए। हमारे गृह मत्रीजी कह रहे हैं कि श्रमिकों का आन्दोलन नहीं है। एक एक साल से चाहे वह रींगस पोलिस्पिन हो, चाहे माडर्न सिन्थेटिक्स, अलवर हो वहां पर मजदूर लड़ते रहे हैं लेकिन आप, पुलिस और श्रम विभाग केवल मालिक बन कर रह गये हैं। यहां जयपुर में तो आपके कलेक्टर महोदय ने यह कानून व्यवस्था लगा दी कि 100 मीटर तक के एरिया में .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। काफी समय हो गया है, आप विराजें।

श्री अमराराम (धोद) : मजदूर एरिया में कहीं पर भी .. (व्यवधान) जो अधिकार दिये हैं उनको भंग कर दिया है। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय धारीवालजी, आप बोलें।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, किस नियम के तहत सदन का समय बढ़ाया ?

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय नियम के तहत। आप विराजें। अब आप इन्टर-प्रिटेशन नहीं करें, मेरे को ही बहुत आता है। I can argue for 17 hours. बोलिये आप। कृपया समय खराब नहीं करें। मेरे पड़ोस में के. एल. मीणा साहब के यहां शादी है, आप जल्दी प्रारम्भ करें।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि 1 हजार 40 किलोमीटर तक की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं आज देश में यह हालत बन गयी कि लिट्टे, आई. एस. आई., और अलफा टेरोरिस्ट्स ने मिल कर कोआर्डिनेटिंग एफर्ट्स करके कुछ न कुछ करने की सोच रखी है लेकिन राजस्थान सरकार की तैयारी कोआर्डिनेटिंग एफर्ट के खिलाफ क्या है यह आपने अपने बयानों में कहीं नहीं बताया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हालत यह हो गयी है कि चुपचाप ऐसे समझौते किये जा रहे हैं इन क्रिमिनल्स के लिए। रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि राव साहब बच गये, शेखावत साहब बच गये, फलाने साहब बच गये वरना यह हो जाता, वह हो जाता। जो हालत राजस्थान की सीमा पर होने जा रही है उसका अन्दाजा तो थोड़ा–थोड़ा सरकार को हो गया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न किसी भी प्रकार के नहीं हो रहे हैं, न भारत सरकार से बातचीत हो रही है। आगे जाकर के क्या हश्र होगा इस राजस्थान के नागरिकों का, यह बिलकुल अंधकार में है। मेरा आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से यह निवेदन है कि इसको बहुत गम्भीरता से लें। आगे क्या हालत बनेगी, कुछ न कुछ प्लान भारत सरकार से मिल कर बनाएं ताकि ये सीमाएं महफूज रह सकें और जो कोआर्डिनेटिंग एफर्ट्स इनके द्वारा किये जा रहे हैं इसको आप किस तरीके से काउण्टर करना चाहते हैं, इस बारे में कुछ सोचें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : यह एक मेरे पास है उसमें लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। बीच में डिस्टरबेंस नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आपके बस के बाहर की बात है। यह पुलिस का महकमा है कोई मार्बल का काम नहीं कि आप इटली चले जाओ। ... (व्यवधान) छोड़ो आप, बैठो, टाइम खराब मत करो।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। क्यों समय नष्ट कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : चन्द्रास्वामी को तो गिरफ्तार करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज इंवेस्टीगेशन की यह हालत है, अध्यक्ष महोदय, कि फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर कोई एफ. आई. आर. दर्ज करवाने के लिये थाने में जाता है तो सबसे पहले वे किसी न किसी नेता को तलाश करते हैं। जब तक नेता किसी के साथ न जाए और पुलिस पर दबाव न डाला जाए....

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : धारीवालजी, निक्काजी का क्या मामला है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौन–सा मामला?

श्री मदन दिलावर : कोटा वाला।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या जानते हो आप उसके बारे में? आप जो चाहते हो वह लिख कर दे दूं?

श्री मदन दिलावर : हां, दे दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कि वह आपसे मिला हुआ है और आपके कहने से ही उसने मेरे पर मुकदमा दायर किया था हाई कोर्ट में?

श्री मदन दिलावर : वह आपसे मिलकर ही भूमि हड़प रखी है, रंगा बाड़ी रोड की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मदन दिलावर, अगर गड़बड़ी करी तो आज सारा खोल दूंगा। कोई गड़बड़ मत करना।

(226)

श्री मदन दिलावर : रंगाबाड़ी रोड पर आपके माध्यम से भूमि हड़प कर रहे हैं, कई शिकायतें हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति रखिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके खिलाफ दो दो वारण्ट गिरफ्तारी के हैं मेरे पास । निकाल दूंगा ।

श्री मदन दिलावर : ठीक है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो-दो वारंट हैं मेरे पास ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बोलें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने इनको मंत्री बना रखा है जिनके खिलाफ दो–दो वारंट आज भी मौजूद हैं । अदालतों का नाम बता दूं, केस नम्बर बता दूं और जिसने एफ. आई. आर. दर्ज करवायी है उसका बता दूं । इसलिये आप बोलो मत ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बोलें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फ्री रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा । जिन पर जुल्म किये गये हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे जाकर के खुद अपनी एफ आई. आर. दर्ज करवा सकें । किसी नेता के सहयोग की जरूरत नहीं हो, किसी बड़े आदमी के सहयोग की उसको जरूरत नहीं हो । तब तक इस पुलिस का काम नहीं सुधर सकता । आज हालत यह हो गयी है कि राजनीतिज्ञों का इंटरफियरेंस बढ़ता जा रहा है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में दुबारा आयी है जबरदस्त इंटरफियरेंस बढ़ गया है । अगर यह इंटरफियरेंस नहीं बढ़ा और मान लीजिये पुलिस अच्छा काम कर रही है कंविक्शन की परसेंटेज क्या है, होम मिनिस्टर साहब बता दें कि कितनी एफ. आई. आर. दर्ज हुई हैं, कितने चालान पेश किये गये, कितनों को कंविक्ट किया । ... (व्यवधान) ... चौमूं में होगी, चौमूं के थाने में होगी ज्यादा, बाकी पूरे राजस्थान में देखो आप ।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : कोटा में भुवनेशजी से पूछ लो कि क्या होता है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस रिपोर्ट में कोई कसूर दर्ज है क्या ? आप पता करके बताओ जरा ।

श्री अध्यक्ष : विराजें ।... (व्यवधान)...

श्रीमती उजला अरोड़ा : 1975 में देखें, बिना कसूर बताये जेल में ले जाकर के ठूंस दिया । 19 महीने मैं भी रहकर आयी हूं, जरा रह के मजे तो ले लो, आपको पता तो पड़े ।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 9 महीने का सुनते हैं, 19 महीने पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने दें। बीच-बीच में नहीं बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 26 जून, 1975 का हवाला दे रही हूं। बिना कसूर के जेलों में ठूंस दिया।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसका राजनीतिक बहाना भी नजर नहीं आया था। तब राजनीतिक सभाएं.....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी अरोड़ा, विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....में नहीं हो रहा है, यहां तो राजनीतिक प्रभाव का तो कोई उपयोग ही नहीं करता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा, साहब, जाने दीजिये आप। आप 19 महीने कह रही हैं, मैं 9 महीने कह रहा हूं। 9 महीने का पीरियड होता है। सुपरवीजन प्रभावी नहीं है। होम मिनिस्टर साहब, जो भी केसेज हैं उनका सुपरवीजन प्रभावी नहीं होगा तो आप यह मानकर चलिये कि जो मुलजिम, जो एक्यूज्ड आपने बनाये हैं उस एफ. आई. आर. में, वे सब आज बरी होते जा रहे हैं। यही कारण है कि कंविक्शन की परसेंटेज लो होती जा रही है। जब तक आप पुलिस को वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे, वैज्ञानिक उपकरण की बात तो छोड़ें, वह तो लम्बी बात है उसमें बड़ा खर्चा है, हालत यह है कि फिंगर प्रिंट के लिये भी मामले जयपुर आते हैं और उसकी रिपोर्ट में महीने लग जाते हैं वहां पहुंचने के लिये। जब तक आप इसमें सुधार नहीं लाएंगे किस तरह से आपका कण्ट्रोल गवर्नमेंट पर होगा....?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक धारीवालजी गम्भीर नहीं होते....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हू कि ...

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रेजरी बैंचेज के मैम्बर बार–बार जो खड़े हो रहे हैं और मैम्बर तो खड़े हो जाएं, माननीय सदस्या का मैं बहुत आदर करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन उन्हें एक बात का तो अनुभव हुआ कि जेलों में क्या सुधार होना चाहिये। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य बीच में बोल गये। आंकड़ों की बात कही, क्योंकि चौमूं के किसी भी आदमी के दावे को राजस्थान की जनता सीरियसली नहीं लेती है।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : दावों को आप नहीं मानते और सारी चौमूं के बारे में (व्यवधान) ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें उजलाजी, बार–बार बोलना जरूरी नहीं होता।

श्री परसराम मदेरणा : होम मिनिस्टर साहब बता देंगे अभी, इन्होंने जो बात पूछी है। How many cases registered, how many cases challanged, and in how many cases conviction has beed imposed by the courts. ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बहुत बढ़िया है। यह मैंने कहा है और बहुत गम्भीरतापूर्वक कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + इनको कह दें, आप, ये कह देंगे।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको करैक्ट मुझे कई बार करना पड़ा है, रामकिशोरजी व्यास भी (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, समाप्त करें जल्दी। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट में नहीं, साहब, आपने 10–10, 20–20, मिनट दूसरों को दिये हैं, मुझे भी अपनी बात कहने दी जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : .... मजाक करते हैं, गम्भीरतापूर्वक नहीं लेते हैं सदन को। शांतिलालजी जब भी बोलते हैं, किसी भी माननीय ट्रेजरी बेंच के मिनिस्टर के खिलाफ और जिस प्रकार से मजाकाना अंदाज में बोलते हैं और उनका अपमान करना चाहते हैं तो कोई भी माननीय मंत्री खड़े होकर के बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं अभी ये मिनिस्टर के बारे में नहीं बोल रहे थे ... (व्यवधान) ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : वे दूसरी बात बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलेंगे, जब भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे तो जवाब देंगे मिनिस्टर।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ नहीं कहा। .. (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या बोला ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलेंगे, जरूर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... यह क्या हुआ, यह कौन-सा तरीका है ?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि स्पेशल केसेज की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास भेजी जाती है। आप यह बताएं कि यह क्यों भेजी जाती है ? आप क्यों मंगवाते हैं ? इन स्पेशल केसेज का इन्वेस्टीगेशन तो ए. एस. आई. करे। आपका एडीशनल एस. पी. एस. पी.कभी मौके पर जाए नहीं, जहां हत्या हुई हो, जहां डकैती हुई हो, जहां पर रेप के केस हो गये हों, वहां, आप गवर्नमेंट के पास यह रिपोर्ट क्यों मंगवाते हो, इससे क्या फायदा होता है ? जब तक आप इस काम में सुधार नहीं लाओगे, इन स्पेशल रिपोर्ट्स के मामले में तब तक कोई सुधार होने की आशा आप मत रखिये। आप डाइरेक्शन दीजिये डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज को, पुलिस की अथोरिटीज को कि जब हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, डकैती का मामला हो, फौरन एस पी. वहां पहुंचे और अपने सामने सारे के सारे वजुआत को देख करके और कुछ न कुछ नतीजे पर पहुंच कर उसमें इंवेस्टीगेशन करवाए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, कि टैररिस्ट कांदिया मारा गया (व्यवधान) ब्रेन लैस दिमाग से तो बात मत करो ...

अध्यक्ष महोदय, टैररिस्ट कांदिया मारा गया। राजस्थान की पुलिस ने बड़ी डींग हांकी है कि हमने यह कर दिया, यह कर दिया, यह कर दिया। लेकिन आज 6–7 महीने का पीरियड गुजर गया है, उस कांदिया को कहां गोली से मारा गया, इनाम किस व्यक्ति को दिया जाए, यह आज तक पता नहीं लगा पाए। हकीकत यह है कि न जाने किसकी गोली से वह मारा गया। पुलिस तो पता लगा नहीं पायी लेकिन जब वह मर गया, उसकी दोनों टांग खींच करके उसको बाहर ले आये ...

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर उस पर गोलियां चलायी गयीं और उसकी टांग के नीचे ए. के.–47 राइफल लगाकर के मुख्य मंत्रीजी को दिखाया गया। मुख्य मंत्रीजी अगर मौजूद होते तो उनसे पूछता, आपकी ...

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + काहे को विराजें, साहब, अभी तो मैंने चालू किया है। आप कैसे विराजने की बात कह रहे हैं, विराजने की बात क्यों कर रहे हैं ? ....(व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज राजस्थान की पुलिस यह मालूम नहीं कर पायी कि कांदिया किसकी गोली से मारा गया।

श्री अध्यक्ष : काफी माननीय सदस्यों को मौका दिया है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों को कम से कम... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों को बोलना है। आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको आप समझाओ.... (व्यवधान).... सदन की गरिमा सदन की परम्परा रही है (व्यवधान) यह इनको समझाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रेड्स की बाबत राजस्थान की पुलिस वाहवाही लूट रही है। मैं पूछना चाहता हूं ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको समझाओ कि सदन की क्या परम्परा रही है। + + + और + + + शब्दों का सम्बोधन नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें.. (व्यवधान).. कृपया शांति रखें, विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि रेड्स के मामले में सन् 1994-95 में कितने चालान राजस्थान पुलिस ने पेश किये ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अरैस्ट्स के केसेज में कंविक्शन का परसेंटेज क्या रहा ? आप वाहवाही लूट रहे हो कि साहब हमने उसको पकड़ लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने उसको पकड़ लिया। उसके पास अपनी आमदनी से ज्यादा धन था....

श्री अध्यक्ष : और भी कइयों को बोलना है, माननीय धारीवाल साहब, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे शिकायत करना चाह रहा हूं कि आप मुझे टोक रहे हैं बार–बार, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं टोक रहा हूं, 20 मिनट टोक रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जितना दूसरे स्पीकर्स को आपने टाइम दिया है उतना टाइम मुझे देंगे। आपने 20-20 मिनट दिये, मुझे कुल मिलाकर के 5 मिनट दिये हैं। आप कम से कम 2–4 बात तो बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पूरे 6 बजे से आप बोल रहे हैं।.... (व्यवधान) ... कृपया समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जाएं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ...कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : काम की बात तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं और... (व्यवधान).... माननीय बद्री प्रसाद गुरूजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर काफी दोषारोण किया, व्यक्ति की जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी ..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें, आपने बोल दिया है। .. (व्यवधान) आप विराज जाएं। धारीवाल साहब, आप विराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आज जो समाज की स्थिति है, चारित्रिक गिरावट आयी है, नैतिकता का घोर पतन हुआ है। पुलिस में जो आता है वह भी हमारे ही समाज से आता है। इसलिये जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अपराधों पर अंकुश नहीं लग सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक हम अच्छे काम को अच्छा नहीं कहेंगे और बुरे काम की भर्त्सना नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। (व्यवधान).. जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है ...

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : और कोई व्यक्ति....

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ...(व्यवधान).... आज अपोजीशन में भी बहुत अच्छे लोग हैं.. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं हो रहा है। ..... (व्यवधान) ..... अब आप विराज जाएं। .. (व्यवधान) ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, जहां पुलिस गलत कार्य करती है वहां उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिये। (व्यवधान)... जहां पुलिस अच्छे काम करती है वहां उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिये। .. (व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक महीने पूर्व यहां सब आरोप लगाये हैं लेकिन चोरों को पकड़ने के लिये .... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।........ (व्यवधान) ....

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ..... (व्यवधान)..... आप बोले जा रहे हैं (व्यवधान) ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ... पुलिस के जवान मारे जाते हैं उनकी प्रशंसा के रूप में कोई कुछ भी नहीं कहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक महीने पूर्व मेरे क्षेत्र में माण्डलगढ़ थाने में चन्द्रप्रकाश छाबड़ा......

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।........ (व्यवधान) ....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ... कान्स्टेबल था। वह जब कंजरों को, चोरों को पकड़ने गया, चोर आगे भागे और पीछे वह दौड़ रहा था .. (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ... (व्यवधान) अब सदन का समय इसलिये तो नहीं बढ़ाया जाता कि एक ही माननीय सदस्य बोले।... (व्यवधान) ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय. कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके राज में जो हमने भोगा है.... (व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजें।... (व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ... (व्यवधान) ... विराज जाएं।...... (व्यवधान)....... श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री धारीवालजी आरोप लगा रहे हैं, प्रतिपक्ष के सदस्य आरोप लगा रहे हैं ... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपको कुछ कहना है.... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी .. (व्यवधान) ... विराज जाएं अब। ... (व्यवधान).... कृपया विराज जाएं।.... अंकित नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : .. (व्यवधान) ... मैं कई बार कह चुका हूं अंकित नहीं होगा।...... (व्यवधान) ...

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था... (व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : .... (व्यवधान) .. . जन-प्रतिनिधियों को बोलने का मौका दिया जाए, समय में + + + (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाने का मतलब क्या निकला ?.... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : .... (व्यवधान)... . राजस्थान की हालत बहुत खराब है । हमें बोलना है, हमको मौका दिया जाए ।........ (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष : लेकिन एक ही माननीय सदस्य इस तरह से हाउस को रोक कर रखे.. (व्यवधान).... फिर मतलब समय बढ़ाने का क्या हुआ ?.... (व्यवधान)..... आप विराज जाएं ।...... (व्यवधान)..... अंकित नहीं हो रहा है । (व्यवधान)........ आप विराज जाएं ।........ अंकित नहीं हो रहा है । (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्षजी, आप तो विराजें और हमें हमारी बात कहने दें । उसके बाद में जवाब दिलाया जाए ।... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : राष्ट्रीय गान ।

जन गण मन अधिनायक जय है,
भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा ।
तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशिष मांगे ।
गाहे तब जय गाथा ।
जन गण मंगलदायक जय है,
भारत भाग्य विधाता ।
जय है, जय है, जय है,
जय जय जय जय है ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.25 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 169 का विवरण

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित :— समस्त सम्भागीय आयुक्त
समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक
राजस्थान ।

क्रमांक : प. 6 (18) राज./6/91/13 जयपुर, दिनांक : 20-7-94

विषय :— चारागाह पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही हेतु पुलिस की मदद लेने ।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा धारा 91 में नई उपधारा (6) जोड़ी गई । इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति चारागाह एवं सड़क, पथ, श्मशान या कब्रिस्तान, जोहड़ और तालाब एवं सार्वजनिक कुओं पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा संशोधन लागू होने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के नोटिस के बावजूद 15 दिन के अन्दर अपना कब्जा नहीं छोड़ता है तो उसे 3 साल तक के कारावास एवं 20,000/- रुपये तक जुर्माने की सजा से दण्डित किया जा सकता है किन्तु यह कारावास एक माह से कम अवधि का नहीं होगा ।

इसी उप-धारा (6) के खण्ड (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि जिला कलेक्टर के लिखित आदेश के बावजूद यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी जानबूझकर अथवा जानकारी में होते हुये भी इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जे को रोक पाने या हटाने में लापरवाही बरतता है तथा जानबूझकर अनाधिकृत कब्जे को नहीं हटवाता है तो उसे एक माह का कारावास या 1,000/- रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है ।

उपरोक्त के साथ उप-धारा (6) के खण्ड (क) में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस अपराध का अनुसंधान उप अधीक्षक पुलिस के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकेगा एवं राज्य सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध अपराध के लिये न्यायालय

द्वारा जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना प्रसंज्ञान (Cognizance) नहीं लिया जायेगा।

बरसात के समय बड़े पैमाने पर चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा कब्जा किया जाता है जिससे एक ओर तो राज्य द्वारा बनाये गये कानूनों की अवहेलना होती है और दूसरी ओर कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। सरकार इस प्रकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को गम्भीरता से देखती है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त सख्त कानूनी प्रावधानों का उपयोग करते हुये चरागाह पर हो रहे अतिक्रमणों को कठोरता से रोका जाये। जहां आवश्यकता पड़े वहां पुलिस की सहायता ली जाये। इस सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों को कठोर एवं विस्तृत निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि चरागाहों पर अतिक्रमणों की प्रवृत्ति पर सख्त अंकुश लगाया जाये। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट करने पर पुलिस थाना तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उप-धारा (6) के खण्ड (क) के लिये किये गये प्रावधानों के अनुरूप इसका अनुसंधान उप पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च अधिकारी करेंगे। चारागाह पर किये गये अतिक्रमण को हटाने एवं उस पर खड़ी फसल के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। सभी स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उनकी लापरवाही के कारण चारागाहों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

पिछले वर्षों में गांवों की बस्ती के निकट आबादी भूमि की कमी के कारण बस्तियां चारागाह में बस गई हैं तथा समय पर ऐसी चारागाह भूमि को आबादी में परिवर्तित नहीं किया जा सका। नियमानुसार ऐसे कब्जे भी सार्वजनिक भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की परिभाषा में आते हैं किन्तु इन अनाधिकृत बस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार आबादी हेतु बसी हुई पुरानी बस्तियों के अतिक्रमणों के विरुद्ध धारा 91 (6) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
2. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
3. राजस्व विभाग के समस्त उप सचिवगण।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम पटवार मण्डल	प्रतिक्रमियों की संख्या	बिलानाम भूमि	चारागाह भूमि
1	2	3	4	5
1.	जहाजपुर	119	149.01	10.03
2.	पीपलून्द	62	273.08	—
3.	सरसिया	39	63.05	182.06
4.	घडि	58	116.05	43.09
5.	रावतखेडा	24	123.02	20.06
6.	उलेला	12	20.10	11.00
7.	शक्करगढ़	29	65.83	22.04
8.	बरोदा	50	87.15	5.05
9.	बिलेठा	56	103.06	77.06
10.	खजूरी	21	66.07	2.03
11.	गुढा	85	212.01	30.00
12.	अमरगढ	45	101.05	6.10
13.	मनोहरपुरा	39	98.09	—
14.	आमल्दा	21	53.09	—
15.	भग्गूनगर	31	90.08	8.17
16.	टीटोडा	39	94.15	34.10
17.	बाकरा	56	85.05	51.10
18.	बेई	36	22.07	5.15
19.	मरणीकलां	182	213.11	10.00
20.	पण्डेर	164	207.08	90.01
21.	बिहाडा	121	34.10	82.10
22.	टिटोडी	46	30.10	9.07
23.	बावडी	40	27.18	6.10

1	2	3	4	5
24.	जामोली	26	21.10	0.15
25.	रोपां	72	42.00	1.15
26.	गन्धेर	82	36,05	17.13
27.	मांगीथला	17	6.10	6.05
28.	कुराडिया	25	77.10	0.10
29.	भ्रमरवासी	25	10.10	30.00
30.	ऊंचा	111	165.14	143.10
31.	धंवाला	28	3.10	13.10
32.	टोंकड	16	14.00	10.00
33.	इटून्दा	24	50.07	72.10
34.	गाडोली	54	48.10	211.05
35.	लुहारीकलां	41	166.04	112.13
	योग :-	1896	3062 08	1003.18

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 29 का विवरण

सिविल और फौजदारी अदालतों के नाम व लम्बित प्रकरणों की संख्या

क्र. सं.	न्यायालय व स्थान का नाम	लम्बित प्रकरणों की संख्या		
		फौजदारी	दीवानी	योग
1	2	3	4	5
	फौजदारी एवं दीवानी अदालतें			
1.	जिला एवं सैशन न्यायाधीश टोंक	140	1825	1965
2.	विशेष न्यायालय, एस. टी. एस. सी. टोंक	280	—	280
3.	विशेष न्यायालय साम्प्रदायिक दंगे, प्रकरण, टोंक	84	—	84
4.	अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, मालपुरा	43	165	205
5.	सिविल न्यायाधीश (व. ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	900	405	1305
6.	सिविल न्यायाधीश (व. ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	4010	1472	5482
7.	सिविल न्यायाधीश (व. ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	2315	624	2939
8.	सिविल न्यायाधीश (क. ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	1556	1012	2568
9.	सिविल न्यायाधीश (क. ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	1675	254	1929
10.	सिविल न्यायाधीश (क. ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	2067	234	2301
11.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क. ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	1290	550	1840

क्र. सं.	न्यायालय व स्थान का नाम	लम्बित प्रकरणों की संख्या		
		फौजदारी	राजस्व	योग
1	2	3	4	5
	फौजदारी एवं राजस्व अदालतें			
1.	न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, टोंक	—	1116	1116
2.	न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक	—	677	677
3.	अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक	—	496	496
4.	एस. डी. ओ. टोंक	242	1588	1588
5.	एस. डी. ओ. मालपुरा	—	2040	2040
6.	ए. सी. एम. प्रथम टोंक	103	1216	1319
7.	ए. सी. एम. मु. टोंक	148	1115	1263
8.	ए. सी. एम. उनियारा	394	774	1168
9.	ए. सी. एम. मालपुरा	89	1025	1114
10.	तहसीलदार, टोंक	28	—	28
11.	तहसीलदार, निवाई	—	—	—
12.	तहसीलदार, देवली	—	—	—
13.	तहसीलदार, उनियारा	—	—	—
14.	तहसीलदार, मालपुरा	—	—	—
15.	तहसीलदार, टोडारायसिंह	—	—	—
		1002	10047	11049

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

घंटाली (घाटोल) पुल की मरम्मत

170. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल की पंचायत समिति पिपलखूट में पीपलखूट से बोगलावाजी रोड़, घंटाली से आगे बनी पुलिया गत वर्ष अतिवृष्टि से बह गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल को वापस बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि घंटाली में बनी रपट पर से बरसात में वाहनों एवं पैदल यात्रियों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रपट/पुल को ठीक ढंग से बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल की पंचायत समिति पिपलखूट में ग्राम घंटाली से आगे दानपुर सड़क पर वर्ष 1994–95 में एराव नदी पर बने पुल की घंटाली की तरफ की एप्रोच अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पुल को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। राज्य सरकार ने वर्तमान पुल में तीन अतिरिक्त मोखे बढ़ाने के लिए जून 95 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। जून 96 से पूर्व कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(2) यह सही है कि अधिक बरसात होने पर गांव घंटाली में पिपलखूट दानपुर मार्ग पर बनी रपट (वेन्टेड काजवे) पर वाहनों एवं पैदल यात्रियों को आने जाने में एक से दो घण्टे तक बाधा उत्पन्न होती है। यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण रपट के स्थान पर पुल बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में प्राथमिकताओं में नहीं है।

पशु स्वास्थ्य संस्था/केन्द्रों की स्थापना

171. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में पशु स्वास्थ्य संस्थाएं/केन्द्रों की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो कितनी एवं कहां–कहां ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो कब तक नये केन्द्र/संस्थाएं खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में कोई भी नया पशु चिकित्सालय/औषधालय नहीं खोला

(पशुपालन राज्य मंत्री)

गया है । इस अवधि में चिकित्सा सुविधा को प्रभावी बनाने हेतु संस्थाओं को विभाजित कर 750 उप केन्द्रों की स्थापना की गई है । जिलेवार सूची संलग्न है ।

(2) राज्य में वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था पूर्णतः पर्याप्त नहीं है । पर्याप्त पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जायेगी ।

जिलेवार 750 उप केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	उप केन्द्रों की संख्या
1.	बीकानेर	26
2.	गंगानगर	45
3.	अनूपगढ़	13
4.	चूरू	19
5.	झुन्झुनूं	32
6.	सीकर	57
7.	जयपुर	60
8	दौसा	35
9.	अलवर	58
10.	भरतपुर	25
11.	डूंगरपुर	34
12.	राजसमन्द	37
13.	सिरोही	43
14.	चित्तौड़गढ़	47
15.	उदयपुर	59
16.	भीलवाड़ा	69
17.	सवाईमाधोपुर	33
18.	झालावाड़	14
19.	बून्दी	19
20.	कोटा	25
		750

देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित शर्तें

172. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देशी एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें खोलने के क्या मानदण्ड हैं, तथा नियम विरुद्ध संचालित दुकान खोलने में शिथिलता देने के लिए कौन दोषी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान संचालन के लिए कोई शर्तें निर्धारित हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या प्रतिबन्धित स्थानों पर दुकानें खोलने के सम्बन्ध में शिथिलता देने का नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत कि परिस्थितियों में ? नियम एवं शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) प्रत्येक दुकान के लिए कितनी फीस या अन्य राशि ठेकेदार से वसूली जाती है ?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(5) क्या अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कारणों के आधार पर शिथिलता देकर दुकानें स्वीकृत की हुई है ? यदि हां, तो किस-किस आधार पर ? मय कारणों के दुकानदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या नियम विरुद्ध दुकानें खोलने तथा अव्यवस्थित दुकानों के संचालित करने वाले लाइसेंसधारक के खिलाफ कार्यवाही की जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या तथा विगत 2 वर्षों में की गई कार्यवाही के विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या वर्ष 1995 के दौरान दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा किस नियम के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(8) बून्दी जिले में देशी तथा भारत निर्मित विदेशी शराब की कितनी दुकानें हैं ?

उत्तर

(1) देशी एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधानों के तहत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थानों पर खोली जाती हैं । अस्पताल, पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्थान, राजमार्गों आदि से निर्धारित दूरी के अन्दर मदिरा की दुकान खोलना नियम में प्रतिबन्धित है । लेकिन इसी नियम 75 के उपनियम 4 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त विशेष परिस्थितियों में इन प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिये अधिकृत है । आबकारी आयुक्त द्वारा दी गई छूट के अधीन संचालित दुकानें नियम विरुद्ध नहीं है ।

(2) जी हां । देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानें संचालन के लिए शर्तें निर्धारित हैं । नियम 75 तथा देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अनुज्ञापत्रों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट "अ" "ब" एवं 'स" संलग्न है ।

(3) जी हां । राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अनुसार प्रतिबन्धित स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में दुकानें खोलने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा शिथिलता प्रदान करने का प्रावधान है । इसी प्रकार का प्रावधान देशी व विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय के लाईसेंसों की शर्तों में भी हैं । नियम 75 तथा लाईसेंसों की शर्तों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" संलग्न है ।

(4) देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर विक्रय के ठेके दुकानों के समूह बनाकर क्षेत्र विशेष के लिये एकाकी विशेषाधिकार पद्धति पर टेण्डर आमंत्रित कर अथवा खुली नीलामी की प्रक्रिया से दिये जाते हैं । टेण्डर या नीलामी में प्राप्त उच्चतम राशि पर दुकानों के समूह का ठेका स्वीकृत किया जाता है । इस प्रकार एकाकी विशेषाधिकार राशि प्रत्येक समूह के लिए भिन्न-भिन्न होती है । इस एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति 12 बराबर

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

मासिक किश्तों में करनी होती है। इसके अतिरिक्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की प्रत्येक खुदरा दुकानों के लिए न्यूनतम लाईसेंस फीस दस-दस हजार रुपये वसूल की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की दुकान नहीं है, देशी मदिरा की दुकान पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर विक्रय करने हेतु रु. 15 हजार प्रति दुकान देय है।

(5) जी हां। शिथिलता प्रदान की गई दुकानों की सूची परिशिष्ट "द" संलग्न है।

(6) जी हां। नियम विरुद्ध अथवा लाईसेंस की शर्तों के खिलाफ शराब का विक्रय राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 54 के अन्तर्गत दण्डनीय है। दोष सिद्ध होने पर इस धारा के अधीन अदालत द्वारा तीन वर्ष तक की कैद की सजा और दो हजार रुपये तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर ठेका भी निरस्त किया जा सकता है।

विगत दो वर्षों में यानि 1993–94 एवं 1994–95 में अवैध रूप से दुकान खोलने व संचालित करने बाबत 2 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध पांच अभियोग बनाये गये। इनमें से चार प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किये गये एवं एक प्रकरण संयोजित (कम्पाउण्ड) किया गया।

(7) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आबकारी नीति वर्ष 1995–96 के अन्तर्गत देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा उप दुकानों की संख्या में आवश्यकता के अनुसार बढ़ोतरी हेतु आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया गया था। मुख्यतः शराब की अवैध बिक्री को रोकने की दृष्टि से आबकारी नीति के अन्तर्गत यह प्रावधान रखा गया था।

यह उल्लेखनीय है कि कानून के अधीन मदिरा की दुकानों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन राज्य सरकार अपनी टेम्प्रेन्स की नीति के कारण दुकानों की संख्या सीमित ही रखती आयी है।

(8) बूंदी जिले में देशी तथा भारत निर्मित विदेशी शराब की कुल 132 मुख्य व उप दुकानें स्वीकृत हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

गिरवा (उदयपुर) में स्वीकृत कार्य

173. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (वल्लभनगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिचाई उपखण्ड गिरवा सिचाई खण्ड उदयपुर में वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्य कब प्रारम्भ किये गये एवं उन पर कितनी धनराशि व्यय की

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

गई ? प्रत्येक कार्य पर कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं खर्च की गई राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्रारम्भ किए गए कार्य पूर्ण हो गए या अधूरे हैं ? इन कार्यों को पूरा करने को विभाग की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सिचाई उपखण्ड गिरवा जिला उदयपुर में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उदयपुर द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न 58 कार्य स्वीकृत किये गये थे :—

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्यों की संख्या 93-94	94-95	कुल
1.	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा	5	33	38
2.	20 प्रतिशत आरक्षित मद जवाहर रोजगार योजना	1	4	5
3.	आश्वासित रोजगार योजना	4	11	15
	योग :	10	48	58

उपरोक्त कार्यों की सूची प्रपत्र अ व ब पर संलग्न है ।

(2) स्वीकृत 58 कार्यों के प्रारम्भ करने की तिथि व उन पर किये गये व्यय का विवरण प्रपत्र "स" पर संलग्न है ।

(3) प्रारम्भ किये गये कार्यों में से 14 कार्य पूर्ण हो गये एवं 44 कार्य प्रगति पर हैं । अधूरे कार्यों को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु अभिकरण स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रेफरल चिकित्सालय, टोडारायसिंह के चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही प्रकरण

174. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले के टोडारायसिंह गांव के रेफरल चिकित्सालय में कार्यरत शल्य चिकित्सक द्वारा किसी मरीज के शरीर में कांच का टुकड़ा होने के उपरान्त टुकड़ा बगैर निकाले ही ऊपर से टांके लगाने के मामले की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ?

(2) क्या चिकित्सक ने मरीज से पैसा नहीं मिलने पर उक्त लापरवाही बरती ?

(3) यदि हां, तो इस चिकित्सक के विरुद्ध सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) जी नहीं। शिकायत की जांच के पश्चात चिकित्सक द्वारा रोगी के उपचार में लापरवाही बरतना नहीं पाया गया।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अकेलगढ़ (कोटा) में खनन कार्य

175. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा में अकेलगढ़ के यहां चम्बल नदी के किनारे विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजना के पास विभाग ने खनन कार्य करने के लिए लीज दे रखी है? यदि हां, तो कितने समय से यह लीज किन–किन के नाम चल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पम्प हाउस के पास निरन्तर खनन कार्य होने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा चम्बल नदी के किनारे स्थित घाट भी नष्ट हो रहे हैं?

(3) क्या जिला प्रशासन ने अकेलगढ़ हैड वर्क्स की सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुये इस क्षेत्र में खनन कार्य को अविलम्ब बन्द करने के लिए सरकार को लिखा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) कोटा में अकेलगढ़ क्षेत्र में चम्बल नदी के किनारे पांच खनन पट्टे चल रहे हैं जिनका विवरण संलग्न तालिका नम्बर–1 में उल्लेखित है।

(2) जी, नहीं। चूंकि खनन कार्य छोटे स्तर का है व खान में कोई मशीनरी काम में नहीं ली जाती, अतः पर्यावरण पर खनन कार्य का प्रभाव नगण्य है। एक खान पर क्रेशर स्थापित है, किन्तु इस हेतु पट्टाधारी द्वारा पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है।

(3) जी, हां। जिला प्रशासन से शासन को पत्र प्राप्त हुआ है। वर्तमान में खनन कार्य हैड वर्क्स से लगभग 150 मीटर से अधिक दूरी पर है व ब्लास्टिंग से क्षेत्र में कोई दुर्घटना अथवा नुकसान होने की जानकारी विभाग को नहीं है। तथापि, मामले में जांच कराई जा रही है।

तालिका नं.—1

अकेलगढ़ क्षेत्र में निकट ग्राम शिवपुरा, तहसील लाडपुरा में स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज व क्षेत्रफल	खनन पट्टे की मूल स्वीकृति दिनांक	खनन पट्टे के किये गये समय-समय पर नवीनीकरण के फलस्वरूप वर्तमान में प्रभावशील अवधि
1.	श्री हरिकृष्ण जोशी पुत्र बालकिशन	मे. स्टोन, 240 × 60 व. मी.	15-03-67	5-9-92 से 4-9-2002 तक
2.	श्रीमती कान्ती शर्मा पत्नि श्री गोविन्द	मे. स्टोन, 240 × 60 व. मी.	10-11-67	16-6-88 से 15-7-98 तक
3.	श्री चिरंजीलाल पटेल, पालीवाल एण्ड कम्पनी	मे. स्टोन, 400 × 250 व. फुट	7-06-66	13-7-91 से 12-7-2001 तक
4.	श्री चिरंजीलाल पटेल, पालीवाल एण्ड कम्पनी	मे. स्टोन, 600 × 250 व. फुट	15-06-66	13-7-91 से 12-7-2001 तक
5.	श्री चिरंजीलाल पटेल, पालीवाल एण्ड कम्पनी	मे. स्टोन, 60 × 70 व. मी.	14-06-68	18-10-88 से 17-10-98 तक

उपखण्ड अधिकारी आमेर (जयपुर) द्वारा अधिग्रहीत भूमि प्रकरण

176. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 30-10-1971 के आदेश द्वारा ग्राम सोडाला तहसील जयपुर के ठिकाना सामोद की 261 बीघा भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की गई थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में सरकारी भूमि कब दर्ज की गई और कब्जा कब लिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर इस कीमती भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कब किसके द्वारा तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही कब की ?

(3) इस भूमि पर वर्तमान में कौन काबिज है एवं इसका बाजार मूल्य क्या है ?

(4) उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द किए जाने की जानकारी सरकार व जिला कलेक्टर, जयपुर को किस माध्यम से कब मिली और जानकारी मिलने के बाद अब तक सरकार द्वारा क्या कदम कब-कब उठाये गये ?

(5) अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किस स्तर से कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 30–10–1971 के द्वारा ग्राम सोडाला तहसील जयपुर की श्री रावल राजेश्वरसिंह ठिकाना सामोद की 261 बीघा 2 बिस्वा भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की गई। यह भूमि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 30–10–1971 में अन्य गांवों की अधिग्रहीत की गई भूमि में शामिल थी। इस भूमि को 15–3–74 को कब्जे राज तत्कालीन तहसीलदार, जयपुर द्वारा लिया गया। लेकिन भूमि को राजस्व रिकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज नहीं किया गया।

(2) जी, नहीं। यह जांच का विषय है। विस्तृत जांच के पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

(3) दिनांक 8–8–91 के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अन्तिम निर्णय के अनुसार 261 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से ग्राम सोडाला की 155 बीघा 19 बिस्वा भूमि अधिग्रहण योग्य मानी गई, जिसमें से खसरा नं. 47 में बस्ती, ख. नं. 217 में गैर–मुमकिन वाह, ख. नं. 218 मन्दिर, खसरा नं. 219 में सड़क व आबादी, ख. नं. 220 में सड़क, ख. नं. 224 में पानी का हौज, ख. नं. 225 गैर मुमकिन कुआं, ख. नं. 228 में आबादी है, ख. नं. 239 गैर मुमकिन कुआं तथा ख. नं. 328 में बस्तियां बसी हुई हैं। इसका बाजार मूल्य अलग–अलग स्थिति के अनुसार विकसित भूमि का मूल्य 600/– रु. से 2,500/– रु. प्रतिगज (वर्गगज) के मध्य है।

(राजस्व मन्त्री)

(4) अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, बनीपार्क मण्डल, वार्ड नं 41 एवं श्री हनुमानसहाय शर्मा द्वारा फरवरी, 1994 में जिला कलेक्टर को शिकायत प्राप्त हुई। राज्य सरकार को भी इसी तरह की शिकायत मिली जो जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु जून, 1994 को भेजी गई। इसकी जांच उपखण्ड अधिकारी, जयपुर से कराई गई। पुनः विस्तृत जांच कराई जा रही है।

(5) विस्तृत जांच के पश्चात् जांच प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

बालोतरा (बाड़मेर) न्यायालय में पब्लिक प्रोसीक्यूटर का रिक्त पद

177. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बाड़मेर जिले के बालोतरा न्यायालय में पब्लिक प्रोसीक्यूटर का पद रिक्त है, यदि हां, तो कितने समय से ?

उत्तर

बाड़मेर जिले में बालोतरा न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजक श्री विजय सिंह राठौड़ द्वारा ग्राम पंचायत पचपदरा के सरपंच के रूप में चुनाव में खड़ा होने के कारण अपना त्यागपत्र जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से दिनांक 8-2-95 को भिजवाया था जो विधि विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तत्पश्चात् लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु पुनः पैनल मंगवाये जाने के आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को दिया गया। जहां से पैनल प्राप्त हो गया है व नियुक्ति विचाराधीन है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ने श्री विजय सिंह राठौड़ के त्यागपत्र प्रस्तुत करने के तत्पश्चात् ही सहायक निदेशक, अभियोजन, बाड़मेर को श्री राठौड़ के स्थान पर न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के निर्देश दे दिये हैं तथा सहायक निदेशक, अभियोजन निरन्तर कार्य कर रहे हैं।

चौधरी बल्लूराम गोदारा, गर्ल्स कालेज श्रीगंगानगर में प्रवेश प्रकरण

178. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर शहर में चौधरी बल्लू राम गोदारा गर्ल्स कालेज में विभिन्न संकायों में प्रथम वर्ष और एम ए. प्रीवियस में कितनी कितनी छात्राओं को प्रवेश देने के लिए स्थान हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष इन कक्षाओं में भर्ती के लिए कितनी-कितनी छात्राओं ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए और उनमें से कितनी को प्रवेश दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(3) प्रवेश दी गई छात्राओं का निम्नतम प्राप्तांक का प्रतिशत क्या था ?

(4) क्या यह सही है कि 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को भी प्रवेश नहीं मिल सका ? यदि हां, तो ऐसी छात्राओं की संख्या कितनी थी और उनके लिए एक और सेक्शन क्यों नहीं खोला गया ?

(5) सरकार की छात्राओं को शिक्षा देने की नीति के विपरीत प्रवेश नहीं दिए जाने के लिए क्या सरकार कालेज प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) छात्राओं को प्रवेश नहीं पाने की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार आगामी वर्ष में एक और नया सेक्शन उपरोक्त कालेज में प्रारम्भ करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थान निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	कक्षा	स्थानों की संख्या
1.	एम.ए.प्रि. (हिन्दी)	40 स्थान
2.	एम.ए.प्रि. (समाजशास्त्र)	40 स्थान
3.	बी.ए. पार्ट–I	280 स्थान
4.	बी.एससी. पार्ट–I	60 स्थान
5.	बी.एससी. (गृह विज्ञान) पार्ट–I	60 स्थान
6.	बी.काम. पार्ट–I	70 स्थान

(2) इस वर्ष इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं प्रवेश दी गई छात्रों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

क्र. स.	कक्षा	प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	प्रवेश दिया गया उनकी संख्या
1.	एम.ए.प्रि. (हिन्दी)	30	10
2.	एम.ए प्रि. (समाजशास्त्र)	28	20
3.	बी ए. पार्ट I	424	317
4.	बी.एससी. पार्ट–I	103	62
5.	बी एससी. (गृह विज्ञान) पार्ट-I	107	70
6.	बी.काम. पार्ट–I	77	77

(3) विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट हुई छात्राओं का निम्नतम प्राप्तांक इस प्रकार है :—

क्र. सं.	कक्षा	प्रवेश दी गई छात्राओं के प्राप्तांकों का निम्नतम प्रतिशत
1.	एम.ए.प्रि. (हिन्दी)	48 प्रतिशत
2.	एम.ए.प्रि. (समाजशास्त्र)	48.3 प्रतिशत
3.	बी.ए पार्ट–I	43 5 प्रतिशत
4.	बी.एससी. पार्ट-I	46 प्रतिशत
5.	बी.एससी. (गृह विज्ञान)	59.38 प्रतिशत
6.	बी.काम. पार्ट–I	35.85 प्रतिशत

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(4) 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली किसी भी प्रवेश योग्य छात्रा को प्रवेश हेतु आवेदन बकाया नहीं है। 60 प्रतिशत से अधिक प्रवेश योग्य सभी छात्राओं को प्रवेश दे दिया गया। प्रथम वर्ष कला में 3 प्रवेश फार्म ऐसे थे जिनके 60 प्रतिशत से अधिक अंक थे। परन्तु 2 साल से अधिक अन्तराल होने के कारण प्रवेश नहीं दिया जा सका।

(5) महाविद्यालय प्रशासन ने नियमानुसार प्रवेश दिये हैं। अतः कालेज प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(6) अगले शैक्षणिक सत्र (1996-97) में छात्राओं की प्रवेश संख्या, वर्ग खोलने के मानदण्ड व राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तब परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लिया जायेगा।

जसवन्त प्रदर्शनी व पशुमेला क्षेत्र भरतपुर की भूमि पर अतिक्रमण

179. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर की ऐतिहासिक जसवन्त प्रदर्शनी व पशु मेले के क्षेत्र में कितनी भूमि आती है ?

(2) प्रदर्शनी स्थल पर कितनी स्थाई सम्पत्तियों (दुकान व सड़क) का निर्माण कब-कब किया गया ? क्या सरकार द्वारा उक्त सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए कोई धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रदर्शनी क्षेत्र की भूमि व सम्पत्तियों पर सरकारी विभागों व गैर सरकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है ?

(4) उक्त प्रदर्शनी क्षेत्र की भूमि पर भविष्य में और अतिक्रमण नहीं हो इसको रोकने के लिए क्या विभाग ने वर्तमान में अपनी कब्जा युक्त भूमि पर स्थायी दीवार बनाने के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है ?

उत्तर

(1) भरतपुर की ऐतिहासिक श्री जसवन्त प्रदर्शनी एवं पशु मेले क्षेत्र में 181 बीघा 9 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार आती है।

(2) प्रदर्शनी स्थल पर स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण रियासती काल में ही करवाया गया था। स्थल पर कुल 130 पक्की दुकानें निर्मित हैं, जिनमें से 88 दुकानों के सामने डामर की सड़क निर्मित है एवं 42 पक्की दुकानों के सामने कच्ची सड़क है। मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 1995-96 में किसी प्रकार की राशि का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(3) प्रदर्शनी क्षेत्र की भूमि पर वर्तमान में निम्नांकित सरकारी विभागों व गैर सरकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है :—

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड तथा डिपो बना हुआ है एवं प्राइवेट बस स्टैण्ड है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

2. यू.आई.टी. भरतपुर द्वारा 36 दुकानें/भूखण्ड आवंटित किए गये हैं।

3. जलदाय विभाग द्वारा शहर पेयजल योजना हेतु पानी की टंकी एवं आवासीय भवनों का निर्माण करवाया हुआ है।

(4) प्रदर्शनी स्थल पर निर्मित भवन व विभागीय प्रदर्शनी सैडों पर आर.ए.सी. की बटालियन रहती है व मेला समय पर स्थान खाली कर देती है। राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा सब स्टेशन का निर्माण करवाया गया कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत मेला मैदान हेतु 10.00 लाख रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 1995-96 में उपलब्ध करवाई गई है जिसके तहत मेला मैदान में खाना घर, पीने के पानी की टंकियों का निर्माण, मेला मैदान के रख-रखाव एवं अतिक्रमण रोकने का कार्य सम्मिलित है।

पिछड़े जिलों में संचालित जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय)

180. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर रोजगार योजना द्वितीय राजस्थान के कुछ पिछड़े जिलों में चल रही थी ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या बन्द हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार से जवाहर रोजगार योजना द्वितीय को लगातार चालू रखने के लिये कोई प्रभावी प्रयास किये ? यदि हां, तो क्या और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1993-94 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के ० पिछड़े जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर एवं उदयपुर में जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा प्रारम्भ की गई थी। यह योजना अभी भी क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1995-96 में केन्द्र सरकार ने यह योजना अजमेर एवं सवाई-माधोपुर जिलों में ही स्वीकृत की है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत 4 अन्य पिछड़े जिले भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद व धौलपुर को सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, जिसके संबध में केन्द्र सरकार ने सूचित किया है कि ये 4 जिले भारत सरकार द्वारा चिह्नित 120 पिछड़े जिलों में सम्मिलित नहीं होने के कारण इन जिलों को योजनान्तर्गत राशि स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

राजकीय चिकित्सालय, बांदीकुई में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन

181. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कुल कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं ?

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(2) क्या बांदीकुई राजकीय चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस हेतु महिला चिकित्सक की नियुक्ति सरकार कब तक कर देगी ?

( ) क्या यह सही है कि बांदीकुई राजकीय चिकित्सालय में ई. सी. जी. मशीन नहीं है ? यदि हां, तो इसे जनहित में कब तक लगा दिया जायेगा ?

(4) क्या वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई में ऑपरेशन थियेटर चालू हालत में है ? क्या इस हेतु समस्त आवश्यक उपकरण सुसज्जित स्थिति में हैं ? यदि हां, तो क्या शल्यक्रिया के ऑपरेशन इस थियेटर में हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो इस थियेटर की आवश्यक कमी को कब तक पूरा करके चालू हालत में कर दिया जायेगा ?

(5) क्या उपरोक्त अस्पताल में मेडिकल एम्बुलेन्स है ? यदि हां, तो क्या यह चालू हालत में है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक ठीक करवा दी जायेगी ?

(6) उपरोक्त अस्पताल में गत वर्ष औसतन प्रति दिन मरीजों की संख्या कितनी रही है ?

उत्तर

(1) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की निम्न इकाईयां कार्यरत हैं :—

1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1
2	ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र	1
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5
4.	उच्चीकृत उपकेन्द्र/उपकेन्द्र	34

(2) स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद सा. स्वा. केन्द्र पर स्वीकृत नहीं होता है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) जी, नहीं । ई. सी. जी. मशीन उपलब्ध है ।

(4) जी, हां । थियेटर में सूक्ष्म (माइनर) आपरेशन किये जाते हैं ।

(5) बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोगी वाहन चालू हालत में हैं ।

(6) राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई में वर्ष 1994 में आउटडोर मरीजों की संख्या 108 प्रतिदिन रही है ।

जिला अलवर के श्मशान/कब्रिस्तानों की भूमि पर अतिक्रमण

182 श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला-अलवर में श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों पर अनेक जगह अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त स्थलों पर अतिक्रमण रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है एवं अतिक्रमणियों को हटाये जाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अतिक्रमणों के कुल 105 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें से 38 प्रकरणों में कार्यवाही कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। शेष 67 प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 तथा 91 (6) के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। अतः नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खाजूवाला व छतरगढ़ में उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर के पदों का सृजन

183. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उप निदेशक तहसील छतरगढ़ 1 व 2 के बदले में दो नई तहसीलें क्रमशः खाजूवाला व छतरगढ़ में स्थापित करने एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला में एवं सहायक कलेक्टर का पद छतरगढ़ में सृजित हेतु शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

जी, हां। यह प्रकरण अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

गिन्नीदेवी सेक्सरिया कन्या महाविद्यालय चिड़ावा को अनुदान

184. श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1994–95 में जिन कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या 150 थी उन्हें 90 प्रतिशत अनुदान देने की मंत्री महोदय ने स्थान–स्थान पर सार्वजनिक सभाओं में घोषणाएं की थीं ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणाओं के तहत कन्या महाविद्यालयों को राज्य में अनुदान स्वीकृत कर दिया गया ? महाविद्यालय के नामवार मय छात्र संख्याओं के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गिन्नी देवी सेक्सरिया कन्या महाविद्यालय, चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं में छात्राओं की संख्या 218 होते हुए भी अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष उक्त महाविद्यालय को अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिन महाविद्यालयों में छात्रा संख्या 150 व अधिक होने के आधार पर आवेदन किया एवं जिनके पैनल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके थे उन्हें वर्ष 1994–95 में अनुदान सूची पर लिया गया। महाविद्यालयों की सूची संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) स्तम्भ सं. 1 के साथ संलग्न सूची में अंकित महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु अनुदान समिति द्वारा अभिशंषा करते समय तक गिन्नी देवी सेक्सरिया कन्या महाविद्यालय, चिड़ावा का अनुदान हेतु पैनल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इस कन्या महाविद्यालय को अन्य महाविद्यालयों के साथ अनुदान सूची पर नहीं लिया गया।

(3) जी, हां। वित्तीय वर्ष 95-96 में इस महाविद्यालय को अनुदान सूची पर लेने का मामला विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्णय हो सकेगा।

सत्र 1994-95 में अनुदान सूची पर लिये गये महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम महाविद्यालय	छात्रा सख्या
1.	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी	229
2.	वैदिक कन्या महाविद्यालय, जयपुर	914
3.	खण्डेलवाल कन्या महाविद्यालय, जयपुर	658
4.	भवानी निकेतन कन्या महाविद्यालय, जयपुर	416
5.	जे. बी. शाह कन्या महाविद्यालय, झुन्झुनूं	657
6.	जयनारायण व्यास महिला महाविद्यालय, जोधपुर	869
7.	एस. एस. जी. पारीक कन्या महाविद्यालय, जयपुर	202
8.	सन्त जयाचार्य कन्या महाविद्यालय, जयपुर	241
9.	आर्य विद्यापीठ महिला महाविद्यालय, मुसावर	475
10.	सरस्वती कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़	256
11.	मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया	401
12.	कुचामन महाविद्यालय, कुचामनसिटी	514 (सह शिक्षा)
13.	बिनानी कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	506
14.	के. डी. जैन कन्या महाविद्यालय, मदनगंज-किशनगढ़	185
15.	इन्द्रमणि मण्डेलिया गृह विज्ञान कन्या महाविद्यालय, पिलानी	155

अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण

185. **श्री लक्ष्मणसिंह (भीम)** : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अजमेर के अन्तरराष्ट्रीय महत्व के कारण एक हवाई अड्डा बनवाने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने अजमेर में हवाई अड्डा बनवाने हेतु गत 10 वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार की आवश्यकता के अनुसार अजमेर तथा ब्यावर के बीच उपयुक्त भूमि का चयन कर अधिग्रहण अथवा भूमि खरीदने की कार्यवाही कर ली है ?

(4) सरकार इस दिशा में आगे क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास होते रहे हैं। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18-8-89 को बैठक आयोजित की जाकर निर्णय भी लिया गया था जिसके सन्दर्भ में प्रशासनिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से मौका निरीक्षण इत्यादि भी किये गये थे, किन्तु तकनीकी राय के अभाव में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका था।

इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एक सर्वे टीम भेजी गई थी, जिसने ग्राम कायड के पास की भूमि व गेगल थाना क्षेत्र की भूमि का सर्वेक्षण किया एवं ग्राम कायड की 131.6 एकड़ भूमि को इस हेतु संशर्त उपयुक्त ठहराया जिसमें शर्त यह है कि इस भूमि के पास एवं ऊपर से जा रही एच. टी. लाईन को हटवा दिया जावे तथा दूसरी शर्त इस भूमि के पास बने आकाशवाणी के मास्ट को जो कि रा. उ. मार्ग नम्बर 8 पर स्थित है को भी हटवाया जावे। इसके साथ-साथ प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि अजमेर में हवाई अड्डे का विकास एवं निर्माण कार्य उनके द्वारा वित्तीय वृद्धि कठिनाइयों के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

अजमेर जिले में सराधना गांव के निकट हवाई अड्डा निर्माण हेतु साईट का चयन किया गया है, इस साईट पर अलाइनमेंट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट एसोसियेशन, नई दिल्ली को सर्वे कराने का कार्य दिया गया। जिस पर अधिशासी अभियन्ता सा. नि. वि. जिला खण्ड अजमेर को सर्वे कार्य करने वाले अधिकारी से सम्पर्क बनाये रखकर अलाइनमेंट सुनिश्चित कराने तथा उसे अन्तिम रूप देने हेतु निर्देशित किया गया। अलाईनमेंट के अनुमोदन कराने की कार्यवाही राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराई जा रही है।

(256)

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री)

अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. वि. अजमेर के पत्र एवं संशोधित नक्शे के अनुसार ग्राम सराधना, केसरपुरा, कोठाज व नाहरपुरा की भूमि प्रस्तावित हवाई पट्टी, टर्मिनल व एप्रोच रोड में आने वाली भूमि के संशोधन प्रस्ताव तहसीलदार, अजमेर द्वारा तैयार कराये गये जिसके अनुसार 745–03–00 बीघा कुल भूमि में से 20–10–10 बीघा भूमि सिवायचक व 227–14–00 चारागाह अर्थात् राजकीय भूमि कुल 248–04–10 उपलब्ध है, इस भूमि में से लगभग 150 बीघा भूमि ऐसी है, जो एक ही स्थान पर उपलब्ध है जिस पर ग्रेवल कार्य कराया जा सकता था।

इस सम्बन्ध में दिनांक 14–9–95 को निर्देशानुसार शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय, अजमेर के समिति कक्ष में आयोजित बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया था कि मौके की जांच अनुसार केवल सिवायचक व चारागाह का हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। अतः तहसीलदार, अजमेर से सिवायचक/चारागाह भूमि के विवरण प्राप्त किये जाकर हवाई अड्डों के शीघ्र निर्माण की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए ग्राम सराधना के 3 खसरा नं. की कुल 345–15–00 बीघा किस्म चारागाह भूमि को चारागाह से खारिज करने तथा इसी ग्राम के एक खसरा नं. की 00–14–10 बीघा किस्म पाल सिवायचक को इस प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत्त अजमेर ने उनके द्वारा हवाई अड्डा का एस्टीमेट तैयार करने हेतु स्पेसिफिकेशन उपलब्ध करवाने के लिए लिखा है। 30–9–95 से स्पेसिफिकेशन अधीक्षण अभियन्ता को भिजवाने का अनुरोध किया जा चुका है।

(3) जिले में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अजमेर ब्यावर मार्ग पर ग्राम सराधना व इसके निकट साइट का चयन किया गया है।

(4) राज्य सरकार ने अजमेर में ग्रेवल हवाई पट्टी के निर्माण कराने का निर्णय ले लिया है। लगभग 3500 फुट लम्बी और 150 फुट चौड़ी हवाई पट्टी बनाने का निर्णय है, परन्तु फण्ड की उपलब्धता के अनुसार इसका विस्तार कार्य किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 95–96 में 14 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।

प्रश्न संख्या 186

(स्थगित)

चिकित्सा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पद

187. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के मानदण्डों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में राज्य में कुल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कितने पद स्वीकृत होने चाहिए तथा कितने वर्तमान में स्वीकृत हैं ?

1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
2. महिला स्वास्थ्य सहायक
3. मेल नर्स ग्रेड II एवं स्टाफ नर्स
4. मेल नर्स ग्रेड I एवं सिस्टर्स
5. पब्लिक हैल्थ नर्स
6. डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ नर्स

(2) उक्त श्रेणियों में और पद स्वीकृत करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) उक्त श्रेणियों में राजस्थान में कुल कितने पद रिक्त हैं ? जिलानुसार सूचना सदन की मेज पर रखें। उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) निदेशालय के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में निम्न सवर्ग के मानदण्ड अनुसार आवश्यक एवं स्वीकृत पद निम्नानुसार हैं।

क्र.सं.	पद	आवश्यकता	स्वीकृत
1	2	3	4
1.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	10664	10520
2.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका (एल. एच. वी.)	1854	1294
3.	मेल नर्स II एवं स्टाफ नर्स	9685	6527
4.	मेल नर्स I एवं सिस्टर	1474	1088
5.	पब्लिक हैल्थ नर्स	156	130
6.	डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ नर्स	31	27

(2) योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पद सृजित करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) उक्त श्रेणियों में रिक्त पदों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को पदोन्नति से भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य नर्स एवं जिला जन स्वास्थ्य नर्स के पदों को भरने हेतु राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियमों में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अन्य रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

क्र.सं.	जिले का नाम	डीपीएचएन	म.स्वा.का (ए.एन.एम.)	म.स्वा.द. (एल.एच.वी.)	मेलनर्स 2 एवं स्टाफ नर्स	मेलनर्स 1 एवं सिस्टर	पी एच. एन.
			पद नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दौसा	पद स्वीकृत नहीं है	1	—	18	6	–
2.	धौलपुर	यथा	8	—	18	—	–
3.	सीकर	1	—	—	5	5	–
4.	अलवर	1	—	—	—	—	–
5.	भरतपुर	1	—	—	9	1	–
6.	झुन्झुनूं	1	11	—	27	4	–
7.	जयपुर	–	—	—	31	14	–
8.	कोटा	1	—	—	45	3	–
9.	बारां	पद स्वीकृत नहीं है	—	—	69	9	–
10.	झालावाड़	1	—	—	54	9	–
11.	बून्दी	1	—	3	19	2	1
12.	सवाईमाधोपुर	1	—	—	—	1	1
13.	जोधपुर	1	—	23	36	19	–
14.	पाली	1	14	22	31	16	2
15.	जालौर	1	42	2	31	10	–
16.	बाड़मेर	1	80	35	11	8	1
17.	जैसलमेर	पद स्वीकृत नहीं है	7	5	26	13	2
18.	सिरोही	1	—	—	28	14	–
19.	नागौर	1	74	—	80	10	1
20.	टौंक	1	13	—	37	1	–
21.	अजमेर	1	12	—	—	22	–
22.	भीलवाड़ा	1	18	—	29	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	उदयपुर	1	—	—	55	7	1
24.	चित्तौड़गढ़	1	—	—	65	6	–
25.	डूंगरपुर	1	—	—	17	11	–
26.	बांसवाड़ा	1	—	—	40	4	1
27.	राजसमन्द	पद स्वीकृत नहीं है	—	—	17	2	–
28.	बीकानेर	1	—	—	14	2	–
29.	गंगानगर	1	—	—	19	9	2
30.	चूरू	1	—	—	59	13	2
31.	हनुमानगढ़	पद स्वीकृत नहीं है	—	—	32	5	–

कांस्टेबलों की भर्ती प्रकरण

188. **श्री मोतीलाल (रूपवास)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 3-10-1994 को जयपुर में सी. आई डी. (सी. बी.) कांस्टेबलों की भर्ती हुई थी ? यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया ? क्या यह भी सही है कि, भर्ती के पश्चात् सभी कांस्टेबलों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उनको शीघ्र नियुक्ति दिए जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। योग्यता परीक्षा के पश्चात् 94 अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं 29 अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची बनाई गई थी। चयन सूची में शामिल समस्त 94 अभ्यर्थियों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त रिक्त स्थान होने पर 8 अभ्यर्थियों को आरक्षित-सूची में कांस्टेबल, पद पर भर्ती किया गया है।

(2) महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के आदेश संख्या 1914 दिनांक 10-4-90 एवं स्टेण्डिंग आदेश संख्या 4/89 दिनांक 30-8-89, के अनुसार दिनांक 31-3-95 के पश्चात्, आरक्षित प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त होने के कारण शेष रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

तहसीलदार गिर्वा (उदयपुर) द्वारा भूमि रूपान्तरण प्रकरण

189. **श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(1) उदयपुर की गिर्वा तहसील क्षेत्र में वर्ष 1991 से सितम्बर, 1995 तक कितने रूपान्तरण तहसीलदार द्वारा कृषि से अकृषि (आवासीय) में किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कुछ रूपान्तरण ऐसे मामलों में किये गये जो उनके क्षेत्र की पेराफेरी में नहीं आते हैं, अतः बाद में निरस्त किये गये, यदि हां, तो क्यों ? तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाले रूपान्तरण किस मंशा से किये गये ?

उत्तर

(1) तहसीलदार, गिर्वा द्वारा वर्ष 1991 से 1995 सितम्बर तक की अवधि में 100 प्रकरण कृषि से अकृषि (आवासीय) रूपान्तरण किये गये हैं । सूची संलग्न है ।

(2) प्रश्न के भाग 1 में उत्तर में उल्लेखित सभी प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992 के प्रावधानों के अन्तर्गत रूपान्तरण के हैं, जो तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में आते थे, परन्तु राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 एवं राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992 में उल्लेखित पेराफेरी ग्राम की परिभाषा में भिन्नता होने से आडिट आक्षेप के आधार पर प्रकरणों का पुनरावलोकन किया जाकर 45 प्रकरण निरस्त किये गये ।

क्र. सं. 1	नाम आवेदक 2	ग्राम 3
1.	श्री खेमराज पिता गणेशलाल कलाल	बम्बोरा
2.	श्री लालसिंह पिता हरजीरामलाल कलाल	"
3.	श्री नाथूलाल पिता हीरालाल भावसार	"
4.	श्री शब्बीरहुसेन पिता फकरूदीन भगेरा	लोसरा
5.	श्री भीमराज पिता प्रेमचन्द जैन	चिकलवास
6.	श्री डूंगरसिंह पिता रामसिंह मगला	"
7.	श्री इन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह राव	"
8.	श्री दीपक पिता एम. एल. भांडोर	"
9.	सुश्री ज्योति पिता ज्ञानप्रकाश सोनी	"
10.	श्री आर. एल. बांगड़ पिता जमनालाल बांगड़	"
11.	श्रीमती कुशलकान्ता पत्नि डा. एम. जी. शर्मा	"

क्र. सं. 1	नाम आवेदक 2	ग्राम 3
12.	श्रीमती नीलम पत्नी अजय बाफना	चिकलवास
13.	श्रीमती लाजलक्ष्मी पत्नी एन. एस. बाफना	"
14.	श्री जगदीश पिता नाथूलाल वाड़	"
15.	श्री अनिल पिता शांतिलाल गोदावर	"
16.	श्री नरेन्द्र पिता माधवलाल मंत्री	"
17.	श्री दिलीप पिता प्रतापमल अग्रवाल	"
18.	श्रीमती लीना शर्मा पत्नी अशोक शर्मा	"
19.	श्रीमती सुशीला पत्नी शांतिलाल गोदावर	"
20.	श्री संजयकुमार पिता महेन्द्रकुमार जैन	"
21.	श्री प्रहलाद पिता इन्द्रलाल मंत्री	"
22.	श्रीमती पुष्पलता पत्नी वसंत सिरोया	"
23.	श्री राजेन्द्र पिता इन्द्रलाल मंत्री	"
24.	श्री सुनीलकुमार पिता प्रतापमल अग्रवाल	"
25.	श्रीमती प्रवीन्द्रकौर पत्नी भूपेन्द्रसिंह	"
26.	श्री सरद पिता माधवलाल मंत्री	"
27.	श्री दीपक पिता मदनलाल शर्मा	"
28.	श्री ओमप्रकाश पिता प्रतापमल अग्रवाल	"
29.	श्री देवेन्द्र पिता इन्द्रलाल मंत्री	"
30.	श्री शक्तिकुमार पिता प्रतापमल अग्रवाल	"
31.	श्रीमती यशवन्तकंवर पत्नी ज्ञानप्रकाश	"
32.	श्री ज्ञानप्रकाश पिता दयालचन्द सोनी	"
33.	श्री गोमा पिता गंगाराम	लोयरा
34.	श्री देवा पिता मोती भील	"
35.	श्री गणेश पिता बेला	थूर
36.	श्री चतुर्भुज पिता नाथूलाल	बीरवा
37.	श्री हीमा नारू पिता नवला	काळीया
38.	श्री दामा पिता कर्मा भील	ढाकन कोटड़ा

(262)

क्र. सं. 1	नाम आवेदक 2	ग्राम 3
39.	श्री अमरा पिता नवला भील	नाई
40.	श्री नवला पिता देवा भील	"
41.	श्री देवा पिता बेला भील	चिकलवास
42.	श्री तुलसीराम पिता बेना भील	"
43.	श्री फकीरा पिता मांगीलाल धोबी	बम्बोरा
44.	श्री रूपा पिता सवा बलाई	दातीसर
45.	श्री हरीश पिता थावरा मीणा	इसबाल
46.	श्री अब्बासअली पिता हसनअली बोहरा	थूर
47.	श्री कालूलाल पिता धनरूप वगैरा	इसबाल
48.	श्री डालू पिता ज्योता भील	"
49.	श्री भेरूलाल पिता प्यारजी सुथार	बोहरा
50.	श्री गोविन्दराम पिता पूंजाराम मीणा	चनावदा
51.	श्री केसुलाल पिता जग्गा मेघवाल	"
52.	श्री काला पिता देवा मीणा	बारा
53.	श्री बाला पिता रत्ना मीणा	चनावदा
54.	श्री होमा पिता सवा मीणा	बारा
55.	श्री शंकर पिता कालू वाहण	जावर
56.	श्री नवलसिंह पिता बेला मीणा वगैरा	टीडी
57.	श्री शंकरलाल पिता खेमराज सुथार	बम्बोरा
58.	श्री नाथू पिता अमरा वगैरा	मदार
59.	श्री रघुनाथसिंह पिता बख्तावरसिंह	बुझड़ा
60.	श्री हीरालाल पिता दलीचन्द वगैरा	खेड़ी
61.	श्री कना मुसमात, अमरा वगैरा	बली
62.	श्री पूंजा पिता लाला मीणा	जावर
63.	श्री नाना पिता हीरा गमेती	बुझड़ा

क्र. सं. 1	नाम आवेदक 2	ग्राम 3
64.	श्री टगूड़ी पिता हीरा गमेती	बुज्ञड़ा
65.	श्री होमा पिता हीरा गमेती	"
66.	श्री फकीरा पिता मांगीलाल धोबी	बम्बोरा
67.	श्री वेला पिता मारा ड़ागी	बली
68.	श्री पृथ्वीराज पिता उधा चमार	रोकागुड़ा
69.	श्री हीरा पिता धनजी मीणा	बडूना
70.	श्री तेजपाल पिता वीरचन्द महाजन	रुनीया
71.	श्री कालू पिता गमाना भील	चिकलवास
72.	श्री कला पिता सवा भील	जावर
73.	श्री शोभा पिता भेरा मीणा	चनावदा
74.	प्रेमबाई पत्नी लक्ष्मीलाल पालीवाल	कविता
75.	श्री दोला पिता हरिराम वगैरा	बम्बोरा
76.	श्री हीरालाल पिता दलीचन्द वगैरा	जावर
77.	श्री भमरा पिता लछा गमेती	भूणवास
78.	श्री बाबू पिता दला गमेती	नागदा
79.	श्री कना, वरदा पिता हरिराम भील	बुज्ञडा
80.	श्री भेरूलाल पिता मेगा ओडा	कुरावड
81.	श्री रूपा पिता मोहन भील	भीलों का बेदला
82.	श्री डालचन्द पिता ज्याजियन ब्राह्मण	दांतीसर
83.	श्री उदा पिता खेमा भील	घसियार
84.	श्री उमा, मोडा, मोहन पिता भेरा कुम्हार	लालपुरा
85.	श्री कालू पिता लालू भील	डाकन कोटडा
86.	श्री जगनाथ पिता कालू भील	"
87.	श्री नारायण शंकरीया पिता मेगा भील	भदार
88.	श्री कालू पिता गमाना भील	चिकलवास

क्र. सं. 1	नाम आवेदक 2	ग्राम 3
89.	श्री पाला पिता काला कलाल	जावर
90.	श्री नामा, भवरीया पिता वरदा ढमेली	लकडवास
91.	श्री उदा पिता कालू वगैरा	"
92.	श्री दिनेश पिता रामलाल माली	रेवारियों का गुड़ा
93.	श्री सोहनलाल, मोहनलाल पिता धनजी लोहार	जगत
94.	श्री रामा पिता गांगा भंगी	बम्बोरा
95.	श्री गोदा पिता किशना चमार	बेमला
96.	श्री पन्नालाल पिता रामलाल खटीक	कांया
97.	श्री लखमा, बेला पिता उदा	करांकला
98.	श्री केरिग पिता खोखा	"
99.	श्री लालू, नाथू, रूपा पिता देवींग	तुला
100.	श्री मांगूसिंह पिता खुमानसिंह	"

अन्ता (बारां) सड़क पर बनी पुलिया पर पानी नापने हेतु गेज

190. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पर बनी पुलिया पर पानी की सीमा नापने हेतु गेज (लेन्टर) लगाने की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है ?

(2) क्या अन्ता जिला बारां के पास खाड़ी पर गेज के अभाव में बस पलटने से 22 व्यक्तियों की मौत व इटावा–पीपल्दा सुकनी नदी पर गेज के अभाव में बस पलटने की घटनाओं के लिये विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो क्या लापरवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ सरकार उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों पर एवं मरम्मत सूची में सम्मिलित काजवे एवं वेन्टेड काजवे पर फ्लड गेज इस विभाग द्वारा लगाये जाते हैं।

(2) जी नहीं। बारां जिले में अन्ता के पास खाड़ी के वेन्टेड काजवे पर दोनों तरफ

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

फ्लड गेज लगे हुए हैं एवं इटावा पीपल्दा रोड पर सुकनी नदी के काजवे पर भी फ्लड गेज लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन वेन्टेड काजवे के दोनों तरफ 50 मीटर की दूरी पर पुलिया पर 6 इन्च से ज्यादा पानी होने की दशा में वाहन पार न करें के चेतावनी बोर्ड भी इस विभाग द्वारा लगवाए हुए थे। अतः इन दोनों जगहों पर बस दुर्घटना के लिये इस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। अतः किसी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध लापरवाही बरतने के खिलाफ कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

तहसील शेरगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को कुआं निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

191. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष 1990 से अब तक तहसील शेरगढ़ में कई अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जीवनधारा योजना के तहत कुआं निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उसमें से कितने कुएं खोदे गये, तथा कितने लोगों को समय पर राशि न मिलने के कारण कुएं नहीं खुद पाये ? शेष बिना खुदे कुओं के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

जी हां। वर्ष 1990 से अब तक शेरगढ़ तहसील में 88 अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी की रेखा के नीचे चयनित व्यक्तियों को कूप निर्माण कार्य हेतु जीवनधारा योजनान्तर्गत इकाई लागत के आधार पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी जिनकी सूची परिशिष्ट–एक पर संलग्न है। 24 अनु. जाति के लाभान्वितों ने स्वीकृत कूप निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिये हैं तथा उन्हें स्वीकृत राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

45 लाभान्वितों ने कूप निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था तथा उन्हें प्रथम किश्त का भुगतान भी किया था परन्तु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें बकाया किश्तों का भुगतान नहीं किया जा सका। 19 लाभार्थियों द्वारा कार्य प्रारम्भ ही नहीं करने के कारण उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कपिल चिकित्सालय नीमकाथाना के चिकित्सक के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

192. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कपिल चिकित्सालय, नीमकाथाना में कार्यरत डाक्टर के विरुद्ध पूरन सैनी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, सीकर में अपनी पत्नी का गलत आपरेशन कर काफी धनराशि लेने की शिकायत दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल मोदी)

(2) जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सीकर के निर्णय की पालना में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री पूरनमल सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी, निवासी छावनी नीमकाथाना ने जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति सीकर के यहां अपनी पत्नी के गलत आपरेशन करने एवं रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई जिस पर जिला कलेक्टर, सीकर ने निर्णय दिया है कि दोषी डाक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, सीकर के निर्णय अनुसार डा. रामलखन शर्मा के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

माह मई, 1995 की जिला जन अभियोग निराकरण एव सतर्कता समिति सीकर की हुई बैठक दिनांक 27-5-95 का कार्यवाही विवरण।

(आंशिक प्रतिलिपि)

जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, सीकर की माह मई, 95 की मासिक बैठक दिनांक 27-5-96 को श्री बी. एल. अग्रवाल, अध्यक्ष जिला कलेक्टर (जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति), सीकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुये :—

1. श्री दामोदर प्रसाद, जिला प्रमुख जिला परिषद, सीकर
2. श्री मोहनलाल मोदी, विधायक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नीमकाथाना
3. श्री राजेन्द्र पारीक, विधायक, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सीकर
4. श्री कन्हैयालाल अपर पुलिस अधीक्षक, सीकर
5. श्री जी. एस. भारद्वाज, उप खण्डाधिकारी, सीकर।
6. अधीक्षक अभियन्ता रा. रा. वि. म. सीकर
7. डा. एस. एल. शर्मा, एस. के. हास्पिटल, सीकर
8. डा. विनोद पारीक, ग्राम आधार योजना, सीकर
9. डा. डी. एन. द्विवेदी, जिला पशु पालन अधिकारी, सीकर
10. डा. ओ. पी. शर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वा.) सीकर
11. खनि अभियन्ता, नीमकाथाना
12. श्री गोकुलचन्द शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. सीकर

13. श्री मो. तोफीक, आयुक्त नगर परिषद सीकर

14. श्री हीरालाल वर्मा, प्रतिनिधि सहायक, रजिस्ट्रार सह. समि. सीकर

15. श्री हरिराम महरिया, प्रति. जि. शि. अ. (व्या. शि.) सीकर

16. श्री आर. पी. शर्मा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सीकर

17. श्री नेकराम नागर, नायब तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

18. श्री सीताराम शर्मा प्रतिनिधि प्रगति प्रसार अधिकारी, पं. स. खण्डेला

19. श्रीमती विजय विज, प्रधानाचार्य राधाकृष्ण मारू, सी. रा. मा. वि. सीकर।

सतर्कता समिति में 15 प्रकरण विचाराधीन थे जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

4. प 3/95 पूरणमल सैनी पुत्र श्री नारायण राम सैनी जाति सैनी निवासी छावनी नीमकाथाना बाबत डा रामलखन शर्मा एवं उसकी पत्नी जो राजकीय अस्पताल में कार्यरत है द्वारा गलत आपरेशन करने एवं रिश्वत लेने हेतु।

प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया रिपोर्ट के अवलोकन करने पर डा. रामलखन शर्मा को दोषी पाया गया और सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि डा. रामलखन शर्मा के द्वारा बरती गई लापरवाही के लिये उन्हें चार्जशीट एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें, राज. जयपुर को लिखा जावे तथा उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी माह जून, 95 की होने वाली सतर्कता समिति की बैठक में सदस्यों के समक्ष रखी जावे।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के पुलिस थाने/चौकियां

193. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा, जिला उदयपुर में वर्ष 1994–95 व 1995–96 में कितने नये पुलिस थाने व चौकियां खोली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खोले गये सभी पुलिस थाने व चौकियां चालू हो गये हैं ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में वर्ष 1994–95 एवं 95–96 में कोई भी पुलिस थाना एवं चौकी नहीं खोली गई।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस उप-अधीक्षक सांभर द्वारा क्रय जमीन प्रकरण

194. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

268

(श्री बाबूलाल)

(1) क्या यह सही है कि पुलिस उप अधीक्षक, सांभर द्वारा तहसील सांभर में स्वयं एवं परिजनों के नाम से जमीनें क्रय की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां एवं कितनी-कितनी राशि की? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त उप अधीक्षक द्वारा क्रय की गई जमीनों एवं सम्पत्ति की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि क्रय की गई जमीनों की रजिस्ट्री कम राशि की कराने से राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाई गई है?

उत्तर

(1) श्री ओमप्रकाश व्यास, पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त सांभर के नाम से तहसील सांभर में कोई जमीन क्रय नहीं की गई है। किन्तु पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सांभर के निम्नांकित परिजनों के द्वारा तहसील सांभर में वर्ष 1991 एवं 1992 में ग्राम शेखपुरा, काल्यावास में जमीन क्रय की गई है। क्रय की गई जमीन का विवरण निम्नानुसार है।

1. ग्राम काल्यावास में 15 बीघा भूमि बारानी 3 श्री विसाल व्यास पुत्र श्री ओमप्रकाश व्यास निवासी जयपुर ने दि. 29-6-91 को 17,000/–रुपये में क्रय की।

2. ग्राम शेखपुरा में 6 बीघा बंजड़-2 श्री रवी व्यास पुत्र श्री ओ. पी. व्यास नि. जयपुर ने दि. 4-12-91 को रु. 9,000/– में क्रय की।

3. ग्राम शेखपुरा में 6 बीघा बंजड़–2 श्री रवी व्यास पुत्र श्री ओ. पी. व्यास नि. जयपुर ने दि. 4-12-91 को रु. 9,000/– में क्रय की।

4. ग्राम शेखपुरा में 6 बीघा बंजड़–2 श्री रवी व्यास पुत्र श्री ओ. पी. व्यास नि. जयपुर ने दिनांक 6-12-91 को रु. 9,000/– में क्रय की।

5. ग्राम शेखपुरा में 6 बीघा बंजड–2 श्री रवी व्यास पुत्र श्री ओ. पी. व्यास नि. जयपुर ने दि. 6-12-91 को रु. 9,000/– में क्रय की।

6. ग्राम शेखपुरा में 10 बीघा 1 बिस्वा बंजड़–2 श्री मनीष व्यास पुत्र श्री ओमप्रकाश व्यास नि. 4/33 जवाहरनगर, जयपुर ने दि. 13-2-92 को रु. 15,500/- में क्रय की।

7. ग्राम शेखपुरा में 11 बीघा बंजड़–2 श्री मनीष व्यास पुत्र श्री ओमप्रकाश व्यास नि. 4/33, जवाहरनगर, जयपुर ने दि. 14-12-92 को रुपये 16,500/– में क्रय की।

(2) जी हां, श्री ओमप्रकाश व्यास, पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सांभर के उक्त परिजनों द्वारा क्रय की गई जमीन की वास्तविक किस्म एवं रजिस्ट्री के दिनांक को भूमि की वास्तविक कीमत की जांच कलेक्टर जयपुर द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम से कराई जा रही है।

(राजस्व मंत्री)

(3) अति. कलेक्टर (जांच अधिकारी) की रिपोर्ट मिलने पर ही यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार को हानि हुई है अथवा नहीं ?

जिला झुन्झुनूं में संचालित कालेज

195. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष राज्य में किस-किस स्थान पर कॉलेज खोले गये ?

(2) क्या राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर छात्र/छात्राओं के लिए कॉलेजों की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किन-किन जिला मुख्यालयों पर सरकारी कॉलेज अभी तक नहीं खोले गये ?

(3) झुन्झुनूं जिले में कुल कितने सरकारी कॉलेज हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर संचालित हैं ? उक्त कॉलेजों में छात्र/छात्राओं की संख्या कितनी है ? यदि एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है तो इसके क्या कारण हैं तथा इस अभाव को दूर करने के लिए जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालयों पर कब तक सरकारी कॉलेज खोलने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995–96 में टोंक, पाली, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व बारां में महिला महाविद्यालय व बीबीरानी (अलवर) में सह-शिक्षा का महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया।

(2) वर्तमान में राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर छात्र/छात्राओं के लिए कॉलेजों की सुविधा है। वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, झुन्झुनूं एवं हनुमानगढ़ में छात्र अथवा छात्राओं के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है।

(3) झुन्झुनूं जिले में कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। अतः छात्र/छात्राओं का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। झुन्झुनूं जिले में 16 निजी महाविद्यालय संचालित हैं व छात्र/छात्राओं के लिए अन्य जिलों की बजाय अध्ययन हेतु अधिक सुविधा होने के कारण राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। सभी जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालय स्तर की अध्ययन सुविधा उपलब्ध है व वर्तमान में राज्य सरकार की नीति राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर महिला महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की है। सभी जिला मुख्यालयों पर महिला महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध होने के बाद तहसील स्तर पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

मंत्री मण्डल के सदस्य एवं राजकीय अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर व्यय

196. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रैल 1994 से अब तक कौन-कौन मंत्री (मुख्य मंत्री सहित) विदेश यात्रा पर गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। इन यात्राओं का उद्देश्य, उपलब्धि व इन पर हुए खर्चे का विवरण भी मंत्रीवार व यात्रावार सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीप धनखड़)

(2) अप्रेल, 1994 से अब तक कौन-कौन से सरकारी अधिकारी विदेश यात्राओं पर गये ? इन यात्राओं पर किए गए व्यय एवं यात्रा के प्रयोजन व उपलब्ध सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट–"क" संलग्न है।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर परिशिष्ट–"ख" में ब्यौरा दे दिया गया है।

(ब्यौरा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण विकास हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता

197. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार से ग्रामीण विकास की किस-किस योजना के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों (केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के अतिरिक्त) से ग्रामीण विकास की कौन-कौन सी योजना कितनी-कितनी राशि की चलायी जा रही हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी–कितनी राशि व्यय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उत्तर

(1) वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार से अंशदान के रूप में विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण विकास योजनाएं हेतु सितम्बर, 95 तक 19585.90 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से ग्रामीण विकास की 9575.00 लाख की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका योजनावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। उपर्युक्त पूर्ण राशि (9575.00 लाख रुपये) इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि (माह सितम्बर, 1995) तक

(रुपये लाखों में)

क्र. सं	योजना का नाम	राशि
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	783.24
2.	ट्राईसम योजना	90.13
3.	जवाहर रोजगार योजना	7349.46
4.	आश्वासित रोजगार योजना	7260.00
5.	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय-धारा	271.00
6.	मरू विकास कार्यक्रम	3154.80
7.	सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	288.77
8.	बायोगैस योजना	10.50
9.	बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	378.00
	योग :—	19585.90

परिशिष्ट "ब"

राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से चलाई जा रही योजनाओं का विवरण।

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटित राशि	व्यय का प्रावधान
1.	अपना गांव-अपना काम योजना	1500.00	1500.00
2.	मैसिव कार्यक्रम	500.00	500.00
3.	सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना	125.00	125.00
4.	मेवात कार्यक्रम	200.00	200.00
5.	तीस जिला तीस काम योजना	3000.00	3000.00
6.	निर्बन्ध राशि	2000.00	2000 00
7.	ग्रामीण हाट	250 00	250.00
8.	डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम	500.00	500.00
9.	ग्रामीण विकास केन्द्र	1500.00	1500.00
	योग :—	9575.00	9575.00

चिकित्सा के प्रचार-प्रसार पर व्यय

198. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न मदों में इस वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त राशि का किसी जिले में दुरुपयोग होने की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कहां–कहां से व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सुरक्षित मातृत्व एवं बाल्य जीवन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों को इस वर्ष कितनी राशि आवंटित की गई ? कितनी खर्च हुई एवं शेष कितनी रही ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रचार–प्रसार हेतु भारत सरकार से प्राप्त बजट मद से 87.66 लाख रु. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू. एन. एफ. पी. ए) के मद से 30.30 लाख रुपये तथा भारत जनसंख्या परियोजना-नवम् (आईपीपी-नवम्) से 26.84 लाख रुपये तथा "एड्स" प्रचार-प्रसार के मद से 22 लाख 84 हजार रुपये प्रदेश के 31 जिलों को बजट आवंटन किया गया है ।

प्रचार-प्रसार के लिए जिलेवार आबंटित बजट मद की सूची संलग्न है ।

(2) इस वित्तीय वर्ष में जिलों में उक्त राशि में दुरुपयोग सम्बन्धी कोई भी शिकायत किसी भी जिले से अब तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) सुरक्षित मातृत्व एवं बाल्य जीवन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 1995-96 में विभिन्न जिलों को 164.74 लाख रुपये का आवंटन किया गया । व्यय की गई राशि 50.92 लाख, शेष राशि 113.82 लाख, जिलेवार आवंटन व्यय एवं शेष राशि की सूची संलग्न है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न मदों में वर्ष 95–96 में जिलों को आवंटित राशि की सूची

S. No.	Name of the Distt.	भारत सरकार से देय प्राप्त बजट	संयुक्त राष्ट्र UNFPA	IPP IX	AIDS	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAIPUR	2,23,000	1,27,500	1,30,000	64,000	5 44,500
2.	ALWAR	3,61,000	1,84,700	50,000	74,000	6,69,700
3.	BHARATPUR	3,07,000	75,250	—	74,000	4,56,250
4.	DHOLPUR	2,39,548	1,73,000	73,900	74,000	5,60,448
5.	DAUSA	3,50,600	40,000	50,000	74,000	5,14,600
6.	SIKAR	2,02,000	80,000	50,000	74,000	4 06,000
7.	JHUNJHUNU	1,52,000	1,26,500	3,79,500	74,000	7,32,000
8.	AJMER	2,63,000	1,91,000	1,08,000	84,000	6,46,000
9.	BHILWARA	3,00,000	1,72,500	1,95,000	30,000	6,97,500
10.	NAGAUR	4,57,770	69,300	1,44,100	74,000	7,45,170
11.	TONK	4,00,600	40,000	50,000	74,000	5,64,600
12	JODHPUR	2,40 000	67,000	2,30,000	64,000	6,01,000
13	BARMER	3,81,000	75,000	53,200	74,000	5,83,200
14.	JAISALMER	—	45,000	1,56,000	74,000	2,75,000
15.	PALI	1,28,250	79,700	62,000	74,000	3,43,950

(273)

1	2	3	4	5	6	7
16.	JALORE	5 61,314	1,26,000	1,04,500	74,000	8,65,814
17.	SIROHI	3,50,600	74,500	67,100	74,000	5,66,200
18.	BIKANER	1,75,000	71,000	1,17,600	64,000	4,97,600
19	CHURU	3,66,000	62,000	90,000	94,000	6,12,000
20.	SHRI GANGANAGAR	20,000	1,57,000	1,09,000	74,000	3,60,000
21.	UDAIPUR	2,65,000	99,000	15,000	64,000	4,43,000
22	DUNGARPUR	4,78,100	77,000	50,000	74,000	6,79,100
23.	BANSWARA	8,64,150	71,600	50,000	74,000	10,59,750
24.	CHITTORGARH	1,86,000	1,10,340	—	94,000	3,90,340
25.	KOTA	2,86,000	1,10,000	1,08,300	64,000	5,68,300
26.	BUNDI	3,10,300	69,000	—	74,000	4,53,300
27.	JHALAWAR	1,81,500	56,000	35,800	74,000	3,47,300
28.	BARAN	2,39,200	1,25,000	1,05,000	74,000	5,43,200
29.	SWAI MADHOPUR	2,87,350	78,000	—	94,000	4,59,350
30	RAJSAMAND	1,78,500	92,900	50,000	74,000	3,95,400
31.	HANUMANGARH	12,000	1,05,000	50,000	64,000	2,31,000
	TOTAL	87,66,782	30,30,790	26,84,000	22,84,000	1,67,41,572

सुरक्षित मातृत्व एवं बाल्य जीवन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावाइज बजट आवंटन, व्यय एवं शेष राशि का विवरण वर्ष 95–96

(रुपये लाखों में)

क्र सं.	जिला अधिकारी		आवंटित राशि	व्यय की गई राशि (सित. 95 तक)	शेष राशि
1	2		3	4	5
1.	जिला मातृ शिशु अधिकारी	अजमेर	6.40	2.40	4.00
2.	"	नागौर	7.21	2.13	5.08
3.	"	टोंक	5.24	2.05	3.19
4.	"	भीलवाड़ा	6.07	2.08	3.99
5.	"	जयपुर	11.11	3.25	7.86
6.	"	सीकर	6.56	1.93	4.63
7.	"	झुन्झुनूं	6.04	1.40	4.64
8.	"	अलवर	7.29	2.05	5.24
9.	"	भरतपुर	6.33	2.09	4.24
10.	"	धोलपुर	3.65	0.74	2.91
11.	"	चूरू	5.17	1.34	3.83
12.	"	बीकानेर	5.77	2.20	3.57
13.	"	गंगानगर	7.49	1.42	6.07
14.	"	जालोर	4.56	1.18	3.38
15.	"	बाड़मेर	5.56	2.22	3.34
16.	"	जैसलमेर	3.20	1.47	1.73
17.	उप-मु. चि. स्वा. अ.(स्वा.)	पाली	3 90	0.75	3 15
18.	जिला मातृ शिशु अधि.	सिरोही	3.63	1 29	2.34
19.	"	जोधपुर	6.50	2.20	4.30
20.	"	बून्दी	4.12	1.43	2.69

(276)

1	2		3	4	5
21.	जिला मातृ शिशु अधि.	झालावाड़	4.55	1.92	2.63
22.	"	कोटा	8.02	3.40	4.62
23.	"	सवाईमाधोपुर	6.10	1.83	4.22
24.	"	चित्तोड़गढ	6.10	1.39	4.71
25.	"	उदयपुर	9.74	1.75	7.99
26.	"	डूंगरपुर	3.91	1.05	2.86
27.	"	बांसवाड़ा	5.45	1.70	3.75
28.	निदेशालय, मुख्यालय		5.07	2.21	2.86
		योग	164.74	50.92	113.82

थाना सलोपाट (बांसवाड़ा) में एट्रोसिटी एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

199. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के सलोपाट थाने में तारीख 24-9-1995 को हुई मारपीट की प्राथमिक रिपोर्ट किस तारीख को इन्द्राज की गई ?

(2) रिपोर्टकर्त्ता ने कितने अपराधियों की नामजद रिपोर्ट करायी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उन पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मुकदमे बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो उन पर आदिवासी उत्पीड़न कानून के तहत मुकदमा क्यों नहीं बनाया गया ?

उत्तर

(1) दिनांक 24-9-95 को घटित झगड़े की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 24-9-95 को श्री हडीया की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 128/95 धारा 147, 447, 323, 149, ता. हि. एवं सुश्री हेमलता उर्फ हुडी की सूचना पर अभियोग संख्या 129/95 धारा 147, 148, 149, 323, 447, 307, ता. हि. के अन्तर्गत थाना सलोपाट पर उसी रोज दर्ज किये गये हैं ।

(2) श्री हुडिया द्वारा सर्व श्री लालजी, नानिया, नाथू, फूलजी, दलजी, रंगजी, मानसिंह, रामा, सोमेश्वर एवं सुश्री हेमलता

(गृह मन्त्री)

उर्फ हुडी कुल 10 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद सूचना पर अभियोग सं. 128/95 दर्ज किया गया।

सुश्री हेमलता उर्फ हुडी द्वारा सर्व श्री हरदार, श्रीमती धुली, जबली, सफी, हुडिया, मुकेश, कमला, कालिया, गलु, वागजी, लालजी, तलीया, उमा, मलीया व बागला कुल 15 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद सूचना पर अभियोग संख्या 129/95 दर्ज किया गया।

(3) जी नहीं। झगड़े में सम्मिलित दोनों पक्षों के व्यक्ति एक ही जाति (आदिवासी अनुसूचित जन जाति) के होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम (एट्रोसिटी एक्ट) का अपराध नहीं बनता।

डीग उपखण्ड में भू-खण्डों का आवंटन

200. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीग उपखण्ड में पिछले दो वर्षों से किन-किन व्यक्तियों को किस आधार पर किन–किन कर्मचारियों/अधिकारियों की रिपोर्ट पर भूमि का आवंटन किस-किस ग्राम में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डीग उपखण्ड में ऐसे व्यक्तियों को भी भूमि का आवंटन कर दिया गया, जो कि वहां के निवासी नहीं हैं एवं न ही मौके पर उनका कब्जा है?

(3) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या सरकार ने उक्त प्रकरण की जांच करवाई है? यदि हां, तो किस अधिकारी से? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डीग उपखण्ड में पिछले 2 वर्षों में किये गये आवंटन की ग्रामवार एवं अन्य सूचनाओं सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। डीग उपखण्ड में भूमि का आवंटन उपखण्ड डीग के निवासी व्यक्तियों को ही किया गया है तथा मौके पर कब्जा काश्त बाबत सूचना भाग 1 में अंकित सूची में सम्मिलित है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत उपलब्ध नहीं हुई है।

(4) कोई शिकायत उपलब्ध नहीं होने से जांच कराया जाना जाहिर नहीं होता है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो जांच करवा ली जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(278)

विधान सभा क्षेत्र मकराना की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

201. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मकराना, पंचायत समिति मकराना तथा कुचामन क्षेत्र में वर्षा से क्षतिग्रस्त समस्त सड़कों की मरम्मत करा दी गई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों की तथा इन पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कें, मकराना से बरवाली, मिण्डकिया सड़क बोरावड़ से मिचावा, मकराना से जाखली, बोरावड़ से बेसरोली, बुड़सू से जुसरिया सड़कों का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार का कार्य कब तक पूरा कराने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निम्न सड़कों की मरम्मत करा दी गई है। शेष सड़कों पर मरम्मत का कार्य प्रगति पर है :—

क्र.सं. सड़क का नाम	खर्च की गई राशि (लाखों में)
1. एस. एच. 2	1.50
2. मकराना बुडसू	0.02
3. मकराना–बिदियाद	0.10
4. निम्बड़ी–बिल्लू	0.01

(2) इन छः सड़कों में चार सड़कों का ठेका दे दिया गया है। बाकी दो सड़कों की निविदाएं दिनांक 19-10-95 को प्राप्त हो गई हैं, ठेका देने की प्रक्रिया जारी है। विवरण निम्न प्रकार से है : –

1. मकराना से बरवाली

कार्य आदेश दिया जा रहा है क्योंकि निविदाएं 19-10-95 एवं संशोधित दरें 1-11-95 को प्राप्त की हैं। कार्य सितम्बर, 95 से प्रारम्भ कर सितम्बर, 96 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

2. सम्पर्क सड़क मिंडकिया

जी हां। ठेका दे दिया गया है। आश्वासित रोजगार योजना में कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

3. बोरावड़ बिचावा

जी हां। ठेका दे दिया गया है। इस सड़क का कुल 8 किमी. लम्बाई में से 3.5 किमी. डामर पूर्ण हो चुका है। शेष में 0 5 किमी. मेटल तथा 4 किमी. पर कार्य प्रगति पर है। संवेदक धीमी रफ्तार से कार्य कर रहा है। अनुबन्ध की शर्तों के मुताबिक संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य मार्च, 97, तक पूर्ण होना सम्भावित है।

4. मकराना से जाखली

जी हां। ठेका दे दिया गया है। कुल 5 किमी. लम्बाई में मेटल कार्य पूर्ण कर दिया गया है। डामर का कार्य मार्च, 96 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

5. बोरावड़ से बेसरोली

जी हां । ठेका दे दिया गया है । कुल 7 किमी. लम्बाई में से 5.5 किमी. डामर व 1.5 किमी. मेटल कार्य कर दिया गया है । शेष डामर का कार्य मार्च, 96 तक पूर्ण कर दिया जायेगा ।

6. बुड्सू से जुसरिया

जी नहीं । ठेका नहीं दिया गया है । कार्य की निविदाएं दिनांक 19-10-95 को प्राप्त की गई हैं एवं संशोधित दरें दिनांक 1-11-95 को प्राप्त की गई हैं । कार्य दिसम्बर, 95 से प्रारम्भ कर सितम्बर, 96 तक पूर्ण कर दिया जायेगा । कार्य आदेश दिया जा रहा है ।

शासन सचिवालय जयपुर में कार्यरत विश्नोई समाज व अन्य समाज के अधिकारी/कर्मचारी

202. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलोदी) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शासन सचिवालय जयपुर में सुनार (स्वर्णकार) सुथार, सैनिक क्षेत्रीय (माली, सैनी) के वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) शासन सचिवालय, जयपुर में नौकरियों में प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में विश्नोई जाति की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों में जातियों के आधार पर सूची तैयार नहीं की जाती है । केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु अलग-अलग सूची तैयार की जाती है ।

(2) शासन सचिवालय में नियुक्तियों में विश्नोई जाति की अलग से सूची तैयार नहीं की जाती है ।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के रेफरल चिकित्सालय

203. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने रेफरल चिकित्सालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं हैं, तो क्यों ? और सरकार कोटपूतली क्षेत्र में कब तक रेफरल चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार कोटपूतली क्षेत्र के पावटा कस्बे में रेफरल चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में एक रेफरल अस्पताल, कोटपूतली में 150 शैय्यायुक्त कार्यरत है ।

280

(राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) जी, नहीं। पावटा पंचायत समिति विराटनगर के अन्तर्गत है, विराटनगर पंचायत समिति मुख्यालय पर रेफरल अस्पताल कार्यरत है।

प्रश्न संख्या–204

(स्थगित)

तहसील सीकर के ग्रामों की गोचर भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण

205. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सीकर के गांवों की गोचर भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर तथा किस-किस द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या धोद ग्राम में अतिक्रमणियों के खिलाफ सीकर तहसील ने कोई निर्णय किया था ? यदि हां, तो किस तारीख को और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) यह अतिक्रमण कब तक हटा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) तहसील सीकर के ग्राम धोद की 0.17 है० गोचर भूमि पर निम्नांकित 5 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तहसील में दिनांक 5-8-95 को प्राप्त हुई। दिनांक 16-8-95 को मुकदमा दर्ज कर दिनांक 22-8-95 से सुनवाई प्रारम्भ की गई।

मुकदमों की स्थिति इस प्रकार है :—

क्रमांक	नाम व्यक्ति	ख. नं	रकबा है.
1.	श्री रामेश्वर पुत्र पुरा जाट निवासी धोद	1178	0.01
2.	श्री सत्तार पुत्र अलादीन व्यापारी नि. धोद	1178	0.01
3.	श्री विनोद कुमार पुत्र भगवाना ब्राह्मण नि. धोद	1178	0.10
4.	धोद चर्म उद्योग सोसायटी धोद	1178	0.03
5.	श्री हरलाल पुत्र चुन्नीलाल कुमावत निवासी धोद	1178	0.02

उपरोक्त पांचों अतिक्रमियों में से श्री विनोद कुमार पुत्र भगवाना ब्राह्मण निवासी धोद व श्री रामेश्वर पुत्र पुरा जाट निवासी धोद ने तहसीलदार, सीकर के नोटिस के खिलाफ न्यायालय सी. जे. एम. सीकर से क्रमश: दिनांक 6-9-95 व 27-9-95 को स्थगन आदेश जारी करा लिया गया जो तहसीलदार, सीकर के

(राजस्व मंत्री)

न्यायालय में दिनांक 18-9-95 व 30-9-95 को पेश किया गया। सी. जे. एम. कोर्ट सीकर में दोनों केसेज में आगामी तारीख पेशी क्रमश: 14-12-95 व 23-11-95 नियत हैं। इस स्थगन के हटने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

शेष 3 प्रकरणों में न्यायालय तहसीलदार सीकर में अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 5-8-95 को प्राप्त हुई जिनको 16-8-95 को मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 26-10-95 को तीनों प्रकरणों में अतिक्रमियों के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित किए जा चुके हैं उनको दिनांक 28-10-95 को राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 (6) के अन्तर्गत भौतिक रूप से कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। नियत अवधि में यदि अतिक्रमी कब्जा नहीं हटाते हैं तो उनके विरुद्ध राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 (6) के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(3) राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 (6) के तहत दिनांक 28-10-95 को जारी किए गए नोटिस प्राप्ति की तिथि के 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण भौतिक रूप से नहीं हटाने पर सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज करवादी जायेगी। अविलम्ब अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसरों को व्यक्तिगत पदोन्नति प्रकरण

206. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (विशेष सेवा शर्तें) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य नये वेतनमान 1986 में दिये जाने से पूर्व राज्य में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्यरत कितने चयनित रीडरों को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में किन-किन को प्रोफेसर के पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति दी गई है?

(2) 1986 में उपरोक्त नये वेतनमान देते समय राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में चयनित रीडर पद पर कार्यरत किस–किस ने उपरोक्त अधिनियम में वर्णित व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के अन्तर्गत विकल्प दिये थे?

(3) क्या 1986 में नये वेतनमान देने के बाद इस अधिनियम के अन्तर्गत पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो राज्य के किन–किन विश्वविद्यालयों में कब और कितने व्यक्तियों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी गई? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) अन्तिम किस वर्ष में और किन वर्षों से सम्बन्धित प्रोफेसर के पद सृजित किये गये?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(5) क्या उपरोक्त पदों के सृजन में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी गई थी जिसके पास इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता भी नहीं थी ?

(6) क्या उपरोक्त पदोन्नतियां देने के बाद वर्ष 1993, 1994 और 1995 के वर्षों से सम्बन्धित प्रोफेसर के पद सृजित करने के लिये राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय से आवश्यक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो किन कारणों से इन पदों का सृजन राज्य सरकार ने नहीं किया है ? जबकि अधिनियम में संशोधन नहीं किये गये हैं। उसके प्रावधान अभी भी लागू हैं ? क्या पूर्व में नये वेतनमान देने के बाद भी नये पद सृजित किये गये थे ?

(7) सरकार कब इन पदों को सृजित कर राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में आवश्यक योग्यता धारक रीडर पद पर कार्यरत व्यक्तियों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने जा रही है ? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" में वर्णितानुसार।

(2) केवल जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर के चयनित सभी रीडर्स ने व्यक्तिगत पदोन्नति योजना हेतु विकल्प दिया था।

(3) राज्य सरकार द्वारा जून, 1988 में नवीन वेतनमान 1986 से देने के बाद प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की संख्या परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में वर्ष 1992 में वर्ष 1988 से 1992 तक के लिए वर्षवार प्रोफेसर के पद सृजित किये गये जबकि राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में वर्ष 1994 में 1988 से 1992 के वर्षों के लिए तथा सुखाड़िया विश्वविद्यालय में वर्ष 1995 में वर्ष 1989 तथा 1992 हेतु पद सृजित किये गये।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। कुछ विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुए हैं प्रकरण विचाराधीन हैं चूंकि इस योजना को समाप्त करने का प्रकरण भी विचाराधीन है।

(7) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते ही तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष	क्र. सं.	नाम	विषय
1983	1.	डा. ए. के. तिवाड़ी	भूगोल
	2	डा आर. सी. दीक्षित	मनोविज्ञान
	3.	डा. के. कान्त	रसायनशास्त्र
	4.	डा. एस सी. राव	,,
	5.	डा. के. एन. कटियार	प्राणीशास्त्र
	6.	श्री जगदीश चन्द	सिविल इंजीनियरिंग
	7.	श्री जी. के. अग्रवाल	मैकेनिकल इंजीनियरिंग
	8.	श्री एस. पी. गुप्ता	स्टेक्चरल इंजीनियरिंग
	9.	डा एस. एस. सिंह	माइनिंग इंजीनियरिंग
1984	1.	डा. (श्रीमती) कामनी दिनेश	अंग्रेजी
	2.	डा. (कु.) इन्द्रा जोशी	हिन्दी
	3.	डा. एस. आर. गोयल	इतिहास
	4.	डा. डी. एन. सेन	वनस्पतिशास्त्र
	5.	डा. एन. के. माथुर	रसायनशास्त्र
	6.	डा. एस. पी. राव	रसायनशास्त्र
	7.	डा. डी. वी. तलवार	सिविल इंजीनियरिंग
	8.	डा. बी. के. पुरोहित	स्टेक्चरल इंजीनियरिंग
	9.	श्री रामचन्द्र	,, ,,
	10.	श्री एस. कुमार	माइनिंग इंजीनियरिंग
	11.	डा. पी. आर. शाह	इतिहास
	12.	श्री के. सी. जैन	ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट आफिसर
1985	1.	श्री एफ. एस. मेहता	मैकेनिकल इंजीनियरिंग
	2.	श्री डी. पी. शर्मा	स्टक्चरल इंजीनियरिंग
	3.	डा. पी. के. भाटिया	गणित
1986	1.	श्री एम. बी. पाठक	सिविल इंजीनियरिंग
	2.	श्री डी. एन. खुराना	माइनिंग इंजीनियरिंग
	3.	डा. बी. जी. कपूर	प्राणीशास्त्र
	4.	श्री चेतन्य	अंग्रेजी
1987	1.	डा. वी. के. भंसाली	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग
	2.	डा. एन. पी. गुप्ता	भौतिकशास्त्र
	3.	डा. जे. पी. शर्मा	हिन्दी

परिशिष्ट "ब"

	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्रोफेसर के पद पर की गई पदोन्नतियों की संख्या	विशेष विवरण
1.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	1983	9	
		1984	12	
		1985	3	
		1986	4	
		1987	3	
		कुल-	31	
2.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1989	2	पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है।
		1992	2	
		कुल-	4	
3.	राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1988	2	
4.	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	1986	1	
		1987	1	
		1992	13	
		कुल-	15	

जिला डूंगरपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

207. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में डाक्टरों, कम्पाउण्डरों, नर्स के कितने स्थान रिक्त हैं ? जनरल होस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेफरल होस्पिटल तथा डिस्पेन्सरीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्तियों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इन रिक्तियों को कब तक भरा जा सकेगा ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले की संस्थानवार एवं पदवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, उप नियन्त्रक एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्रयास जिये जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। नर्सिंग संवर्ग में मेल नर्स प्रथम एवं सिस्टर के पद पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। मेलनर्स द्वितीय, स्टाफ नर्स एवं प्रसाविका के रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने संभव हो सकेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 207 के भाग संख्या एक की सूची

क्र सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	व. विशे.	क. विशे.	उप नियंत्रक	व. चि. अ.	चि. अ.	मे. नर्स I सिस्टर	मे. नर्स II	स्टाफ नर्स	प्रसाविका
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर	1 (शिशु)	2 (नेत्र मेडि.)	1	7	4	2	3	3	—
2.	राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा	2	3	—	2	—	—	—	—	—
3.	उच्चीकृत प्रा. स्वा. के. सिमलवाड़ा	—	5	—	—	—	—	—	—	—
4.	,, ,, बिच्छीपाड़ा	—	2	—	—	2	1	—	—	—
5.	,, ,, पुंचपुर	—	2	—	—	—	1	—	1	—
6.	,, ,, दागड़ो	—	2	—	—	—	1	—	—	—
7.	सिटी डिसपेन्सरी डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र, बूचयावाड़ा	—	—	—	—	1	—	—	—	—
9.	सा. स्वा के , आसपुर	—	—	—	—	2	—	—	—	—
10.	प्रा. स्वा. के. टामटिया	—	—	—	—	1	—	—	—	—
11.	,, ,, सुराता	—	—	—	—	1	—	1	—	—
12.	,, ,, चांडोली	—	—	—	—	1	—	—	1	—

285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. प्रा. स्वा. के. शिशोदा	—	—	—	—	1	—	1	1	—
14. ,, ,, तलैया	—	—	—	—	1	—	1	1	—
15. ,, ,, पोहरी खातूरात	—	—	—	—	1	—	1	—	1
16. ,, ,, गामड़ी आहेड़ा	—	—	—	—	1	—	—	—	—
17. ,, ,, चारवाड़ा	—	—	—	—	—	—	1	—	—
18. ,, ,, डूंगरसांण	—	—	—	—	—	—	1	—	—
19. ,, ,, गेंजी	—	—	—	—	—	—	1	—	—
20. ,, ,, धनगांव	—	—	—	—	—	—	1	—	—
21. ,, ,, अम्बाडा	—	—	—	—	—	—	1	—	—
22. ,, ,, सांयली	—	—	—	—	—	—	1	—	—
23. ,, ,, विलियागडगामा	—	—	—	—	—	—	1	—	—
24. ,, ,, रास्ता	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25. ,, ,, बडा माली	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	3	16	1	9	17	5	14	9	1

जिला जोधपुर के विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरण

208. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1994–95 में कुल कितनी हत्याएं/धोखाधड़ी, बम-विस्फोट, आगजनी, बलात्कार, चोरियां एवं जमीनों पर अवैध कब्जे सम्बन्धी कितने मामले दर्ज हुए हैं ? थाना अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक कुल कितने मामले बकाया चल रहे हैं ? कितने मामलों में पूर्ण रिपोर्ट दे दी गई और कितने मामलों में चालान पेश किए गए ?

(3) जोधपुर में जीप बम काण्ड व मकान बम काण्ड की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और उस जांच की शिकायत होने पर अब तक उस जांच नहीं करवाने के क्या कारण हैं ?

(4) जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों में जमीनों की धोखाधड़ी के कुल कितने मामले दर्ज हुए और उसमें से कितनों पर कार्यबाही की गई और कितने बकाया चल रहे हैं ?

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छुआछूत के कुल कितने मामले दर्ज हुए और कितने मामलों की जांच कराई गई है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" में थानानुसार अंकित है। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित है। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(3) जोधपुर में जीप बम काण्ड व मकान बम काण्ड के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 392/94 एवं 187/95 थाना महामन्दिर पर दर्ज हुए जिनका अनुसंधान श्री अर्जुन सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह कछावा का परिवाद प्राप्त होने पर इन मुकदमों के अनुसंधान का सत्यापन अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर द्वारा किया गया एवं अनुसंधान सही पाये जाने पर दिनांक 21-8-95 को पृथक-पृथक चालान न्यायालय में पेश किये गए।

(4) जोधपुर शहर में विभिन्न थानों में जमीनों की धोखाधड़ी के वर्ष 1994 में कुल 34 मुकदमें दर्ज हुए तथा वर्ष 1995 में कुल 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वर्ष 1994 में दर्ज 34 मुकदमों में से अन्वेषण पर 22 झूठे पाये गये व 12 में चालान किया गया। इस तरह वर्ष 1994 का कोई मुकदमा बकाया नहीं चल रहा है। वर्ष 1995 में दर्ज 17 अभियोगों में से अन्वेषण पर आठ झूठे पाये गये, तीन में चालान किया गया तथा 6 मुकदमों में अन्वेषण जारी है।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छुआछूत के जोधपुर जिले में वर्ष 1994 में कुल 5 एवं वर्ष 1995 में कुल 10 मुकदमें दर्ज हुए हैं एवं सभी मुकदमों में अनुसधान किया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(288)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 284 की तालिका)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के उदयपुर सम्भाग में स्थित रिडेक्शन सेन्टर, फिल्ड गोदाम एवं देशी मदिरा की दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैं :—

जिला 1	रिडक्शन सेन्टर 2	फिल्ड गोदाम 3	मदिरा दुकान 4
(1) उदयपुर	उदयपुर	—	1. सज्जनगढ़ 2. धरियावाद 3. कोटडा 4. सलूम्बर 5. खैरवाडा 6. नेवातलाई (सराडा) 7. झाडोल 8. जयसमन्द 9. परसाद
(2) चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	1. डूंगला 2. छोटी सादड़ी	10. प्रतापगढ़ (मुख्य) 11. प्रतापगढ़ (उप) 12. अरनोद 13. दलोत
(3) राजसमन्द	—	1. देवगढ़ 2. राजनगर	—
(4) बांसवाड़ा	—	—	14. बांसवाड़ा (मुख्य) 15. बांसवाड़ा (उप) 16. घाटोल (खमेरा) 17. परतापुर गढ़ी 18. कुशालगढ़ 19. बागीडोरा 20. कलिंजरा 21. आनन्दपुरी

1	2	3	4
(5) डूंगरपुर	—	—	22. डूंगरपुर (मुख्य) 23. डूंगरपुर (उप) 24. सागवाड़ा (मुख्य) 25. सागवाड़ा (उप) 26. सिमलवाड़ा 27. ओवरी 28. आसपुर 29. गलियाकोट 30. बिछीवाड़ा

परिशिष्ट "ब"

सेवारत कर्मचारियों का विवरण वर्गीकरण सहित

क्र.सं. स्थान का नाम	पद का नाम			
	मन्त्रालयिक	श्रमिक	गार्ड	ड्राइवर
1	2	3	4	5
1. रिडक्शन सेन्टर	5 (3 कर्मचारी-1200-2050) (2 कर्मचारी- 950-1600)	168 (800-1050) (सुगरवेज बोर्ड)	3 (750- 940)	1 (950- 1680)
2. फिल्ड गोदाम	4 (1 कर्मचारी-1200-2050) (3 कर्मचारी- 950-1680)	8 (800-1050) सुगरवेज बोर्ड	—	—
3. मदिरा दुकान	31 (18 कर्मचारी-950-1680) (13 कर्मचारी-कन्सोलिडेटेड) (5 कर्मचारी-रु 1,000/-प्रति माह) (8 कर्मचारी-रु. 800/- ,,)	2 हेल्पर (750- 940)	—	—

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 293 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

गत तीन वर्षों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा शहरों में सड़क दुर्घटनाओं एवं उसमें मृत व घायल व्यक्तियों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जिले का नाम	मृत्यु	विकलांग स्थाई रूप से	आंशिक चोटें
1.	1992	जयपुर शहर	241	341	757
		अजमेर	43	15	283
		उदयपुर	68	42	187
		जोधपुर	60	23	305
		कोटा शहर	78	96	510
2.	1993	जयपुर शहर	265	220	885
		अजमेर	54	13	218
		उदयपुर	67	68	228
		जोधपुर	77	25	382
		कोटा शहर	75	99	694
3.	1994	जयपुर शहर	254	292	994
		अजमेर	47	14	296
		उदयपुर	66	31	294
		जोधपुर	85	31	375
		कोटा शहर	106	133	749

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 295 की सूची)

परिशिष्ट—"अ"

क्र.सं.	मु.नं./दिनांक	धारा	थाना	नतीजा	पेश अदालत	मुल्जिमान की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	10/20-1-94	302, 498 ए ता. हि.	धोरीमना	चालान	14-2-94	3
2.	4/3-1-94	302 ता. हि.	बायतू	चालान	27-1-94	1
3.	11/26-2-94	366, 302, 201, 122 बी ता. हि.	"	एफ.आर.अ.वकू	30-4-94	–
4.	27/25-3-94	302, 201 ता. हि.	सिवाना	चालान	30-6-94	2
5.	28/24-3-94	302 ता. हि.	चोहटन	चालान	30-6-94	1
6.	99/27-3-94	147, 148, 149, 307, 302 ता. हि.	बालोतरा	चालान	30-4-94	9
7.	36/10-4-94	302 ता. हि	गुडामालानी	चालान	22-4-94	1
8.	129/23-6-94	307, 302 ता. हि.	सदर बाडमेर	चालान	21-6-95	–
9.	41/10-6-94	458, 302 ता. हि.	शिव	चालान	30-6-94	1
10.	166/2-6-94	302, 120 बी ता. हि.	कोतवाली बाड़मेर	अदमपता	30-7-94	4
11.	191/18-6-94	302, 201 ता. हि.	बालोतरा	चालान	1-8-94	1
12.	61/7-7-94	302 ता. हि.	गुडामालानी	चालान	20-2-95	1
13.	62/9-7-94	302 ता. हि.	चोहटन	चालान	31-7-94	1
14.	48/3-7-94	302, 307 ता. हि.	शिव	चालान	14-8-94	4

801

1	2	3	4	5	6	7
15.	49/4-7-94	302, 201 ता. हि.	शिव	चालान	31-8-94	2
16.	84/18-8-94	302, 201, 120 बी ता. हि.	सिवाना	एफ.आर.अ.सबूत	18-10-94	–
17.	47/6-9-94	302, 306, 498 ए ता. हि.	कल्याणपुर	चालान	10-11-94	3
18.	38/8-9-94	302 ता. हि.	मण्डली	चालान	30-10-94	1
19.	106/11-10-94	302, 307, 324 ता. हि.	सिवाना	एफ.आर.अ. पता	14-12-94	–
20.	109/28-10-94	302, 307, ता. हि.	सिवाना	चालान	16-12-94	1
21.	184/7-10-94	302, 324, 201 ता. हि.	सदर बाड़मेर	चालान	25-10-94	4
22.	141/13-11-94	302 ता. हि	धोरीमना	चालान	28-12-94	1
		वर्ष 1995				
1.	11/27-1-95	302, 309 ता. हि.	सदर बाड़मेर	चालान	31-1-95	1
2.	7/12-1-95	302, 323 ता. हि.	कोतवाली बाड़मेर	चालान	12-2-95	1
3.	3/25-2-95	302, 323 ता. हि.	कोतवाली बाड़मेर	चालान	31-3 95	1
4.	6/9-2-95	302, 201 ता. हि	मण्डली	एफ आर अ सबूत	22-3-95	–
5.	28/11-4-95	302, 498 ए ता. हि.	चोहटन	चालान	31-5-95	2
6.	70/19-5-95	302, 304 बी ता. हि.	सदर बाड़मेर	चालान	19-6-95	3
7.	10/13-5-95	302 ता. हि.	गडरा रोड	चालान	23-6-95	1
8.	83/11-6-95	302 ता. हि.	सदर बाड़मेर	चालान	5-8-95	3
9.	13/14-6-95	302 ता. हि.	बकासर	चालान	19-7-95	1

1	2	3	4	5	6	7
10	36/11-6-95	302 ता. हि.	रामसर	चालान	27-7-95	1
11.	15/14-6-95	302 ता. हि.	गडरारोड	चालान	29-7-95	2
12.	23/18-7-95	147, 148, 149, 302 ता. हि.	कल्याणपुर	चालान	12-10-95	2
13.	39/15-7-95	147, 148, 149, 302 ता. हि.	सिणधरी	चालान	11-10-95	8
14.	43/5-7-95	302, ता. हि. 3/25 आर्म्स एक्ट	बापत	चालान	23-8-95	5
15.	49/18-7-95	302, 304 बी, 498 ए ता. हि.	बापत	एफ आर.अ.वकू	24-8-95	–
16.	224/18-7-95	302, ता. हि.	बालोतरा	चालान	30-9-95	3
17.	69/2-8-95	302 ता. हि.	गुडा	चालान	30-9-95	2
18.	32/2-8-95	302, 498, 307 ता. हि.	सेडवा	पैण्डिंग पुलिस	—	–
19.	274/16-8-95	302, 201, 460 ता. हि.	बालोतरा	पैण्डिंग पुलिस	—	–
20.	46/3-8-95	302 ता. हि.	बीजराड	एफ.आर.अ.वकू	23-7-95	–
21.	93/11-9-95	302 ता. हि.	गुडामालानी	चालान	17-10-95	3
22.	28/2-9-95	341, 323, 307, 302 ता. हि.	कल्याणपुर	पैण्डिंग पुलिस	—	1
23.	45/30-9-95	302 ता. हि. एवं 3 (1) एससी/एसटी एक्ट	सेडवा	चालान	27-10-95	2
24.	324/19-9-95	302 ता. हि.	बालोतरा	चालान	11-10-95	1
25.	61/3-9 95	147, 449, 347, 302, 201 ता. हि. एवं एससी./एसटी. एक्ट	सिणधरी	चालान	4-10-95	6
26.	70/3-10-95	302, 376, 404, 201 ता. हि.	समदडी	जैर तफ्तीश	—	1

(२९५)

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 298 की प्रति)

थानाधिकारी, थाना डीग

विषय :— एफ. आई. आर. दर्ज किये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आज दिनांक 15-10-95 को मन सी. ओ. (रूरल) भरतपुर भरतमीणा को जरिये मुखबार सूचना मिली कि डीग में पहाडताल पर एक फैक्ट्री में पीछे की तरफ फर्नीश आयल (डामर) का भण्डारण कर रखा है जिस बाबत में कोई वैध लाईसेन्स भी नहीं है । उक्त सूचना पर श्रीमान् एस. पी. साहब भरतपुर से वार्ता की जाकर निर्देशानुसार आज मन सी. ओ. (आर.) मय जाप्ता कानि. प्रहलाद तिवाड़ी 681, तुलसीराम 917, जगदीश प्रसाद 1044, रामरतन 261, मय सरकारी वाहन जिप्सी आर. जे. 05 सी. ओ. 602 मय ड्राईवर के भरतपुर से रवाना होकर थाना डीग से गोरधन सिंह सी. आई. एसएचओ डीग, शम्भुदयाल सैनी एस.आई, कानि. खलील खां 1139, दाताराम 1290 हरेन्द्र 1151, पूनमचन्द 508, को हमरा लेकर बताये गये स्थान पर पहुंचकर समय 7.30 ए. एम. चैक किया तो विक्रम सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति जाट नि. ककड़ा थाना डीग मौजूद मिला व चैक किया तो फैक्टी के पीछे वाली जगह में 3 होद सीमेन्ट के बने हुए हैं एक इंजिन होद में पाइपों सहित लगा हुआ है बड़े वाले होद में फर्नीसर आईल डामर भरा मिला । जिसके बाबत विक्रम सिंह से पूछा गया तो बताया कि वह फर्नीस आयल डामर का भण्डार किया हुआ है जिसे इस प्रकार डामर जमा कराने के लिए कोई लाइसेन्स नहीं होने बाबत पूछा तो कोई लाइसेन्स होना बताया । इस प्रकार बिना अनुज्ञा पत्र के डामर (आयल) का भण्डारण करना ई.सी. एक्ट की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । अतः रूबरू मौत बिरान सर्वश्री (1) शम्भुदयाल सैनी एसआई व कानि. खलील खां 1139 के फर्नीस आयल डामर को मय होदों (टेंकों) व इंजन के तथा सामान के जप्त किया जाकर बतौर नमूना दो प्लास्टिकों की पीपीयों में भरा जाकर सील मोहर किया गया । अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु एफ आई. मय फर्द जाप्ता के थानाधिकारी डीग को जो मौके पर ही हैं सुपुर्द की जाती हैं । एस. डी. भरतमीणा, सी. ओ. भरतपुर (ग्रा.) कैम्प डीग समय 8.30 ए. एम. संलग्न फर्द जप्ती एक । कार्यवाही पुलिस :— उपरोक्त एफ.आई.आर. मय फर्द जप्ती के वास्ते कायमी मुकदमा श्रीमान् सी. ओ. साहब ग्रामीण भरतपुर ने मुझे एसएचओ को दी जो वास्ते कायमी मुकदमा एफ.सी. हरेन्द्रसिंह 1151 के थाने पर वास्ते कायमी मुकदमा भेजी जाती हैं । नम्बर जुर्म से सूचित करें । मन एसएचओ गोरधन सिंह मौके पर मसरूक तफतीश हूं । एस. डी. गोरधन सिंह एसएचओ डीग 15-10-95 समय 8.30 ए. एम. एसडी भरतमीणा सी. ओ. भरतपुर (ग्रा.) कैम्प डीग

नोट :— उक्त मज-मून की तहरीरी रिपोर्ट वास्ते कायमी मुकदमा बदस्त कानि. हरेन्द्रसिंह 1151 को थाना पर प्राप्त हुई जिस पर मु. नं. 443/95 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर प्रतियां एफआईआर, एस. आर. नियमानुसार जारी की गई । असल तहरीर बदस्त कानि. आमदा श्री हरेन्द्रसिंह 1151 के पास एसएचओ साहब रवाना की गई जो पहले से ही मसरूक तफतीश हैं ।

एस. डी.
आईसी. थाना डीग
9.15 ए. एम.
15-10-95

एस. डी.
हरेन्द्र सिंह

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की प्रति)

न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर

बहअलाश श्री सुनील धारीवाल, आर. ए. एस.

सीलिंग प्रकरण संख्या 65/81 (नया कानून)

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार	1. श्री धन्ना पुत्र दाना 2. श्री बना पुत्र दाना
	कायम मुकाम श्री धन्ना
	1. मु. बरजी पत्नी धन्ना जाट निवासी डण्डाली
	2. बाला दुख्तर धन्ना जाट निवासी पांचवा तहसील नावां जिला नागौर

दिनांक 18-2-83

निर्णय

राज्य सरकार उनके आदेश दिनांक 9-1-81 के द्वारा एस. डी. ओ. परबतसर के निर्णय दिनांक 5-3-75 को राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अनुसार नहीं होने तथा राज्य हित के प्रतिकूल मानते हुए मामले को खोल कर बाद जांच पुनः निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को निर्देश दिए हैं।

मामला पुनः खोलने का कारण बताया गया है कि जमाबन्दी संवत् 2027-30 के अनुसार धन्ना के नाम संयुक्त खाते में से 145 बीघा 14 बिस्वा भूमि निकलती है क्योंकि धन्ना के नाम अलग भूमि अन्य दर्ज है जिसको एस. डी. ओ. ने ध्यान में नहीं रखा और भैरू जो बन्ना का लड़का है उसे भी धन्ना के परिवार में शामिल कर निर्णय दिया तथा हस्तांतरणों की भी जांच नहीं की कि 3-12-73 के एक हस्तांतरण जो कि डिक्री द्वारा हुआ की जांच नहीं की।

अप्रार्थी घन्ना को कायम मुकामात मु. बाला व मु. बरजी को नोटिस दिया परन्तु दोनों ही बावजूद नोटिस गैर हाजिर रहे जिसके कारण दोनों के विरुद्ध कार्यवाही इक तरफा की गई। नकल जमाबंदी जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है कि अनुसार संयुक्त खाता संख्या 58 में घन्ना के हिस्से की 91.5 बीघा बारानी तथा खाता संख्या 59 में घन्ना अकेले के नाम 36.19 बारानी तथा एक अन्य संयुक्त खाता संख्या 60 में 17.5 बीघा बारानी भूमि अर्थात 91.5+36.19+17.5 = 145.9 बीघा भूमि 25–9–70 व 1–1–73 को धारण करता था परन्तु ड्राफ्ट स्टेटमेंट 145.4 बीघा बारानी भूमि का जारी किया गया था इस प्रकार 5 बिस्वा कम जमीन स्लिप आफ पेन से कम बताई गई। एस. डी. एस. की तामील भी मुख्यात बाबा व बरजी पर करवाई गई और न ही वो हाजिर हुई ऐसी सूरत में अप्रार्थी के परिवार को एक युनिट माना जाता है। रिटर्न के अनुसार भी अप्रार्थी घन्ना के परिवार में 5 सदस्यों से ज्यादा सदस्य नहीं हैं तथा भूमि हस्तांतरण 1-1-73 के वहक होने से मानने योग्य नहीं है नार्वा तह. Samberligon में है वहां पर एक युनिट के लिये नये सीलिंग कानून के तहत अप्रार्थी 135 बीघा बारानी भूमि धारण कर सकता था जबकि घन्ना के खातेदारी में 25-2-70 व 1–1–73 को 145.9 बारानी भूमि थी। इस प्रकार प्रार्थी घन्ना के पास 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से ज्यादा थी को सरप्लस घोषित की जाती है।

अतः 10.9 बीघा भूमि सरप्लस घोषित की जाती है। धारा 12 का जो ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट जारी किया गया था में वर्णित भूमि 145.4 के बजाय 145.9 तथा सरप्लस भूमि 10.4 के बजाय 10.9 मानते हुए फाइनल ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी किया जावे जिसकी तामील नियमानुसार करवाई जावे। तथा अप्रार्थी को यह भी लिखा जावे कि वो फाइनल स्टेटमेंट के तामील से 15 दिन में भार रहित जमीन सरण्डर करने हेतु अपना आपशन पेश करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सही/–
(सुनील धारीवाल)
अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 301 की प्रति)

फर्द–कुर्की

आज दिनांक 12-7-95 को मौजा ओडिट के खसरा नम्बर 213 गै. मु. अंगोर पर किए जा रहे अवैध खनन को बन्द करवाने हेतु बशामलात हल्का R. I. एवं हल्का पटवारी के मौके पर पहुंचा। अवैध खनन की रिपोर्ट करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को तलब करने पर उनके द्वारा जो साक्ष्य पेश किए गए उसके अनुसार 25 व्यक्तियों को खान विभाग द्वारा कुल 28,667 वर्ग फीट एरिया क्वारी लाइसेन्स के रूप में दिया जाकर खनन हेतु अधिकृत किया जाना पाया जाता है। भू. अ. निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट लिए जाने पर यह पाया गया कि ख. नं. 212 व 213 में कुल 11,1/4 रकबे में खनन कार्य किया जा चुका है/किया जा रहा है। इस प्रकार ख. नं. 212 के अलावा भी 213 गै. मु. अंगोर में 8 बीघा व 14 बिस्वा रकबे पर अनधिकृत खनन पाया गया है। अतः मौके पर अवैध रूप से खनन कर निकाली गयी पट्टियां, जो मौके पर पड़ी पाई गई हैं। खनन किए जा रहे क्षेत्र में प्रत्येक मुंहे के सामने 20-20 पट्टियां एवं 8-8 आसलेट पड़े हुए हैं, तथा प्रत्येक के सामने 25-25 फरसियां भी पड़े हैं। इस प्रकार मौके पर कुल 500 पट्टियां एवं 200 आसलेट व 625 फर्से पड़े पाए गए। जिन्हें मौके पर कार्यवाही कर कुर्क किया गया। उक्त कुर्क शुदा सामान पटवारी हल्का ओडिट की तहवील में सुपुर्द किया गया तथा पाबन्द किया गया कि उक्त कुर्क शुदा सामान को अपनी निगरानी में रखे एवं खुर्द-बुर्द न होने दे। मौके पर चालू खनन कार्य को मौके पर बन्द किया गया तथा उपस्थित सभी अवैध रूप से खनन करने वालों को पाबन्द किया गया कि भविष्य में आगे खनन कार्य न करें तथा न ही तहवील शुदा सामान को भी खुर्द-बुर्द करें। फर्द मौके पर मुतिब की जाकर पढ़कर सुनाई गई। उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए गए। कुर्की सम्बन्धी आम सूचना ग्राम के आम गुवाड़ में चस्पा की गई। यह खनन कार्य इन्हीं व्यक्तियों द्वारा विभिन्न वर्षों में किया गया है।

ह०/–

तहसीलदार, लाडनूं

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 305 की सूची)

तहसील टोड़ाभीम

क्र.सं.	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	पाटोली	2.95
2.	सोकरवाड़ा	2.05
3.	मंडेरू	0.47
4.	चूरंपुरा	0.05
5.	खेडी	1.95
6.	खानपुर	1.47
7	माचडी	1.64
8.	शहराकर	0.25
9.	सुजानपुर	1.07
10.	शेखपुरा	11.24
11.	पट्टी शेखपुरा	3.44
12.	आखाबाड़ा	7.25
13.	किरवाडा	1.10
14.	मोटवाडा	5.38
15.	आरेज	5.63
16.	अख्यपुर	0.50
17.	मोहनपुरा	0.01
18.	रानोली	4.12
19.	कालवाड़ी	5.19
20.	गावडी	0.38
21.	पदमपुरा	0.25
22.	कमालपुरा	1.60
23.	नांद	0.15
24.	गोरडा	0.25
25.	भण्डारी	3.75
26.	राजोर	1.25
27.	बिजलवाडा	1.20
28.	एंदलपुर	0.12
29.	नागल शेरपुर	6.15
30.	पहाडी	2.00

तहसील नादौती

क्र.सं.	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	राजाहेडा	4.15
2.	बाडा	11.25
3.	सन्देरा	2.00
4.	गिदानी	0.39
5.	खेडला	2.15
6.	रलावता	1.85
7.	मालुवाड़ा	0.65
8.	मिलकसराय	1.25
9.	केमला	0.40
10.	सोप	3.04
11.	कुन्जेला	7.10
12.	नादौती	0.18
13.	बाडा वाजिदपुर	0.05
14.	खेडली	0.75
15.	रोसी	0.64
16.	नयापुरा	1.65
17.	बडागांव	0.45
18.	गडमोरा	0.16
19.	अलूदा	0.18
20.	गुढा चन्द्रजी	10.22
21.	गढखेडा	0.50
22.	घोलेटा	0.17
23.	गावंडी	1.25
24.	मुहानो	2.76
25.	गुणा	0.43
26.	भंवरवाडा	2.82
27.	रींगसपुरा	0.14
28.	जाहरा	4.08
29.	माचडी	1.20
30.	शहर	1.20
31.	भावरा	0.77
32.	खुर्द	0.36
33.	नया बास	3.30
34.	गोठरा	5.78

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 308 की सूची)

परिशिष्ट – "1"

राजस्व/फौजदारी मुकदमात की स्थिति विगत 5 वर्षों की न्यायालय सहायक कलक्टर, बांदीकुई (बसवा)

क्र. सं.	वर्ष	पिछला बकाया		कुल बकाया	दायर हुए		कुल दायर	कुल योग 5 से 8	निस्तारण		कुल निस्तारण	अवशेष मुकदमात		कुल अवशेष	विशेष विवरण
		राजस्व	फौजदारी		राजस्व	फौजदारी			राजस्व	फौजदारी		राजस्व	फौजदारी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	1991	432	114	546	309	238	547	1093	42	198	240	699	154	853	
2.	1992	699	154	853	314	261	575	1428	46	257	303	967	158	1125	
3.	1993	967	153	1125	230	359	589	1714	115	312	427	1082	205	1287	
4.	1994	1082	205	1287	142	171	313	1600	117	256	373	1107	120	1227	
5.	1995 (30-10-95 तक)	1107	120	1227	265	289	554	1781	175	172	347	1197	237	1434	
					1260	1318	2578		495	1195	1690	1197	237	1434	

299

परिशिष्ट – "2"

न्यायालय का नाम	वर्ष	पिछला अवशेष	दायर	योग	निर्णीत	शेष
1	2	3	4	5	6	7
तहसीलदार, बसवा	1991	2	2	4	2	2
	1992	2	2	4	1	3
	1993	3	12	15	4	11
	1994	11	1	12	11	1
	1995	1	1	2	—	2
			18		18	2

ह/०

जिला कलेक्टर, दौसा

(301)

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 315 की सूची)

संस्थान 1	स्थान 2	कार्यरत/रिक्त 3
1. उच्चीकृत उपकेन्द्र	1. कोटड़ा (उच्चीकृत)	पदस्थापित
	2. सांवलपुरा तंवरान	रिक्त
	3. खटखड़ मोड़	पदस्थापित
2. उपकेन्द्र	1. माण्डवा खुर्द (उपकेन्द्र)	"
	2. माण्डोली	"
	3. हरजनपुरा	"
	4. पीथलपुर	"
	5. दयाल की नांगल	"
	6. गोविन्दपुरा	"
	7. बिहारीपुरा	"
	8. भगेगा	"
	9. रायपुर पाटन	"
	10. दरीबा	"
	11. घासीपुरा	"
	12. मावण्डा कलां	"
	13. अहिरान ढाणी	"
	14. घाटा गंवार	"
	15. दलपतपुरा	"
	16. सीमली	"
	17. गांवली	"
	18. दीपावास	"
	19. तिवाड़ी का बास	"
	20. मोढूका	"

1	2	3
	21. चला की ढाणी	पदस्थापित
	22. पुरानाबास	,,
	23. लादिया	,,
	24. जीलो	,,
	25. श्यामपुरा	,,
	26. पांचू खरकड़ा	,,
	27. बल्लूपुरा	,,
	28. हरिपुरा	,,
	29. माकड़ी	,,
	30. बोपिला	,,
	31. धान्धेला	,,
	32. लुहारवास	,,
	33. मांवड़ी	,,
	34. रायपुर जागीर	,,
	35. राजपुरा	,,
	36. मगोठ	,,
	37. नृसिंहपुरी	,,
	38. बांसड़ी	,,
	39. पीथमपुरी	,,
	40. लोदी का बास	रिक्त
	41. अजमेरी	,,
	42. बैगा की नांगल	,,
	43. नयाबास	,,
	44. केमरवाली	,,
	45. जुगलपुरा	,,
	46. न्योराना	,,

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 317 की सूची)

क्र.सं.	नाम उपकेन्द्र	नाम प्रसाविका	कार्यरत है/नहीं
1	2	3	4
1.	बडियाला खुर्द	1. श्रीमती जैनम्मा पी. एस.	कार्यरत
2.	रूपवास	2. श्रीमती दुर्गा मेहरा	–यथा–
3.	नन्देरा	3. श्रीमती मारग्रेट	"
4.	गोलाड़ा	4. श्रीमती मन्जूलता सक्सेना	"
5.	बैंजूपाडा	5. श्रीमती कौशल शर्मा	"
6.	चान्देरा	6. श्रीमती सरस्वती देवर बैरवा	"
7.	महुखेड़ा	7. श्रीमती रामप्यारी कनोजिया	"
8.	मीना पाडा	8. श्रीमती कमलेश पारीक	"
9.	लोटवाड़ा	9. श्रीमती सुसन वर्गीस	"
10.	धनावडा अपग्रेड	10. श्रीमती सन्तोष देवी	"
11.	कालेड	11. श्रीमती अनम्मा कुरियन	"
12.	करणावर	12. श्रीमती मेरी कुट्टी एन. ए.	"
13.	रायपुर	13. श्रीमती मधु शर्मा	"
14.	कौलाना	14. श्रीमती बिमला सेईवाल	"
15.	बान्दीकुई जागीर	15. श्रीमती पुष्पा नामित	"
16.	भांवता–भांवती	16. श्रीमती विमला शर्मा	"
17.	पीछूपाड़ा	17. श्रीमती सन्तोष बत्रा	"
18.	अन्नतवाड़ा	18. श्रीमती रूकमणी देवी दाई	"
19.	ऊनबड़ागांव	19. श्रीमती अनम्मा के. जी.	"

1	2	3	4
20.	श्याम सिंहपुरा	20. श्रीमती सुधा शर्मा	कार्यरत
21.	गुल्लाना	21. श्रीमती ममता साहू	"
22.	खेडा-खेडी	22. श्रीमती मुन्नी देवी शर्मा	"
23.	देलाडी	23. श्रीमती मन्जू माथुर	"
24.	कोल्वा	24. 30-9-95 तक पदस्थापित प्रसाविका अनुपस्थित रहने के बाद कार्यग्रहण करने पर विभागीय कार्य-वाही बकाया रखते हुये पदस्थापन अन्यत्र किया गया है।	
25.	रेहडिया	25. श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा	कार्यरत
26.	ऐचेंडी	26. श्रीमती प्रेमकुमारी कुमावत	"
27.	ढिगारिया भीम	27. श्रीमती इन्द्र देवी शर्मा	"
28.	बालाहेडी	28. श्रीमती तारा देवी शर्मा	"
29.	गादरवाड़ा गुजरान	29. श्रीमती रेणु शर्मा	"
30.	निहालपुरा	30. श्रीमती कमलेश वर्मा	"
31.	भोजवाड़ा	31. श्रीमती नीलम तुली	"
32.	पूदरपाडा	32. श्रीमती सुशीला शर्मा	"
33.	गुढलिया	33. श्रीमती आशा वर्मा	"
34.	अरणिया	34. रिक्त (दोहरी संस्था के कारण)	"

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 325 का विवरण)

परिशिष्ट—1

जालोर जिले में वर्ष 1994-95 में सड़कों की मरम्मत के कराये गये कार्य की सूची

क्रमांक	कार्य का नाम	94-95 में व्यय की गई राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	कामन्द्री रामसीन मोकलसर सड़क को सिंगल लेन से इन्टर-मिडियट लेन में परिवर्तित करना।	0.73
2.	रानीवाड़ा मण्डार सड़क पर स्थित बडगांव ब्रिज की क्षतिग्रस्त कट आफ वाल की मरम्मत का कार्य।	1.92
3.	जालोर, भीनमाल, रानीवाड़ा सड़क किमी. 7.10 एवं 11 11 में क्षतिग्रस्त नालों को चौड़ा कर सुधार कार्य।	3.82
4.	जालोर भीनमाल, रानीवाड़ा सड़क किमी. 55/0 से 59/0 में पुनः डामरीकरण का कार्य।	2.83
5.	जालोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, कालन्द्री, रामसीन, मोकलसर सड़क किमी. 43/0 से 46/0 में डामरीकरण का कार्य।	2.48
6.	सांचौर, रानीवाड़ा, मण्डावर सड़क किमी. 23/0 से 27/0 को चौड़ा कर डामरीकरण का कार्य।	3.76
7.	बाड़मेर, सिन्दी, जालोर, अमृतिया सड़क किमी. 157/0 से 176/0 को चौड़ा कर डामरीकरण का कार्य।	0.28
8.	आहोर, रोहीट वाया मांद्राजून किमी. 87/0 से 91/0 से 93/0 से 90/0 में डामरीकरण का कार्य।	0.02
9.	आहोर रोहीट वाया भाद्राजून किमी. 96/0 से 100/0 एवं 121/0 से 122/0 को चौड़ा कर डामरीकरण का कार्य	2.68
10.	आहोर रोहीट वाया भाद्राजून सड़क किमी. 116 में प्रोटेक्शन वाल का निर्माण कार्य।	0.95

306

1	2	3
11.	आहोर रोहीट वाया माद्राजून सड़क किमी. 95/0 से 96/0 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कट आफ वाल एवं पैचिंग कार्य	1.14
12.	भीनमाल सांचौर वाया करडा किमी. 52/0 से 57.0 में पुनः डामरीकरण का कार्य।	1.19
13.	भीनमाल सांचौर वाया करडा किमी. 12/0 से 16/0	0 68
14.	साण्डराव मोकलसर सड़क किमी. 46/0 से 69/0 में क्षतिग्रस्त रपटों की मरम्मत का कार्य।	2.66
15.	भीनमाल पाथेंड़ी सड़क किमी. 16/0 से 17/0 में डामरीकरण का कार्य।	0.51
16.	भीनमाल से पाथेंडी सड़क किमी. 14 में क्षतिग्रस्त कट आफ वाल एवं सीमेन्ट कंकरीट बेड का निर्माण।	9.47
17.	कूडा से करडा सड़क के किमी. 1/0 में कट आफ वाल एवं एप्रोच का निर्माण।	2.48
18.	दहींपुर मैत्रीवाडा सड़क किमी. 11 में क्षतिग्रस्त नाले का निर्माण एवं किमी. 5 में प्रोटेक्शन दीवार का कार्य।	2.47
19.	कानीवाडा हरजी सड़क किमी. 5, 9, 10 एवं 16 में नालों का निर्माण कार्य।	5.57
20.	गडराली गोलासन सड़क किमी. 2/0 से 4/0 में डामरीकरण का कार्य।	0.51
21.	रेवदर से जसवन्तपुरा सड़क किमी. 22/0 से 27/0 में डामरीकरण का कार्य।	4.56
22.	मालवाडा रेल्वे स्टेशन से मालवाडा ग्राम किमी. 0/0 से 2/0 में डामरीकरण का कार्य।	0.98
23.	माद्राजून से रामा सड़क किमी. 6/0 से 9/0 में डामरीकरण का कार्य।	0.81

1	2	3
24.	उमेदपुर से हरजी सड़क किमी. 1/0 से 4/0 में डामरीकरण का कार्य ।	4.12
25.	भांगली से बाकरा सड़क किमी. 4/0 से 8/0 में डामरीकरण का कार्य ।	1.17
26.	भरूडी तबाब मोदरा सड़क किमी. 6/0 से 10/0 में डामरीकरण का कार्य ।	1.29
27.	दईपुर मैत्रीबाडा सड़क किमी. 0/0 से 2/0 में डामरीकरण का कार्य	1.83
28.	कूडा से करडा सड़क किमी. 4/0 से 6/0 में डामरीकरण का कार्य	0.86
29.	भांगली बाकरा सड़क किमी. 0/0 से 4/0 में डामरीकरण का कार्य	0.61
30.	सांचौर हाडेचा सड़क से सिद्धेश्वर माताजी मन्दिर सड़क का निर्माण किमी. 0/0 से 1/500	0.71
31.	एप्रोच सड़क सामूजा सड़क की मेटल सड़क को डामरीकरण में परिवर्तित करने का कार्य ।	2.38
32.	एप्रोच सड़क खेमंत्री माताजी सड़क पर स्थित नाले का निर्माण कार्य	0.96
33.	आहोर से सनैवाडा मेटल सड़क को डामर सड़क में परिवर्तित करने का कार्य ।	1.44
34.	सेदड़िया से पावटा सड़क किमी. 0/0 से 3/500 को सुदृढ़ कर डामरीकरण का कार्य ।	0.79
		68.66

परिशिष्ट—2

जालौर जिले की 1994 की वर्षा से विशेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य जो कि बाढ़ सहायता में स्वीकृत नहीं हो सके

क्र.सं.	सड़क का क्रमांक	सड़क का नाम	खर्चा (लाखों में)	भौतिक प्रगति सड़क की लम्बाई (किमी. में)
1	2	3	4	5
1.	एसएच-11	सांचौर-रानीवाडा-मण्डार रोड	21.09	20 किमी.
2.	एसएच-16	बाड़मेर-सिन्दरी-जालौर-अमृतिया रोड	29.45	32 किमी.
3.	एसएच-31	जालौर-भीनमाल-रानीवाड़ा	45.05	52 किमी.
4.	एसएच-38	सिरोही-कालन्द्री-रामसीन-जालौर-मोकलसर रोड	3 80	4 किमी.
5.	एमडीआर-14	आहोर-रोहिटवाया भाद्राजुन	9.08	4 किमी.
6.	एमडीआर-16	सायला-बागोडा रोड	3.98	4 किमी.
7.	एमडीआर-17	सांचौर-वाकासर रोड	2.85	3 किमी.
8.	ओडीआर-4	मालवोडा-जसवंतपुरा रोड	2.30	2.5 किमी.
9.	ओडीआर-5	भीनमाल-जसवंतपुरा रोड	2.88	3 किमी.
10.	ओडीआर-6	जालौर-सियाना-सिरोही रोड	2 16	2 किमी.
11.	ओडीआर-7	साण्डेराव-मोकलसर रोड वाया गुडा	2.05	2 किमी.
12.	ओडीआर-10	भीनमाल-बागोडा-सोबरावास	4.87	5 किमी.
13.	ओडीआर-11	जालौर-रोवतडा-सायला	2.03	3 किमी.
14.	ओडीआर-12	भीनमाल-सांचौर वाया करडा	2.75	3 किमी.
15.	वीआर-53	बीशनगढ-भंवरानी	1.35	1.5 किमी.
16.	वीआर-48	जसवंतपुरा-रेवदर	1.24	1 25 किमी.
17.	वीआर-57	कनीवाडा-हरजी रोड	1.51	1.5 किमी.
18.	वीआर-70	सिसावा-दुथवा	1.25	1.25 किमी.
19.	वीआर-18	मरूडी-तवाब-भोडरन	3.88	3.50 किमी.
			145.79	148.50 किमी.

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 327 की सूची

सूची "अ"

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली के सड़कों से नहीं जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान स्थिति सड़क मेटल	ग्रेवल	कच्चा रास्ता	सड़क की कुल लम्बाई	डामर करने की लागत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बुचारा (938/1080/1534)	कोटपूतली	—	2 कि.मी.	6 कि.मी.	8 कि.मी.	—	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण प्रगति पर है। कार्य की 96-97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
2.	जयसिंहपुरा (828/960/1187)	कोटपूतली	—	—	2.5 कि.मी.	2.5 कि.मी.	15.00 लाख	यह गांव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है जिसकी 96-97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

309

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	पुरूषोत्तमपुरा (1238/1759/2160)	कोटपूतली	—	—	3 कि.मी.	3 कि.मी.	—	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण करवाने की स्वीकृनि है। जिसकी 96-97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
4.	पांचूडाला (2339/2881/3858)	कोटपूतली	—	—	2 कि.मी.	2 कि.मी.	—	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण करवाने की स्वीकृति है। जिसकी 96-97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
5.	रायकरणपुरा (990/1146/1687)	कोटपूतली	—	—	1 कि.मी.	1 कि.मी.	6.00 लाख	किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।
6.	मलपुरा (749/947/1230)	कोटपूतली	—	—	1 कि.मी.	1 कि.मी.	6.00 लाख	यह किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
7.	रामसिंहपुरा (696/948/1230)	कोटपूतली	—	—	1 कि.मी.	1 कि.मी.	6.00 लाख	यह किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8.	कूजोता (1286/1812/2393)	कोटपूतली	—	—	1 कि.मी.	1 कि.मी.	6.00 लाख	कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्माणाधीन है जिसकी 96-97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	फतेहपुर कलां (741/936/1539)	कोटपूतली	—	—	2 कि.मी.	2 कि.मी.	12.00 लाख	यह कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।
10.	भूरी मडाज (2522/3350/4548)	कोटपूतली	—	—	3.50 कि.मी.	3.50 कि.मी.	14.80 लाख	यह गांव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है जिसकी 96-97 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।
11.	तुलसीपुरा (928/800/1331)	कोटपूतली	—	—	1 कि.मी	1 कि.मी.	6.00 लाख	किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।
12.	कल्याणपुरा कलां (838/1089/1406)	कोटपूतली	—	—	1 कि.मी.	1-कि.मी.	6.00 लाख	यह कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना में स्वीकृत है जिसकी 96-97 में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

311

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 332 की सूची)

सूची "क"

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना सीकर में पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची

पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	उप खण्डीय भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाई/चल पशु चिकित्सा इकाई
1	2	3
(1) चिपलाटा	(1) भूदोली	(1) उप खण्डीय भ्रमणशील पशु चिकित्सा इकाई, नीमकाथाना
(2) नरसिंहपुरी (गुहाला)	(2) हसामपुर	
(3) नीमकाथाना	(3) खटखड़	(2) चल पशु चिकित्सा इकाई, डाबला
(4) पाटन	(4) सिरोही	
(5) हाथीदेह	(5) टोडा	

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 333 की सूची)

सूची "क"

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाएं

1. सब डिविजनल मोबाइल यूनिट, कोटपूतली

पशु चिकित्सालय — 4

1. कोटपूतली
2. बनेठी
3. राजनोता
4. गोनेड़ा

पशु औषधालय—2

1. गोवर्धनपुरा
2. दांतिल

(314)

परिशिष्ट–18

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख)

[श्री जितेन्द्र मीनामा (घाटोल)]

घाटोल में खमेरा से माही डेम वाया भूगड़ा रोड की खराब स्थिति

निवेदन है कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र में खमेरा से माही डेम वाया भूंगडा रोड करीब 20 कि. मी. की लम्बाई है। यह रोड गये वर्ष ओलावृष्टि से बिलकुल खराब हो गया करीब इस रोड पर दो–तीन फीट के खड्डे पड़ गये। तब से इस रोड को कोई देख नहीं रहा है। उस रोड पर चलने वाली सारी यात्री वाहन बन्द पड़े हैं। जनता काफी आने–जाने में परेशान है। आदिवासियों से वाहवाही लूटने वाली सरकार व सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आदिवासियों की कोई भलाई करना चाहते हैं तो इस रोड पर तत्काल डामरीकरण कराकर ठीक करें।

[श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल)]

जायल के राजकीय चिकित्सकों द्वारा अनियमितता

तहसील जायल जिला नागौर में डेह, जायल, रोल, कठोति, खाटू, दुगौलीव तरनाड में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। परन्तु उपरोक्त सभी केन्द्रों पर जो भी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी व कम्पाउण्डर कार्यरत हैं वे लोग चिकित्सालय में न बैठकर अपने घर पर ही रहते हैं तथा वहीं पर मरीजों को देखा जाता है व सभी मरीजों से फीस वसूल की जाती है जिससे इस क्षेत्र की गरीब जनता बेहद परेशान हो रही है क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का भी लाभ चिकित्सा सुविधा का नहीं मिल रहा है।

साथ ही उक्त चिकित्सक व कम्पाउण्डर कब छुट्टियों पर जाते हैं तथा कब आते हैं इसका कोई पता नहीं रहता है क्योंकि चिकित्सालय में आने पर किसी का पता चलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा ?

साथ ही जब कोई ग्रामीण व्यक्ति साहस करके यह पूछ भी लेता है कि फीस किस बात की ली जा रही है तो उस मरीज को कभी नहीं देखा जाता है और कह दिया जाता है कि जहां मरजी हो वहां पुकार लेना। महोदय मैंने स्वयं भी उक्त केन्द्रों पर यही स्थिति देखी है और पीछे से कहते हैं कि यह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है इसकी कोई नहीं मानता यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

अतः यह मामला विशेष उल्लेख के जरिये नियम 295 में उठाने की अनुमति दी जावे। यह मामला माननीय चिकित्सा मंत्री जी से सम्बन्धित है।

[श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)]

पटवारी पद हेतु ली गयी परीक्षा की हिन्दी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की अनियमित जांच

राज्य के 23 जिलों में पटवारी के करीब नौ सौ खाली पदों के लिए राजस्व मण्डल अजमेर ने सीधी भर्ती परीक्षा, 1995 की परीक्षा पिछले नौ व दस सितम्बर को ली थी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी व गणित दसवीं कक्षा के स्तर के पर्चे रखे गये।

इस भर्ती के लिए ली गई परीक्षा की हिन्दी पर्चे की कापियां जांचने में गैर हिन्दी परीक्षकों द्वारा जबरदस्त भ्रष्टाचार, धांधली व लोक सेवा आयोग के सामान्य नियमों यथा रोल नं. व परीक्षण स्थल की गोपनीयता, 20 कापी से अधिक न जांचने, निष्पक्षता आदि की खुली अवहेलना की जा रही है।

सामान्य हिन्दी के पर्चे में भाषा दक्षता की परख की जानी थी। इसमें निबन्ध, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन तथा व्याकरण का भाग भी रखा गया। इस काम के लिए करीब 80 लोग लगाये गये हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिन्दी की कापियां जांचने वालों में से ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी हिन्दी नहीं पढ़ाई तथा आर. एस. एस. से सम्बन्ध है।

राजकीय महाविद्यालय के काफी प्राध्यापक इस काम में जुटे हैं। इनमें आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबन्ध के दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, और एस. के. देव तथा व्यावसायिक प्रशासन के खूबचन्द जैन शामिल हैं। प्राणी शास्त्र के मधुर मोहन रंगा अंग्रेजी के विषय अरोड़ा सिन्धी, राजनीतिक विज्ञान के प्रेम बिहारी शर्मा, इतिहास के नवल किशोर उपाध्याय, अर्थशास्त्र के महेन्द्र लूणिया और अनूप श्रीवास्तव, विधि संकाय के राधेश्याम अग्रवाल भी हिन्दी की कापी जांच रहे हैं। इनके अलावा दयानन्द विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के रीडर डा. एस. एल. लोढ़ा, राजनीतिक विज्ञान के रीडर, डा. एन एस. गहलोत, इतिहास के रीडर डॉ जी. एन. व्यास तथा कुलपति के प्रशासनिक सचिव डा. आर. एन. चतुर्वेदी भी शामिल हैं। कुछ रिटायर लोग भी यह काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जगमोहन सक्सेना, ओमप्रकाश शर्मा और वी. एस. शर्मा तथा डी सी. शर्मा। चौंकाने वाली बात यह है कि इन परीक्षकों का मुखिया एक रिटायर आई. ए. एस., एन डी खन्ना को बनाया गया है। इनको सभी को हिन्दी पढ़ने और पढ़ाने का कोई वास्ता ही नहीं रहा।

गैर हिन्दी परीक्षक खुसर-फुसर करके एक दूसरे की मदद लेते हुए कापियां जांच रहे हैं। पैसों के लालच में काम किया जा रहा है।

अतः राजस्व मंत्रीजी से पुरजोर मांग है कि हिन्दी पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं की दुबारा जांच, हिन्दी विषय के अध्यापक/प्राध्यापकों द्वारा ही कराकर 75 हजार उम्मीदवारों को जल्दबाजी में गैर हिन्दी परीक्षकों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण जांच से राहत व न्याय प्रदान करें।

[श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़)]

विद्याधर नगर, जयपुर में आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण

मैं इस सदन का ध्यान विद्याधर नगर के सेक्टर नम्बर 4 में आवासीय मल्टीपरपज तथा आरक्षित भूमि जिसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जाती है उस भूमि (जे. डी. ए. भूमि) पर कच्ची बस्ती द्वारा अतिक्रमण किये जाने तथा उस बस्ती को अन्यत्र ले जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान् इस भूमि पर प्रारम्भ में 2-3 असामाजिक लोगों के परिवारों की झोंपड़ियां थी जहां आज 60-70 बनी हुई हैं, जे. डी. ए. द्वारा फेंसिंग इस भूमि पर की थी उसे हटाकर अतिक्रमण इन लोगों द्वारा बार-बार किया जा रहा है तथा इन झोंपड़ियों को किराये पर चलाया जा रहा है, इस बस्ती के लोगों द्वारा रात दिन खुले तारों से लाइन पर से विद्युत की चोरी की जाती है जिससे फाल्ट होते हैं अन्य लोगों के टी. वी. फ्रीज इत्यादि जल जाते हैं, इन लोगों द्वारा सरकारी पानी की पाइप तोड़कर पानी का दुरूपयोग किया जा रहा है, सरेआम मदिरा पीकर तथा सुअरों इत्यादि को जिन्दा जलाकर आसपास की बस्ती में आक्रोश पैदा किया जाता है।

श्रीमान् इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में एक अतारांकित, एक तारांकित, याचिका तथा 295 नियम के अन्तर्गत यह मामला इस सदन में उठाया गया था परन्तु बड़े दुख की बात है कि इस सचिवालय द्वारा 3-4 रिमाण्डर्स के बावजूद भी किसी का उत्तर नहीं आया है। यह बड़े दुःख की बात है।

अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर इस बस्ती को अन्यत्र शिफ्ट किया जावे और इस भूमि को नियमानुसार आवंटित किया जावे।

[श्री हीरालाल (बामनवास)]

पुलिस थाना नैनवां में दर्ज प्रकरण

पुलिस थाना नैनवां जिला बूंदी में फर्जी दस्तावेजात तैयार करने तथा धोखाधड़ी करने सम्बन्धी एक मुकदमा इल्जाम नम्बर 47 दिनांक 24-3-92 को दर्ज किया जाकर तफ्तीश की गई, मूल दस्तावेजात न्यायालय ए. सी. जे. एम., नैनवां में होने से एक्सपर्ट से उनकी जांच नहीं करवाई जाकर मामले में दिवानी दावे के फैसले तक अन्तिम रिपोर्ट लगाई जाने की कार्यवाही की जा रही है। जबकि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड़ में मुकदमे का न्यायालय में चालान पेश करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, तथा मियाद निकलने के उपरान्त पेश मुकदमे न्यायालय द्वारा खारिज किये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में निम्न निवेदन है :—

1. दस्तावेज न्यायालय से प्राप्त करके उनके सही या फर्जी होने बाबत जानकारी विशेषज्ञ से की जा सकती है।

2. विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय की इजाजत लेकर न्यायालय में ही दस्तावेजात की जांच की जा सकती है।

3. यदि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दस्तावेज की विशेषज्ञ के जरिये जांच करवाने की इजाजत नहीं दी जावे तो इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन भेजकर के भी दस्तावेजात वास्ते जांच प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. यदि फौजदारी प्रकरण में अविलम्ब ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया तो मुलजिमों को अपने बचाव का समय एवं लाभ मिल जायेगा तथा दोषी व्यक्ति सजा पाने से वंचित रह जायेगा।

5. दीवानी न्यायालय में दस्तावेज होने मात्र कारण फौजदारी प्रकरण समाप्त नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल एक्ट के लिए फौजदारी प्रकरण को न्यायालय में पेश करके फैसला करवाया जाना ही न्याय हित में है।

अतः पुलिस थाना नैनवां जिला बूंदी में दर्ज प्रकरण 47 सन् 92 की तफ्तीश पूर्ण की जाकर सम्बन्धित फौजदारी न्यायालय में मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश किया जावे। तथा इस बाबत प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मुलजिमों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पर डाले जा रहे दबाव में अधिकारियों के नहीं आने का भी आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

[श्री ओमप्रका शर्मा (बूंदी)]

बूंदी जिले की लम्बित पेयजल योजनाएं

अध्यक्ष महोदय, मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले की अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से नई योजनाएं बनवाती है, पहले तो योजना बनती है तो सहायक अभियन्ता बड़ी मसक्कत के बाद योजना बनाते हैं सहायक अभियन्ता के पास अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता के पास दो–तीन माह तक पड़ी रहती है, वहां से बड़ी कठिनाई के बाद अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय एडी. चीफ इन्जीनियर के कार्यालय में पड़ी रहती है। एक वर्ष तक बीत जाता है वहां से जयपुर फाइल आती है तो यहां से उसमें कमियां निकाल दी जाती हैं। इसी प्रकार पुनः वापस सहायक अभियन्ता के पास जाती है।

मेरा निवेदन है कि क्या उच्च अधिकारी प्रत्येक तीन माह में जिला मुख्यालय पर जाकर कमियों को दूर कर सकते इस कारण समय पर बनाई गई योजनाएं समय पर पूरी होगी एवं जो सामग्री लगानी है उस पर भी राज्य सरकार का बजट पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे बूंदी जिले की योजनाएं एक वर्ष से लम्बित पड़ी हैं। और T. M. सा. कोई न कमी निकाल कर फाइल जिला मुख्यालय पर भेज दी जाती है।

[श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)]

डूंगरपुर जिले में रोडवेज की पुरानी बसों का संचालन

डूंगरपुर जिले में जो रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं वे बहुत पुरानी हैं, और जो पूर्व में बसें अलाट की गई हैं, वे भी काफी पुरानी हैं। यात्रियों को उक्त बसों में यात्रा करना बहुत कठिन हो रहा है। डूंगरपुर जिला पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते काफी चढ़ाव भी आते हैं। उन चढ़ावों में बसें नियमित रूप से चढ़ नहीं पाती हैं। जिससे एक्सीडेंट भी होते हैं। बसों की सीटें भी ठीक नहीं हैं। साइड ग्लास भी नहीं लगे रहते हैं। बसों पर लाइट बोर्ड नहीं है कि कौन सी बस कहां को जायेगी ? यह जरूर लिखा रहता है कि डूंगरपुर से डूंगरपुर आदि, इस सम्बन्ध में यात्रियों को काफी पूछताछ करनी पड़ती है। वर्क शॉप में पूरा सामान उपलब्ध नहीं होने से मैकेनिकल लोग काफी परेशान हैं। जिससे समय पर बसें ठीक नहीं हो पातीं।

अतः आपसे निवेदन है कि इन जटिल समस्या का समाधान करते हुये डूंगरपुर जिले को नई गाड़ियां अलाटमेंट कराकर स्थानीय जनता को लाभान्वित करावें।

[श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)]

बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र में रोडवेज बसों की अव्यवस्था

सन् 1967 में बांसवाड़ा डिपो प्रारम्भ हुआ जिसमें सभी लीलेंड बसें थी, लीलेंड बसों की संख्या 86 थी लीलेंड बसे यहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सफल थीं।

बांसवाड़ा के वर्कशाप में भी सभी मैकेनिक लीलेंड बसों के हैं। स्थानीय बाजार में लीलेंड के पार्ट्स व कारीगर भी उपलब्ध हैं पिछले चार साल से बांसवाड़ा को लीलेंड के स्थान पर टाटा बसों का डिपो बना दिया। यहां से सभी लीलेंड बसें हटाकर टाटा बसें दे दी गई, वे टाटा बसें सरकारी उपक्रम में सफल नहीं रही। डिपों में 86 के स्थान पर कम होते 74 बसें रह गई हैं। कुशलगढ़, सागवाड़ा, उदयपुर मार्ग पर अनेक बसें बन्द कर दी गई जो बसें अभी उपलब्ध हैं उनमें 52 बसें जर्जर हालत में हैं। यह बसें 5 से 10 लाख किलोमीटर चलकर कन्डम स्टेज पर हैं। शेष में से 10 बसें तीन लाख से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी हैं। भार डिपो में 10 बसें अच्छी हैं। इस कारण डिपों की एक्सप्रेस सेवाएं भी खराब चल रही हैं क्योंकि सभी एक्सप्रेस और कवर करने को ही डिपो को अच्छी कन्डीशन की बसें की जरूरत है क्या सरकार इस जनजाति क्षेत्र में रोडवेज को नई बसें देने का विचार रखती है एवं टाटा डिपो की जगह लीलेंड बसों का डिपो चलाने का विचार रखती है।

[श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर]

इन्दिरा गांधी नहर के भू-आवंटियों को खातेदारी सनद

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के बने भू-आवंटन नियमों में आवंटियों द्वारा पूरी किश्तें चुकाने के बाद खातेदारी सनद रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवंटी के घर भिजवाने का प्रावधान कर दिया गया है इसके बावजूद राजस्व तहसील लूणकरणसर एवं बीकानेर के काश्तकारों को इन नियमों के अनुसार खातेदारी सनद पूरी किश्तें चुकाने के बावजूद भी राजस्व विभाग द्वारा नहीं दिये जा रहे हैं। तथा काश्तकारों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है तथा खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। इसके अलावा भू-आवंटन हेतु बने बिक्री रजिस्टर में कई एन्ट्रीज पर किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर न होने की सूरत में भी काश्तकारों को ही रिपोर्ट कराकर लाने को कहा जाता है जबकि सेल रजिस्टर को मुकम्मिल रखना प्रशासन की जिम्मेवारी है। इस कार्य के लिये काश्तकार को दण्डित किया जाना उचित नहीं है।

इस क्षेत्र के काश्तकारों की दूसरी समस्या है कि पटवारियों द्वारा काश्तकारों के खिलाफ अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट करने की है। इन मामलों में काश्तकारों को बेवजह तंग किया जाता है – काश्तकार जानबूझकर सरकारी भूमि पर काबिज नहीं हैं।

काश्तकारों को अलॉटमेंट के वक्त पटवारी द्वारा मौके पर निशानदेही देकर अक्स में अंकित न होने के कारण यह समस्या पैदा हुई है। जिसका समुचित समाधान निकाला जाकर काश्तकारों को बेवजह की परेशानी से निजात दिलाई जावे।

बहुत से मामलों में काश्तकारों के पास भू-आवंटन पट्टा होते हुए व किश्तें चुकाने के बाद भी किश्तों की एन्ट्रीज सेल रजिस्टर में अंकित न होने के कारण खातेदारी सनद देने में जानबूझकर विलम्ब किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन अपने स्तर पर समस्या का समाधान करे।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार का ध्यान इन समस्याओं के समाधान के लिये आकर्षित करता हूं।

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

भरतपुर जिले की खेड़ली-गरासिया सड़क की मरम्मत

मैं विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय का सदन में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं :—

यह कि भरतपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 11 के ग्राम बांसी के पास से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित एक सड़क ग्राम खेडली गरासिया को जोड़ती है। यह सड़क करीब 15–16 कि. मी. लम्बी है और इसका निर्माण वर्ष 77–78 के लगभग हुआ। ये सड़क ग्राम पंचायत मुचसरलस गगवाना, लखनपुर मई, व खेडली गरासिया अर्थात् चार ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क की दशा अत्यधिक खराब हो चुकी है। निर्माण काल से अब तक इसका पुनः कारपेटिंग नहीं किया गया है तथा पैच वर्क भी बहुत ही कम हुआ है। इस वर्ष बाढ़ के कारण कई जगह से ये सड़क कट गई थी। और इसकी ऊपर की सतह अधिकांश जगह से उखड़ गई थी। इस पर बहुत काफी यातायात चलता है, कई बसें, ट्रक, ट्रेक्टर, जीप व ऊंट-गाड़ियों का निरन्तर आना जाना रहता है। अब इसकी इतनी दशा खराब हो चुकी है कि कभी भी कोई वाहन उलट सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने मरम्मत की जो प्रणाली विभाग की बनी हुई है, उसकी अवहेलना करते हुए इस सड़क की मरम्मत नहीं की है। और न ही उनका कोई इरादा जान पड़ता है। इसलिए मैं जन-जीवन की पुरषार्थ तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता के हित में इस महत्वपूर्ण सड़क की दुर्दशा का विशेष उल्लेख

करता हुआ सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि इस सड़क की पूरी लम्बाई में इसकी विशेष मरम्मत करके उस पर पुनः कारपेटिंग किया जाए।

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

कुम्हेर विधान सभा में सड़कों के निर्माण व मरम्मत में शिथिलता

मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय जो लोक महत्व का है, विधान सभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाना चाहता हूं :—

(1) यह कि कुम्हेर विधान सभा के अन्तर्गत एक ग्राम तक जोड़ने वाली सड़कों का अत्यधिक अभाव है। सरकार के कृषि विपणन निदेशालय में भरतपुर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये धन से कुछ सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां भी जारी की हैं। जिनमें से मुख्यतया इस प्रकार हैं :—

1. सम्पर्क सड़क, मौरोली खुर्द से मौरोली कलां,
2. नदबई कुम्हेर रोड से सिकरौरा,
3. सम्पर्क सड़क कुम्हेर रोड से बार्वन,
4. सम्पर्क सड़क मुरवारा से माढोली,
5. सम्पर्क सड़क सांतरूख से नंगला चौधरी,
6. सम्पर्क सड़क पुरानी डीग रोड़ से रोठोठी

उपरोक्त सड़कों की स्वीकृति हुए एक वर्ष पूरा होने आ रहा है, किन्तु अभी तक इन सड़कों पर निर्माण कार्य अत्यधिक धीमी गति से हो रहा है और यदि यह कह दिया जाए कि निर्माण कार्य बन्द पड़ा हुआ है, तो भी अनुचित न होगा।

इसके अतिरिक्त भरतपुर मथुरा रोड से बुरावई, एवं भरतपुर कुम्हेर रोड से बैलारा कलां सड़क की स्वीकृति भी कई माह पूर्व निर्माण हेतु हुई है। और अभी तक निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त पुरानी सड़कों की दशा अत्यधिक खराब हो गई है। दस वर्ष पूर्व जिन सड़कों का निर्माण हुआ है, जिनमें मथुरा रोड से लुधवाड़ा जयपुर रोड से

धानौता, तथा मथुरा रोड से हथैनी प्रमुख हैं, की मरम्मत के सम्बन्ध में अनेकों बार आश्वासन देने के पश्चात् भी मरम्मत की कार्यवाही नहीं हो रही है ।

भरतपुर स्थित कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में कुम्हेर क्षेत्र की सड़कों के निर्माण में बेहद लापरवाही बरती जा रही है । इस वर्ष आई बाढ़ के कारण सड़कों में जो नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर यह अपेक्षा की जाती है कि धनराशि के उपलब्ध होने के बावजूद सड़क निर्माण के कार्यों में जो शिथिलता अधिशासी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय द्वारा बरती जा रही है, उसे अतिशीघ्र दूर कराने की व्यवस्था करावें ।

[**श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर)]

श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड पर स्थित जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था

श्रीगंगानगर शहर में सूरतगढ़ रोड पर दानदाताओं द्वारा निर्मित एक भवन में इस वर्ष जिला चिकित्सालय प्रारम्भ किया गया है लेकिन इन चिकित्सालय की व्यवस्थायें सुचारू रूप से संचालित नहीं की जा रही है । जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था का नितान्त अभाव है इसके वार्डों में गन्दगी रहती है और प्रतिदिन सफाई कर्मचारियों द्वारा जो सफाई की जानी चाहिये वह नहीं की जाती है रोगियों और उनकी मदद के लिए उनके साथ रहने वाले उनके परिवारजनों द्वारा सफाई के लिए कहा जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । मुख्य भवन और चार दीवारी के बीच जो खुली जगह है उसमें गन्दगी के ढ़ेर पड़े रहते हैं और उनकी कोई सफाई नहीं की जाती ।

अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मरीजों और उनके सहायकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उनकी उचित मांग की भी कोई सुनवाई नहीं की जाती है कई बार कर्मचारियों द्वारा मारपीट भी कर दी जाती है । कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन करवाया जाना आवश्यक है और इसके लिए मांग भी की गई है लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई । इस अस्पताल में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है और वार्ड की बाहर गैलरी में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है गैलरी में प्रकाश की व्यवस्था किया

जाना अत्यन्त आवश्यक है अस्पताल शहर के बाहर होने और अन्धेरा रहने के कारण सर्प आदि विषैले जानवर गैलरी और वार्ड में घुस आते हैं। इसलिए प्रकाश की व्यवस्था अविलम्ब करवाई जाए।

पुराने अस्पताल को जनाना अस्पताल एवं बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल घोषित किया जाना आवश्यक है इसके लिए समय-समय पर मांग भी की गई है। जिला चिकित्सालय बनने के पश्चात् शहर में जो पूर्व में अस्पताल जिस भवन में चल रहा था उसे महिला चिकित्सालय घोषित किया जाना चाहिए था लेकिन यह कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं की गई है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का उपरोक्त समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि जिला चिकित्सालय की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए और श्रीगंगानगर शहर में महिला चिकित्सालय बनाने की घोषणा आज ही सदन में की जाए।

[श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)]

जयपुर में गूजर की थड़ी के पास कस्बा नं. 7, 9, 10 पर बसी कच्ची बस्ती का प्रकरण

निवेदन है कि 19-7-95 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू सांगानेर रोड पर गूजर की थड़ी के पास कस्बा नम्बर 7, 9, 10 पर बसी हुई कच्ची बस्ती बाबा रामदेव नगर को जे. डी. ए. के बुल्डोजर ने तहस-नहस कर दिया इस कच्ची बस्ती में अधिकांश अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति बसे हुए थे और सरकार के आदेशों के अनुसार इन लोगों ने अपना कब्जा अजमेर रोड पुलिया से यहां किया था और क्षेत्रीय पटवारी ने यह क्षेत्र उनको अपने रिकार्ड के अनुसार दिखा दिया था समाज कल्याण विभाग की सिफारिश पर ये लोग यहां आकर बसे थे और समाज कल्याण विभाग ने ही 3-8-97 को रसद अधिकारी जयपुर को उनके राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया और उसकी पालना की। समाज कल्याण विभाग ने इनको रोजगार के लिए ऋण भी स्वीकृत किया शिक्षा विभाग ने इस कालोनी में बसने वाले व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक शाला भी खोली इन कालोनी के निवासियों को बिजली और पानी के कनेक्शन मिले हुये हैं।

समाज कल्याण विभाग ने समय-समय पर जयपुर विकास प्राधिकरण से इन लोगों को इस जमीन के पट्टे देने की सिफारिश की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मुख्य

सचिव, राजस्थान को इस कच्ची बस्ती के व्यक्तियों को पट्टे देने की सिफारिश की थी राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार 20-8-89 को अपने पत्र में 500 परिवारों को पट्टे जारी करने के आदेश दिए थे लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस से भी तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए इस बस्ती के मकानों को पूर्णतया तोड़ दिया ।

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें सम्पूर्ण दिए गये तथ्यों से यह प्रकट होता है कि इस कच्ची बस्ती के निवासियों ने अधिकृत रूप से मकान निर्माण कर रखे हैं और जबरन सरकारी भूमि पर इनका कब्जा नहीं था । मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर जे. डी. ए. द्वारा की गई अमानवीय कार्यवाही को सदन के माध्यम से सरकार को ध्यान में लाना चाहता हूं और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करें । निवासियों को भी हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा देवें और उनके मकान पुनः निर्माण करवायें तथा किन अधिकारियों ने आदेश देकर इन मकानों और दुकानों को तुड़वाया उनके विरुद्ध सरकार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

[श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)]

माकड़वाली ग्राम, अजमेर की भूमि का रूपान्तरण

राज्य सरकार द्वारा अजमेर के पास स्थित पंचशील से सटे हुए ग्राम माकड़वाली के भूमि का रूपान्तरण निरस्त कर सन् 2001 तक के लिए पूर्व में अनुमोदित मास्टर प्लान में ग्राम माकड़वाली, कायड़ एवं गंगवाना को अजमेर शहर में सम्मिलित करने की अधिसूचना जारी की गयी है, तथा उक्त ग्रामों की समस्त भूमि को ग्रीन बैल्ट में परिवर्तित कर दिया है ।

जैसा कि विदित ही है अजमेर शहर अल्प आय एवं मध्यम वर्ग के मजदूरों एवं कर्मचारियों का शहर है जो कि नगर सुधार न्यास द्वारा खुली नीलामी में बेची जाने वाली भूमि को खरीदने में सक्षम नहीं है, साथ ही आवासीय भूखण्डों के भूमि रूपान्तरण की समस्त कार्यवाही राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अन्तर्गत एवं समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए सक्षम अधिकारियों द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराने के पश्चात् पट्टे जारी किये गये हैं एवं शेष प्रक्रिया में है, इस प्रकार से वैधानिक प्रक्रिया से किये गये भूमि रूपान्तरण को निरस्त किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर भी एक प्रश्न चिह्न है ।

इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने से छोटे-छोटे भूखण्डधारियों का मकान बनाने का सपना धराशाही होने के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के सिद्धान्तों पर चलने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अत्यधिक स्वायत्ता प्रदान करने की घोषणाओं के भी सर्वथा विपरीत कदम है।

अतः अनुरोध है कि ग्राम माकड़वाली में भूमि रूपान्तरण की निरस्त किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना को तत्काल वापस लेकर पूर्व की यथास्थिति बहाल की जाय तथा सम्बन्धित भूखण्डधारियों को वित्तीय संस्थानों से नियमान्तर्गत भवन निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाए।

[**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर)]

राज्य में संस्कृति नीति की आवश्यकता

राज्य सरकार ने 1982 में शिक्षा विभाग से अलग कला संस्कृति विभाग बनाया था लेकिन आज तक न तो कला संस्कृति निदेशालय बनाया जा सका और न ही राज्य सरकार की संस्कृति नीति बन पाई है। राज्य की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नितान्त आवश्यकता है।

इस बीच राज्य सरकार ने 1987 में कला संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग को संयुक्त कर दिया गया है परिणाम यह हुआ कि पर्यटन के सामने कला संस्कृति की घोर उपेक्षा होने लगी।

राज्य की अर्द्ध सरकारी अकादमियां अनेक स्वयं सेवी कला संस्थाएं, संगीत नृत्य विद्यालय, शोध संस्थान, प्राचीन ग्रन्थालय ऐसे ही दूसरे सरकारी संस्थान किसी न किसी रूप में संस्कृति कर्म से जुड़ हुए हैं लेकिन इसमें समन्वय की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है।

सालों पहले राज्य की सांस्कृतिक नीति का प्रारूप तैयार किया गया था लेकिन वह प्रारूप कहां पड़ा हुआ है? इसकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। विभिन्न संगीत संस्थान और अकादमियां, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों के भरोसे है। राज्य अभिलेखाकार, बीकानेर, राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर का काम ठप्प है और अकादमियों को कोई रीगल स्टेट्स आज तक नहीं मिल पाया है और वे मात्र एक पंजीकृत संस्थान होकर सरकार के भरोसे है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन वर्ष पूर्व जयपुर में सांस्कृतिक वि. वि. खोलने की घोषणा की गई थी। इसी तरह दिनांक 12-7-92 को पं. गोपाल नारायण बहुरा के अभिनन्दन समारोह में दुर्लभ साहित्य प्रकाशन हेतु एक करोड़ रु. के कोष बनाने की घोषणा की थी लेकिन इन घोषणाओं की क्रियान्विति आज तक नहीं हो पायी है। कला संस्कृति विभाग ने हर साल पुरस्कार देने की घोषणा मन्जूर की थी। बजट में प्रावधान भी रखा गया था लेकिन अमल अभी तक नहीं हो सका है। कला संस्कृति विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर ललित कला अकादमी, जयपुर संगीत संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक आदि का बजट तो लोकल ऑडिट फण्ड से ऑडिट होता है और न उसमें हो रही और न उसके कर्मचारियों के सेवा नियम और पेंशन नियम बन पाए हैं। इनके कर्मचारी भी दुःखी है और राज्य के सृजनधर्मी कलाकार और रचनाकार भी खिन्न है अतः राज्य की सांस्कृतिक नीति के और कला संस्कृति विभाग को एक रूप देने की ओर माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा कला संस्कृति मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कराया जाता है।

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

राज्य के भूगर्भीय स्रोतों का समुचित दोहन

उदयपुर खनिज बाहुल्य क्षेत्र है तथा राज्य का खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर में होने के कारण मेरी रुचि खनिज एवं इनसे सम्बन्धित विषयों पर निरन्तर रही है। राज्य में 65 प्रकार के विभिन्न खनिज का वर्तमान में दोहन हो रहा है परन्तु खनिज से होने वाली आय का 95% योगदान केवल 20 खनिजों से ही होता है। इनमें प्रधान खनिज जस्ता व सीसा, अयस्क, चूना-पत्थर, रॉक-फास्फेट, जिप्सम, ताम्बा, आयस्क, सोप-स्टोन, चाइना, क्ले, पेल्सपार, गेलास्टोनाइट तथा अप्रधान खनिज में सेंडस्टोन, मारबल, चूना पत्थर (चूना बनाने व भवन निर्माण हेतु) मेसोनरी पत्थर, कंकर-बजरी, ईंट, मिट्टी, सरपेन्टीन, ग्रेनाईट व बेंटोनाइट है। वर्ष 1994-95 में खनिज राजस्व लगभग 181 करोड़ रुपया था, जिसमें रेन्ट व रायल्टी से आय 152 करोड़ थी परन्तु खनिजों की इस आय को प्राप्त करने में खान एवं भू-विज्ञान विभाग का खर्चा रुपया 50 करोड़ वार्षिक के लगभग होता है।

राज्य में ऊर्जा के मुख्य खनिज लिग्नाइट व तेल व प्राकृतिक गैस है। इन दोनों खनिजों के अपार भण्डार राज्य में हैं जिनका शीघ्र दोहन राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मैंने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा राज्य के सांसदों को लिखे पत्रों में पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास बाबत पढ़ा है। जिसमें राज्य को एच. बी. जे. पाइप लाइन

से 2 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन प्राकृतिक गैस आवंटित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा राज्य में गैस से 3200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकता है तथा रसोई गैस भी राज्य में उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में राज्य में लगभग 10 लाख उपभोक्ता रसोई गैस प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त गैस से पेट्रोकेमिकल, उर्वरक तथा अन्य उद्योग स्थापित हो सकते हैं। जिससे राज्य की आय बढ़ेगी एवं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। मेरा तो यही अनुरोध है कि जमीन के नीचे जो अपार खनिज सम्पदा है, उसका समुचित उपयोग किया जाये, इस हेतु यदि पृथक से निदेशालय खोलने की आवश्यकता हो तो वह भी स्थापित किया जाये ताकि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

गुडली ग्राम, उदयपुर स्थित साधना फास्फेट का भूमि आबंटन प्रकरण

ग्राम गुडली, त. मावली, उदयपुर में साधना फास्फेट एण्ड केमीकल प्रा. लि. को आराजी नं. 1018 से 28 बीघा जमीन का आबंटन आदेश दिनांक 11-7-89 से हुआ था। इकाई ने 2 वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित नहीं किया और एक वर्ष उद्योग स्थापित करने के लिए अवधि बढ़ाई गई क्योंकि इकाई की लीज डीड के अनुसार दो वर्ष में उद्योग स्थापित करना होता है। इकाई को भूमि निरस्तीकरण के लिए नोटिस दिया गया जिसके जवाब में साधना फास्फेट ने उद्योग स्थापित नहीं करने के कारण दर्शाते हुए कार्य प्रगति से जिला उद्योग अधिकारी को अवगत कराया था। इस भूमि का स्थल निरीक्षण शीर्ष अधिकारी द्वारा कराने को कहा गया लेकिन 10 माह की अवधि में कोई निरीक्षण नहीं हुआ और पत्रावली यथावत पड़ी रही। इसी बीच साइनाथ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ने पत्र दिनांक 24-2-95 से सुपर फास्फेट का उद्योग लगाने हेतु 28 बीघा भूमि का आबटन के लिए निवेदन किया। जिला उद्योग अधिकारी (इनफ्रा) की सिफारिश पर संयुक्त निदेशक द्वारा जिलाधीश से भूमि निरस्तीकरण और आबटन एक ही आदेश में कर दिया गया, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कारण कि साधना फास्फेट को जो नोटिस दिया गया और उसका जो उत्तर आया, उसकी विस्तारपूर्वक जांच नहीं की गई. साइनाथ फर्टिलाइजर ने अपना आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में साधना फास्फेट की भूमि के निरस्तीकरण से पूर्व ही जमा करा दिया गया। इसमें जानबूझकर साइनाथ फर्टिलाइजर्स कम्पनी को लाभ पहुंचाया गया। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि साधना फास्फेट की 28 बीघा भूमि का आबटन था और इतनी ही भूमि का साइनाथ का आवेदन था। यह भी आश्चर्यजनक है कि एक ही आदेश से साधना फास्फेट की भूमि निरस्त की गई और साइनाथ फर्टिलाइजर्स को भूमि का आबंटन किया गया। साफ जाहिर है कि साइनाथ फर्टिलाइजर्स को येनकेन लाभ पहुंचाया और भूमि दिलाने के लिए यह अनियमित कार्यवाही की गई। होना तो यह

चाहिए था कि पहले भूमि निरस्त की जाती, प्रस्ताव मांगे जाते और उपयुक्त व्यक्ति को भूमि आबंटित की जाती। तत्कालीन संयुक्त निदेशक श्री तेजेन्द्र सिंह मारवाह की रुची साइनाथ फर्टिलाइजर्स को भूमि आबंटन करने में थी। संयुक्त निदेशक, उद्योग ने दो प्रस्ताव दिनांक 28-3-95 को प्रस्तुत किये और जिला कलेक्टर (उद्योग) ने 30-3-95 को यह स्वीकारते हुए स्वीकृति दे दी। अतः इस मामले में स्पष्ट रूप से पक्षपात हुआ है, जिसकी जांच के लिए मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी का ध्यानाकर्षण कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में वेतनमान लाभ प्रदान करने में अनियमितता

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना कृषि क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए की गई। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस विश्वविद्यालय में नियुक्त व्यक्तियों के साथ पक्षपात और आपाधापी के कई उदाहरण देखने में आ रहे हैं। विश्वविद्यालय से यदि जानकारी ली जाती है तो तथ्यों को छुपाकर अपूर्ण उत्तर दिये जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राज. कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्त रिसर्च एशोसियेट के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के वेतनमान देने सम्बन्धी है। विश्वविद्यालय में रिसर्च फैलो के पद पर नियुक्त 2 व्यक्तियों को बाद में आई. सी. आर. के आदेनुसार रिसर्च एशो० के पद पर परिवर्तित किया और अपने आदेश दिनांक 2-1-91 तथा 20-12-93 को निरस्त करने के लिए निदेशक एवं अधिष्ठाता को आदेश दिये दूसरी ओर आदेश संख्या–एफ–3 (109) इस्टे/डी. आर./92/3772–82 दिनांक 28-992, 27-12-91 एवं 6-1-92 से भी रिसर्च एशोसियेट के पद पर नियुक्तियां दी गई। विश्वविद्यालय ने आदेश संख्या–एफ/आर. ए. यु/इस्टे/ग्रेड–प्रथम/83/5270-80 दिनांक 7/8-12-93 के तहत 5 रिसर्च एशो० को नियुक्ति दी गई एवं उन्हें 2000–3500 का रनिंग वेतनमान दिया गया। तथा दूसरी ओर आदेश संख्या–एच. एस. सी./इस्टे/93/4680-97 दिनांक 1/2-11-93 के तहत फिक्स्ड (2700–100–3200) पर कार्यरत रिसर्च एशो० को नवीन वेतनमान दिये गये। इस तरह विश्वविद्यालय ने रिसर्च एशो० के पद पर कार्यरत कुछ व्यक्तियों को 2700–100–3200 रुपये का फिक्स वेतनमान दे रखा और उन्हें 2000–3500 रुपये का वेतनमान नहीं दिया गया। जबकि अन्य व्यक्तियों को जो इसी पद व श्रृंखला में है, वेतनमान दे दिया गया। इस आदेश से प्रभावित 5 व्यक्ति श्री शैतानसिंह शेखावत, श्री लीलाधर शर्मा, श्री सुरेश मुरलिया, श्री राजेन्द्र बाबू दुबे, श्री मालीराम नेहर हैं और ये व्यक्ति लगातार प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं और असहाय हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ को तो वेतनमान का लाभ देना और कुछ को नहीं देना भ्रष्टाचार और आपाधापी का ज्वलन्त प्रमाण है और ये असहाय

कर्मचारी बराबर बीकानेर की यात्राएं कर रहे हैं । कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार को एवं रजिस्ट्रार, कुलपति को इस प्रकरण के लिए घुमा रहे हैं । अत: मेरा माननीय कृषि मंत्री महोदय इस इन वंचित लोगों को भी वेतनमान का लाभ दिये जाने का आग्रह है और इस ओर ध्यानाकर्षण कराया जाता है ।

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

सिंचाई विभाग की असन्तोषपूर्ण स्थिति

धौलपुर जिले के पार्वती बांध में दिनांक 16-10-95 को एक नौका के डूब जाने से पांच अधिकारियों की मृत्यु पर सभी का चिंतित, दु:खी होना स्वाभाविक है । सिंचाई विभाग राजस्थान में बांधों तथा तालाबों की समुचित व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है । यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि सिंचाई विभाग के पास एक भी स्वचालित मोटर वोट नहीं है । राजस्थान में सिंचाई के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कार्य तो हुआ है लेकिन हमने सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किए हैं परिणामस्वरूप कुशल अभियन्ता दुर्घटना में बलि चढ़ जाते हैं । राजस्थान में इस समय कितने बांध और तालाब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत हैं । यह भी सिंचाई विभाग की जानकारी में नहीं है । उन बांधों के रख–रखाव और सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्वचालित मोटर वोट और नावें सम्भवत: विभाग के पास भी नहीं हैं परिणामस्वरूप देशी नावों पर और नावों के द्वारा बांधों का निरीक्षण किया जाता है । पार्वती बांध का निरीक्षण करते समय भी बेलदार साथ में थे न कि नावों को चलाने वाले मल्लाह । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अत: माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान सिंचाई विभाग में फैल रहे असन्तोषपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर में व्याप्त अनियमितताएं

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर (राज. शिक्षा विभाग) में उपरोक्त अनियमित कार्यों की ओर आपका ध्यान निम्न तथ्यात्मक स्थिति के साथ आकर्षित करना चाहूंगा :—

1. यह कि गुरुनानक भवन संस्थान जयपुर में बजट मद 2204 में वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के चार पद जून, 95 तक स्वीकृत थे । पिछले अप्रेल, 87 से ही इन पदों पर तीन वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) एवं एक शारीरिक शिक्षक का वेतन उठाया जाता रहा है । इस प्रकार करीब 9 (नौ) वर्ष तक वरिष्ठ अध्यापक का पद

रिक्त रखा गया एवं उसका लाभ एक शारीरिक शिक्षक को दिया गया। शारीरिक शिक्षक को व. अ. के पद के विरुद्ध वेतन भुगतान के नियमानुसार कोई आदेश भी प्रसारित नहीं किए गये।

2. यह कि शारीरिक शिक्षक को उपस्थिति रजिस्टर एवं वेतन बिलों में वरिष्ठ अध्यापक घोषित किया जाता रहा है, इस सम्बन्ध में 11-10-95 के समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में समाचार भी प्रकाशित हुआ है।

3. यह कि जुलाई, 95 से संस्थान में व. अ. (सामान्य वर्ग) के दो पद स्वीकृत हैं, जिन पर जुलाई, 95' से सितम्बर, 95 तक दो वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य वर्ग) कार्यरत रहे हैं परन्तु तत्कालीन शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) जयपुर ने एक वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) का वेतन रुकवा कर व. अ. के पद का वेतन शारीरिक शिक्षण को भुगतान करा दिया इस प्रकार व. अ. को अपने पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करते रहने एवं निरन्तर उपस्थित रहने के बावजूद आज तक वेतन से वंचित कर दिया जाना न्याय संगत नहीं है।

4. वरिष्ठ अध्यापक के पद के विरुद्ध शारीरिक शिक्षक को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों ने कोई आदेश भी प्रसारित नहीं किए हैं। क्योंकि उक्त शा. शि. फोटोग्राफी का निजी व्यवसाय भी करता है तथा समय-समय पर अधिकारियों को निःशुल्क फोटोग्राफी से उपकृत करता रहता है, इस कारण अधिकारी मौखिक आदेश से ही उक्त शा. शि. को बिना शा. शि. का पद स्वीकृत हुए ही व. अ. के पद के विरुद्ध वेतन भुगतान पिछले 9 वर्षों से करते आ रहे हैं।

5. वर्तमान में जब व. अ. का वेतन रोक दिया गया तो व. अ. ने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया, जिस पर 14-9-95 एवं 20-9-95 को शिक्षा मंत्री जी के निजी सचिव ने उप शिक्षा निदेशक (पुरुष) को वेतन दिलाने एवं प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए जिस पर तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक ने न्यायोचित कार्यवाही करने के बजाय व. अ. को अधिशेष घोषित कर अन्यत्र पदस्थापित करने के आदेश दिला दिए जबकि व. अ. अधिशेष था ही नहीं। क्योंकि दो पदों पर दो ही व. अ. कार्यरत थे परन्तु शा. शि. को व. अ. बताकर व. अ. को अधिशेष घोषित कर नियमों का उल्लंघन किया गया एवं शिक्षा मंत्रीजी के लिखित आदेशों की अनदेखी कर तत्कालीन शिक्षा उप निदेशक ने अपनी मनमानी का परिचय दिया है।

6. पीड़ित व. अ. ने 04-10-95 को वेतन दिलाने हेतु एवं स्थानांतरण को निरस्त करवाने हेतु शिक्षा उप निदेशक (पुरुष) जयपुर में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर शिक्षा उपनिदेशक जी ने आदेश क्रमांक उ. नि. शि/जय/पु/संस्था–2/फा. वेतन/95 दिनांक 13-10-95 को आदेश प्रसारित कर प्रकरण के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम से तीन दिवस में जवाब मांगा एवं तुरन्त वेतन भुगतान का आदेश दिया परन्तु उक्त आदेश को भी ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।

[redacted]

7. उक्त शारीरिक शिक्षक को व. अ. के स्थान पर पदस्थापित करने के विरुद्ध महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट में एतराज किया गया एवं 201753/– रुपयों का दुरुपयोग दिखाकर शा. शि. को हटाने की अभिशंषा की गई परन्तु अधिकारियों ने आडिट रिपोर्ट को ही ठण्डे बस्ते में डाल कर आडिट रिपोर्ट की अवहेलना की है।

8. इसी प्रकार संस्थान में कार्यरत एक अध्यापिका जो कि नियुक्ति के समय प्रशिक्षित नहीं थी, को राज्य सेवा नियमों को ताक में रखकर पदोन्नति एवं 26–ए का लाभ समय पूर्व दे दिया गया। अध्यापिका की नियुक्ति 17-10-68 को हुई थी, इस प्रकार इन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने की दिनांक से सेवा अवधि की गणना करके अध्यापिका का नाम वरिष्ठता सूची में अंकित करना, 26-ए का लाभ देना चाहिए था, परन्तु अधिकारियों ने मिली भगत करके उक्त सभी लाभ 10 वर्ष पहले की तिथि से ही प्रदान कर दिए, इससे अध्यापिका समय पूर्व ही पदोन्नति प्राप्त कर गयी जिससे कई अन्य कर्मचारी समय पर पदोन्नति पाने से वंचित रह गये। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण दल द्वारा पैरा बनाया गया और अध्यापिका को दिए गये लाभ को वसूल करने के निर्देश संस्था को दिए परन्तु आडिट रिपोर्ट को दबाकर आज तक कोई वसूली नहीं की गयी है।

9. उक्त अध्यापिका अंग्रेजी विषय में पदोन्नत हुई पर इसे आज तक भी अंग्रेजी विषय हेतु किसी विद्यालय में नहीं लगाया गया तथा इसे गृह विज्ञान के कार्य हेतु संस्थान में पिछले 11 वर्ष से पदस्थापित किया हुआ है, जबकि कई विद्यालयों में अंग्रेजी की कमी आज भी बनी हुई है।

10. इसी प्रकार संस्थान में एक आपरेटर को उसका पद समाप्त हो जाने के कारण अन्यत्र स्थान से कर्मचारी को वेतन दिलाने के निर्देश दिए गये तथा संस्थान में ही कार्य करते रहने के निर्देश भी दिए गये परन्तु उक्त कर्मचारी को जुलाई, 95 से ही आज दिनांक तक वेतन नहीं दिया गया है। उक्त कर्मचारी पिछले दो वर्षों से गम्भीर बीमारी से पीड़ित है, इसके बीमारी के हालात पर भी अधिकारियों ने कोई तरस नहीं खाया है।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए न्यायोचित कार्यवाही के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस प्रकरण के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर वित्तीय अनियमितता एवं शैक्षणिक नियमों एवं प्रक्रिया के विरुद्ध हो रहे कार्य के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर उत्पन्न समस्या का समाधान करें।

[श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)]

मानसरोवर, जयपुर के लिए नगरीय यातायात व्यवस्था

जयपुर नगर में सी. टी. एस. द्वारा जयपुर की बाहर से आने वाले यात्रियों के लिये ग्रावागमन की सुचारू सुविधा राजस्थान परिवहन निगम ने कर रखी है। पर खेद के साथ उल्लेख करना पड़ता है कि मानसरोवर से मुख्य नगर को जोड़ने की यातायात व्यवस्था ठीक नहीं है।

मानसरोवर सांगानेर रोड पर बसा है तथा वहां पर स्थित कई वर्तमान एवं निवर्तमान विधायकों व सांसदों के मकानात सेक्टर नम्बर दो में जोन नम्बर 20 में स्थित हैं। ये ही मकान सर्वप्रथम बनकर हाउसिंग बोर्ड द्वारा ग्रावंटित किये गये थे। पर उनकी इस बस्ती को सी. टी. एस. की सेवा नहीं मिल पा रही है।

विधान सभा के गत सत्र में यातायात मंत्री से अनुरोध हाउस में तथा बाहर किया था तो उन्होंने व्यवस्था करने के निर्देश दिये थे। और यह व्यवस्था की थी कि मुख्य शहर जयपुर से वाया मानसरोवर सांगानेर जाने वाली सी. टी. एस. गाड़ियां कावेरी पथ से पूर्व में प्रवेश व पश्चिम दिशा से कावेरी पथ प्रवेश करेगी तो किसान धर्मकांटा से होकर बसें चलने से निर्माण नगर पदमावती कालोनी, एस. बी. बी. जे. कालोनी एवं एम. एल. ए. तथा एम. पी. क्वार्टर के निवासियों को भी सुविधा मिलेगी व निगम की ग्राय में भी भारी वृद्धि होगी।

यह भी पाया गया कि एम. एल. ए. क्वाटर्स के पास एक बस स्टाप लगा दिया जायेगा।

मौके पर ग्राकर सांगानेर डिपो के चीफ मैनेजर ने वहां रहने वाले विधायकों व पूर्व विधायकों को ग्राश्वासन दिया, तथा कुछ दिन यह व्यवस्था चालू भी रही परन्तु बाद में यह कह कर कि कावेरी पथ में साफ-सफाई नहीं होने से ग्रसुविधा होती है। तो चालक परिचालक ऐसी नई सड़क से चलने लग गये जिस पर कोई ग्राबादी नहीं है। कावेरी पथ के पश्चिम दिशा से सड़क ग्रच्छी व चौड़ी है। ग्रौर तो और चांदपोल से सांगानेर जाने वाली बसों का रूट जो किसान धर्म कांटे से होकर जाता है। वह एम. एल. ए. क्वाटर्स के पास रुकती नहीं है क्योंकि वहां पर बस स्टाप का बोर्ड नहीं लगा है।

ग्रतः इस विशेष उल्लेख के जरिये ध्यान आकर्षण कर परिवहन राज्य मंत्रीजी से निवेदन है कि नियम व जनहित में सी. टी. एस. वाहनों का उपर्युक्त सुझाव के ग्रनुसार संचालन सुनिश्चित किये जाने का प्रभावी ग्रादेश देकर असुविधा समाप्त की जावे।

[श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त बेलदार का संशोधित पेंशन प्रकरण

सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला उपखण्ड-II कोटा, (सुल्तानपुर) से दिनांक 31-10-89 को सेवानिवृत्त बेलदार रामकरण आत्मज नारायण मीणा, निवासी–मूंडला को राज्य सरकार के नवीन आदेशानुसार दिनांक 01-09-88 के वेतनमान में संशोधित वेतन स्थिरीकरण करने के पश्चात् उसे दिया जाने वाले बकाया से ऊपर की राशि का भुगतान अभी तक भी नहीं दिया गया है। उक्त सेवा निवृत्त बेलदार रामकरण की संशोधित पेन्शन स्वीकृति में देरी होने से वृद्ध एवं गरीब व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संशोधित पेन्शन स्वीकृति अविलम्ब जारी की जाकर बकाया राशि का भुगतान तुरन्त किया जावे, ताकि गरीब व्यक्ति अपना जीवन यापन सही ढंग से व्यतीत कर सके।

अतः निवेदन है कि अशिक्षित एवं ग्रामीण उक्त सेवा निवृत्त बेलदार को संशोधित वेतन स्थिरीकरण से मिले लाभ के मुताबिक बकाया वेतन तथा संशोधित पेन्शन स्वीकृति आदेश जारी किया जाकर संशोधित पेन्शन एरियर का भी मुगतान करवाया जावे।

[श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)]

जयरामपुरा, पं. स. खण्डेला में निर्माणाधीन प्राथमिक शाला भवनों की नींव की कमजोर स्थिति

सीकर जिले की खण्डेला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जयरामपुरा के सरपंच द्वारा प्राथमिक शाला नीमड़ा की ढाणी तथा पुजारी का वास के भवन निर्माणाधीन हैं। पंचायत द्वारा इस दोनों शाला भवनों के निर्माण में भवन की नीम चूना पत्थर के बजाय केवल रेत मिट्टी तथा पत्थर से ही भर दी गई और तकनीकी अधिकारियों से सांठ-गांठ कर नीमड़ा की ढाणी के शाला भवन का गलत मूल्यांकन कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी बनवा लिया तथा भुगतान की मांग कर ली।

इस गफले की ग्रामवासियों द्वारा पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला कलेक्टर को शिकायत होने पर प्रधान ने स्वयं के अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता और विकास अधिकारी के एक जांच दल का गठन कर मौके की जांच कराई जिसमें पंचायत से सांठ-गांठ होने के कारण विकास अधिकारी शामिल नहीं हुए मगर कनिष्ठ अभियन्ता ने प्रधान के साथ मौके की जांच की तो पाया कि पुजारी का वास शाला भवन की सम्पूर्ण नींव रेत–मिट्टी–पत्थर की भरी हुई थी और शेष निर्माण में भी

घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। नीमड़ा की ढाणी के शाला भवन की जांच में कनिष्ठ अभियन्ता ने यह कह कर कि इसकी नाप-जोख पूर्व के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा होकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, इसलिए उच्च अधिकारी की जांच करें, जांच नहीं की। प्रधान ने ग्रामवासियों की उपस्थिति में नींव खुदवाकर जांच कराई तो इस नीमड़ा की ढाणी शाला भवन की नींव भी रेत-मिट्टी व पत्थर की पाई गई।

प्रधान ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजकर उनकी उपस्थिति में उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा जांच कराने हेतु लिखा, मगर जिला विकास अभिकरण से भी पंचायत, सरपंच तथा विकास अधिकारी की मिली भगत होने से लिख दिया गया कि भवन की स्थिति ठीक है इसलिए तुरन्त भुगतान कर दिया जावे।

मान्यवर, निर्माणाधीन शाला भवन की मिट्टी की नींव होने से भवन ध्वस्त हो जाने के खतरे के बावजूद भी नौकरशाही द्वारा तकनीकी रिपोर्टों की आड़ में अपने निहित स्वार्थवश जनता के धन का दुरुपयोग करने का यह एक जीता जागता उदाहरण है, जिसके चलते स्कूल के बच्चों के जीवन को खतरा हो जायेगा।

अतः इस जनता के धन के दुरुपयोग और कमजोर शाला भवन के ध्वस्त हो जाने के खतरे को सदन के ध्यान में लाकर पंचायती राज मंत्री तथा विशिष्ठ योजना मंत्री से अनुरोध है कि इस धन के दुरुपयोग को अविलम्ब रुकवायें तथा शाला भवनों की नींवें मजबूत कराने की व्यवस्था कराकर विद्यार्थियों के जीवन को सम्भावित खतरे से बचाने की कृपा करें।

[श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)]

जोधपुर के फिडूसर क्षेत्र में आबंटियों को खानों का कब्जा

उपरोक्त विषय में माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर के खनिज सेण्ड स्टोन फिडूसर क्षेत्र में वर्ष 1956 के विधिवत तरीके से सीमांकन किया जाकर 200 खानें विभाग द्वारा 1982 में आबंटित की गई थी। आबंटन किये जाने के पश्चात् आबंटनधारियों ने विभाग को किराया व अन्य शुल्क जमा कराते रहे। लेकिन इन खानों का वास्तविक कब्जा खान विभाग ने पट्टाधारियों को आज तक नहीं दिया है।

आबंटनधारी पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग व सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं। लगातार 1982 से लेकर विभिन्न न्यायालय में अतिक्रमणकारियों के बेदखल कार्य करने के लिये

प्रयास करते रहे हैं। न्यायालय में इनके पक्ष में फैसले भी होते रहे, परन्तु विभाग के द्वारा अतिक्रमणकारी कार्य में संरक्षण देने के कारण इन पट्टाधारियों को खान के कब्जे नहीं मिल रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश के पश्चात् भी खान विभाग ने कब्जा देने की कोई कार्यवाही नहीं की और अतिक्रमणधारी ने समय मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, उस याचिका पर खनिज विभाग के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार आवंटनकर्ताओं के पक्ष में कोई भी पैरवी नहीं की, यहां तक की अधिवक्ता भी नहीं लगाया गया। इससे स्पष्ट लगता है कि खनिज विभाग इन दलित व पिछड़ा वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को आर्थिक मदद करके खान खाली कर दिलाना नहीं चाहता है।

अत: मैं खनिज मंत्रीजी से मांग करता हूं कि जांच करें व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

देई जिला बूंदी में बिक्री कर लेखों की खामियां

देई जिला बून्दी की व्यापारिक फर्मस, (1) उच्छल लाल एण्ड सन्स (2) मित्तल इन्डस्ट्रीज (3) चन्द्र प्रकाश एण्ड कम्पनी (4) चन्द्र प्रकाश एण्ड ब्रादर्स द्वारा बिक्री कर विभाग में प्रस्तुत लेखों में काफी खामियां हैं तथा वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 में फर्जी बिलों को एडजस्ट किया गया है। प्रत्येक एसेस्मेन्ट वर्ष के प्रत्येक बिल (Bill) की जांच की जाने पर कम से कम 20 प्रतिशत से अधिक बिल पूरी तरह से बोगस एवं फिक्टीसस फर्मों के हैं। उक्त फर्मों द्वारा बोगस फर्मों के टैक्स पैड बिल प्राप्त करना बता रखे हैं। बिक्री कर विभाग द्वारा पूरे बिलों की जांच नहीं करने से फर्जी बिलों की सही तहकीकात नहीं हो पाई है। जिससे सरकार को बिक्री कर का भारी नुकसान हुआ है। फर्जी बिल बनाने वाले एवं उक्त फर्मों के मालिक के खिलाफ ठोस जांच की जाने के आदेश दिये जाने तथा पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया ही जाकर किए गए जुर्म की सजा दिलाई जावे। एंडोर्समेंट करने वाले अधिकारियों ने फर्म के मालिकों के दबाव में आकर पूरे बिलों की जांच नहीं की है।

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा (PMT) में आरक्षण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान के मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी. एम. टी. परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें कुल 640 रिक्तियां हैं। जिनमें से 15 प्रतिशत अर्थात् 96 रिक्तियां अखिल भारतीय प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा (सी. पी. एम. टी.) से भरी जाती हैं।

उक्त रिक्तियां 544 हैं, इनमें अनुसूचित जाति का निर्धारित आरक्षण 8 प्रतिशत है। जिनमें से भी 8 के विरुद्ध 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित हैं, अर्थात् कुल लगभग 40 रिक्तियां अनुसूचित जाति की हैं। जिनमें से 10 सीट अनुसूचित जाति की महिलाओं की निर्धारित की हुई हैं। ठीक इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति को 6 प्रतिशत आरक्षण किया हुआ है, जिसमें से 25 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आरक्षित हैं, अर्थात् कुल रिक्तियां 30 है, जिनमें 8 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। ये निर्धारित आरक्षण त्रुटिपूर्ण अन्यायपूर्ण है इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के साथ घोर अन्याय बरता जा रहा है।

राजस्थान में संविधानानुसार निर्धारित आरक्षण किसी भी संस्था में प्रवेश हेतु व विज्ञप्ति रिक्तियों के विरुद्ध न अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया हुआ है। जबकि कोई भी (सी. पी. एम. टी.) परीक्षा में अनुसूचित जाति का 15 प्रतिशत व तथा अनुसूचित जनजाति का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया हुआ है। तो राजस्थान के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के साथ दोहरा मापदण्ड क्यों? अर्थात् इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों?

अतः क्या राज्य सरकार अन्य राजकीय सेवाओं की भांति पी. एम. टी. परीक्षा में भी अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का कष्ट करें।

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

चिकित्सा विभाग में दवाइयों की निविदाओं में हेराफेरी

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मार्च, 95 में ड्रग्स मेडिसन की निविदाएं आमंत्रित की गई थी, ऊची पहुंच वाले निविदादाताओं द्वारा जिनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, वो अपनी पहुंच एवं राजनैतिक सांठ-गांठ के बलबूते पर निविदाओं के एप्रूड पर भारी हेराफेरी करवा रहे हैं। निविदा की शर्तों एवं नियमों को ताक में रखवा कर निदेशालय द्वारा अपने-अपने आईटम्स एप्रूड (पास) करवाने में लगे हुये हैं। चाहे राजस्थान सरकार को लाखों का नुकसान उठाना पड़े। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं।

1. निविदा के पार्ट "ए" के सैक्शन "ए" में केटलॉग नं. 65 पर प्रोवीडोन आयोडिन मैसर्स केमिटेक लेबोरेटरी जयपुर के लिये पास किया गया है। उक्त फर्म की ए.सी.डी में जांच चल रही है क्योंकि इसके द्वारा पिछले रेट कान्ट्रक्ट 1992-94 में भारी हेराफेरी करवाकर कुछ आईटम्स पास करवा लिये थे जिससे राज्य सरकार को लगभग 15 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था और इस वर्ष के रेट कान्ट्रेक्ट में भी उसी फर्म का उपरोक्त आईटम्स क्रमबद्धता से ऊंची दर पर 12 वें नम्बर पर होने के बावजूद भी 50.47 पर पास कर दिया गया, जबकि उससे कम रेट पर 11 कम्पनियां और भी हैं।

2. इसी निविदा के केटलाग नं. ए-1 पर ईथर-ऐनेस्थेटिक ऊंची रेट पर मैसर्स विट्रामिका नदियाड को कर दिया जबकि इससे कम रेट वाली मैसर्स इण्डियन केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसने पिछले साल सप्लाई नहीं किया जबकि निदेशालय ने इस वर्ष मैसर्स ब्रदर्स फार्मा, जयपुर वगैरह एवं अन्य कम्पनियों को जिन्होंने पिछले वर्ष कुछ आइटम्स सप्लाई नहीं किये थे, उन्हीं फर्मों के कुछ आईटम पास कर दिये हैं फिर निदेशालय ने उपरोक्त वर्ष मैसर्स इण्डियन केमिकल्स, हैदराबाद पर ही क्यों लागू किया, जबकि पिछले साल की अमानत राशि एवं सुरक्षित जमा राशि निदेशालय द्वारा जब्त किये जाने का दण्ड फर्म को दिया जा चुका है। निविदा की शर्तों एवं नियमों के अनुसार फर्म की जमानत राशि व रिस्क परचेज की राशि भी वसूली जा सकती है। निविदा को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ऊंची दर पर मैसर्स विट्रामिका नदियाद को यह प्रोडक्ट करके विभाग को काफी नुकसान पहुंचाया है।

3. मैसर्स एलपाइन इण्डस्ट्रीज देहली के बारे में अखबारों में काफी पढ़ने को मिला कि उसके आईम्स घटिया किस्म के निकलने के कारण कोर्ट में केस चल रहे हैं फिर भी निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एकलीफिलिन 100 ग्राम उसके हक में कर दिया जो कि निविदा की शर्तों के विपरीत है।

4. मैसर्स मार्क्स इन्टरनेशनल जयपुर की निविदा को कम अमानत राशि होने के बावजूद भी उसके प्रोडक्ट पास कर दिये एवं मार्च, 95 की जमा निविदाओं के सात माह पश्चात् निदेशालय ने उक्त फर्म से बाकी बची अमानत राशि भी चुपचाप 18–10–95 को जमा करवा ली जबकि अन्य एस. एस. आई. यूनिट्स के साथ ऐसा नहीं किया गया। कुछ फर्मों को इस आधार पर ही निरस्त कर दिया गया कि उनकी अमानत राशि निविदा में भरे हुए आईटम्स के आधार पर कम है।

निदेशालय द्वारा निविदा की शर्तों एवं नियमों को ताक में रखकर नये-नये निर्णय इस बार आईटम्स फाइनल करने में लिये गये हैं। जिसके पीछे निहित स्वार्थ साफ झलकता है। स्टोर परचेज कमेटी द्वारा किये गये निर्णय पर, अधिकारियों से सांठ–गांठ रखने वाले निविदादाताओं का आईटम नहीं होता है तो वो उस आईटम को पुनः विचार के लिये कमेटी के सम्मुख रखवाकर अपने हक में करवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केटलाग नं ए–38–बी एवं ए–39 पर जीवन रक्षक इन्जेक्शन जो कि गर्भवती महिला को प्रसूति काल में जो जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करती है, उन्हें दिये जाते हैं। उक्त इन्जेक्शन उच्च तकनीक से विशेष निर्माण प्रक्रिया द्वारा बनाये जाते हैं। निदेशालय द्वारा भी पिछले 6–7 वर्षों से उच्च तकनीक वाले इन्जेक्शन ही पास किये जा रहे थे। इस वर्ष भी स्टोर परचेज कमेटी द्वारा उत्तम किस्म के इन्जेक्शनों को ही पास किया गया, परन्तु कुछ निविदादाताओं द्वारा जिनकी अधिकारियों से सांठ-गांठ है, राजनैतिक संरक्षण के बलबूने पर पास किये गये इन्जेक्शनों को रुकवा लिया गया है ताकि वो अपनी कम्पनी का इन्जेक्शन पास करवा सकें, चाहे उनकी कम्पनी में उक्त इन्जेक्शन को बनाने की उच्च तकनीक के साधन भी नहीं हो, न ही बाजार में उक्त फर्मों के इन्जेक्शन बिकते हैं। इसी प्रकार केटलाग नं. ए–64 पर मैसर्स डिलाइट कैमिकल का आईटम कमेटी ने पास कर दिया है किन्तु यह आईटम भी निहित स्वार्थ के वशीभूत व्यक्तियों द्वारा फिर से पुनः विचार के लिये रखवाया गया है ताकि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके। इस प्रकार की हेराफेरी इन दिनों निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निविदाओं में बरती जा रही है। पीड़ित पक्ष द्वारा अभ्यावेदन भी दिये जा चुके हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आप निष्पक्ष जांच करवाकर प्रदेश की जनता के अच्छे स्वास्थ्य के साधन मुहैया करवाकर सरकार को लाखों का नुकसान होने से बचावें।

[श्री रेवतीप्रसाद कोली (वैर)]

वैर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

निवेदन है कि मुझे सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना है कि निम्नांकित गांवों को जोड़ने वाली सड़कें काफी अर्से से टूटी-फूटी, अधूरी एवं क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। उपरोक्त के अलावा अभी हाल में आई बाढ़ के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र वैर एवं वैर के आसपास के सभी गांवों की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि निम्नांकित सड़कों को शीघ्रतिशीघ्र ठीक करवाया जाय विशेषकर उन सड़कों पर भी ध्यान दिया जाय जो कि काफी लम्बे अर्से से अधूरी हैं, बनी ही नहीं हैं। ये सड़कें निम्न हैं :—

(1) अलीपुर से सुआजसवरकी
(2) वैर से बझेराकलां
(3) वैर से कैलादेवी (अधूरी पड़ी हुई है)
(4) समराया से भगोरा
(5) बल्लभगढ़ से किरावली गोविन्दपुरा
(6) समराया से भगोरा
(7) बल्लभगढ़ से तरगवां
(8) आमोली से बिजवारी नैवाड़ा
(9) सरसैना से खेड़ली
(10) वैर से चक धरसौनी

कृपया उपरोक्त सड़कों को पूरी करवाने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

चैनपुरा, पंचायत समिति करौली में विश्व बैंक द्वारा सड़क निर्माण खातेदारों की भूमि पर

यह है कि जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति करौली के ग्राम चैनपुरा में विश्व बैंक द्वारा जो सड़क निर्माण करवाया जा रहा है वह पुराने नक्शे के अनुसार नहीं हो रहा है। काश्तकारों की खातेदारी की जमीन पर होकर कराया जा रहा है। जबकि इस पर कोर्ट द्वारा भी स्टे लगा हुआ है एवं आम जनता भी चाहती है।

(340)

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गरीबों की खातेदारी की भूमि को बचाकर पुराने सर्वे में होकर सड़क निर्माण कराया जाये ।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

राजकीय अधिकारियों को प्राप्त एस. टी. डी. टेलीफोन सुविधा के दुरूपयोग पर रोक

राज्य में जिला कलेक्टरों के कार्यालय एवं निवास पर लगे हुये टेलीफोनों पर एस.टी.डी. सुविधा मिली हुई है । इसके अतिरिक्त टेलीफोन की हॉट लाइन पर अधिकारियों तथा मंत्रीगणों से बात की जा सकती है। जिलों में नियुक्त कतिपय जिलाधीशों द्वारा एस.टी.सी. सुविधाओं का खुले आम अपने अधिकारी मित्रों, अन्य मित्रों तथा निजी कार्यों के लिये दुरुपयोग किये जाने की अलिखित शिकायतें सामने आती रहती हैं । सरकार मितव्ययता बरतने तथा छोटी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाकर बचत की सोचती है । किन्तु जिले में नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किये गये अनियमित तथा अवांछनीय एस डी टी. कालों की राशि वसूल नहीं करने से टेलीफोन के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस सम्बन्ध में वर्ष 1995 के प्रथम 8 माह में प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर द्वारा किये गये टेलीफोन खर्च का जिलेवार अलग-अलग विश्लेषण किया जाकर जिन-जिन महीनों में अन्य महीनों से अधिक राशि का बिल दूर संचार विभाग द्वारा जारी किया जाता है । उस महीने के प्रत्येक एस.टी.डी. काल का पूर्ण विवरण दूरसंचार विभाग से लिया जाकर सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के लिये किये गये काल की जानकारी लेकर ऐसे अधिकारियों से पूरी राशि वसूल की जाने की व्यवस्था की जावे, तथा सामान्य से अधिक बिल जिस महीने का जिस-जिस टेलीफोन का आया है । उस टेलीफोन बिल से सम्बन्धित किये गये समस्त एस.टी.डी. काल का तथा उसके साथ के एक माह पहले तथा एक माह बाद के उस टेलीफोन के प्रत्येक एस.डी.टी. काल सहित पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाया जावे तथा जिस कार्य के लिये टेलीफोन किया गया है, वह भी प्रत्येक काल के साथ अंकित किया जाकर सूची बनाई जाकर जांच की जाने के लिये विशेष दल का गठन किया जावे । की जाने वाली कार्यवाही से मुझे भी सूचित किया जावे । इसके साथ ही यह भी निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के उस स्थान के पूरे कार्यकाल में किये गये एस.टी.डी. टेलीफोन कालों की भी जांच की जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके ।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

सवाईमाधोपुर में सड़कों की दयनीय हालत

निवेदन है कि जिला सवाईमाधोपुर में सड़कों की हालत दयनीय है। यहां पर पुरानी सड़कों में गड्ढे पड़ गये एवं टूट गई हैं। टोडाभीम से सवाईमाधोपुर को जाने वाली सड़क इतनी खराब हो गई की सात घण्टे वहां तक जाने में लगते हैं। ऐसे मार्ग में साधनों की हालत खराब हो जाती है। इसी प्रकार महुआ से करौली कैलादेवी जाने वाली सड़क की हालत है। इस जिले के टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में तो सरकार ने सड़कें मंजूर की जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई एवं ऐसे लोगों को ठेके दिये गये जिन्होंने कार्य अधूरा ही छोड़ दिया और लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे विधायक कोटे से मंजूर सड़क जो मेरे स्वयं के ग्राम सोकरवाड़ा ग्राम की है उसको भी पैसा देने के बावजूद भी एक वर्ष हो गया, पर अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब विधायक के गांव की सड़कें नहीं बनीं तो फिर अन्य जगह का क्या होगा। इस क्षेत्र में विगत 92 से 95 तक कितनी सड़कें मजूर हुई, कितनी पूर्ण हुई, कितनी अधूरी हैं, कितनी सड़कों के कार्य चालू नहीं हुए और चालू नहीं हुये तो क्यों नहीं ? कारण बतायें।

क्या सरकार ने मेरे टोडाभीम तहसील के ग्राम माचड़ी से करीरी मोड़ के लिए कोई सड़क मंजूर की है, यदि की है तो किस मद में की है और कितना पैसा आपने इस सड़क को दिया है क्या यह पैसा किसी एम. पी. कोटे से दिया है ? स्पष्ट करें एवं यह भी बतायें कि इसको कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? सरकार की सड़क की क्या नीति है ? कितने ग्रामों को और सड़क से इस क्षेत्र में जोड़ेंगे ? ग्रामवाइज लिस्ट सदन में पेश करें।

अतः इस सदन के माध्यम से यह मांग मैं करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 90-95 तक कितनी सड़कें मंजूर हुई, किस मद में हुई, कितनी अधूरी रहीं, और कितनी पूर्ण हुई, कितनी और बनाई जा रही हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

विद्युत मण्डल की नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ

निवेदन है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल सब स्टेशन सुपरवाइजर एवं मीटर रीडर की एवं जे. ईएन. के पद रिक्त पड़े हुये हैं। पर सरकार इन जगहों को डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवकों से क्यों नहीं भरती है ? अनुसूचित जाति एवं जनजाति

के डिप्लोमाधारी वर्षों से बेरोजगार घूम रहे हैं, और लाखों रुपये विद्यार्थियों ने पढ़ाई में खर्च कर दिये, यहां तक की कई तो ओवरऐज होने जा रहे हैं। पर सरकार एस. सी., एस. टी. के साथ अन्याय क्यों कर रही है ? डिप्लोमाधारियों को जे. ईएन. के पद पर नियुक्त नहीं कर सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है। पर इसमें बजट की आवश्यकता कहा है। जो रिक्त पद हमारी एक तरह की बीमा है, धरोहर है, जब चाहे तब काम ले सकते हैं।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि डिप्लोमाधारियों को जे. ईएन. के रिक्त पदों पर नियुक्ति दे एवं नौकरियों में एस. सी., एस.टी. का जो केटलॉग है उसे शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जावे।

[श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)]

चित्तौड़गढ़–जयपुर मार्ग पर जर्जर बस का संचालन

उपरोक्त अनुबन्धित बस जो पिछले करीबन दो माह से चल रही हैं। यह बस चित्तौड़गढ़, बेगूं, माण्डलगढ़, जहाजपुर, देवली, टोंक और निवाई होते हुए 355 किलोमीटर तय कर जयपुर पहुंचती है। इस रूट पर चलने वाली यही मात्र एक बस है जिस पर बेगूं, माण्डलगढ़, जहाजपुर और देवली, टोंक, निवाई विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं और माननीय विधायक इसी बस से यात्रा करते हैं।

वर्तमान में चलने वाली अनुबन्धित बस बिलकुल कण्डम बस है, सारी बॉडी जर्जर हालत में है। बस के सारे हिस्से धड़–धड़ की आवाज करते हैं। बबलिंग करती हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

माननीय यातायात मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इतने लम्बे रूट पर अच्छी कण्डीशन की बस लगाई जाये। जिन अधिकारियों ने ऐसी पुरानी और जर्जर हालत की बस अनुबन्धित की है उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

साथ ही एक निवेदन और कि बस में यात्रियों की भीड़ एवं माननीय विधायकों के भी इसी बस से यात्रा करने की बात पर गौर कर एक और सुपर डीलक्स बस लगाई जावे।

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

डूंगरपुर की सिंचाई व्यवस्था

सोम नदी पर अमरपुरा का एक छोटा बांध है जिसकी लेफ्ट कैनाल जो उदयपुर जिले की ओर से निकालकर 2–3 किलोमीटर नीचे से एम्जेडेट बनाकर डूंगरपुर को पानी दिया गया है जो कि पूरे क्षेत्र को फायदा नहीं हुआ है इस बांध की राइट कैनाल नहीं निकाली गई है। श्रीमान् डूंगरपुर पंचायत समिति में ऐसा कोई बांध नहीं है जो कि डूंगरपुर पंचायत समिति को पानी दिया जा सके। मेरी आपसे विनती है कि इस बांध को ऊंचा लेकर राइट कैनाल निकाली जाये और इस राइट कैनाल का पानी सेगोडिया झालन बस्ती, रणसागर या सूरी बांध से डाल डूंगरपुर पंचायत समिति का अधिकांश भाग सिंचित किया जा सकता है।

साथ ही सोम कागदर का बांध जो उदयपुर जिले में स्थित है और डूंगरपुर की सीमा के करीब है इस बांध को ऊंचा लेकर भी डूंगरपुर पंचायत समिति तथा डूंगरपुर के काफी हिस्से को सिंचित किया जा सकता है।

अत: मैं नियम 295 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कर निवेदन है कि इस बांध (अमरापुर एवं सोमकमला-आम्बा) के पानी को डूंगरपुर पंचायत समिति से काश्तकारों को दिलाने की कृपा करायें।

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

जोधपुर शहर का महात्मा गांधी अस्पताल पश्चिमी राजस्थान के दूर दराज इलाकों के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा का एक मात्र केन्द्र है। इस अस्पताल में अति-विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु निम्न कारण हैं :—

महात्मा गांधी अस्पताल में हृदय रोग सम्बन्धी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु कार्डिक कैथेटेरीजेशन तथा वाल्व सम्बन्धी रोगों के लिए कार्डियोथोरिक सर्जन का पद नहीं होने से हृदय रोगियों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है जिससे गरीब जनता परेशान होती है।

कार्डियोलोजी विभाग में स्टाफ व डाक्टरों की कमी होने के कारण एक रीडर, दो लेक्चरर व स्टाफ का अभाव है जिसके अभाव में रोगियों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है उससे काफी परेशानी होती है।

३५५

नेफ्रोलोजी की सुविधा हेतु नेफ्रोलोजिस्ट की ट्रेनिंग मेडिसन विभाग के किसी सदस्य को दिलाकर रोगियों को सुविधा मिले इसके अभाव में नेफ्रोलोजी के रोगियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

आपातकालीन इन्डोर पेसेन्ट के लिए पैथोलोजी लैब की सुविधा निरन्तर रहे। इस हेतु डाक्टरों की संख्या पैथोलोजी विभाग में बढ़ाई जावे ताकि सुविधाओं का विस्तार हो सके। इसके अलावा गांधी अस्पताल शहर जोधपुर के लिए अन्य विभागों में जैसे मेडिसन, सर्जन आदि के काफी कम पद हैं उनकी कमी के कारण रोगियों को असुविधा होती है।

उपरोक्त सुविधाओं के अभाव में रोगियों को अन्यत्र चिकित्सा कराने में आर्थिक नुकसान भी होता है और इस महंगाई के जमाने में उन्हें जोधपुर से दूरस्थ शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। इससे जोधपुर शहर की जनता में भयंकर असन्तोष व्याप्त है।

आज मेडिसिन व सर्जरी की दो यूनिटें महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं मथुरादास माथुर चिकित्सालय में कार्यरत हैं। इनमें स्टाफ की कमी है। इसलिए एक प्रोफेसर, एक रीडर व चार लेक्चरर के पद बढ़ाए जायें तथा मथुरादास माथुर चिकित्सालय में भी दो यूनिटें तथा महात्मा गांधी चिकित्सालय में चार यूनिटें बनाई जावें।

[श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)]

जोधपुर स्थित सरकारी भवनों का रख-रखाव

जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है एवं राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। शहर के महत्व के अनुसार ही यहां काफी सरकारी भवन हैं, जिनमें से अधिकतर का निर्माण स्वतन्त्रता के पहले का है अतः इसके रख रखाव का काफी खर्चा आता है। परन्तु इसके लिए पर्याप्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण इन भवनों की हालत काफी खराब हो गई। राज्य सरकार द्वारा सरकारी निवासों के अतिरिक्त इस वर्ष में केवल 78.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि इसमें से लगभग 45 लाख रुपये तो कर्मचारियों के वेतन में भी खर्च हो जायेंगे, अतः रख-रखाव पर बहुत ही कम धन राशि मिलेगी। इस वर्ष में उक्त कार्य के लिए जयपुर में लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये, बीकानेर के लिए 96 लाख रुपये, एवं कोटा के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जोधपुर

के महत्व को देखते हुये इस शहर के साथ अन्याय ही कहा जायेगा। मेरा अनुरोध है कि जोधपुर के लिए यह प्रावधान सरकारी भवनों की हालत को देखते हुये 3 करोड़ किया जावे।

[**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर)]

नागौर जिले का विभाजन

नागौर जिला काफी बड़ा है। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से बड़े जिलों के छोटे जिले बनाने प्रस्तावित है। नागौर जिले में भी नया जिला बनाया जावे, मौजूदा नागौर जिले में नागौर एवं मेड़ता सब डिवीजन रखा जावे तथा डीडवाना एवं परबतसर सब डिवीजन को अलग जिला बनाया जावे। जिसका मुख्यालय कुचामन सिटी रखा जावे। वर्तमान में नावां तहसील का ग्राम मीण्डा तथा नागौर तहसील का गांव खींवसर जिसकी दूरी 250 किलोमीटर है। इतनी बड़ी दूरी होने से न कानून व्यवस्था ठीक रह सकती न अन्य सुविधाए मिल सकती है। जिला मुख्यालय जाना भी काफी तकलीफ दायक वर्तमान में हो जाता है। वर्तमान में नागौर जिले में दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं। एक नागौर एवं डीडवाना। डीडवाना क्षेत्र में 5 थाने डीडवाना उप अधीक्षक कार्यालय क्षेत्र के डीडवाना, लाडनूं, जसवंतगढ़, खुनखुना, बासंडा, मकराना अधीक्षक कार्यालय क्षेत्र में 4 थाने पीलवा, परबतसर, मकराना, गच्छीपुरा तथा कुचामन उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्षेत्र में कुचामन, चितावा, नावां, मारोठ। इस प्रकार 13 थानों में डीडवाना के पास केवल तीन थाने डीडवाना, लाडनूं, जसवंतगढ़ पड़ते हैं। शेष 10 थाने कुचामन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय होने पर सुविधाप्रद रहते हैं। मकराना संवेदनशील हलका है इस दृष्टि से भी कुचामन उपयुक्त है। तथा वहां अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार भनोत कमेटी की सिफारिश अनुसार एक अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय भी नागौर जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका मुख्यालय भी कुचामन में किया जावे। यहां जिला पशु पालन अधिकारी, जिला शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (डाइट) तथा नवोदय विद्यालय, जिला भू-संरक्षण कार्यालय पशु रोग निदान केन्द्र आदि जिला स्तर कार्यालय पहले से उपलब्ध हैं। अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले के दो हिस्से में बांटा जाकर नया जिला कुचामन सिटी बनाया जावे। डीडवाना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रस्तावित

कुचामन सिटी स्थानान्तरित किया जावे एवं नया प्रस्तावित अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भी कुचामन सिटी में खोला जावे ।

[श्री गोपीराम जाट (आमेर)]

राजकीय सेवारत व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी किये जाने के अभियोग पर कार्यवाही की मांग

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये अवगत कराना चाहता हूं कि राजकीय सेवारत श्री जगदीश नारायण व्याख्याता राजस्थान महाविद्यालय, टोंक द्वारा काफी समय पूर्व श्रीमती गीतादेवी पुत्री नाथूराम बागड़ा निवासी बैरिया हरनाथपुरा तहसील जयपुर के साथ हिन्दू रीति अनुसार विवाह सम्पन्न किया । श्रीमती गीता देवी अनपढ़ महिला थी इसीलिये शादी के बाद कुछ वर्ष अपने पास रखा एवं श्रीमती गीता देवी के साथ मारपीट करना एवं दहेज पर्याप्त न देने के कारण इन्हें परेशान करना आरम्भ कर दिया ।

यही नहीं श्री जगदीश नारायण व्याख्याता ने पहली पत्नी होते हुये दिनांक 20-6-95 को दूसरी शादी कर ली गई एवं श्रीमती गीता देवी को छोड़ दिया । दूसरी शादी करने की रिपोर्ट श्री नाथूराम जी ने टोंक थाने में दिनांक 21-6-95 को दर्ज करवा दी थी परन्तु टोंक थाने से इस केस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई एवं एक अबला को घर से निकाल दिया गया । अब उसको न तो कोई खर्चा दिया जा रहा है न ही रहने की कोई व्यवस्था है ।

सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही कर रही है । जिससे ऐसे कृत्य और नहीं हों ।

[श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)]

तदर्थ आधार पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों का स्थायीकरण

1-9-81 से राज्य सरकार ने वैद्यों को "आयुर्वेद चिकित्सक" पद नाम देते हुए राजपत्रित अधिकार का दर्जा दिया। दिनांक 5-5-90 को सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सक पद पर सीधी भर्ती एवं स्थायीकरण से सम्बन्धित नियमों की घोषणा की। इन नियमों के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी तथा इस पद पर 1-9-81 से तदर्थ आधार पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों को स्थायी तभी किया जायेगा तब उनका राजस्थान लोक सेवा आयोग से विधिवत् चयन हो जायेगा। इन नियमों के आधार पर सरकार ने वर्ष 1991 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से निवेदन किया कि आयुर्वेद चिकित्सकों के लगभग 1300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही करे। इन रिक्त पदों में वे पद भी सम्मिलित हैं जिन पर 1-9-81 से लेकर आज तक के तदर्थ आधार नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सक थे। आयुर्वेद चिकित्सकों के विभिन्न संगठनों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि इस आदेश के कारण 10-10 वर्ष पुराने सेवा काल वाले चिकित्सकों को भी न केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग की चयन-प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अपितु 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला चिकित्सक, प्रथम नियुक्ति पाने वाले चिकित्सक के समकक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। इस विसंगति पर सरकार ने गम्भीरता-पूर्वक विचार किया तथा चिकित्सक संगठनों से पर्याप्त राय मशवरा करने के बाद निर्णय लिया कि उपरोक्त नियम घोषित होने की दिनांक 5-5-90 से पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों को मात्र स्क्रीनिंग के आधार पर स्थायी कर दिया जायेगा तथा इस दिनांक 5-5-90 के बाद नियुक्त समस्त आयुर्वेद चिकित्सकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से विधिवत् चयनित होना पड़ेगा। किन्तु इस निर्णय की न तो विधिवत् घोषणा की गई न ही इस निर्णय के आधार पर दिनांक 5-5-90 को घोषित नियमों में संशोधन ही किया है। इस बीच आयुर्वेद चिकित्सकों के 5-5-90 को घोषित नियमों में संशोधन ही किया गया है। इस बीच आयुर्वेद चिकित्सकों के संगठन "आयुर्वेदिक चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन" ने 1991 में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिस पर 1994 में निर्णय घोषित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1-9-81 से अब तक नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों को बिना स्क्रीनिंग के स्थायी कर दिया जावे। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गयी रिक्त पदों की संख्या में कटौती करते हुए आयोग द्वारा भरे जाने योग्य पदों की संख्या घटाकर 626 कर दिया तब तक भी राज्य सरकार द्वारा न तो उपरोक्त नियमों का संशोधन किया गया और न ही अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा की गई। इसके कारण आयुर्वेद चिकित्सकों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां एवं भ्रम फैल गये। विशेषकर 1-9-81 से 5-5-90 तक के बीच नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सक आज भी असमन्जस की स्थिति में हैं कि उनके साथ क्या होगा। मैं इस सदन के माध्यम से

(348)

आयुर्वेद मन्त्री का ध्यान इस विकट परिस्थिति की ओर दिलाते हुए मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की स्पष्ट घोषणा करे ताकि असमन्जस, भ्रम एवं भ्रान्तियों का निवारण हो सके।

[श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)]

झुन्झुनूं जिले में विद्युत प्रसारण व्यवस्था

झुन्झुनूं जिले का 90% विद्युतीकरण 1976 में ही हो चुका था तथा बिजली के प्रसारण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में अग्रणी जिला है तथा इस मामले में किसी भी जिले में किसी भी आधार पर कम नहीं है। जिले में खेतड़ी जैसा Copper project के जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं सबसे अधिक Production देने वाला Copper प्रोजेक्ट है जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है तथा शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या यहां पर है। शिक्षा का प्रतिशत भी ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में प्रथम स्थान है। रोजगार का आधार सिर्फ बिजली है जिसका विस्तार एवं प्रसारण इन वर्षों में किया गया है। इस वर्ष Nursery योजना में सबसे अधिक कनेक्शन इसी जिले से मांग आई है तथा लाखों रुपये किसानों ने अपने कनेक्शन लेने तथा अपने शिक्षित युवकों को काम में लगाने हेतु मांगे हैं। परन्तु खेद का विषय है कि वर्तमान पावर Strength में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्ष 1976 में झुन्झुनूं में 132 के. वी. का जी. एस. एस. कायम हुआ था उसका विस्तार वहीं पर रुका है। उसे बढ़ाकर 220 के. वी. का किया जाय, मण्डावा 33 के. वी. G. S. S. को 132, लुटू 33 के. वी. G. S. S. को 132 तथा दुराना तहसील झुन्झुनूं में 33 के. वी. का G. S. S. बनाया जावे। इसका प्रस्ताव भी जिले से बोर्ड में आया था परन्तु R.S.E.B. ने उसे Turn down कर दिया है जो दुःख का विषय है। इसे स्वीकृति प्रदान करें।

इस वर्ष जिले में बिजली बोर्ड ने अपने उप खण्ड में बढ़ोतरी की तथा जहां पर आवश्यता थी वहां पर नये Sub-divisons कायम किए हैं किन्तु पंचायत समिति अलसीसर में बिसाऊ कस्बे तथा अलसीसर कस्बे में अलग अलग दो Sub-division तथा पूरे प.स. क्षेत्र को झुन्झुनूं के नीचे लगाया है जिसके फलस्वरूप 45 तथा 50 किलोमीटर से अधिक दूरी के ग्रामीणों को अपनी समस्या के लिए झुन्झुनूं आना पड़ता है जो आर्थिक एवं सभी दृष्टियों से बहुत तकलीफ दायक है। इन उपरोक्त दोनों स्थानों पर 33 के. वी. के G. S. S हैं तथा दोनों की झुन्झुनूं से दूरी 50 किलोमीटर तथा आपस की दूरी भी 45 K. M. से कम नहीं है। दोनों कस्बों की आबादी 25 हजार तथा 15 हजार की जनसंख्या क्रमशः है।

मेरा प्रस्ताव है कि जिले को विद्युत की दृष्टि से सक्षम एवं प्रेषण योग्य बनाने हेतु निम्न कार्य किए जावें :—

(1) बिसाऊ तथा अलसीसर कस्बों में सहायक अभियन्ता के कार्यालय खोले जावें।

(2) झुन्झुनूं 132 के. वी. G. S. S. को upgrade कर 220 के. वी. का G S. S. बनाया जावे।

(3) दुसूना गांव में 33 के. वी. का G. S. S. लाइन के नीचे ही कायम किया जावे जिससे खर्चा भी कम होगा।

(4) लुटू G. S. S. को 132 के. वी. का बनाया जावे।

(5) मण्डावा 33 के. वी. G. S. S. को 132 के. वी. का G. S. S. बनाया जावे।

ऐसा होने से विद्युतीकरण का सुदृढ़ीकरण होगा तथा उसके विस्तार में मदद मिलेगी।

[श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)]

राजमार्गों के बाईपास पर निर्माण

अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करके राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बाई पास जो बनाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि बाई पास इसलिये बनाये जाते हैं कि नगरों एवं कस्बों की भीड़–भाड़ से गाड़ियां बाहर निकल जाये और दुर्घटना न हो। परन्तु देखने में आया है कि पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों की मिली भगत के कारण दुकानों एवं मकानों का निर्माण कर दिया जाता है और इस कारण 5 से 10 वर्ष के मध्य यह बाई पास भीड़-भाड़ वाले बाई पास हो जायेंगे। झालावाड़ से कोटा, बूंदी, टोंक, निवाई, जयपुर एवं दिल्ली तक की यही स्थिति है।

350

अतः मेरा सरकार से विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन है कि यदि बाई पास पर कोई भी निर्माण होता है तो सक्षम अधिकारी जिम्मेदार हों। इस प्रकार का नियम बनाया जाये।

[श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)]

राजस्थान में सड़कों के घटिया निर्माण की जांच

यह सर्वविदित है कि राजस्थान में सड़कों के घटिया निर्माण के कारण करीब पूरे प्रदेश में सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है। कई स्थानों पर तो नई बनी हुई सड़कें एक मील की मामूली बरसात में ही उखड़ जाती है। यह बात मैं अथवा अधिकांश माननीय सदस्य ही नहीं वरन् माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री चतुर्वेदी जी भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने 15 अक्टूबर, 95 को ग्रेजुएट इन्जीनियर्स एसोसिएशन के अधिवेशन के समापन समारोह में यह बात स्वीकार करते हुए राज्य की सड़कों के घटिया निर्माण पर अफसोस जताया तथा कहा कि जिस सड़क को बने तीन माह हुए हों और वह एक ही बरसात में उखड़ जावे तो उसकी जिम्मेदारी अभियन्ताओं की होती है तथा मंत्री भी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहते। निर्माण विभाग सचिव बी. जी. शर्मा ने कहा कि वे शर्म तब महसूस करते हैं जब विश्व बैंक के कोई अधिकारी घटियापन के लिए कोसते हैं। उन्होंने कहा विभाग को पिछले दो वर्ष से बदनामी झेलनी पड़ रही है। सड़क विकास नीति पर मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि निर्माण विभाग कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे उस पर सन्देह की उंगली उठना बन्द हो।

महोदय, यह गम्भीर स्थिति है कि दो वर्ष से विभाग में भ्रष्टाचार के कारण पूरे प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा है। मेरा सुझाव है कि :–

1. विभाग सड़कों पर रखने के लिए विभागीय अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करे जहां, सड़कें समय से पहले खराब हो जाती हैं।

2. पिछले दो वर्ष में करोड़ों रुपये का सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। यह सर्वविदित है अधिकारी कहते हैं कि उन्हें 20 प्रतिशत रुपये ऊपर देने पड़ते हैं।

इस पूरे प्रकरण पर सी. बी. आई. से जांच हो क्योंकि यह पूरे राजस्थान का एक गम्भीर विषय है और सरकार ने स्वयं अपनी मजबूरी व्यक्त की है।

[श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)]

बालोतरा के रैगर मोहल्ले में विद्युत व्यवस्था

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पिछले दो वर्षों से बालोतरा के रैगर मोहल्ले वार्ड 3 में गलियों व आम सड़क पर खम्भे लगाने के लिए वहां डाल दिये हैं। नगरपालिका ने खम्भों की कीमत भी जमा करवाली थी। लेकिन दो साल से बार-बार निवेदन करने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा रैगर मोहल्ले में खम्भे नहीं लगाये गये हैं। जिससे गरीब रैगर जाति के लोगों को अन्धेरी रातों में भारी कष्ट उठाना पड़ता है। बिजली के अभाव में उन अनुसूचित जाति के मासूम और होनहार बच्चे पढ़ाई से महरूम रहते हैं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि जनहित को मध्य नजर रखते हुए शीघ्र ही बालोतरा के रैगर अनुसूचित जाति के मोहल्ले वार्ड में बिजली खम्भे लगाने का सरकार को निर्देश दिलाने की कृपा करें।

[श्री मोतीलाल (रूपवास)]

भरतपुर के लक्ष्मण मन्दिर की भूमि का प्रकरण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेवेन्यू मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ तब हिन्दुस्तान का विधान बना। और उस विधान में एक ऐसा एक्ट बना जिसमें राजा महाराजाओं के राज गये और बड़े जमीदार की जागीदारी खतम हो गई। और जब रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ तो कहा कि जो किसान जमीन को जोत रहा है वह जमीन उसी की होगी। उसके बाद जो भरतपुर महाराज के लक्ष्मण मन्दिर की जमीन थी जो कुछ लोगों को उस जमीन के

सरकार ने 1950 में पट्टे काट दिये उसके बाद तारीख 19-11-51 में उनके नाम दाखिला कर दिया गया। उसके बाद आज तक उस जमीन पर कोई उजरदायी नहीं था और जिन लोगों को वह जमीन दी थी वह उस जगह पहले से ही बसे थे और खेती करके अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन पता नहीं इस वर्ष लक्ष्मण जी मन्दिर के पुजारी को अहसास हुआ और उसने श्रीमान् कलेक्टर से इस बारे में सांठ-गांठ करके उनके पास जमीन खाली करने का नोटिस जारी करवा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि उन किसानों की जमीन को लेकर पुजारी को देंगे, तो किसान क्या करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरे क्षेत्र की जनता के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी तथा रेवेन्यू मंत्री जी से न्याय दिलवाने की मांग कर रहा हूं कि उनके साथ न्याय किया जावे, क्योंकि मेरे पास दाखिला की कापी मौजूद है। वह मन्दिर जिस की जमीन बताई गई है, वह मन्दिर काफी दिन पहले से देवस्थान ट्रस्ट में लगा हुआ है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब पुजारीजी का तो कोई सवाल ही नहीं है कि इस जमीन पर उजरदारी कर सके।

6652 बीघा जमीन है जिससे छह-सात सौ परिवारों का पालन पोषण हो रहा है।
